48 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

48TH ANNUAL REPORT 2017-18



भा.क.नि.

C.C.I.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED



अनुक्रमणिका / INDEX

विषय / Particulars	Page No
निदेशक मंडल Board of Directors	2
वरिष्ठ प्रबंधन टीम Senior Management Team	4
सूचना Notice	6
अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Speech	10
निदेशक रिपोर्ट Directors Report	16
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट अ Annexure A to Director's Report	35
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट ब Annexure B to Director's Report	40
निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट Addendum to Directors' Report	48
महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments of the CAG	55
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	56
वार्षिक लेखे Annual Accounts	75
बैंकों की सूची List of Banks	190
प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	191

निदेशक मंडल
(दिनांक 31-12-2018 को)

BOARD OF DIRECTORS
(As on 31-12-2018)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	डॉ. पी. अल्लि रानी **Dr. P. Alli Rani**
निदेशक (वित्त) Director (Finance)	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल **Shri Pradeep Kumar Agarwal**
निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	श्री एम. एम. चोक्कलिंगम **Shri M. M. Chockalingam**
(निदेशक) (Director)	श्री एस. आर. गायकवाड **Shri S. R. Gaikwad**
स्वतंत्र निदेशक Independent Director	श्रीमती ग्रेस पिंटो **Ms. Grace Pinto**
स्वतंत्र निदेशक Independent Director	श्रीमती राजिका टी. कचेरिया **Ms. Rajika T. Kacheria**

लेखा परीक्षक

बंसल आर. कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल, मुंबई

बवेजा एंड कौल
सनदी लेखापाल, नई दिल्ली

Auditors

Bansal R. Kumar & Associates
Chartered Accountants, Mumbai

Baweja & Kaul
Chartered Accountants, New Delhi

पंजीकृत कार्यालय

कपास भवन,
प्लॉट नं. 3 ए, सेक्टर - 10, सी.बी.डी.
बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614
वेब साईट : www. cotcorp.org.in
www.ministryoftextiles.gov.in

Registered Office

Kapas Bhavan
Plot No 3A, Sector -10, C.B.D. Belapur
Navi Mumbai - 400 614
website : www. cotcorp.org.in
www.ministryoftextiles.gov.in



डॉ. पी. अल्लि रानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Dr. P. Alli Rani
Chairman-cum-Managing Director



श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
Shri Pradeep Kumar Agarwal
Director (Finance)



श्री एम. एम. चोक्कलिंगम
निदेशक (विपणन)
Shri M. M. Chockalingam
Director (Marketing)



श्री एस. आर. गायकवाड
(निदेशक)
Shri S. R. Gaikwad
(Director)



श्रीमती ग्रेस पिंटो
स्वतंत्र निदेशक
Ms. Grace Pinto
Independent Director



श्रीमती राजिका टी. कचेरिया
स्वतंत्र निदेशक
Ms. Rajika T. Kacheria
Independent Director

वरिष्ठ प्रबंधन टीम
SENIOR MANAGEMENT

मुख्य महा प्रबंधक (मासंवि) Chief General Manager (HRD)	**श्री मनोज बजाज** **Shri Manoj Bajaj**
मुख्य महा प्रबंधक (वित्त/वाणिज्य)/कंपनी सचिव Chief General Manager (Finance/Commercial) /Company Secretary	**श्री ललित कुमार गुप्ता** **Shri Lalit Kumar Gupta**
मुख्य महा प्रबंधक (विपणन) Chief General Manager (Marketing)	**श्री एस. के. पाणिग्राही** **Shri S. K. Panigrahi**
मुख्य महा प्रबंधक (आ. व्या./निर्यात लेखा) Chief General Manager (IT/Export A/c)	**श्री राजेन्द्र कु. गुप्ता** **Shri Rajendra. K. Gupta**

महा प्रबंधक / General Managers

(1) श्री एस. के. दास Shri S. K. Das	(2) श्री अतुल काला Shri Atul Kala	(3) श्री यू. के. सिंह Shri U. K. Singh	(4) श्री ए. के. श्रीवास्तव Shri A. K. Srivastava
(5) श्री विशाल के सिन्हा Shri Vishal K. Sinha	(6) श्री संजय कुमार Shri Sanjay Kumar	(7) श्री प्रांजल पी. जोशी Shri Pranjal P. Joshi	(8) श्री अजय कुमार Shri Ajay Kumar

उप महा प्रबंधक / Deputy General Manager

(1) श्री जे. नागेश्वर राव Shri J. Nageswara Rao	(2) श्री राजेन्द्र शाह Shri Rajendra Shah	(3) श्री मोहित शर्मा Shri Mohit Sharma	(4) श्री पी. अमरनाथ रेड्डी Shri P. Amarnath Reddy
(5) श्रीमती भावना बिसेन Smt. Bhavna Bisen	(6) श्री इ. यु. इंगले Shri E. U. Engle	(7) श्री विनोद कुमार Shri Vinod Kumar	(8) श्री कमल कांत Shri Kamal Kant



श्री मनोज बजाज
मुख्य महा प्रबंधक (मासंवि)
Shri Manoj Bajaj
Chief General Manager (HRD)



श्री ललित कुमार गुप्ता
मु.म.प्र.(वित्त/वाणिज्य)/कंपनी सचिव
Shri Lalit Kumar Gupta
C.G.M.(Finance/Commercial)/
Company Secretary



श्री एस. के. पाणिग्राही
मुख्य महा प्रबंधक (विपणन)
Shri S. K. Panigrahi
Chief General Manager
(Marketing)



श्री राजेन्द्र कु. गुप्ता
मुख्य महा प्रबंधक (आ. व्या./निर्यात लेखा)
Shri Rajendra K. Gupta
Chief General Manager
(IT/Export A/c)

सूचना

NOTICE

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड के सदस्यों की 48वीं वार्षिक सामान्य बैठक नीचे दिए अनुसार आयोजित की जायेगी :

तारीख : **31.12.2018**

दिवस : **सोमवार**

समय : **03.00 बजे**

स्थल : **कपास भवन, प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई 400 614**

निम्नलिखित कामकाज करने के लिए :

सामान्य व्यवसाय :

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी और इस दिनांक का तुलन पत्र तथा निदेशकों की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य संबंधित विवरणियाँ तथा उन पर कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अनुसार और नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त और स्वीकार करना ।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश घोषित करना।

विशेष व्यवसाय :

3. निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बगैर पारित करने योग्य हो, तो विचार किया जाये ।

   संकल्प किया जाता है कि कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 13 के प्रावधानों तथा अन्य कोई लागू प्रावधानों के अनुसरण में (कोई सांविधिक संशोधन अथवा कुछ समय के लिए लागू पुनः अधिनियम को शामिल करके) तथा उसके अधीन तैयार नियमावली, कंपनी के निदेशक मंडल की सहमति से तथा एतदद्वारा मंजूर, बशर्ते सामान्य बैठक में शेयर धारकों के अनुमोदन तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज , मुंबई के अनुमोदन से कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएसन के खंड III (क) के उप खंड (6) के पश्चात निम्नलिखित (7) व (8) खंड जोड़ा जाए ।

(7) कपास खरीदी, रूई की गाँठों के चयन, देशी अथवा अंतरदेशीय कपास से संबंधित ट्रांसपोर्टेशन अथवा भंडारण अथवा किसी अन्य गतिविधियों के संबंध में स्पनिंग मिल्स अथवा अन्य किसी तीसरी पार्टी को एजंसीज सर्विस देना।

NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting of the members of THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED will be held as scheduled below : -

DATE : **31.12.2018**

DAY : **Monday**

TIME : **03.00 pm**

VENUE : **KAPAS BHAVAN, PLOT NO. 3A, SECTOR – 10, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI – 400 614.**

to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement of the Company for the year ended 31st of March, 2018, the Balance Sheet as at that date and Directors' report and Auditor's Report along with other related documents and comments of Comptroller & Auditor General of India thereon in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013.

2. To declare dividend for the financial year 2017-18.

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider, and if deemed fit, to pass with or without modification the following resolution as a Special Resolution.

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 13 and other applicable provisions, if any, of Companies Act, 2013, (including any statutory modifications or re-enactment thereof, for the time being in force), and the rules framed there under, consent of the Board of Directors of the Company be and is hereby accorded, subject to the approval of Shareholders in General Meeting and Registrar of Companies, Mumbai, to append following sub clauses (7) & (8) after sub clause (6) of clause III (A) of the Memorandum of Association of Company:

(7) "To provide agency services to the spinning mills or any other third party(s) in relation to purchase of cotton, selection of cotton bales, transportation or storage or any other activities related to the domestic or international cotton."

(8) भारत अथवा विदेश में सरकारी अथवा प्राधिकारियों, म्यूनसीपल, स्थानीय अथवा अन्यथा अथवा किसी तीसरी पार्टी के मार्फत अथवा द्वारा कपास के अतिरिक्त किसी भी कृषि वस्तुओं का सौदा करने अथवा ट्रेडिंग हो अथवा अन्यथा निपटान करने से संबंधित कोई सर्विस देना व व्यापार करने से संबंधित कार्य करना ।

संकल्प किया जाता है कि कंपनी का अ.प्र.नि अथवा कोई निदेशक अथवा कंपनी सचिव को उपर्युक्त मामले में आद्याक्षर करने, हस्ताक्षर करने, अनुप्रमाणन करने तथा कंपनीज के रजिस्ट्रार से तथा अन्य सभी नियमित प्राधिकारियों से आवश्यक आवेदन फार्मस के फाईलिंग तक सीमित नहीं बल्कि उससे संबंधित ऐसे सभी कार्यों मामलों डील्स पर आकस्मिक रूप से परिणाम देने से संबंधित ऐसे सभी कार्यों पर कार्रवाई करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
ललित कुमार गुप्ता
मुख्य महा प्रबंधक (वित्त/वाणि.)/कंपनी सचिव

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक : 20.12.2018

(8) "To carry on any services or business, whether trading or otherwise dispose off or deal in any Agriculture Commodities in addition to Cotton, by or on the behalf of any Government or authorities, municipal local or otherwise or any third party(ies) in India or abroad."

RESOLVED FURTHER THAT Chairman-cum-Managing Director or any other Directors of the Company or Company Secretary of the Company be and are hereby severally authorized to do all such acts, matters, deeds and things necessary or expedient in connection with or incidental to give effect to the above matter, including but not limited to initialing, signing, attesting and filing of necessary applications, forms with the Registrar of Companies and all other regulatory authorities, as may be necessary, and to comply with all requirements in this regard."

By order of the Board of Directors
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

Sd/-
Lalit Kumar Gupta
CGM (Fin./Comm.)/Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Dated: 20.12.2018

नोट्स : –

1. बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के हकदार अधिकारी सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने और अपने स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

2. प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी पत्र बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पास प्राप्त हो जाना चाहिए । प्रॉक्सी प्रपत्र वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के अंत में दिया गया है ।

3. कंपनी के उपर्युक्त व्यापार निर्धारण करने से संबंधित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 102 की आवश्यकता के अनुसार कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के साथ व्याख्यात्मक विवरणी संलग्न की गई है।

कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरणी

मद सं. 03 : यह सूचित किया जाता है कि जब कभी कपास मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे गिरते हैं तो निगम भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में विभिन्न बाजार समितियों के यार्डस में बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कच्ची रूई खरीदने के लिए समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालन करता है । इस परिचालन के लिए निगम ने संपूर्ण भारत में एक अनुकूल नेटवर्क स्थापित किया है । यह खरीदी परिचालन 15 खरीदी शाखाओं के अधीन 300 से अधिक खरीदी केन्द्रों पर किया जाता है । इन खरीदी केन्द्रों का प्रबंधन उन अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाता हैं जिन्हें 20–30 वर्ष फील्ड का अनुभव हैं । मानवशक्ति के सर्वोत्तम उपयोग तथा राजस्व में वृद्धि के लिए, निगम वस्त्र क्षेत्र में एजंसी सर्विस की गतिविधियों को आरंभ करने की योजना तैयार कर रहा है ।

निगम प्रत्येक वर्ष प्रचलित बाजार परिस्थिति पर आधारित देश की कुल कपास उत्पादन का 5% से 35% उत्पादन खरीद कर रहा है । उपभोक्ता स्पीनिंग उद्योग निजि जिनर्स/ट्रेडर्स, आयात इत्यादि निगम से अपने कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करता है । कपास विभिन्न किस्मों, ग्रेड्स, माइक्रोनेयर तथा लेंथ का एक प्राकृतिक फसल है तथा प्रत्येक स्पीनिंग मिल्स को कपास की विशेष किस्म, ग्रेड्स, माइक्रोनेयर तथा लेंथ की आवश्यकता होती है जिसके लिए मिल द्वारा कपास का चयन करना अनिवार्य होता है । इसीलिए स्पिनिंग मिल्स को रूई की गाँठों का चयन करने कें लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। कुछ स्पिनिंग मिल्स ने अपने कर्मचारियों के रूप में कपास

NOTES:-

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON POLL INSTEAD OF HIMSELF. SUCH PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

2. PROXIES IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. THE PROXY FORM IS ENCLOSED AT THE END OF NOTICE TO AGM.

3. Explanatory Statement is annexed to the notice of Annual General Meeting of the Company as required by Section 102 of the Companies Act, 2013 relating to the Business set out above hereto.

EXPLANATORY STATEMENT UNDER SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013:

ITEM NO. 03 : It is inform that the corporation being a Nodal Agency of Government of India for undertaking price support operations by procuring raw cotton in various market committee yards, whenever the market price of cotton falls below the Minimum Support Price (MSP) announced by the Government of India without any quantitative limit. To carry out such operations the Corporation is having a well established network across India. The procurement operations are carried out through 300 plus procurement centres under 15 procurement branches. These procurement centres are managed by well experienced man-power having 20-30 years of field experience. For optimum utilization of the manpower as well as to increase the revenue stream, Corporation is planning to introduce activity of agency services to the textile sector.

The Corporation is procuring about 5% to 35% of the total production in the country depending upon the prevailing market condition every year. The consumer spinning industry meets its raw material requirement from the Corporation, private ginners/traders, import etc. The cotton is a natural commodity different varieties, grades, micronnaire and length and each spinning mill require the cotton of particular variety, grade, micronnaire and length for which selection of cotton becomes necessary for the mills. Therefore, the spinning mills require an expert for selection of the cotton bales. Some of the spinning mills have appointed their own employees for the said work. However, most

विशेषज्ञों की नियुक्ति की है । फिर भी, अधिकांश स्पिनिंग मिल्स गाँठों की खरीदी, चयन तथा ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि की प्रक्रिया के लिए एजंट के रूप में तीसरी पार्टी से सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं । निगम अपने मौजूद नेटवर्क के उपयोग द्वारा स्पिनिंग उद्योग को ये सेवाएँ ऑफर करने तथा स्पिनिंग मिल्स को कमीशन के आधार पर कपास खरीदी, चयन, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने में एक सुविधाजनक एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता है । इसके साथ ही निगम अतिरिक्त वर्किंग कैपीटल की तैनाती के बगैर उपलब्ध मानव शक्ति के उपयोग द्वारा अतिरिक्त आय उत्पन्न कर सकता है । इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाया जा सकता है कि कपास के लिए उपलब्ध नियत आधारभूत संरचना को जब उस अवधि में कपास खरीद ऑपरेशन नहीं होते हो, तो अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

इन गतिविधियों पर कार्य करने के लिए कंपनी के मुख्य खंड में संशोधन की आवश्यकता है ताकि व्यापार के वास्तविक तत्वों को प्रतिबिंबित किया जाए । तद्नुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएसन के खंड खखख(क) के उप खंड (6) के पश्चात उपखंड (7) व (8) जोड़ने के लिए संलग्न है ।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसरण में मूल खंड में संशोधन के लिए विधिवत बुलाई गई सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है ।

निदेशकों ने कंपनी के हित में विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश की है ।

इस संकल्प में किसी भी निदेशक, अथवा मुख्य प्रबंधक कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का इसमें अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
ललित कुमार गुप्ता
मुख्य महा प्रबंधक (वित्त/वाणि.)/ कंपनी सचिव

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक : 20.12.2018

प्रति,
कंपनी के सभी सदस्य, निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक

of the spinning mills are dependent on third party agents for their services to the spinning mills in the process of purchases, selection, transportation of bales etc. The Corporation can utilize its existing network for offering these services to the spinning industry and can work as a facilitating agency in providing services of purchases, selection, transportation of cotton etc. to the spinning mills on commission basis. With this, the Corporation can generate an extra source of income by utilizing the available manpower without deployment of additional working capital. In addition to this, it will also be explored if the fixed infrastructure available for cotton can be used for procurement of other agri products during the period when cotton procurement operations are not there.

To undertake such activity the main object clause of the Company needs to be amended to reflect the true nature of business. Accordingly, to append sub clauses (7) & (8) after sub clause (6) of clause III (A) of the Memorandum of Association of Company.

Pursuant to Section 13 of the Companies Act, 2013, the amendment in object clause require the approval of shareholders through Special Resolution at duly convened General Meeting.

The Directors recommend passing of the special resolution in the interest of the Company.

None of the Director or their respective relatives are concerned or interested in this resolution.

By order of the Board of Directors
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

Sd/-
Lalit Kumar Gupta
CGM (Fin./Comm.)/Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Dated: 20.12.2018

To,
All Members, Directors & Statutory Auditors of the Company

निगम की 48 वी वार्षिक सामान्य बैठक
अध्यक्ष का अभिभाषण
48th Annual General Meeting
Chairman's Speech

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 48वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर आपका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है ।

मैं इस कंपनी को देश की प्रमुख कॉटन ट्रेडिंग सार्वजनिक उपक्रम बनाने के लिए आप सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ । इस बैठक की सूचना की नोटिस, निदेशक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे जो पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से, मैं उसे पठित मानती हूँ ।

आपके निगम ने अपनी विवेकपूर्ण योजनाओं, कर्मचारियों के समर्पित व अनुभवी संगठन से कपास मौसम 2017–18 की चुनौतियों का सामना करते हुए संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की । मुझे आशा है कि कंपनी अपनी दीर्घ धारणीय वृद्धि प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है । अब मैं आपके साथ वर्ष 2017–18 के दौरान आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन के समक्ष देशी कपास परिदृश्य व अंतरराष्ट्रीय मार्केट के संक्षिप्त बिंदुओं को साझा करना चाहूँगी ।

1. कपास परिदृश्य :

अंतरराष्ट्रीय स्थिति :

विश्व आरंभिक स्टॉक गत वर्ष 2016–17 के आरंभिक स्टॉक 20.31 मिलियन मैट्रिक टन्स की तुलना में 7% कमी द्वारा 18.80 मिलियन मैट्रिक टन्स कम हुआ । कपास एकरेज गत वर्ष 2016–17 में 29.87 मिलियन हैक्टर के सामने 16% वृद्धि के साथ 34.62 मिलियन हैक्टर रहा । जिसके परिणामस्वरूप विश्व कपास उत्पादन गत वर्ष 16–17 के दौरान 23.07 मिलियन मैट्रिक टन के सामने 13% वृद्धि द्वारा 26.57 मिलियन मैट्रिक टन्स रहा । विश्व व्यापी रूई मिल का इस्तेमाल 25.49 मिलियन मैट्रिक टन्स से 4% वृद्धि की अपेक्षा की जाती है तथा 31 जुलाई 2018 को विश्व कपास मौसम की समाप्ति पर विश्व स्टॉक गत वर्ष 18.80 मिलियन टन्स की तुलना में 2% कमी के साथ 18.33 मिलियन मैट्रिक टन्स का अनुमान लगाया गया है (स्त्रोत : आईसीएसी जर्नल कॉटन दिस मन्थ दिनांक 1 जून 2018)

Dear Shareholders,

It is my privilege to welcome you on the occasion of the 48th Annual General Meeting of your company.

I also want to thank you for your support in making this company a leading public sector cotton trading organization in the country. The notice convening the meeting, the Director's Report and the Annual Audited Accounts for the year ended 31st March, 2018 have already been circulated and with your permission, I shall take them as read.

Your Corporation with its prudent policies, dedicated and experienced cadre of employees had been able to meet the challenges of Cotton season 2017-18 creating value for the organization and gaining further strength. I am hopeful that the Company is moving on the path of achieving its long term sustainable growth. Now I would like to share with you brief highlights about the performance of your company during 2017-18 vis-à-vis cotton scenario in Domestic & International market.

1. COTTON SCENARIO:

International Situation:

World opening stock has decreased by 7% to 18.80 million metric tons in comparison to opening stock of 20.31 million metric tons of last year, 2016-17. Acreage under cotton has increased by 16% to 34.62 million hectares as against 29.87 million hectares in 2016-17. As a result, world cotton production has increased by 13% to 26.57 million metric tons as against 23.07 million metric tons during 2016-17. Global cotton mill use is expected to increase by 4% to 25.49 million metric tons and world ending stock at the end of world cotton season on 31st July 2018 is estimated to decrease by 2% to 18.33 million metric tons in comparison to 18.80 million metric tons of last year. (Source: ICAC Journal-Cotton this Month dated June 1, 2018).

मौसम के दौरान कॉटलुक ए सूचकांक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कपास मूल्य 77.00 यू एस सेंट / प्रति एल बी से 102.00 यू एस सेंट /प्रति एल बी की रेंज में रहे । जून 2018 के मध्य में ये मौसम के उच्चतम स्तर यानि 101.70 यू एस सेंट /प्रति एल बी तक पहुँच गए । तत्पश्चात जून 2018 के अंत में 94 यू एस सेंट / प्रति एल बी तक नीचे गिरा । जून, 2018 तक वार्षिक औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्य 87.32 यू एस सेंट / प्रति एल बी था जो पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 82.66 प्रति यू एस सेन्ट प्रति एल बी की तुलना में 5% उच्च था ।

देशी स्थिति :

देश में कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में 108.26 लाख हैक्टर से लगभग 15% वृद्धि के साथ 124.44लाख हैक्टर रहा । जबकि उत्पादन पिछले वर्ष 542 किलोग्राम/प्रति हैक्टर्स के विरूद्ध 7% गिरावट से 505 किलोग्राम/प्रति हैक्टर रहा । यह गिरावट मध्य एवं दक्षिण क्षेत्रों में पिंक बॉल वॉम संक्रमण के कारण हुई तथापि क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण कपास उत्पादन 2016-17 के 345 लाख गाँठों के सामने 370 लाख गाँठों की वृद्धि हुई । (स्त्रोत: सीएबी बैठक दिनांक 26.06.18)

वर्ष 2017-18 कपास मौसम की समाप्ति पर 43.76 लाख गॉठों के अनुमानित अवशेष स्टॉक, 15 लाख गॉठों के आयात, 315.50 लाख गॉठों पर कपास उपभोग व 70 लाख गॉठों के अनुमानित निर्यात के साथ कपास मौसम 2017-18 के अंत तक अंतिम स्टॉक 43.26 लाख गाँठों का अनुमान लगाया गया है (स्त्रोत: सीएबी बैठक 26.06.2018)

वर्तमान कपास मौसम में लिंट कॉटन (मुख्य रूई की किस्में) के आरंभिक मूल्य पिछले वर्ष के आरंभिक मूल्य की तुलना में लगभग 13% - 15% कम थे । कपास उत्पादन के अधीन क्षेत्रफल में विशिष्ट वृद्धि के कारण तथा पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के कारण भारत में कपास की कीमतें दबाव में थी । तथापि दिसंबर, 2017 से मध्य एवं दक्षिण क्षेत्रों में पिंक बॉल वॉर्म के संक्रमण द्वारा अच्छी गुणवत्ता की कम उपलब्धता की संभावना तथा पिछले वर्ष की तुलना में मिल उपभोग में वृद्धि कें कारण कपास कीमतों में वृद्धि आरंभ हुई । मासिक औसत से दिसंबर 2017 तक रूई की कीमतें जो 36,500 रू. प्रति कैंडी की रेंज से 40,500 /- रू. प्रति कैंडी पर रही जो जून , 2018 माह में 46,000 रू. प्रति कैंडी से 48,000 रू. प्रति कैंडी के स्तर तक वृद्धि हुई ।

2. कार्यनिष्पादन के मुख्य बिंदु :

खरीदी परिचालन :

कपास मौसम 2017-18 हेतु भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 160/. रू. यानि 4% वृद्धि मीडियम स्टेपल व लॉंग स्टेपल लेंथ की कपास के लिए गत वर्ष की तुलना में की है । भारत

During the season, the international cotton prices, as measured by Cotlook A Index were ruling in the range from 77.00 US C/lb to 102.00 US C/lb. It reached the season's highest level of 101.70 US C/lb in the middle of June 2018. Thereafter, prices moved downward to 94 US C/lb by the end of June 2018. The yearly average International price up to June 2018 was 87.32 US C/lb which was 5% higher as compared to average of around 82.66 US Cents per lb during corresponding period last year, 2016-17.

Domestic Situation:

Acreage under cotton in the Country increased by around 15% to 124.44 lakh hectares in comparison to 108.26 lakh hectares of previous year. While yield decreased by 7% to 505 kg/ha as against 542 kg/ha of previous year due to pink boll worm infestation in central & Southern regions. However due to increase in area, cotton production increased to 370 lakh bales as against 345 lakh bales of 2016-17. (Source: Cotton Advisory Board Meeting dated 26.06.2018).

With estimated carryover stock of 43.76 lakh bales, imports of 15 lakh bales, cotton consumption (including Mill, SSI and non-textile consumption) at 315.50 lakh bales and estimated exports of 70 lakh bales, the closing stock at the end of the cotton season 2017-18 has been estimated at 43.26 lakh bales. (Source: Cotton Advisory Board Meeting dated 26.06.2018).

The opening prices of lint cotton (major cotton varieties) in the current cotton season were lesser by around 13% to 15% as compared to the opening prices of previous year. Cotton prices were under pressure due to significant increase in area under cotton cultivation and expected increase in production in comparison to previous year. However, from December 2017, it started increasing due to probable low availability of good quality cotton caused by pink boll-worm infestation in Central & Southern region and increase in mill use in comparison to previous year. The monthly average lint prices which were ruling in the range of Rs.36500/- per candy to Rs.40500/- per candy up to December 2017, increased to the level of Rs. 46000/- per candy to Rs. 48000/- per candy by the month of June 2018.

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS:

Procurement Operations:

For Cotton Season 2017-18, Govt. of India increased the Minimum Support Price (MSP) rates by Rs. 160/- i.e. around 4% for the Medium Staple & Long Staple Cotton as

सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए एक नोडल एजेंसी होने के नाते जब कभी भी उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिर जाते हैं तो अपका निगम विभिन्न एपीएमसी यार्डस में कपास उत्पादकों के द्वारा प्रस्तावित एफएक्यू ग्रेड कपास की एमएसपी दरों पर संपूर्ण मात्रा की खरीद करता है ।

कपास मौसम 2017–18 के दौरान दक्षिण क्षेत्र व मध्य क्षेत्र (यानि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के राज्यों में) के कुछ भागों में एफएक्यू कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे थे।तद्नुसार आपके निगम ने जब भी कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आये तब 23 अक्तूबर, 2017 के अंत से न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के अधीन खरीदी कार्य करना आरंभ किया । तत्पश्चात नवंबर, 2017 के अंत से न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन धीमें हो गए तथा कपास मूल्यों में स्थिरता के कारण मई, 2018 माह में समाप्त भी हो गए । अत: निगम के न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के अधीन 3.90 लाख गाँठों की खरीदी की ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के अधीन कपास की खरीदी के अतिरिक्त आपके निगम ने जहाँ संभव हुआ वाणिज्य परिचालन के अधीन तैयार गाँठों के साथ–साथ कपास की खरीदी करना आरंभ किया ताकि एमएसपी संरचना के भाग का उपयोग करते हुए कुछ ऊपरी खर्च के भाग को वसूल किया जा सके । अत: निगम ने वाणिज्य परिचालन के अधीन 6.81 लाख गाँठों की खरीदी की ।

अत: जून, 2018 तक के अंत तक सीसीआई की कुल खरीदी 10.70 लाख गाँठें थी (न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन 3.90 लाख गाँठें + वाणिज्यिक परिचालन के अधीन 6.81 लाख गाँठें) ।

देशी बिक्री :

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आपके निगम ने गुणवत्तापूर्ण कपास की दैनिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एमएसएमई को शामिल करके देशी वस्त्र उद्योग को ई ऑक्शन द्वारा 3.97 लाख गॉठों का परिसमापन किया । निगम का बिक्री टर्न ओवर 1392.11 करोड़ रू. प्राप्त हुआ । निगम ने ग्राहकों को बिक्री से पूर्ण तथा उसके पश्चात बेहतर सेवाएँ देने तथा अच्छी गुणवत्तावाली कपास की आपूर्ति द्वारा उपभोक्ता मिलों से सीधे व्यवहारिक बिक्री की योजना को निरंतर जारी रखा ।

भंडारगृह परिसर :

आपके निगम ने कलंबोली पर अपने भंडारण परिसर का पूरा स्टोरेज स्पेस वाणिज्यक उपयोग हेतु प्रतिस्पर्धा दरों पर लीज पर दिया तथा गत वर्ष 2.12 करोड़ रू. के राजस्व के सामने लगभग 2.91 करोड़ रू. का राजस्व अर्जित किया । भंडारण परिसर

compared to previous cotton season. Being a nodal agency for undertaking MSP operations on behalf of Govt. of India when the prices of Fair Average Quality (FAQ) grade seed cotton fall below the MSP level, your Corporation procures entire quantity of FAQ grade kapas offered by the cotton farmers in various APMC yards at MSP rates.

During cotton season 2017-18, prices of Fair Average Quality (FAQ) seed cotton fell below the Minimum Support Price (MSP) in Southern region and some parts of Central region (i.e. in the States of Gujarat, Maharashtra & M.P.). Accordingly, your Corporation started procurement under MSP Operations w.e.f. 23rd October 2017 wherever the seed cotton prices were ruling below the MSP level. Thereafter by the end of November 2017, MSP operations slowed down and ended in Month of May 2018 due to firm trend in cotton prices. Thus, the Corporation procured 3.90 lakh bales under MSP operations.

In addition to the procurement of cotton under MSP operations, your Corporation started simultaneous purchases of kapas as well as ready bales under commercial operations wherever viable so as to utilize part of MSP infrastructure and recover part of overhead expenses. Thus, the Corporation procured 6.81 lakh bales under commercial operations.

Thus, by the end of June 2018, total procurement by CCI was 10.71 lakh bales (i.e. 3.90 lakh bales under MSP + 6.81 lakh bales under commercial operations).

Domestic Sales:

During F.Y. 2017-18, your Corporation liquidated around 3.97 lakh bales through e-Auction to domestic textile industry including MSMEs to cover their daily requirement of quality cotton. Sales Turnover of the Corporation was Rs.1392.11 crores. The Corporation continued to pursue the policy of pragmatic sales by supplying quality cotton and better pre and post sales services to the customers.

Warehousing:

Your Corporation has leased out the storage space of its warehousing complex at Kalamboli for commercial utilization at competitive rates and generated revenue to the tune of around Rs. 2.91 crores as against Rs. 2.12 crores generated in previous year. In order to increase utilization

की उपयोगिता व राजस्व में वृद्धि करने के लिए निगम परिचालन, रखरखाव, व प्रबंधन के आधार पर इसे लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर को देने की प्रक्रिया के अधीन है ।

वित्तीय परिणाम :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपके निगम ने कर के पश्चात 9.33 करोड़ रू. का लाभ अर्जित किया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.55 करोड़ रू. (कर पश्चात) हानि (पुनःस्थगित) लाभ अर्जित किया था । निगम के निरंतर अच्छे कार्यनिष्पादन को देखते हुए निगम के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शुद्ध लाभ का 30% लाभांश यानि 2.80 करोड़ रू. के लाभांश की सिफारिश की है ।

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

आपके निगम को राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 14 सितंबर, 2017 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति से 25वीं बार राष्ट्रीय स्तर का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

3. तकनीकी व मानकीकरण :

आपके निगम का मानना है कि आज के गतिशील व्यापारिक वातावरण में दीर्घावधि विकास को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि सूचना प्रौद्योगिकी पद्धति की शक्तियों को अपनाया जाए । निगम प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं के योग्य उपयोग से डिजीटल ट्रांसफॉरमेशन हेतु वचनबद्ध है । आपके निगम द्वारा इससे संबंधित कुछ ऐसे कदम उठाये गये है जो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं जैसे ईआरपी सिस्टम, ई ऑक्शन द्वारा रूई के गाँठों व बिनौला बिक्री, समय की उपयोगिता के लिए वीडियो कॉनफ्रेंसिंग व तुरंत निर्णय लेना, आलेप हेतु वेब एप्लीकेशन, लोक शिकायत एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा कैशलेस लेनदेन इत्यादि ।

4. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

भाकनि एक ऐसा विश्वस्त संगठन है, जो सदैव अपनी निगमित सामाजिक दायित्व की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है । इस लक्ष्य के प्रतिपादन में निगम ने किसान कल्याण, कपास की गुणवत्ता में वृद्धि, स्वास्थ्य मेडिकल केयर, सैनीटेशन, शिक्षण/साक्षरता विकास, प्राकृतिक स्त्रोत का संरक्षण, ग्रामीण विकास इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग किया है । इस वर्ष के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियाँ इस प्रकार हैं i) राजस्थान राज्य में जोधपुर, पाली व भिलवाड़ा जिलों के 5 सरकारी पाठशालाओं में रनिंग वॉटर की सुविधा सहित बालिकाओ के लिए शौचालय का निर्माण करवाना; ii) स्वच्छ गंगा निधि तथा सशस्त्र बल ध्वज दिवस निधि में अंशदान करना तथा iii) प्रोयक्ता उद्योग को शामिल करने के साथ संविदागत खेती को प्रोत्साहित करने की पहल को तथा तमिलनाडू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के लगभग 7500 हैक्टर्स्

and revenues, the Corporation is under process to give the complex on operation, maintenance & management basis to a logistics operator.

Financial Results:

During the financial year 2017-18, the Corporation has earned a net profit after tax of Rs. 9.33 crores as against loss after tax (reinstated) of Rs. 4.55 crores in the previous financial year 2016-17. In view of continued good performance of the Corporation, the Board of Directors of the Corporation have recommended dividend @30% of net profit aggregating to Rs. 2.80 crores during the finanacial year 2017-18.

Progressive use of Hindi:

Your Corporation has received National award, Rajbhasha Kirti Puraskar for the 25th time on 14th September, 2017 from Hon`ble President of India for Rajbhasha Hindi implementation.

3. TECHNOLOGY & STANDARDIZATION:

Your Corporation believes that in today's dynamic business environment for achieving long term sustainable growth, it is essential to harness the power of Information Technology (IT) systems. The Corporation is committed for digital transformation to leverage our IT capabilities to achieve competitive advantage. Some of the initiatives taken by your Corporation which are working smoothly include ERP systems, sale of cotton bales & cotton seeds through e-Auction platform, video conferencing for optimum utilization of time and prompt decisions, web application for Internal Audit, public grievance lodging monitoring system, cashless transactions through NEFT/ RTGS etc.

4. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Your Corporation has always been a responsible organization committed in fulfilling its CSR obligations. The thrust areas identified for this purpose include farmer's welfare, increasing the quality of cotton, health and medical care, sanitation, education/ literacy enhancement, conservation of natural resources, rural development etc. CSR activities undertaken during the year were – i) Construction of Girls Toilets with running water facility in five Govt. Schools in Jodhpur, Pali and Bhilwara districts in the State of Rajasthan; ii) Contribution to Clean Ganga fund and Armed Forces Flag Day Fund; and iii) Took initiative to encourage contract farming involving user industry and motivated the cotton farmers through kisan melas along with monthly awareness

क्षेत्र में ईएलएस कपास उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए जागरूक करने से संबंधित मासिक रूप से बैठके आयोजित करने के साथ किसान मेलों के माध्यम से कपास किसानों को प्रेरित करना ।

वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों में आपके निगम ने 32.44 लाख रू. का व्यय किया ।

5. मानव संसाधन विकास :

आपके निगम में मानव संसाधन प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था की गई है जिसे कर्मचारियों को अपना कार्यनिष्पादन देने की प्रेरणा मिलने के साथ साथ कर्मचारियों को अपनी नयी योजनाओं पर कार्य करने व पुरस्कारों के उचित वितरण को प्रोत्साहित करता है । निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहें और किसी मानव दिवस की हानि नहीं हुई । रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 787 थी जिसमें 89 अधिकारी तथा 698 यूनियनाईज्ड कर्मचारी शामिल है । कर्मचारियों की कुल संख्या में 87 महिला कर्मचारी शामिल है जिसमें 13 महिला अधिकारीगण व 74 यूनियनाईज्ड कैडर है ।

आपका निगम भर्ती व पदोन्नति दोनों के मामलों में अनु.जा/अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि. के अनुरक्षण के बारे में भारत सरकार के नीति मार्गदर्शन का पालन कर रहा है । आपके निगम ने फील्ड कर्मचारियों तथा अधिकारियों के समय–समय पर रोटेशनल स्थानांतरण भी किये हैं ।

6. निगमित शासन :

आपके निगम को विश्वास है कि एक कंपनी को सफल होने के लिए इसे अपने सभी स्टेक होल्डर्स के प्रति निगमित आचरण के वैश्विक मानक बनाए रखना चाहिए । आपके निगम का मानना है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के सिद्धांत अच्छे शासन के महत्वपूर्ण सोपान हैं । कंपनी का यह प्रयास है कि शासन के उच्चतम स्तर को जारी रखा जाएँ तथा इसी तरह के ट्रेड की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में अपना एक बेंचमार्क बनाए रखा जाए ।

7. भावी परिदृश्य :

आपके निगम का उद्देश्य सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। फोकस मौजूदा कोर योग्यता पर है । एक प्रतिबद्ध कार्यबल की सहायता से आपका निगम एक मजबूत और सशक्त भविष्य के निर्माण में अपने संपूर्ण लक्ष्य के असाधारण परिणाम प्रदान करके तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है। हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य कारकों के प्रवेश के कारण देश की कपास की अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, निगम विवेकपूर्ण व्यवसायिक नीतियों को अपनाकर आनेवाले वर्षों में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है ।

meetings to increase production of ELS Cotton in about 7500 hectares area in the State Tamil Nadu, Karnataka & Madhya Pradesh.

During the year, your company has spent Rs. 32.44 lakhs towards CSR activities.

5. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

Human Resource Management in your Corporation has been structured in such a way that it motivates the employees to maximize their performance and encourages employee empowerment for generation of innovative ideas and fair distribution of rewards. Cordial and harmonious industrial relations are maintained in your Corporation and no man days were lost due to any industrial unrest. During the year under report, total strength of your Corporation was 787 consisting of 89 officers and 698 unionized staff. Out of the total strength, there are 87 women employees comprising 13 women officers and 74 of unionized staff.

Your Corporation continued to follow the policy guidelines of the Govt. of India in respect of the reservation of SC/ST/OBC/PH categories both in recruitment as well as promotion. Your Corporation effected rotational transfer of field staff and officers periodically.

6. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the key features for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

7. VISION FOR FUTURE:

Your Corporation aims to achieve a significant market share by achieving excellence in all its activities. The focus is on existing core competency. With the help of a committed workforce, your Corporation is fully equipped to move swiftly forward by delivering exceptional outcomes to its stakeholders in its overall aim of building a strong and robust future. Although the competition in the cotton economy of the country has increased due to entry of multinational companies and other factors, the Corporation is fully prepared to face such challenges in the coming years by adopting prudent business policies.

8. आभार :

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए उपयोगी एवं बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ ।

मैं माननीय वस्त्र मंत्री, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारीगण, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूँ ।

समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा तथा सरकारी लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी, मैं उनकी आभारी हूँ ।

मैं, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलें जिन्होंने कपास मौसम वर्ष 2017-2018 के दौरान अपनी आवश्यकता अनुसार कपास की खरीद की है तथा इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी जानेवाली सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा है। भारतीय वस्त्र उद्योग संगठन (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई), केन्द्रीय भंडार निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भंडार निगम (एसडब्ल्यूसी) द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ ।

इस अवधि के दौरान निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये समर्पण, निष्ठा और वचनबद्धता पूर्ण सेवा के लिए भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ।

धन्यवाद,

हस्ता/-
(डॉ. पी. अल्ली रानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 31 दिसंबर, 2018

8. ACKNOWLEDGEMENTS:

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support given by the members of the Board from time to time.

I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by Hon'ble Minister of Textiles, Officials of the Ministry of Textiles, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and the various State Governments.

I am also grateful for the valuable guidance by the Member Audit Board, Mumbai, officials of Government Audit and Statutory Auditors in the course of audit of the Corporation for the year under review.

Sincere thanks are also due to the National Textile Corporation, Cooperative Spinning Mills and various mills in the private sector, who have covered their cotton requirements from the Corporation in cotton season 2017-18, thus, placing their faith in the quality, price competitiveness and services being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), Cotton Association of India (CAI), Central Warehousing Corporation (CWC), State Warehousing Corporations (SWC) for the cooperation extended to the Corporation.

I would also like to express my sincere and deep appreciation for the dedication, devotion and commitment with which the staff and officers of the Corporation have worked during the period.

Thanking you,

Sd/-
(DR. P. ALLI RANI)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place : Navi Mumbai
Date : 31st December, 2018

वर्ष 2017–18 के लिए निदेशक रिपोर्ट
DIRECTOR'S REPORT FOR THE YEAR 2017-18

प्रति

सदस्यगण,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के साथ आपके निगम के कार्य–संचालन पर 48वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के साथ प्रमाणित है ।

1. कपास स्थिति

1.1 कपास मौसम 2017–18 (अक्तूबर,17 से सितंबर, 18) की मुख्य–मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं:

कपास मौसम 2017–18 (अक्तूबर,17 से सितंबर,18) का आरंभ 43.76 लाख गाँठों के अवशेष स्टॉक के साथ हुआ, जो मिल की 1/2 माह की खपत के लिए ही काफी थी । देश में कपास क्षेत्र में समय पर मानसून होने, बुआई के समय कृषि जलवायु स्थिति अनुकूल होने, पिछले वर्ष अन्य प्रतिस्पर्धात्मक फसलों की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त करने तथा भारत सरकार द्वारा कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण कपास के अधीन क्षेत्रफल में पिछले वर्ष 108.26 लाख हैक्टर्स के सामने 15% वृद्धि के साथ यानि 124.44 लाख हैक्टर्स था ।

16 जून, 2018 को आयोजित कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) की बैठक में पिछले कपास मौसम 2016–17 में 345 लाख गाँठों के कपास उत्पादन के विरूद्ध 370 लाख गाँठों का अनुमान लगाया गया है । तथापि प्रचलित कृषि जलवायु स्थितियों तथा मार्केट रिपोर्टस के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि देश में कपास उत्पादन सीएबी के अनुमान की तुलना में 2% से 2.5% तक कम होगा ।

1.2 कपास मौसम 2017–18 के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 160/– रू. यानि लगभग 4% की वृध्दि की है। मीडियम स्टेपल ग्रुप (24.5 एमएम से 25.5 एमएम स्टेपल लेंथ 4.3 से 5.1 माईक्रोनेयर) में एमएसपी 3860/–रू. प्रति क्विंटल से 4020/– रू. प्रति क्विंटल की वृध्दि हुई तथा लॉंग स्टेपल ग्रुप (29.5 एमएम से 30.5 एमएम 3.5 से 4.3

To,

The Members,

The Cotton Corporation of India Limited

Your Directors have immense pleasure in presenting the 48th Annual Report on the working of your Corporation together with the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2018, as approved by the Board of Directors and certified by the Auditors along with their report thereon.

1. COTTON SITUATION

1.1 The highlights of the cotton season 2017-18 (Oct-17 to Sept-18) are as under:

Cotton season 2017-18 (i.e. Oct-17 to Sept-18) commenced with a carryover stock of 43.76 lakh bales, which was just enough to meet around 1 ½ month's mill consumption. Due to timely onset of monsoon across the cotton belt in the country, favorable agro-climatic conditions at the time of sowing, better price realization in comparison to other competing crops during last year and increase in Minimum Support Price of cotton by the Government of India, the area under cotton increased by 15% to 124.44 lakh hectares as against 108.26 lakh hectares of previous year.

The Cotton Advisory Board (CAB) in its meeting held on 16th June, 2018 projected the cotton production at 370 lakh bales as against 345 lakh bales in 2016-17.However as per prevailing agro-climatic conditions and market reports, it is expected that the cotton production in the Country may remain less by 2% to 2.5% of CAB estimates.

1.2 For cotton season 2017-18, the Government of India increased the Minimum Support Prices (MSPs) by Rs. 160/- i.e. around 4% in comparison to previous year. In medium staple group (24.5mm to 25.5mm staple length with mic 4.3 to 5.1), the MSP has been increased to Rs.4020/- per quintal from Rs.3860/- per quintal and in the case of long staple group (29.5mm to 30.5mm with mic. 3.5 to 4.3), the

माईक्रोनेयर) में पिछले वर्ष में 4160/-रू. प्रति क्विंटल के सामने 4320 प्रति क्विंटल वृध्दि की गई ।

2. वित्तीय परिणाम

2.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वर्ष के 1853.46 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के विरूध्द 1392.11 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है ।

2.2 समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार है:-

विवरण	2017-18	2016-17
खरीद (लाख गाँठों में)	10.77	00.95
देशी बिक्री (लाख गाँठों में)	03.97	08.19
टर्न-ओवर (करोड़ रूपयों में)	1392.11	1853.46
कर के बाद लाभ/हानि (करोड़ रूपये में)	09.33	(04.55)

2.3 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम का अल्पावधि ऋण सीएआरई ए1+(एसओ) (सीएआरई ए वन प्लस (संरचित बाध्यता) रहा है यानि 25,000 करोड़ रू. की अल्प अवधि बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में दी गयी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है, जो अल्पावधि ऋण देयता पर समय पर भुगतान के लिए दृढ़ क्षमता दिखाती है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखती है।

2.4 लाभांश :

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 2.80 करोड़ रू. के लाभांश की सिफारिश की है । लाभांश का भुगतान कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा ।

3. वर्ष 2017-18 के दौरान कपास उत्पादन तथा उपभोग:

370 लाख गाँठ कपास उत्पादन, 43.76 लाख गाँठे अवशेष स्टॉक तथा 15 लाख गाँठें अनुमानित आयात से कपास मौसम 2017-18 में कुल उपलब्धखता 428.76 लाख गाँठें रही जबकि पिछले वर्ष यह 412.38 लाख गाँठें थी। (स्त्रोत: दिनांक 16 जून, 2018 को आयोजित कपास सलाहकार समिति की बैठक (सीएबी)

देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेतर उपभोग शामिल है) का अनुमान 315.50 लाख गॉठें लगाया

same has been increased to Rs.4320/- per quintal as against Rs.4160/- per quintal during previous year.

2. FINANCIAL RESULTS

2.1 During the year under review, your Corporation could achieve a turnover of Rs.1392.11 crores as against the previous year's turnover of Rs.1853.46 crores.

2.2 The highlights of the financial results during the financial year under review were as follows:

Particulars	2017-18	2016-17
Purchase (in lakh bales)	10.77	00.95
Domestic Sales (in lakh bales)	03.97	08.19
Turnover (in Rs. crores)	1392.22	1853.46
Profit/(Loss) After Tax (in Rs. Crores)	09.33	(04.55)

2.3 During the year under report, your Corporation's short term debt is rated CARE A1+(SO) [CARE A One Plus] (Structured Obligation) i.e. the highest credit rating assigned in this category for short term bank borrowings of Rs.25,000/- crores which signifies strong capacity for timely payment of short term debt obligation and carry lowest credit risk.

2.4 Dividend:

Your Directors recommend dividend of Rs. 2.80 Crores, during financial year 2017-18. The dividend shall be paid after seeking approval of the stakeholders at the Annual General Meeting of the Company.

3. COTTON PRODUCTION AND CONSUMPTION DURING 2017-18.

With cotton production of 370 lakh bales, carryover stock of 43.76 lakh bales and estimated imports of 15lakh bales, the total availability in cotton season 2017-18 is estimated at 428.76 lakh bales as against 412.38 lakh bales in previous year.

(Source: Cotton Advisory Board (CAB) meeting dated 16th June 2018)

With total estimated cotton consumption in the country (including mill, small scale units and

गया है और 70.00 लाख गाँठों के अनुमानित कपास निर्यात के साथ कपास मौसम 2017–18 में कपास की कुल माँग 385.50 लाख गाँठें बतायी गयी है, जबकि पिछले वर्ष यह 368.62 लाख गाँठें थी । इस प्रकार कपास मौसम 2017–18 के अंत में यानि 30 सितंबर, 2018 को अवशेष स्टॉक का अनुमान 43.26 लाख गाँठे लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 43.76 लाख गाँठें था । कपास सलाहकार मंडल ने निम्नानुसार तुलन–पत्र प्रस्तुत किया है:–

मात्रा लाख गाँठों में 170 कि.ग्रा. प्रति गाँठ

विवरण	फसल वर्ष (अक्तू. से सितंबर)	
	2016–17	2017–18(पी)*
आपूर्ति		
आरंभिक स्टॉक	36.44	43.76
फसल (उत्पादन)	345.00	370.00
आयात	30.94	15.00
कुल आपूर्ति	**412.38**	**428.76**
मांग		
मिल उपभोग	262.70	268.00
ए.ए.स.आई. उपभोग	26.21	27.00
नॉन–टेक्सटाइल उपभोग	21.50	20.50
कुल उपभोग	**310.41**	**315.50**
निर्यात	58.21	70.00
कुल मांग	**368.62**	**385.50**
आगे लाया गया	**43.76**	**43.26**

*(पी.)– प्रस्तावित

स्रोत: कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) की दि.16.06.2018 को आयोजित बैठक

4. देशी मूल्य प्रवृत्ति :

विश्व बाजार में कपास मूल्यों पर प्रमुख उत्पादन व खपत करनेवाले देश जैसे चीन, यू.एस इत्यादि में माँग आपूर्ति का काफी प्रभाव पड़ा । वर्तमान कपास मौसम में कपास रूई के आरंभिक मूल्य (मुख्य कपास किस्में) पिछले वर्ष के आरंभिक मूल्य की तुलना में लगभग 13%–15% कम थे।

प्रारंभ में, कपास उत्पादन के अधीन क्षेत्रफल में विशिष्ट

non-textile consumption) at 315.50 lakh bales and estimated exports of 70.00 lakh bales, total demand in cotton season 2017-18 has been estimated at 385.50 lakh bales as against 368.62 lakh bales in previous year. Thus, the carry over stock at the end of the cotton season 2017-18 i.e. on 30th September 2018, is estimated at 43.26 lakh bales as against 43.76 lakh bales in previous year. The cotton balance sheet as drawn by CAB is as follows:

Quantity in lakh bales of 170 kgs.

PARTICULARS	CROP YEAR (Oct. to Sept.)	
	2016-17	2017-18(P)*
SUPPLY		
Opening stock	36.44	43.76
Crop (Production)	345.00	370.00
Imports	30.94	15.00
TOTAL SUPPLY	**412.38**	**428.76**
DEMAND		
Mill consumption	262.70	268.00
S.S.I consumption	26.21	27.00
Non Textile consumption	21.50	20.50
Total consumption	**310.41**	**315.50**
Exports	58.21	70.00
TOTAL DEMAND	**368.62**	**385.50**
CARRY FORWARD	**43.76**	**43.26**

*(P)-Provisional

Source: Cotton Advisory Board (CAB) meeting dated 16.6.2018

4. DOMESTIC PRICE TREND

Cotton prices in the global markets are largely influenced by the demand-supply situation in major producing and consuming countries like China, US etc. The opening prices of lint cotton (major cotton varieties) in the current cotton season were lesser by around 13% to 15% as compared to the opening prices of previous year.

In the beginning, cotton prices in India were under

वृद्धि के कारण तथा पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के कारण भारत में कपास की कीमते दबाव में थी । तथापि दिसंबर 2017 से अच्छी गुणवत्तावाली कपास की कम उपलब्धता के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में मिल उपभोग में वृद्धि तथा यूएस-चीन ट्रेड वार के कारण भी कपास कीमतों में वृद्धि हुई ।

मासिक औसत से रूई की कीमतें जो 36,000/- रु. प्रति कैंडी की रेंज से 39,600/- रु. प्रति कैंडी पर रही जो अप्रैल, 2018 के माह में कपास कीमतों में 41,600/- प्रति कैंडी से 42,600/- रु.प्रति कैंडी के स्तर तक वृद्धि हुई । अगस्त , 2018 के अंत में मासिक औसत रूई की कीमतों में 46,000 प्रति कैंडी रू. से 47,800 प्रति कैंडी रू. आगे वृद्धि हुई ।

महत्वपूर्ण किस्मों के लिए कपास रूई मूल्य (मासिक औसत) की गति नीचे दिए अनुसार है :

मासिक औसत रूई मूल्य (मूल्य-रू.प्रति कैंडी स्पॉट)				
माह	**जे-34**	**एच-4**	**एस-6**	**बन्नी ब्रह्मा**
अक्तूबर, 2017	36563	36900	38283	39611
नवंबर, 2017	37149	37181	37859	38743
दिसंबर, 2017	39159	39650	39030	40375
जनवरी, 2018	41473	39989	40981	41821
फरवरी, 2018	40575	39353	40715	40975
मार्च, 2018	41355	41087	41961	42197
अप्रैल, 2018	41611	41540	42121	42650
मई 2018	42054	42704	42058	42950
जून, 2018	45275	45854	46204	46469
जुलाई, 2018	46004	46550	47496	47312
अगस्त, 2018	45905	46388	47716	47768
स्रोत : कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) मुंबई				

5. निगम के कार्य कलाप :

5.1 भाकनि की भूमिका :

- जब कभी कपास के मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को छूने लगें, तब किसी भी मात्रात्मक सीमा के बिना समर्थन मूल्य पर कार्य करना ।
- भारतीय कपास निगम के अपने स्वयं के जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद कार्य करना ।

5.2 जब कभी उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) कपास के प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिर जाते हैं तब आपका निगम भारत सरकार के

pressure due to significant increase in area under cotton cultivation and expected increase in production in comparison to previous year. However, from December 2017, it started increasing due to probable low availability of good quality cotton, increase in mill use in comparison to previous year and also the US-China trade war.

The monthly average lint prices which were ruling in the range of Rs.36500/- per candy to Rs.39600/- per candy has increased to the level of Rs. 41600/- per candy to Rs. 42600/- per candy in the month of April 2018. Monthly average lint prices further increased to Rs. 46000/- per candy to Rs. 47,800/- per candy by the end of August 2018.

The movements of cotton lint prices (monthly average) for important varieties are as follows:

Monthly Average Lint (Prices in Rs. per candy spot)				
Month	**J-34**	**H-4**	**S-6**	**Bunny Brahma**
October, 2017	36563	36900	38283	39611
November, 2017	37149	37181	37859	38743
December, 2017	39159	39350	39030	40375
January, 2018	41473	41456	40981	41821
February, 2018	40575	40552	40715	40975
March, 2018	41355	41023	41961	42197
April, 2018	41611	40920	42121	42650
May, 2018	42054	42704	42058	42950
June, 2018	45275	45854	46204	46469
July, 2018	46004	46550	47496	47312
August, 2018	45905	46388	47716	47768
Source : Cotton Association of India, Mumbai				

5. OPERATIONS OF THE CORPORATION:

5.1 Role assigned to CCI:

- To undertake price support operations whenever the market prices of kapas touch the support prices announced by the Government of India without any quantitative limit:
- To undertake commercial operations, only at CCI's own risk.

5.2 As and when the prevailing kapas prices of Fair Average Quality (FAQ) grade falls below the Minimum Support Price (MSP) level, your Corporation undertakes MSP operations as

निर्देशों के अनुसार विभिन्न एपीएमसी यार्डस तथा अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में कपास उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित एफएक्यू ग्रेड की संपूर्ण मात्रा की खरीदी करता है । कपास मौसम 2017–18 के दौरान जहाँ भी कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आये वहाँ पर 23 अक्तूबर, 2017 से भाकनि ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी कार्य आरंभ किया ।

प्रचलित देशी व अंतरदेशीय मार्केट परिदृश्य में मार्केट शेयर बढ़ाने के उद्देश्य से कपास मौसम 2017–18 के दौरान निगम द्वारा वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटिजी अपनाई गई तथा एमएसपी परिचालन के साथ साथ निगम ने जहॉ कहीं भी संभव हुआ तैयार गाँठों की खरीदी के साथ वाणिज्यिक खरीदी करना आरंभ किया ताकि एमएसपी संरचना का उपयोग करते हुए कुछ ऊपरी खर्च को वसूल किया जा सके । जिसके परिणामस्वरूप निगम ने वाणिज्यिक खरीदी परिचालन के अंतर्गत कपास खरीदी द्वारा मार्केट में प्रवेश किया जिससे कपास मूल्य स्थिर रहे तथा समर्थन मूल्य स्तर से ऊपर उठे जिसके परिणामस्वरूप किसानों को लाभ प्राप्त हुआ ।

चालू कपास मौसम 2017–18 के दौरान निगम 10.70 लाख गाँठे खरीद करने में समर्थ हुआ (एमएसपी के अंतर्गत 3.90 लाख गाँठे व वाणिज्यिक खरीदी परिचालन के अंतर्गत 6.80 लाख गाँठे).

5.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने एमएसएमई को शामिल करके देशी वस्त्र उद्योग को क्वालिटी कपास की दैनिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 31 मार्च, 2018 तक लगभग 3.97 लाख गांठों का परिसमापन किया । दि. 31 अगस्त, 2018 को निगम ने कुल 9.32 लाख गाँठों का परिसमापन किया । वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम की खंडवार बिक्री कार्य–निष्पादन नीचे दिये अनुसार रहा ;

(मात्रा लाख गाँठों में)

	2017–18	कुल बिक्री का प्रतिशत	2016–17	कुल बिक्री का प्रतिशत
एनटीसी	1.09	**27.54**	1.21	**15.45**

per the guidelines of Government of India and procures entire quantity of FAQ grade kapas offered by the cotton farmers in various Agricultural Produce Market Committee (APMC) yards and other notified areas at MSP rates. During cotton season 2017-18, CCI started procurement under MSP Operation w.e.f. 23rd October 2017 wherever the seed cotton prices gone below MSP level.

To increase in the market share in the prevailing domestic & International market scenario, a volume based strategy has been adopted during the cotton season 2017-18 and in addition to the procurement of cotton under MSP operation, the Corporation started simultaneous purchase under commercial operation both in kapas form as well as ready bales wherever viable in the branches so as to utilize the part of MSP infrastructure and to recover part of overhead expenses. As a result of CCI interference in the market by purchasing cotton under commercial operation, the cotton prices gradually became steady to firm and increased above the support price level and thereby farmers got benefitted.

During current cotton season 2017-18, the Corporation was able to procure 10.70 lakh bales (3.90 lakh bales under MSP + 6.80 lakh bales under commercial operation).

5.3 During the year under review, your Corporation could liquidate around 3.97 lakh bales up to 31st March, 2018 to domestic textile industry including MSMEs to cover their daily requirement of quality cotton. As on 31st August, 2018, the Corporation has liquidated total 9.32 lakh bales. The segment-wise sales performance of your Corporation during the financial year was as follows:

(Quantity in lakh bales)

	2017-18	% of to total sales	2016-17	% of to total sales
NTC	1.09	**27.54**	1.21	**15.45**

एसटीसी/ को.ऑप.	0.22	**05.47**	0.53	**06.77**
निजी/ व्यापारियों	2.66	**66.99**	6.09	**77.78**
कुल	**3.97**	**100.00**	**7.83**	**100.00**

5.4 कपास ट्रेड को बढावा देने के इरादे से भारत सरकार ने देश से कच्चे कपास के निर्यात के लिए उदारीकरण किया तथा असे ओजीएल के अधीन रखा । आपके निगम ने मुख्य आयात करने वाले देशों जैसे वियतनाम, थाइलैंड, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान इत्यादि देशों से निर्यात की संभावनाएँ खोजने के लिए व्यापारिक बातचीत द्वारा प्रयास जारी रखे हैं । इस प्रयोजन के साथ आपके निगम ने दिनांक 31 अगस्त, 2018 को बांग्लादेश को 34,800 गाँठो की बिक्री की ।

6. अंतर्राष्ट्रीय कपास स्थिति :

6.1 आईसीएसी जर्नल, ''कॉटन दिस मंथ'' दिनांक 01 अगस्त, 2018 के अनुसार वर्ष 2017-18 में विश्व कपास क्षेत्रफल पिछले वर्ष 29.87 मिलियन हैक्टर्स के सामने 16% वृद्धि द्वारा 34.57 मिलियन हैक्टर रहा । वर्ष 2017-18 के लिए विश्व औसत उत्पादन गत वर्ष 777 किलो/हैक्टर की तुलना में 773 किलो/हैक्टर्स प्रक्षेपित किया गया ।

विश्व कपास उत्पाहदन में गत वर्ष यानि 2016-17 में 23.07 मिलियन टन्स के सामने 26.87 मिलियन टन्स यानि लगभग 16% वृद्धि हुई । विश्व कपास उपभोग गत वर्ष 2016-17 में 24.52 मिलियन टन्स की तुलना में 7.5% वृद्धि पर 26.38 मिलियन टन्स तक पहुँचने का प्रक्षेपित किया गया है ।

विश्व व्यापार में लगभग 11% वृद्धि के साथ 9.08 मिलियन टन्स वृद्धि का अनुमान है । संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शिपमेंट के 39% अथवा 3.53 मिलियन टन्स से सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश अपेक्षित है तथा बांग्लादेश विश्वं आयात के रूप में 18% अथवा 1.67 मिलियन टन्स आयात से सबसे बड़ा आयात करने वाला देश अपेक्षित है ।

जुलाई 2018 के अंत में विश्व समाप्त स्टॉक में गत वर्ष 2016-17 में 18.80 मिलियन टन्स के सामने 3% वृद्धि द्वारा 19.29 होने का अनुमान है । तीन वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय कॉटन तुलन पत्र के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है:

STC/COOP/ MSME	0.22	**05.47**	0.53	**06.77**
PRIVATE/ TRADERS	2.66	**66.99**	6.09	**77.78**
TOTAL	**3.97**	**100.00**	**7.83**	**100.00**

5.4 As a part of measures to boost cotton trade, the Government of India has liberalized raw cotton exports from the country and the same is under Open General License (OGL). Your corporation has continued efforts by holding trade talks with major importing countries viz, Vietnam, Thailand, China, Bangladesh, Pakistan etc. to explore export possibilities. In this endeavor, as on 31st August 2018, your corporation has sold 34,800 bales to Bangladesh.

6. INTERNATIONAL COTTON SITUATION

6.1 As per ICAC Journal, "Cotton This Month" dated 1st August 2018, world cotton acreage in 2017-18 has increased by 16% to 34.57 million hectares as against 29.87 million hectares in previous year. The world average yield in 2017-18 is projected at 777 kgs/ hectare as against 773 kgs/hectare in 2016-17.

World cotton production has increased by 16% to 26.87 million metric tons as against 23.07 million metric tons in 2016-17. World cotton consumption is projected to increase by 7.5% to 26.38 million metric tons as against 24.52 million tons in 2016-17.

World trade is projected to increase by around 11% to 9.08 million tons. USA is the largest exporter accounting for 39%, or 3.53 million metric tons of world shipments and Bangladesh is expected to remain the largest importer accounting for 18%, or 1.67 million tons of world import.

World ending stocks at the end of July 2018 is estimated to increase by 3% to 19.29 million metric tons as against 18.80 million tons in 2016-17. International Cotton balance sheets for the last three years are as under:

(मात्रा मिलियन मेट्रिक टन में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18*
विश्व का आरंभिक स्टॉक	22.96	20.31	18.80
विश्व उत्पादन	21.48	23.07	26.87
विश्व उपभोग	24.14	24.52	26.38
निर्यात	7.53	8.18	9.08
आयात	7.57	8.12	9.08
विश्व का अंतिम स्टॉक	20.31	18.80	19.29

स्त्रोत : आयसीएसी (कॉटन दिस सप्ताह, 1 अगस्त , 2018)
* प्रक्षेपित

6.2 अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति :–

अंतरराष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से आरंभ होता है तथा 31 जुलाई को समाप्त होता है । कॉटलुक ए सूचकांक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय रूई मूल्य 79.00 यूएससी/एलबी पर आरंभ हुआ (रू. 39,700 प्रति कैंडी के समतुल्यी) । इसमें अगस्त के अंतिम सप्ताह से ही वृद्धि आरंभ हुई जो सितंबर, 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान 84.70 यूएससी/एलबी (42,700/– रू. प्रति कैंडी के समतुल्य) के उच्चतम स्तर तक पहुँच गया।

अक्तूबर, 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान कॉटलुक ए (रू. 39,600 प्रति कैंडी से 40,000 प्रति कैंडी के समतुल्य) 77.60 यूएससी/एलबी से 78.65 यूएससी/एलबी की रेंज पर था । मार्च, 2018 माह में 90.00 यूएससी/एलबी (46000 रू. प्रति कैंडी के समतुल्य) के स्तर पर स्पर्श हुआ। जून 2018 के दूसरे सप्ताह में अब तक के मौसम के उच्चतम स्तर यानि 101.70 यूएससी/एलबी (54000 प्रति कैंडी रू. के समतुल्य तक पहुँच गया) । जुलाई, 2018 की समाप्ति पर कॉटलुक ए 98.70 यूएससी/एलबी (53,000 रू. प्रति कैंडी के समतुल्य) था। अंतरराष्ट्रीय कपास वर्ष 2017–18 88 यूएससी/एलबीके वार्षिक औसत (47,350/–रू. प्रति कैंडी के समतुल्य) से 31 जुलाई, 2018 को समाप्त हुआ । पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए माहवार, वर्षवार औसत कॉटलुक ए नीचे दिए अनुसार है :

(Quantity in Million MT)

Particulars	2015-16	2016-17	2017-18*
World beginning stock	22.96	20.31	18.80
World production	21.48	23.07	26.87
World consumption	24.14	24.52	26.38
Exports	7.53	8.18	9.08
Imports	7.57	8.12	9.08
World ending stocks	20.31	18.80	19.29

Source: ICAC-"Cotton this month" dated August 1, 2018
*Projected

6.2 International price trend:-

International cotton season starts from 1st August and ends on 31st July. The opening International cotton prices in 2017-18, as measured by Cotlook A were 79.00 US C/lb (equivalent to Rs. 39700/- per candy). It started increasing from last week of August and reached to the highest level of 84.70 US C/lb (equivalent to Rs. 42700/- per candy) during first week of September 2017.

During first week of October 2017, Cotlook A was ruling in the range of 77.60 US C/lb to 78.65 US C/lb (equivalent to Rs. 39600/- per candy to Rs. 40,000 per candy). It touched the level of 90.00 US C/lb (equivalent to Rs. 46,000/- per candy) at the end of March 2018. It reached to the season's highest level of 101.70 US C/lb (equivalent to Rs. 54,000/- per candy) during 2nd week of June 2018. At the end of July 2018, Cotlook A was 98.70 US C/lb (equivalent to Rs. 53,000/- per candy. International cotton year 2017-18 ended on 31st July 2018 with annual average of 88 US C/lb (equivalent to Rs. 47,350/- per candy). Month-wise, year-wise average Cotlook A for last two years and current year is given as follows:

यूएस सेन्ट्स प्रति एलबी में

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18
अगस्त	71.93	80.04	79.34
सितंबर	68.74	78.00	80.60
अक्तूबर	69.02	78.52	78.60
नवंबर	69.22	78.92	80.39
दिसंबर	70.35	79.46	85.42
जनवरी	68.78	82.15	91.06
फरवरी	66.57	85.13	88.27
मार्च	65.46	86.75	92.14
अप्रैल	69.28	86.87	92.24
मई	70.28	88.63	94.48
जून	74.10	84.76	97.71
जुलाई	81.06	84.09	96.18
वर्ष औसत	**70.40**	**82.78**	**88.03**

स्रोत : कॉटलुक

7. भंडारणगृह परिसर :

आपके निगम के पास निर्यात प्रयोजन के लिए गाँठों के भंडारण हेतु कलंबोली में निर्मित एक भंडारण गृह परिसर है । समीक्षागत वर्ष के दौरान निगम द्वारा नवी मुंबई स्थित पोर्ट से रूई के निर्यात को देखते हुए एक गोदाम की भंडारण क्षमता को, जिसमें दो कंपार्टमेन्ट है, निर्यात प्रयोजन के लिए अभिचिन्हित कर दिया है। जबकि शेष क्षमता प्रतिसपर्धी दरों पर वाणिज्यिक उपयोग पर लीज पर देने के लिए प्रयास किए है तथा 2.91 करोड़ रू. तक राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 2.12 करोड़ रू. का राजस्व था ।

भंडारण की उपयोगिता व राजस्व में वृद्धि करने के लिए निगम भंडारण परिसर का परिचालन, रखरखाव तथा प्रबंधन के आधार पर देने की प्रक्रियाधीन है ।

8. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ की तथा 32.44 लाख रू. व्यय किया :

- सशस्त्र बल के सैनिकों, वॉर विडो तथा उनके आश्रितों के हितों के लिए सशस्त्र बल ध्वज दिवस निधि में 5 लाख रू. का अंशदान दिया है ।
- स्वच्छ गंगा निधि में 2.19 लाख रू. का अंशदान दिया है ।

Cotlook A in US Cents per lb

Month	2015-16	2016-17	2017-18
August	71.93	80.04	79.34
September	68.74	78.00	80.60
October	69.02	78.52	78.60
November	69.22	78.92	80.39
December	70.35	79.46	85.42
January	68.78	82.15	91.06
February	66.57	85.13	88.27
March	65.46	86.75	92.14
April	69.28	86.87	92.24
May	70.28	88.63	94.48
June	74.10	84.76	97.71
July	81.06	84.09	96.18
Yearly Avg.	**70.40**	**82.78**	**88.03**

Source: Cotlook

7. WAREHOUSING COMPLEX:

Your Corporation is having warehousing complex at Kalamboli constructed for storage of bales meant for export purpose. During the year under review, looking to the opportunities for export of cotton by the Corporation from Navi Mumbai ports, storage capacity of only one godown comprising two compartments had been earmarked for export purpose and for balance capacity, Kalamboli branch made all out efforts to lease out the same for commercial utilization at competitive rates and has generated revenue to the tune of around Rs.2.91 crores as against Rs.2.12 crores generated in previous year.

In order to increase utilization and revenues, the Corporation is under process to give the complex on operation, maintenance & management basis.

8. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Your Corporation has undertaken following activities under CSR and spend total Rs. 32.44 lakhs during F.Y. 2017-18:

- Contribution of Rs. 5 lakhs in Armed Forces Flag Day Fund for the benefit of armed forces veteran, war widows and the dependents.
- Contribution of Rs.2.19 lakh to Clean Ganga Fund.

- प्रोयक्ता उद्योग को शामिल करने के साथ संविदागत खेती को प्रोत्साहित करने की पहल को तथा तमिलनाडू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के लगभग 7500 हैक्टर्स क्षेत्र में ईएलएस कपास उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए जागरूक करने से संबंधित मासिक रूप से बैठके आयोजित करने के साथ किसान मेलों के माध्यम से कपास किसानों को प्रेरित किया गया । इस पर कुल 12.13 लाख रूपये व्यय हुआ ।

- राजस्थान राज्य में जोधपुर, पाली व भीलवाड़ा जिलों में रनिंग वाटर की सुविधा के साथ 5 सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाने का कार्य किया जिस पर कुल 13.12 लाख रू. का खर्च हुआ।

9. मानव संसाधन विकास :

रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम के वर्ष के दौरान कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2018 को 787 थी, जिसमें 89 अधिकारी तथा 698 यूनियनआईज्ड कर्मचारी शामिल है, जबकि पिछले वर्ष कुल संख्या 839 थी । 787 कुल कर्मचारियों में से 87 महिला कर्मचारी है जिनमें 13 महिला अधिकारी, 74 महिला यूनियन कैडर की है । रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम ने 5 वर्षों से रिक्त पड़े 321 पदों को समर्पित कर दिया है, अब यूनियनाईज्ड कैडर के कर्मचारियों की संशोधित मंजूरी 1022 तथा अधिकारियों की 164 मंजूरी के साथ कुल 1186 कर्मचारी होंगे । आपका निगम भर्ती और पदोन्नति दोनों के मामलों में अनु.जा./ अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि. के आरक्षण के बारे में भारत सरकार के नीति मार्गदर्शन का अनुपालन कर रहा है। दि.31.3.2018 को कुल कर्मचारियों में से अनु.जा. के 163 (20.71%) कर्मचारी, अनु. जन.जा. के 29 (3.68%) कर्मचारी तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 152(19.31%) तथा पीडब्ल्यूडी के 20 (2.54%) है । अनु.जा./अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग /शा.वि. के लिए संपर्क अधिकारी आपके निगम के अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग/ शा.वि. के कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए प्रबंधन को सहायता देते रहे है । समीक्षाधीन अवधि में आपके निगम ने 2 कनिष्ठ सहायक तथा 3 मेंटेनेन्स स्टाफ की नियुक्ति की है । आपके निगम ने फील्ड कर्मचारियों तथा अधिकारियों के रोटेशनल स्थानांतरण भी किये हैं ।

आपका निगम विकलांगता अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के प्रावधान विशेषत: विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की धारा 33 के कार्यान्वयन का अनुपालन कर रहा है। चूंकि आपके निगम के कार्य–कलापों में फील्ड कार्य–कलाप शामिल हैं, जिसमें शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए नियुक्ति का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है । इस प्रकार की सीमाओं के बावजूद आपके निगम में वर्तमान में 20 शारीरिक विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं।

- Took initiative to encourage contract farming involving user industry and motivated the cotton farmers through kisan melas along with monthly awareness meetings to increase production of ELS Cotton in about 7500 hectares area in the State Tamil Nadu, Karnataka & Madhya Pradesh. Total expenditure was Rs. 12.13 lakhs.

- Construction of Girls Toilets with running water facility in five Govt. Schools in Jodhpur, Pali and Bhilwara districts in the State of Rajasthan. Total expenditure was Rs. 13.12 lakhs.

9. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT :

The existing strength of your Corporation during the year under report was 787 as on 31st March, 2018 consisting of 89 officers and 698 unionized staff as compared to the total strength of 839 employees during the last year. Out of the total strength of 787 employees, there are 87 women employees comprising 13 women officers and 74 of unionized staff. During the year under report your corporation has surrendered 321 post which were lying vacant for last 5 years, the revised sanction strength in case of unionized cadre will be 1022 and for officer it will be 164 totaling to 1186. Your Corporation continued to follow the policy guidelines of the Govt. of India in respect of the reservation of SC/ST/OBC/PH categories both in recruitment as well as promotion. As on 31st March, 2018, out of the total strength, the strength of SC employees is 163 (20.71%), ST employees are 29 (3.68%), OBC employees are 152 (19.31%) and PwD employees are 20 (2.54%). The liaison officer for SC/ST/OBC/PH continued to function to safeguard the interest of SC/ST/OBC/ PH employees of Your Corporation. During the period under review Your Corporation had recruited 02 Junior Assistants & 03 Maintenance staff. Your Corporation effected rotational transfer of field staff and officers periodically.

Your Corporation is observing the provisions of implementation of the Persons with Disabilities Act 1995, especially on implementation of Section 33 of reservation of vacancies for persons with disabilities. As the work of Your Corporation involves a field operation –which requires a lot of physical exertion –the scope for employment of physically handicapped person is extremely limited. Despite such limitation Your Corporation has presently strength of 20 physically handicapped persons.

आपके निगम द्वारा वर्ष, 1975-76 में आरंभ की गई प्रबंधन व्यवस्था में कर्मचारियों की सहभागिता योजना निगमित और शाखा दोनों स्तरों पर सहज रूप से चल रही है । निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी मानव दिवस की हानि नहीं हुई है ।

10. विदेशी दौरे :

समीक्षाधीन वर्ष में आपके निगम ने अधिकारियों के विदेश दौरे पर 3.49 लाख रू खर्च किये, जो कज़कस्तान, अजबेकिस्तान तथा बांग्लादेश में भारतीय कपास निगम के मार्फत दौरे पर थे ।

11. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शनों के आधार पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार आपके निगम ने मैन्युअल संग्रहण/प्रकाशन, केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहा. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने तथा प्रत्येक लोक प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए आंतरिक पध्दति को स्ट्रीमलाईन करने के बारे में कार्रवाई की है।

सूचना अधिकार अधिनियम की तिमाही रिपोर्ट को वस्त्र मंत्रालय के दि. 08 जून, 2011 के पत्र के निदेश के अनुसार निगम की वेबसाईट के साथ-साथ केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाईट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है ।

12. सतर्कता संरचना तथा गतिविधियाँ - 2017-18:

12.1 आपके निगम के सतर्कता कोष्ठ के प्रधान, मुख्य सतर्कता अधिकारी है जिनके साथ मुख्यालय में महा प्रबंधक तथा उप महा प्रबंधक और शाखा कार्यालयों में प्रबंधक/उप प्रबंधक कार्यरत हैं ।

12.2 मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मुख्यालय/शाखाओं में तैनात अन्य अधिकारियों ने आकस्मिक जाँच/निरीक्षण किए ।

12.3 शिकायतें : वर्ष के दौरान सतर्कता सेल में 6 शिकायतें प्राप्त हुई । पिछले वर्ष से 16 शिकायतें आगे लायी गयीं । 31.03.18 को 22 शिकायतों में से जाँच पड़ताल के पश्चात 5 मामलें बंद किये गये तथा 17 मामले जाँच पड़ताल/अंतिम निर्णय हेतु लंबित हैं ।

The Scheme for workers participation in the Management introduced by Your Corporation since 1975-76 continues to function smoothly, both at the corporate level and at the branches. The industrial relation in Your Corporation continued to remain very cordial and there was no loss of man-days.

10. FOREIGN TOUR :

During the year under Review, Rs. 3.49 lakhs was spent on foreign tour for the officials of your Corporation for visit to Kazakhstan, Uzbekistan and Bangladesh on behalf of CCI.

11. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 :

In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your Corporation has taken action regarding compilation/ publishing of manuals, appointments of Central Assistant Public Information Officers, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

The Quarterly Report of RTI is uploaded regularly on the website of the Corporation and also uploaded on the website of Central Information Commission (CIC) as instructed by the Ministry of Textiles vide its letter dated 8th June, 2011.

12. VIGILANCE SET-UP AND ACTIVITIES 2017-18 :

12.1 The Vigilance Cell of the Corporation is headed by a Chief Vigilance Officer assisted by General Manager/Dy. General Manager at the Head Office and Managers/ Dy. Managers in the Branches.

12.2 The Chief Vigilance Officer and other officials posted at Head Office/Branches conducted Surprise Checks/Inspections.

12.3 Complaints: The Vigilance cell in all received 6 complaints during the year. 16 complaints were brought forward from the previous year. Out of 22 complaints, 5 cases were closed after investigation and balance 17 cases are pending for investigation/final decision as on 31.03.2018.

12.4 विभागीय जांच :

(i) बड़े दण्ड की कार्यवाहियाँ :

गत वर्ष से बड़े दंड की कार्रवाई के 29 मामले आगे लाये गये तथा वर्ष के दौरान सतर्कता कोष्ठ द्वारा 5 मामले पर कार्रवाई की गई । वर्ष के दौरान 30 मामले निपटाए गए । दि.31.3.2018 को शेष 4 मामलों में विभागीय कार्यवाही व अनुशासनिक प्राधिकरण के निर्णय की कार्रवाई जारी है ।

(ii) छोटे दंड की कार्यवाहियाँ:

कोई लंबित मामले नहीं है ।

12.5 निलंबन:

दि.12.06.2015 से 1 यूनियनाईज्ड कर्मचारी निलंबनाधीन हैं ।

12.6 सीबीआई द्वारा खोजे गये मामले :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीबीआई द्वारा 6 अधिकारी के विरूध्द 3 मामले दर्ज किये गये । 13 अधिकारियों के विरूद्ध सीबीआई द्वारा 12 मामले दर्ज किए गए तथा गत वर्ष से आगे लाये गए। 15 मामलों में छः अधिकारियों के विरूद्ध चार मामले बंद किए गए तथा एक मामले में सीबीआई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की सिफारिश की गई।

अत: दिनांक 31.3.2018 को सीबीआई के पास 12 अधिकारियों के विरूद्ध कुल 11 मामले लंबित हैं।

12.7 निवारक सतर्कता और के.स.आ. के दिशानिर्देश:

1. वर्ष के दौरान सतर्कता विंग को प्राप्त निदेशानुसार भाकनि कर्मचारियों हेतु निवारक सतर्कता गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में अन्य अनुभागों के सहयोग से ''क्या करे व क्या न करें'' मैन्यूअल्स तैयार किया गया। जो निगम के नियम व विनियम के तैयार संदर्भ का एक अच्छा सोपान होगा जिससे वे अपने कार्यों को शीघ्र व प्रभावशाली ढंग से निर्वाह कर सके।
2. सतर्कता क्लीयरंस देने के लिए आई टी के सहयोग से ऑनलाइन पद्धति विकसित की गई है । बैंकएंड डेटा लगातार अद्यतन किया जाता है तथा इस सुविधा से विजीलंस क्लीयरंस शीघ्र जारी करने में आसानी होगी।
3. सतर्कता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा के लिए निम्न

12.4 Departmental Enquiries:

(i) Major Penalty Proceedings:

29 cases of major penalty proceedings were carried forward from previous year and 5 cases instituted during the year were dealt with by the Vigilance Cell. During the year 30 cases were disposed off and departmental proceedings/ decision of Disciplinary Authority are in process for the remaining 4 cases as on 31.03.2018.

(ii) Minor Penalty Proceedings:

There are no pending cases.

12.5 Suspension:

One unionized Staff is under suspension w.e.f. 12.06.2015.

12.6 Cases detected by CBI:

During the period under review, 3 cases were registered by the CBI against 6 officials. 12 cases registered by the CBI against 13 officials were carried forward from the previous year. Out of 15 cases, 4 cases against 6 officials were closed & in one case CBI recommended no action against 1 official.

Hence as on 31.03.2018, total ELEVEN CBI cases against TWELVE officials are pending.

12.7 Preventive Vigilance and CVC Guidelines:

1. During the year the vigilance wing was directed to bring out a comprehensive "Dos and Don'ts Manual" for the employees of CCI with the help of other departments, as a part of preventive vigilance activities and which will serve as a good ready reference for rules and regulations of the organization for them and help in effective and prompt discharge of their duties.
2. With the help of IT, evolved an online system for giving vigilance clearance. The backend data is updated continuously and this facility will enable expeditious issue of clearance.
3. For further strengthening of the Vigilance Set-up and for safety and security of

सुधारात्मक उपाय लिये गये :-

(i) नियंत्रक/सर्वेक्षक अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि जहाँ आवश्यक हो सुधार के उपायों के द्वारा कार्य-पध्दति में सुधार के लिए शाखा कार्यालयों तथा केन्द्रों के दौरों में वृध्दि की जाए।

(ii) शाखा/केन्द्रों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश तथा मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार खरीद, संसाधन, तौल आदि कार्य उचित और पारदर्शी रूप से करने के लिए कहा गया ।

4. खरीदी :

- केवल किसानों से एपीएमसी/एपीएमसी द्वारा घोषित यार्डस के माध्यम से खरीद के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए ।
- निर्धारित मानदंडो के अनुसार कपास की गुणवत्ता के रखरखाव के लिए अनुदेश जारी किए गए ।

13. हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आपके निगम ने वर्ष 2017-18 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है । निगम को ''ख'' क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में वर्ष 2016-17 के दौरान हिंदी के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के लिए 14 सितंबर, 2017 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय) से सम्मानित किया गया । निगम को राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार 25वीं बार प्राप्त करने का गौरव मिला है ।

इसके अलावा निगम को वर्ष 2016-17 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों (छोटे उपक्रमों) की श्रेणी में सर्वाधिक कामकाज हिंदी करने के लिए मुंबई महानगर की सुप्रसिद्ध साहित्यिक आशीर्वाद संस्था द्वारा आशीर्वाद स्मृति चिन्ह एवं आशीर्वाद चल वैजयंती राजभाषा शील्ड प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

वर्ष 2016-17 के दौरान राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा निगम के मुख्यालय व शा.का. अहमदाबाद को द्वितीय पुरस्कार और शा. का. औरंगाबाद व शा.का. हुबली को प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया तथा शाखा कार्यालय बठिंडा को केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय की राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया ।

इसके साथ ही वर्ष 2016-17 के दौरान सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका 'राजभाषा रश्मि' के प्रकाशन के लिए नवी मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा निगम के मुख्यालय को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

CCI's stock, following actions were taken:-

(i) Controlling/supervisory Officers were advised to enhance tours to Branch Office and its centers for improving the system by taking corrective steps wherever required.

(ii) Branch/Centers were emphasized to do the procurement, processing, weighment etc. in fair and transparent manner and according to the CVC guidelines and H.O. instructions.

4. Procurement:-

- Strict guidelines were issued for procurement through APMC/APMC declared yards only from farmers.
- Instructions for maintaining Quality of kapas as per prescribed parameters were issued.

13. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Your Corporation has achieved all the targets of progressive use of Hindi laid down in annual programme for the year 2017-18 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The Corporation has been honored with The Rajbhasha Kirti Puraskar (second) on 14th September, 2017 in the field of Hindi implementation in "B" Region during the year 2016-17 by Hon`ble President of India. Corporation has got the honour of receiving this National award for 25th time.

In addition to this during the year 2016-17 Corporation has also been awarded with 1st prize of Ashirwad chal Vayjayanti Rajbhasha Shield and Ashirwad Smruti Chinh by Ashirwad-socio- Cultural Organization in the competition of doing the Excellent work in Hindi among Public Sector (small) category.

During the year 2016-17 Head Office and B.O. Ahmedabad have received the 2nd prize. B.O. Aurangabad and B.O. Hubli received the 1st prize with appreciation certificate and B.O. Bathinda received the award of Best Office in Central Government Offices by their respective "Town Official Language Implementation Committee" (TOLIC) for excellent implementation in Hindi.

In addition to this, during the year 2016-17 Head Office has also been awarded with the 2nd prize and Certificate for The Best Publication of Hindi Magazine "Rajbhasha Rashmi" by Navi Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC).

निगम के मुख्यालय तथा विभिन्न शाखा कार्यालयों में सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी प्रोग्रामिंग करायी जा चुकी है तथा यूनिकोड की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है । वर्ष 2003 से निगम की वेबसाईट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । निगम द्वारा तैयार करवाई गई ई.आर.पी. प्रणाली में भी द्विभाषी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है । वर्ष 1984 से निगम की गृह पत्रिका राजभाषा रश्मि का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है । जुलाई, 2009 से 'राजभाषा रश्मि' ई-जर्नल पत्रिका निगम की वेब-साइट पर प्रदर्शित की जा रही है ।

वर्ष 2016-17 से निगम की शाखा कार्यालय अहमदाबाद, राजकोट, बठिंडा, इंदौर तथा श्रीगंगानगर द्वारा भी क्रमश: राजभाषा गरिमा, सोमनाथ, राजभाषा पराग, कपास गरिमा एवं आशादीप छ:माही ई-मैगजिन का प्रकाशन आरंभ किया गया है।

निगम के मुख्यालय तथा 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में स्थित सभी शाखा कार्यालयों में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों से आगे हैं । मुख्यालय में 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के मूल पत्राचार में जारी हिंदी पत्रों का प्रतिशत 97.38% है ।

राजभाषा विभाग के आदेशानुसार निगम के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में आयोजित छ: माही बैठकों तथा विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। इसके अलावा निगम के शाखा कार्यालय औरंगाबाद तथा आदिलाबाद संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की अध्यक्षता (टॉलिक)कर रहे हैं।

14. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आपके निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सुधार करने में सफलता प्राप्त की है:-

14.1 ईआरपी कार्यान्वयन

- निगम ने अपने मुख्यालय व शाखा कार्यालयों में ईआरपी एप्लीकेशन में जीएसटी का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है ।
- निगम ने अपने मुख्यालय व शाखा कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2011-12 से ईआरपी एप्लीकेशन के उपयोग से सांविधिक लेखा परीक्षा तथा सरकारी लेखा परीक्षा का सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण किया ।

Bilingual computer programming is made available at Head Office as well as in all Branch Offices and Unicode facility is also made available. Web-site is available in bilingual form, since 2003 and it is being updated from time to time. ERP system of the Corporation is also available in bilingual. Corporation is also regularly publishing House Journal named "Rajbhasha Rashmi" since 1984. E-Journal "Rajbhasha Rashmi" is being exhibited on Corporation's website since July, 2009.

Since 2016-17 our branch offices Ahmedabad, Rajkot, Bathinda, Indore and Sriganganagar have also started publishing Half –Yearly E-magazine viz. Rajbhasha Garima, Somnath, Rajbhasha Parag, Kapas Garima and Ashadeep respectively.

Hindi correspondence in respect of Head Office and branches at "A", "B" and "C" regions have been maintained above the target prescribed in the Annual Programmed issued by Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs. The total percentage of originating correspondence issued in Hindi during the quarter ended 31st March, 2018 at Head Office has been maintained at 97.38%.

As per the orders of Rajbhasha Vibhag Head Office and its subordinate offices are attending half yearly meeting from time to time and actively participating in various activities under the aegis of Town Official Language Implementation Committee. Apart from this our Branch office Aurangabad and Adilabad are also heading the chairmanship of Town Official Language Implementation Committee (TOLIC).

14. PROGRESS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY:

During the financial year 2017-18, the Corporation has achieved a number of improvements in the field of Information Technology :-

14.1 ERP Implementation

- The Corporation has successfully implemented GST in its ERP application at all locations i.e. Branches and Head Office.
- The Corporation has successfully completed the Statutory Audit and Govt. Audit in ERP from FY 2011-12 onwards using the ERP application in the Corporation at all locations i.e. Branches and Head Office.

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ब्याज, अभनि व अधिवर्षिता विवरणी आदि से संबंधित कुछ नए फार्मस व रिपोर्ट तैयार की गई है तथा उपयोगकर्ता की आसानी के लिए ई आर पी में शामिल किया गया है ।
- वित्त, विपणन व मासंवि/पेरोल मॉडूल्स की वर्तमान रिपोर्टस्/फार्मस को उपयोगकर्ता/ व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार सुधार किया है ।
- शाखाओं पर ईआरपी के कार्यान्वयन/रनिंग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है ।

14.2 वेब एप्लीकेशन

- निगम के कर्मचारियों द्वारा लोकायुक्त रिटर्नस व सीवीसी रिटर्नस की ऑनलाईन फाईलिंग के लिए वेब एप्लीकेशन उपलब्ध है ।
- कर्मचारियों द्वारा (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) ऑनलाईन भरने के लिए एसीआर/एपीआर भरने के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन पोर्टल क्रियान्वित किया गया है ।
- निगम में शाखाओं की ऑनलाईन मासिक रिर्टनस के प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु वेब बेस्ड एप्लीकेशन उपलब्ध है । शाखाओं के सभी आलेप अधिकारियों के लिए यूज़र आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करवाया गया है जिससे वे मुख्यालय स्तर पर समीक्षा के लिए संबंधित जानकारी भर सकते है ।

14.3 वेबसाईट :

- निगम में भारतीय सरकारी वेबसाईट (जीआईजीडब्ल्यू) वेब कंटेन्टस एक्सेसबिलिटी (डब्ल्यूसीएजी) मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर नवीनतम तकनीकी के साथ निगम में सूचनात्मक व उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाईट उपलब्ध है ।
- कोई विकलांग व्यक्ति भी सहायक तकनीकी की सहायता से वेबसाईट एक्सेस कर सकता है। इन उद्देश्यों के साथ सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शनों का भी कार्यान्वयन किया गया है ।
- वेबसाईट हिंदी में भी उपलब्ध है , वे सभी वस्तुएँ जो अंग्रेजी में सूचीबध्द है वे हिंदी में भी उपलब्ध है । आगे डायनामिक मूविंग आईटम्स जिनका प्रारंभ में कार्यान्वयन नहीं किया गया था, वे भी हिंदी में उपलब्ध हैं ।
- शाखाओं द्वारा जारी टेंडर्स व ऑक्शन्स के विवरण को हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in तथा www.eprocure.gov.in पर मुख्यालय एवं संबंधित शाखाओं द्वारा स्वयं प्रकाशित किया जाता है। इस संबंध में सभी शाखाओं को आवश्यक प्राधिकरण उपलब्ध करवाया गया है ।

- A few new forms and reports have been developed and incorporated in the ERP such as MSP Interest, CPF & Superannuation statements etc. for the ease of the users.
- The existing reports/forms of Finance, Marketing & HR/Payroll Modules have been modified as per users/business requirements.
- One ERP Help Desk is operational at Head Office for help in case of any difficulty in operation/running of ERP at branches.

14.2 Web Application

- The corporation is having web application for online filling of Lokayukt Returns and CVC returns by the employees of the corporation.
- The Corporation has implemented web based application portal for ACR/APAR (Annual Confidential Report) filling by the employees online.
- The Corporation has a web based application for Internal Audit for submission of online monthly returns for Branches. User Id and password has been provided to all the internal auditors of the branch through which they will be able to fill in the information for review at Head Office level.

14.3 Website

- The Corporation is having a informative and user friendly website using the latest technology, keeping in mind the Guidelines of Indian Government Website (GIGW) & Web Contents Accessibility Guidelines (WCAG)).
- Even a person even with disability is able to access the website with the help of assistive technologies. With these features, the guidelines of Ministry of Social Justice, Govt. of India is also implemented.
- The website is also available in Hindi, where all the items listed in English website is available in Hindi. Further, the dynamic moving items are also now available in Hindi, which was initially not implemented.
- The details of tenders and auctions floated by Branches are to be published on our website www.cotcorp.org.in and on Government Tenders portal www.eprocure.gov.in by HO and respective BOs at their own, the necessary authorization for the same is provided to each BOs.

14.4 ई–मेल पत्र व्यवहार

मुख्यालय और शाखा कार्यालयों का ई–मेल पता सिंगल डोमेन यानि @cotcorp.com दिया गया है, जो सिंगल सर्वर पर प्रदर्शित है । आगे मुख्यालय के अधिकारियों और शाखा प्रधानों, वित्त प्रधान और सर्तकता अधिकारियों को वैयक्तिक ई–मेल आयडी दिया गया है, ताकि वे निगम के अंदर सहजता से पत्र व्यवहार कर सके ।

14.5 वीडीयो संगोष्ठी :

इस सुविधा का न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के नियंत्रण के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

14.6 हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर उच्चीकरण

जहां कही आवश्यक था मुख्यालय और शाखा कार्यालयों में वर्तमान हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर का उच्चीकरण किया गया है और नया हार्डवेअर स्थापित किया गया है।

14.7 सीईआरटी–इन दिशा निर्देश

निगम में सूचना प्रौद्योगिकी डाटा सिक्यूरीटी, वाईरस अलर्ट, सुरक्षा उपायों और सावधानियों के बारे में सीईआरटी – इन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाता है ।

14.8 आईपीवी6 अनुपालन

आईपीवी6 के बारे में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश का निगम में लागू किया गया है । आगे, निगम ने आईपीवी6 सम्मत हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर ही खरीदना आरंभ किया गया है।

15. निगमित शासन :

आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्व स्तर मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिध्दांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

16. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्रकटन (निवारण, निषेध, व उपाय) अधिनियम 2013

14.4 Email Communication

The email address to HO and Branches have been provided with single domain i.e. @cotcorp.com which is hosted on a single server. Further, the officers at HO and Branch Heads, Finance Head and Vigilance Officers at BOs have also been provided with individual email IDs to ease and make the communication faster within the Corporation.

14.5 Video Conference:

The facility was extensively used to monitor MSP operations.

14.6 Hardware & Software Upgradation

Wherever found necessary on need basis, the upgradation of the existing hardware & software and installation of new hardware has been completed at H.O. and Branches.

14.7 Cert-In Guidelines

The guidelines received from Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IT/Data Security, Virus Alerts, related security measures and precautions etc. are being implemented in the Corporation from time to time.

14.8 IPv6 COMPLIANCE

The guidelines received from Ministry of Textiles, Government of India and Department of Information Technology/Department of Telecommunication, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IPv6 are implemented in the Corporation. Further, the Corporation started procuring only IPv6 compliant hardware and software in the Corporation.

15. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

16. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

महिलाओं के कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्रकटन (निवारण, निषेध, व उपाय) अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु कम्पनी ने एक योजना बनायी गई है । यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों के रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति स्थापित की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी कार्यालयों (स्थायी, संविदागत, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) को शामिल किया गया है । कंपनी को वर्ष 2017–18 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

17. निदेशक मंडल:

समीक्षागत वर्ष 2017–18 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

निदेशक, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, द्वारा जारी पत्र सं. एफ नं. 5/13/2017 दिनांक 26 सितंबर, 2017 के अनुसरण में डॉ. पी अल्लि रानी को 03 अक्तूबर, 2017 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

श्री सुब्रातो गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव , वस्त्र मंत्रालय को दिनांक 30.12.2016 को कंपनी के बोर्ड पर पार्ट टाईम कार्यालयीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, दि. 27.12.2017 को कार्यभार मुक्त किया गया।

श्री एस.आर.गायकवाड़, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय को दिनांक 27.12.2017 को कंपनी के बोर्ड पर पार्ट टाईम कार्यालयीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

18. मंडल की बैठकें :

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मंडल की 4 बैठकें 30.05.2017, 17.08.2017, 02.11. 2017, तथा 23.02.2018 को हुई ।

19. निदेशकों के दायित्वों की विवरणी :

कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसरण में निदेशकों के दायित्वों की एतद्वारा पुष्टि करते हैं।

19.1 यह कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, मटेरियल विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

19.2 यह कि निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है और उसे कड़ाई से लागू किया है तथा ऐसे औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं,

The company has in place a policy for prevention of sexual harassment in accordance with the requirements of the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. Internal Complaints Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employees (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy. The Company did not receive any complain during the year 2017-18.

17. BOARD OF DIRECTORS:

Following Changes took place in the Board of Directors of your Company during the year 2017-18 under review:-

Dr. P. Alli Rani was appointed as Chairman-cum-Managing Director of the Company with effect from 03rd October, 2017 in pursuance of letter F.No.5/13/2017- Cotton dated 26th September, 2017 issued by Director, Ministry of Textiles, Government of India.

Shri Subrata Gupta, Ex-Joint Secretary, Ministry of Textiles, was appointed as part-time official Director on the Board of the Company on 30.12.2016, relinquished the charge on 27.12.2017.

Shri S.R. Gaikwad, Director, Ministry of Textiles, appointed as part-time official Director on the Board of the Company w.e.f. 27.12.2017.

18. BOARD MEETINGS:

During the year ended 31st March 2018, Four (4) Board meetings were held on 30.05.2017, 17.08.2017, 02.11.2017 & 23.02.2018.

19. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to the requirement under Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013 with respect to Directors' Responsibilities Statement, the directors confirmed.

19.1. That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2018 the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

19.2. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and

जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य – व्यवहार का तथा उस वर्ष के लाभ–हानि खाते का सही चित्रण देते हैं।

19.3 यह कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पकडने और रोकने के लिए अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार लेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त एवं उचित सावधानी बरती है । यह कि वार्षिक लेखों को निदेशकों ने 'गोइंग कन्सर्न' के आधार पर तैयार किया है ।

19.4 यह कि वार्षिक लेखों को निदेशकों ने 'गोइंग कन्सर्न' के आधार पर तैयार किया है; तथा

19.5 यह कि निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित पध्दति अपनाई तथा यह पध्दति पर्याप्त एवं प्रभावशाली है।

20. लेखा परीक्षा समिति :

लोक उद्यम कार्यालय (डीपीई) भारत सरकार द्वारा जारी निगमित शासन मार्गदर्शन के अनुपालन के अनुसार लेखा समिति संस्थापित की गई है । समीक्षाधीन वर्ष 2017–18 के दौरान लेखा समिति की 4 बैठकें दिनांक 30.05.2017, 17.08.2017, 02.11.2017 तथा 23.02.2018 को आयोजित की गई । आपके निगम की लेखा परीक्षा समिति में दो स्वतंत्र निदेशक को शामिल करके तीन निदेशक है ।

21. सांविधिक लेखा परीक्षक :

वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स बंसल आर.कुमार एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल तथा मेसर्स बवेजा एंड कौल, सनदी लेखापाल को नियुक्त किया गया ।

22. वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन :

22.1 वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ–साथ वास्तविक परिणाम के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने 'फेयर' श्रेणी प्रदान की है।

22.2 आपके निगम तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2017–18 के लिए समझौता ज्ञापन पर 05 जुलाई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए ।

estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and Loss of the Company for that period;

19.3. That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities. That the directors had prepared the annual accounts on a "going concern" basis;

19.4 That the directors had prepared the Annual Accounts on a going concern basis; and

19.5 That the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

20. AUDIT COMMITTEE:

The Audit Committee was constituted in terms of compliance of Corporate Governance Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. During the year 2016-17 under review, four meetings of Audit Committee were held on 30.05.2017, 17.08.2017, 02.11.2017 & 23.02.2018. The Composition of Audit Committee of your Corporation comprise of three Directors including two Independent Director.

21. STATUTORY AUDITORS:

M/s. Bansal R. Kumar & Associates, Chartered Accountants and M/s. Baweja & Kaul, Chartered Accountants, were appointed as Joint Statutory Auditors of the Company for the year 2017-18.

22. MOU WITH THE MINISTRY OF TEXTILES:

22.1. The achievement based on actual results vis-à-vis targets for the year 2016-17 had been rated "Fair" by Department of Public Enterprises.

22.2. The Memorandum of Understanding between your Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2017-18 was signed on 5th July, 2017.

23. कर्मचारियों के ब्यौरे:

आपका निगम सरकारी कंपनी होने के कारण निगमित कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05/06/2015 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अधीन सूचना भेजने की छूट है।

24. वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष :

फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न के सार का भाग तैयार करने के विवरणों के बारे में कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसरण मे प्रकट जानकारी इस रिपोर्ट के परिशिष्ट बी में एतद्वारा संलग्न है।

25. जोखिम प्रबंधन नीति :

आपकी कंपनी ने जोखिम भरे तत्वों को कवर करने के उद्देश्य से जोखिम प्रबंधन नीति विकसित की और अपनायी है ।

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके जोखिम प्रबंधन समिती का भी गठन किया है। जोखिम प्रबंधन समिती को बोर्ड को सहायता करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जैसे;

क) जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क द्वारा कंपनी के उद्यम की देखरेख व अनुमोदन देना है ।

ख) संगठन के वे सभी जोखिम है जैसे कपास खरीद परिचालन में शामिल जोखिम, मार्केट मूल्य में उतार चढ़ाव के जोखिम, लॉजिस्टिक जोखिम, रणनीति, वित्तीय, लिक्विडिटी, विदेशी मुद्रा, निगमित लेखा धोखाधड़ी, सूचना प्रौद्योगिकी/सिस्टम जोखिम, विधि, मानव संसाधन तथा अन्य जोखिमों की पहचान व मूल्यांकन किया गया है ।

निगम के किसी भी व्यापारिक परिचालन में अंतरनिहित जोखिमों को पहचानने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जो निगम के किसी भी परिचालन में अंतरनिहित जोखिमों की पहचान करती है तथा उससे परिभाषित करने, आकलन करने, रिपोर्ट करने, नियंत्रण करने और कम करने के दिशानिर्देश प्रदान करती है ।

26. आभार :

26.1 आपके निदेशकगण माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी हैं । माननीय राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के प्रति भी आभारी हैं। आपके निदेशक सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और उनके अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा

23. PARTICULARS OF EMPLOYEES:

Your Corporation being a Government Company is exempted to furnish information under Section 197 of the Companies Act, 2013 vide Ministry of Corporate Affairs (MCA) Notification dated 05/06/2015.

24. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:

Information required to be disclosed pursuant to Section 134(3)(a) of The Companies Act, 2013 with respect to the details forming part of the extract of the Annual Return in Form MGT-9 is annexed herewith in Annexure B to this Report.

25. RISK MANAGEMENT POLICY:

Your Company has developed and adopted a Risk Management Policy, which inter alia covers identification of elements of risks.

Risk Management Committee has also been constituted comprising of senior officials of the Company. Risk Management Committee has been entrusted with the responsibility to assist the Board in:

(a) Overseeing and approving the Company's enterprise wide risk management framework;

(b) Overseeing that all risks that the organization faces such as risks involved in cotton purchase operations, market/price fluctuation risks, logistics risks, strategic, financial, liquidity, foreign exchange, corporate accounting fraud, IT/systems risks, legal, human resource and other risks have been identified and assessed.

There is an adequate risk management mechanism in place which identifies the risks inherent in any business operations of the Corporation and provides guidelines to define, measure, report, control and mitigate the identified risks.

26. ACKNOWLEDGEMENT:

26.1 The Directors wish to place on record their grateful thanks for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India. Thanks are also placed on record to Hon'ble Minister of State for Textiles, Govt. of India. The Directors also wish to thank the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry

दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, जिसके अभाव में आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की सफलता बनाये रखने में सफल नहीं हो पाता ।

26.2 आपके निदेशकगण बैंक ऑफ बड़ौदा और संकाय के अन्य सदस्य बैंकों द्वारा निगम को समय पर दिए गए उनके सहयोग तथा मदद के प्रति आभारी हैं । आगे आपके निदेशकगण प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा मंडल – ख और उनके कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान निगम को दिए गए उनके सहयोग के प्रति आभारी हैं ।

26.3 समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स बंसल आर कुमार एंड एसोसिएट्स सनदी लेखापाल, मुंबई और मैसर्स बवेजा एंड कौल, सनदी लेखापाल द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपके निदेशक आभारी हैं ।

26.4 आपके निदेशक नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन और उनकी सहायिकाओं, राज्य वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलें तथा विभिन्न निजी मिलों के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष, 2017–18 के दौरान अपनी आवश्यकता की अधिकांश कपास, निगम से खरीदी और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य–प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी गई सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा हैं। कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य भंडार निगम और केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी हम आभारी हैं।

26.5 आपके निदेशकगण निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आभारी हैं, जिन्होंने सभी स्तरों पर अपना सहयोग, सघन प्रयत्न और कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखी ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(डॉ. पी अल्लि रानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 26 नवंबर, 2018

of Finance, Ministry of Agriculture and Textile Commissioner and his officials, but for which, to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to working of the Corporation, would not have been possible in the year under review.

26.2. Thanks are also due to Bank of Baroda and other member banks of the Consortium for extending timely help and support to the Corporation. The Directors further desire to place on record their sincere thanks to the Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member Audit Board–I for their co-operation.

26.3. Your Directors gratefully acknowledge valuable suggestions and guidance given by the Statutory Auditors M/s. Bansal R Kumar & Associates, Chartered Accountants, and M/s. Baweja & Kaul, Chartered Accountants, during the course of their audit of the accounts of the Corporation for the year under review.

26.4. Our grateful thanks are also due to the National Textile Corporation and its subsidiaries, the State Textile Corporations, Co-operative Spinning Mills and various Private Sector Mills who covered their cotton requirements from your Corporation during 2017-18 thus placing their faith in the quality, price competitiveness and service being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India, SWCs, CWC for the co-operation extended by these organization to the Corporation.

26.5. Your Directors thank all the Officers and staff of the Corporation for their co-operation, concerted efforts and dedication at all levels.

for and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Dr. P. Alli Rani)
Chairman-cum-Managing Director

Place : Navi Mumbai
Date : 26th November, 2018

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट क
ANNEXURE A TO DIRECTORS REPORT

निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनीज. अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ओ) के अनुसरण में कंपनीज. अधिनियम 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व) के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाये ।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट अथवा प्रोग्राम पर कार्य तथा सीएसआर नीति व प्रोजेक्टस अथवा प्रोग्राम की वेब लिंक में उल्लेख सहित सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

➢ **कंपनी का संक्षिप्त परिचय :**

भारतीय कपास निगम (सीसीआई), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक कपास व्यापारिक संगठन है । जब कभी कपास मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिरने लगते हैं तो निगम भारत की नोडल एजेंसी के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन का कार्य करता है ।

➢ **सीएसआर की संकल्पना :**

- सार्वजनिक उद्यम (डीपीई ने अपने दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के पत्र सं. 15(3)/2007 डीपीई (जीएम) द्वारा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है । सीएसआर वर्ष 2010–11 से एमओयू में शामिल किया गया । सीएसआर के दिशानिर्देशों में बताये अनुसार निगमित कार्यनिष्पादन को आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा वातावरण प्रभाव यानि सामान्य तौर पर ''ट्रिपल बॉटम लाईन'' से मैच किया जाए ।
- निगमित कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दि. 27 फरवरी, 2014 द्वारा कंपनी अधिनियम के शेड्यूल VIII तथा धारा 135 तथा कंपनी अधिनियमित कंपनी दायित्व पॉलिसी नियमावली 2014 को अधिसूचित किया है । जिसके अनुसरण में कंपनीज को निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में व्यय करना आवश्यक है । जिसका अनुपालन हम डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार पहले से ही कर रहे है। कंपनी नियमावली 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व निती) दि. 01 अप्रैल, 2014 से लागू हुआ है ।
- उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए भाकनि सामुदायिक सद्भाव, समाज पर प्रभाव कायम रखने एवं पारदर्शिता लाने के लिए सीएसआर गतिविधियों का आयोजन करता है ।

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACTIVITIES

[Pursuant to Section 134 (3) (o) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(1) of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014]

Brief outline of the company's CSR Policy including overview of projects or programme proposed to be undertaken and reference in web link to the CSR policy and projects or programme.

➢ **Brief about CCI:**

The Cotton Corporation of India (CCI) is a cotton trading organization under the administrative control of Ministry of Textiles, Govt. of India. It is the nominated nodal agency of Govt. of India to undertake price support operations in cotton in the event when market prices of kapas falls below the support price level announced by Govt. of India.

➢ **Concept of CSR:**

- The Department of Public Enterprises (DPE), vide their letter F.No.15(3)/2007-DPE(GM) dated 9th April 2010 has introduced Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises. The CSR was included in MOU from the year 2010-11 onwards. As envisaged in the guidelines of CSR, the corporate performance needs to be matched in terms of economic impact, social impact and environmental impact; commonly called the "Triple Bottom Line".
- The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its notification dated February 27, 2014 has notified section 135 and Schedule VII of Companies Act, 2013 and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014. Pursuant to which Companies are required to make expenditure on "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)" activities which we have already undertaken which is with the compliances of DPE Guidelines. The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 have come into force from 1st April 2014.
- Taking into consideration of aforesaid CSR guidelines, CCI has been involved in various CSR activities to generate community goodwill, create social impact and visibility. The outline of CCI's CSR policy is as under:

i) सीएसआर विजन स्टेटमेंट :

- सीएसआर सीसीआई के लिए एक योजनाबद्ध गतिविधियाँ है जो निगम के संचालन के क्षेत्र तथा आसपास आवासीय समुदाय की अपेक्षाओं को लंबे समय तक अपने क्षमतानुसार सकारात्मक प्रभाव डालने के लक्ष्य पर विचार करता है ।

- भाकनि जहाँ स्थित है अथवा जहाँ उनके हित लक्षित है उन स्थानों पर सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में प्रेरणादायी भूमिका निभाना ताकि भाकनि क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने व कार्य करने का वातावरण निर्मित कर सके।

ii) सीएसआर मिशन :

- इसके संचालन के सभी पहलुओं में ग्राहकों, कर्मचारियों,शेयरधारकों समुदायों पर निगम की गतिविधियों के प्रभाव और वातावरण की जिम्मेदारी लेते हुए समाज के हित में कार्य करना ।
- अपने स्टेकहोल्डर्स के हितों को पहचानते हुए आर्थिक सामाजिक तथा अच्छे वातावरण को प्रोत्साहित रूप से संचालित करने की प्रतिबद्धता करना ।
- विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य व लोक उपकारी गतिविधियों से परे सीएसआर देश को जोड़ने ताकि सामाजिक आर्थिक संगठन व व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुँचा जा सके एवं उनके प्रतियोगी लाभों को सुरक्षित व कायम रखा जा सके ।
- निगम के संसाधनों की क्षमता तथा अपने संचालन की आधारभूत निर्भरता को देखते हुए छोटी से छोटी इकाइयों जैसे गाँवों, पंचायत, ब्लॉक अथवा डिस्ट्रीक्ट के लाभों को सुनिश्चित करना ।
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के शुद्ध लाभों में से औसतन 2% तक किए खर्चों के भीतर लाभ हानि का विचार किए बगैर सामाजिक–आर्थिक सीएसआर गतिविधियों को शामिल करना ।

iii) सीएसआर नीति का वेब लिंक :

- सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट निगम के वेबसाईट www.cotcorp.org.in पर उपलब्ध है ।

i) CSR Vision Statement:

- The Corporate Social Responsibility (CSR) is a planned set of activities for CCI which is targeted to have a significant positive impact in the long term taking into consideration the Corporation's capabilities, expectations of the communities living in and around the areas of its operation as well as where it has its presence.
- The aim is to play a catalytic role in the sustainable socio-economic development in the regions where it is located or where its interests lie, attempting to create an enabling working environment for CCI as well as sustained regional development.

ii) CSR Mission:

- To serve the interests of society by taking responsibility for the impact of Corporation's activities on customers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of its operations.
- Commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognising the interests of its stakeholders.
- To closely linked with the practice of sustainable development and extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of socio-economic and business goals to secure sustainable competitive advantage.
- Ensure benefits to the smallest unit i.e. village, panchayat, block or district depending upon operations and resource capability of the Corporation.
- To be involved in CSR activities as long term sustainable socio-economic development irrespective of loss/profit and expenditure limit of 2% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years.

iii) Web link to CSR Policy:

- Annual Report on CSR activities is also available at the website of the Corporation at www.cotcorp.org.in

➢ **सीएसआर समिति का गठन :**

नाम	पदनाम	श्रेणी
डॉ. पी. अल्लि रानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	निदेशक(वित्त)	सदस्य
श्री एम.एम. चोक्कलिंगम	निदेशक(विपणन)	सदस्य
श्रीमती ग्रेसी पिंटो	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्रीमती राजिका टी. कचेरिया	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्री एल.के. गुप्ता, मुख्य महा प्रबंधक(वित्त/वाणि.) नोडल अधिकारी निगम में निगमित सामाजिक दायित्व को प्रारंभ करने में सहयोग करेंगे तथा इस पर की गई उन्नति को बोर्ड स्तर समिति के समक्ष रिपोर्ट करेंगे ।

समिति के कार्य निम्नलिखित है :

- बोर्ड के अनुमोदनार्थ सीएसआर नीति सूत्रबद्ध व सिफारिश करना
- वित्तीय वर्ष में क्षेत्रवार प्रोजेक्टस के लिए निधि बताते हुए प्रोजेक्टस सहित सीएसआर गतिविधियों पर किए जानेवाले खर्च की राशि को सिफारिश करना ।
- कंपनी द्वारा लिए गए सीएसआर प्रोजेक्टस के कार्यान्वयन पर समय-समय पर नियंत्रण रखना ।

➢ **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का शुद्ध औसत लाभ यानि 2014-15 से 2016-17 :**

रू. 1390.70 लाख

➢ **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद सं. 3 में बताये अनुसार राशि का 2 %**

कंपनी नियमावली 2014 के अनुसार (सीएसआर नीति) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा शुद्ध औसत लाभ का कम से कम 2 % सीएसआर को आबंटित किया गया । इन मार्गदर्शनों को देखते हुए वर्ष 2017-18 हेतु सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कार्य करने हेतु 27.81 लाख रू. (यानि मद सं. 3 पर दिए अनुसार शुद्ध लाभ की औसत का 2%) बजट बनाया गया है ।

➢ **वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च का विवरण :**

क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जानेवाली कुल राशि:

- तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभों से

➢ **Composition of the CSR Committee:**

Name	Designation	Category
Dr. P. Alli Rani	Chairman-cum-Managing Director	Chairperson
Shri Pradeep Kumar Agarwal	Director (Finance)	Member
Shri M.M. Chockalingam	Director (Marketing)	Member
Ms. Grace Pinto	Independent Director	Member
Ms. Rajika T. Kacheria	Independent Director	Member

Shri L.K. Gupta, CGM (F&C)/Nodal Officer will facilitate the CSR and sustainability initiatives of the Corporation and report the progress before Board Level Committee

The terms of reference of the Committee is given below:

- Formulate and recommend CSR policy to the Board for approval.
- Recommend the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities in a financial year along with CSR projects to be undertaken earmarking funds for area-wise projects.
- Monitor from time to time the implementation of the CSR projects undertaken by the Company.

➢ **Average net profit of the company for last three financial year i.e., from 2014-15 to 2016-17:**

Rs. 1390.70 Lakhs

➢ **Prescribed CSR expenditure (two percent of the amount as in item 3 above):**

As per the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 at least 2% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years should be allocated to CSR. In view of these guidelines, Rs.27.81 lakhs is budgeted for undertaking CSR activities for 2017-18.

➢ **Details of CSR spent during the financial year:**

a) Total amount to be spent for the financial year:

- Atleast 2% of the average net profits made during

न्यूनतम 2 % यानि 27.81 लाख रू; खर्च किया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लेखा परीक्षित किये बगैर शुद्ध लाभ पर 32.19 लाख रू. प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया । तत्पश्चात वार्षिक लेखो के लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सीएसआर बजट 27.81 लाख रू. संशोधित किया गया । तथापि निगम की सीएसआर गतिविधियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को देखते हुए बजट की गतिविधि-वार आवंटन को अपरिवर्तित रखा गया।

ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई :

ग) वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ : वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की गई राशि के विवरण निम्नानुसार है :-

the three immediately preceding financial years i.e. Rs.27.81 lakhs.

- Initially budget of Rs. 32.19 lakh was allocated considering un-audited net profit for F.Y. 2016-17. Thereafter, on the basis of audited annual accounts, CSR budget for F.Y. 2017-18 was revised to Rs.27.81 lakhs. However, keeping in view of socio-economic impact of the CSR activities of the Corporation, activity-wise allocation of budget was kept unchanged.

b) Amount unspent, if any:

c) CSR Activities for 2017-18: Manner in which the amount spent during the financial year 2017-18 is detailed below :

क्षेत्र Sector	सीएसआर गतिविधियाँ Details of CSR activities undertaken/Location	इंप्लिमेंटिंग एजेंसी का नाम Name of Implementing Agency	सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि (रू. लाख में) Amount spent on CSR activities (Rs. in Lakhs)	
			बजट Budget	वास्तविक Actual
स्वच्छता (कंपनीज अधिनियम 2013 के शेड्यूल VII की मद सं.(i) Sanitation (Item No. (i) of Schedule-VII of the Companies Act, 2013)	राजस्थान राज्य में रनिंग वाटर की सुविधा के साथ 5 सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाने का कार्य किया: Construction of Girls Toilets with running water facility in five Government Schools in the State of Rajasthan: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुसी, पाली Rajkiya Uchcha Madhyamik Vidyalay, Busi, Pali. श्री आईजी विद्यापीठ, जावली,पाली Shree IG Vidyapeeth, Jawali, Pali, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोपालगढ़, जोधपुर Rajkiya Balika Uchaha Madhyamik Vidyalay, Bhopalgarh, Jodhpur. Rajkiya Uchcha Madhyamik Vidyalay, Bhopalgarh, Jodhpur. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोपालगढ़, जोधपुर Rajkiya Balika Uchcha Madhyamik Vidyalay, Suvana, Bhilwara.	एनजीओ (मैसर्स जागृति सेवा संस्थान, बुंदी, राजस्थान) NGO (M/s. Jagrati Seva Sanstnan, Bundi, Rajasthan)	13.00	13.12
स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान (शेड्युल - VII की मदसंख्या (iv)) Contribution to Clean Ganga Fund (Item No. (iv) of Schedule-VII)	स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान Contribution to Clean Ganga Fund	सीपीएसई द्वारा सीधे (भारतीय कपास निगम लि.) Directly by the CPSE (Cotton Corporation of India Ltd.)	2.19	2.19

सशस्त्र सैन्य बल के सैनिक, वॉर विडो तथा उनके आश्रितों के हितों के लिए (मद सं.(vi) की शेड्यूल VII) Benefit to armed forces veterans, war widows and their dependents (Item No. (vi) of Schedule-VII)	सशस्त्र सैन्य बल के सैनिक, वॉर विडो तथा उनके आश्रितों के हितों के लिए सशस्त्र बल ध्वज दिवस निधि में अंशदान दिया है Contribution in Armed Forces Flag Day Fund for the benefit of armed forces veteran, war widows and the dependents	सीपीएसई द्वारा सीधे (भारतीय कपास निगम लि.) Directly by the CPSE (Cotton Corporation of India Ltd.)	5.00	5.00
ग्रामीण विकास (मद सं.(x) की शेड्यूल – VII Rural Development (Item No. (x) of Schedule-VII)	तमिलनाडु, कर्नाटक व मध्य प्रदेश राज्यों में उपयोगकर्ता उद्योग शामिल करके लगभग 7500 हैक्टर्स क्षेत्र में ईएलएस कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए संविदागत खेती को प्रोत्साहित किया Encourage Contract Farming to increase production of ELS Cotton in about 7500 hectares area in the State Tamil Nadu, Karnataka and Madhya Pradesh, involving user Industry	राज्य सरकार (राज्य कृषि महाविद्यालय) State Govt. (State Agriculture Universities)	12.00	12.13
	कुल Total		**32.19**	**32.44**

- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध औसत लाभ का 2% व्यय न करने का कारण :
- सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व की विवरणी

  भाकनि में सीएसआर नीति का कार्यान्वयन व नियंत्रण सीएसआर उद्देश्य व कंपनी नीति के अनुपालन के अनुसार होता है ।

- Reasons for not spending the 2% of average net profit of last three financial years
- Responsibility statement of the CSR Committee:

  The implementation and monitoring of CCI's CSR Policy is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Sd/-
(एम.एम. चोक्कलिंगम)
(M.M. Chockalingam)
निदेशक (विपणन)
Director (Marketing)

Sd/-
(प्रदीप कुमार अग्रवाल)
(Pradeep Kumar Agarwal)
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

Sd/-
(श्रीमती ग्रेसी पिंटो.)
(Ms. Grace Pinto)
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director

Sd/-
(श्रीमती राजिका टी. कचेरिया)
(Ms. Rajika T. Kacheria)
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director

Sd/-
(डॉ. पी. अल्लि रानी)
(Dr. P. Alli Rani)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman-cum-Managing Director

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट बी
ANNEXURE B TO DIRECTORS REPORT

फार्म नं. एमजीटी–9
वार्षिक रिर्टन का सार
31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर

कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

Form No. MGT – 9
EXTRACT TO ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31.03.2018

[Pursuant to Section 92(3) of The Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. पंजीकरण व अन्य विवरण
I. REGISTARTION AND OTHER DETAILS

i)	सीआईएन CIN	:	यू51490एमएच1970जीओआई014733 U51490MH1970GOI014733
ii)	पंजीकरण की तारीख Registration Date	:	31.07.1970
iii)	कंपनी का नाम Name of the Company	:	भारतीय कपास निगम लिमिटेड The Cotton Corporation of India Limited
iv)	श्रेणी/कंपनी की उप श्रेणी Category/sub-Category of Company	:	शेड्यूल बी पीएसयू (शेयर्स द्वारा प्राइवेट कंपनी लि.) Schedule B PSU (Private Company limited by shares
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क के विवरण Address of the Registered Office and contact details	:	कपास भवन, प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र 400 614 फोन 022– 27571372 Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector – 10, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra – 400 614, Ph: 022-27571372
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है Whether listed Company	:	नहीं No
vii)	रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजंट का नाम, पता तथा संपर्क के विवरण Name, Address and contact details of Registrar and transfer Agent, if any	:	लागू नहीं N/A

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ

वे सभी व्यापारिक गतिविधियाँ जिसमें कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंश शामिल हो

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:-

क्रमांक Sr. No.	नाम तथा मुख्य उत्पादन सेवाओं का विवरण Name and Description of main products/services	प्रोडेक्ट/सर्विस का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/ Service	कंपनी के कुल टर्नओवर का % % to total turnover of the Company
1.	कपास Cotton	6021	99 %

III. होल्डिंग, सब्सीडियरी तथा एसोसिएट कंपनीज के विवरण

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

क्रमांक Sr. No.	कंपनी का नाम तथा पता Name and Address of the Compan	सीआईएन/जीएलसी CIN/GLC	होल्डिंग/सब्सीडियरी/ एसोसिएट Holding/Subsidiary/ Associate	शेयर्स का % % of shares held	लागू धारा Applicable Section
शून्य NIL					

IV शेयरहोल्डिंग पैटर्न (कुल ईक्विटी प्रतिशत के अनुसार ईक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक-अप)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) श्रेणीवार शेयरहोल्डिंग / i) Category-wise Share Holding

शेयरहोल्डर्स की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या No. of Share held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % of change during the year
	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का % % of total Shares	डीमैट Demat	प्रत्यक्ष Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का % % of total shares	
क. प्रोमोटर्स A. Promoters									
(1) भारतीय (1) Indian									
क)वैयक्तिक/ एचयुएफ a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ख) केंद्रीय सरकार b) Central Govt.	0	25,00,000	25,00,000	100	0	25,00,000	25,00,000	100	0.00
ग) राज्य सरकार c) State Govt	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
घ) बॉडीज कॉर्पो. d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
च) बैंक्स/एफआई e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
छ) अन्य कोई f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
(2) विदेशी (2) Foreign	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग **B. Public Shareholding**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

i) श्रेणीवार शेयरहोल्डिंग / i) Category-wise Share Holding									
शेयरहोल्डर्स की श्रेणी **Category of Shareholders**	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या **No. of Shares held at the beginning of the year**				वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या **No. of Share held at the end of the year**				वर्ष के दौरान परिवर्तन का % **% of change during the year**
	डीमैट **Demat**	प्रत्यक्ष **Physical**	कुल **Total**	कुल शेयर्स का % **% of total Shares**	डीमैट **Demat**	प्रत्यक्ष **Physical**	कुल **Total**	कुल शेयर्स का % **% of total shares**	
ग. एडीआर व जीडीआर के लिए अभिरक्षक के शेयर **C. Shares held by Custodian for ADRs & GDRs**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
सकल योग (क + ख + ग) Grand Total (A+B+C)	0	0	25,00,000	0	0	25,00,000	25,00,000	0	0.00

ii) प्रोमोटर्स के शेयर / Shareholding of Promoters								
क्रमांक **Sr. No.**	शेयरहोल्डर का नाम **Shareholder's Name**	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या **Shareholding at the beginning of the year**			वर्ष की समाप्ति में शेयर्स की संख्या **Shareholding at the end of the year**			वर्ष के दौरान शेयरधारक में परिवर्तन का % **% of change in share-holding during the year**
		शेयर्स की संख्या **No. of Shares**	कं. के कुल शेयर्स का % **% of total Shares of the Company**	कुल शेयर्स में गिरवी / विल्लंगम युक्त शेयर्स का % **% of shares pledged/ encumbered to total shares**	शेयर्स की संख्या **No. of Shares**	कं. के कुल शेयर्स का % **% of total Shares of the Company**	कुल शेयर्स में गिरवी / विल्लंगम युक्त शेयर्स का % **% of shares pledged/ encumbered to total shares**	
1.	भारत के राष्ट्रपति (वस्त्र मंत्रालय द्वारा) PRESIDENT OF INDIA (through Ministry of Textiles)	25,00,000	100	NIL	25,00,000	100	NIL	0

iii) प्रोमोटर्स शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन / Change in Promoters' Shareholding

	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर का % % of total Shares of the Company
01.04.2017 वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year 01.04.2017	25,00,000	100	25,00,000	100
वृद्धि/कमी के कारण सूचित करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटर शेयर धारण में तारीखवार वृद्धि/कमी (यानि आबंटन/ट्रांसफर/बोनस/स्वीट ईक्विटी इत्यादि) Date wise Increase /Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment transfer/ bonus/sweat equity etc):	NIL	N/A	NIL	N/A
31.03.2018 की समाप्ति पर At the End of the year 31.03.2018	25,00,000	100	25,00,000	100

iv) 10 टॉप शेयरहोल्डर्स का शेयर धारण का पैटर्न (निदेशक, प्रोमोटर्स, एडीआर तथा जीडीआर के धारकों को छोड़कर) : / Shareholding Pattern of top ten shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

प्रत्येक 10 टॉप शेयरहोल्डर्स के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर का % % of total Shares of the Company
लागू नहीं / N/A				

निदेशक एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के शेयर होल्डिंग: / Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:				
	वर्ष के आरंभ में शेयर्स की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर का % % of total Shares of the Company	शेयर्स की सं. No. of Shares	कं. के कुल शेयर का % % of total Shares of the Company
लागू नहीं / N/A				

V. ऋणिताएँ / INDEBTEDNESS				
कंपनी की ऋणिताएँ बकाया/प्रोदभूत ब्याज शामिल करके परंतु भुगतान के लिए देय नहीं Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment				
	डिपॉजिट छोड़कर रक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	अनआरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल ऋणिताएँ Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष 01.04.2017 के प्रारंभ में ऋणिताएँ **Indebtedness at the beginning of the financial year 01.04.2017**				
i. मूल राशि i. Principal Amount	27,85,00,00,000	0	0	27,85,00,00,000
ii. ब्याज देय परंतु भुगतान न किया हुआ ii. Interest due but not paid	-	0	0	0
iii. प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं iii. Interest accrued but not due	-	0	0	0
कुल (i + ii + iii) / Total (i + ii + iii)	27,85,00,00,000	0	0	27,85,00,00,000
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिताओं में परिवर्तन **Change in Indebtedness during the financial year**				
• जोड़ना • Addition	40,42,00,00,000	4,00,00,00,000	0	40,42,00,00,000
• घटाना • Reduction	27,85,00,00,000	0	0	27,85,00,00,000
कुल परिवर्तन / Net Change	12,57,00,00,000	4,00,00,00,000	0	16,57,00,00,000

वित्तीय वर्ष 31.03.2018 की समाप्ति पर ऋणिताएँ Indebtedness at the end of the financial year 31.03.2018				
i. मूल राशि i. Principal Amount	40,42,00,00,000	4,00,00,00,000	0	44,42,00,00,000
ii. ब्याज देय परंतु भुगतान न किया हुआ ii. Interest due but not paid	–	–	–	–
iii. प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं iii. Interest accrued but not due	–	–	–	–
कुल (i + ii + iii) / Total (i + ii + iii)	**40,42,00,00,000**	**4,00,00,00,000**	**0**	**44,42,00,00,000**

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक
REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

क. A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधक के पारिश्रमिक
Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

क्र. सं. Sr. No.	पारिश्रमिक के ब्यौरे Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक के नाम Name of MD/ WTD/ Manager			कुल राशि Total Amount
		डॉ. पी अल्लि रानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Dr. P. Alli Rani, CMD	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) Shri Pradeep K. Agarwal, Director (Finance)	श्री एम.एम. चोक्कलिंगम, निदेशक (विपणन) Shri M. M. Chockalingam, Director (Marketing)	
1.	सकल वेतन / Gross salary				
	क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अनुसार वेतन का प्रावधान (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961,	20,77,904	37,68,231	41,46,570	99,92,705
	ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961,	2,73,726	39,600	39,600	3,52,926
	ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत प्रोफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	0	0	0	0
2.	स्टॉक विकल्प Stock Option	0	0	0	0
3.	स्वीट इक्विटी Sweat Equity	0	0	0	0

4.	कमीशन –लाभ % के अनुसार Commission – as % of profit	0	0	0	0
	कुल (क) TOTAL (A)	23,51,630	38,07,831	41,86,170	1,03,45,631
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग Ceiling as per act				

ख./ B. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक / Remuneration to other Directors:

पारिश्रमिक के ब्यौरे / Particulars of Remuneration	निदेशक के नाम / Name of Directors					कुल राशि / Total Amount
	श्री जे.के. दादू SHRI J. K. DADOO	श्री सुब्रत गुप्ता SHRI SUBRATA GUPTA	श्री एस. आर. गायकवाड़ SHRI S. R. GAIKWAD	श्रीमती ग्रेस पिंटो MS. GRACE PINTO	श्रीमती राजिका टी. कचेरिया MS. RAJIKA T. KACHERIA	
स्वतंत्र निदेशक/Independent Directors बोर्ड / कमेटी बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क Fee for attending board/ committee meetings कमीशन Commission अन्य कृपया स्पष्ट करें Others, please specify	0	0	0	40,000	40,000	80,000
कुल (1) / Total (1)	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**	**80,000**
अन्य गैर कार्यकारी निदेशक /Other Non-Executive Directors बोर्ड / कमेटी बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क Fee for attending board/ committee meetings कमीशन Commission अन्य कृपया स्पष्ट करें Others, please specify	0	0	0	0	0	0
कुल (2) / Total (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (1+2) / Total (1+2)	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**	**80,000**

VII. जुर्माना/सजा/ कंपाउंडिंग अपराध:
VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES :

प्रकार Type	कंपनीज अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	जुर्माना/सजा/ अधिशोषण कंपाउंडिंग शुल्क Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकृत (आरडी/ एनसीएलटी/ सीओयुआरटी) Authority [RD/NCLT/ COURT]	अपील यदि कोई हो (विवरण दें) Appeal made, if any (give Details)
कंपनी / COMPANY					
जुर्माना / Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड / Punishment			NIL	NIL	NIL
कंपाउंडिंग / Compounding			NIL	NIL	NIL
निदेशक **/ DIRECTORS**					
जुर्माना / Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड / Punishment			NIL	NIL	NIL
कंपाउंडिंग / Compounding			NIL	NIL	NIL
अन्य दोषी अधिकारी / **OTHER OFFICERS IN DEFAULT**					
जुर्माना / Penalty			NIL	NIL	NIL
दंड / Punishment			NIL	NIL	NIL
कंपाउंडिंग / Compounding			NIL	NIL	NIL

वर्ष 2017–18 हेतु निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर :

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ :

1. *कंपनी ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर सेस पर 6459.99 लाख रू. की राशि जिसमें 2006–07 से 2016–17 तक 5685.32 लाख रू. तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 वर्ष के लिए 774.67 लाख रू. ब्याज का संचित प्रावधान शामिल है को रिवर्स किया है । दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरणी से 6459.99 लाख रू. का संपूर्ण प्रावधान रिवर्स किया है । (अपवादात्मक मदें प्रावधान की आवश्यकता नहीं है– नोट 30)*

   वर्ष के दौरान पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज देने के आधार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में मामला हारने के पश्चात पंजाब इंफ्रास्टक्चर (विकास व विनियमन) अधिनियम 2002 के अंतर्गत सेस की उगाही पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कंपनी की अपील लंबित है । ब्याज अधिनियम 1978 के अनुसार माननीय न्यायालय यदि योग्य समझता है तो ऋण के हकदार व्यक्ति को ब्याज भुगतान की अनुमति दे सकता है । इन तथ्यों को देखते हुए हमारी राय है कि पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के प्रावधान को रिवर्स नहीं किया जाना चाहिए था । पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के संचित प्रावधान को गलत रूप से हटाने के परिणामस्वरूप 6459.99 लाख रू. हानि का अधिक्रमण हुआ तथा 6459.99 लाख रू. द्वारा प्रावधान में कमी आयी । यदि, इस प्रावधान को रिवर्स न किया गया होता, तो संशोधित लाभ व हानि की विवरण में दर्शाएनुसार 2368.39 लाख रू. लाभ के स्थान पर 4091.00 लाख रू. कर के पूर्व हानि होती । अन्य इक्विटी (रीटेंड अर्जन) 3657.60 लाख (कर का शुद्ध) रू. द्वारा कम होती तथा प्रतिशेयर अर्जन (ईपीएस) 37.34 रू. के सकारात्मक प्रतिशेयर अर्जन के स्थान पर 108.97 रू. नकारात्मक होता ।

2. *इसी प्रकार, नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक, मुंबई कार्यालय की टिप्पणियों (पीओएम–ख) के अनुपालन के लिए:*

क) *कंपनी को पंजाब इंफ्रास्टकचर सेस पर ब्याज के लिए लाभ व हानि विवरणी में डेबिट के रूप में चालू वर्ष के प्रावधान से 01.04.2016 को रीटेंड अर्जन के रूप में 4910.65 लाख रू. 31.03.2017 को 774.67 लाख रू. तथा चालू वर्ष के प्रावधान से 774.67 लाख रू. शेष का समायोजन किया*

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2017-18

Reply to comments of Joint Statutory Auditors:

Comment of the Auditors :

1. *The Company has reversed Accumulated provision of interest on Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs. 6459.99 lakh which includes accumulated provision of interest of Rs. 5685.32 lakh from 2006-07 till 2016-17 and Rs. 774.67 lakh for the year ended 31st March 2018. The whole provision of Rs. 6459.99 lakh has been reversed through the Statement of Profit and Loss (Exceptional Items-Provision no longer required – Note 30) for the current year ended 31st march 2018.*

   No change in the basis of providing the interest on Punjab Infrastructure Cess has taken place during the year. The company also has a pending appeal with the Hon'ble Supreme Court on levy of Cess under Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Act, 2002 after having lost the case in Hon'ble Punjab and Haryana High Court. Also, as per Interest Act, 1978, the Hon'ble Court, if it thinks fit, may allow interest to the person entitled to the debt. In view of these facts, we are of the opinion, that, the Provision of Interest on Punjab Infrastructure Cess should not have been reversed. This wrong reversal of accumulated provision of interest on Punjab Infrastructure Cess has resulted in suppression of losses by Rs. 6459.99 lakh and understatement of Provisions by Rs. 6459.99 lakh. Had this amount of provision not been reversed the loss before tax would have been Rs. 4091.60 lakh instead of profit before tax of Rs. 2368.39 lakh as shown in Revised Statement of Profit and Loss, The other equity (Retained Earnings) would have been lower by Rs. 3657.60 lakh (Net of Taxes) and Earning per Share (EPS) would have been negative to the tune of Rs. 108.97 instead of positive Earning per Share (EPS) of Rs. 37.34.

2. *Alternatively, to comply with the observation (POM-1) of the Comptroller and auditor General of India, Mumbai office :*

a. *The Company should have adjusted Rs. 4910.65 lakh from retained earnings as at 01.04.2016, Rs. 774.67 lakh as at 31.03.2017 and balance of Rs. 774.67 lakh from the current years Provision for interest on Punjab Infrastructure Cess (Note 29E) debited in Statement of Profit and Loss, whereas,*

जाना चाहिए था (नोट 29 ई)। जबकि कंपनी ने लाभ व हानि विवरणी से दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष के लिए पूरे प्रावधान 6459.99 लाख रु. को रिवर्स कर दिया (अपवादात्मक मद व्यय/(आय) नोट सं. 30) जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में 5685.32 राशि हानि के अधिक्रमण का परिणाम भुगतना पड़ा । अन्य इक्विटी (रीटेंड अर्जन) 2351.68 लाख रू. से अधिक होती थी (कर का शुद्ध) तथा प्रति शेयर अर्जन 37.34 सकारात्मक प्रति शेयर अर्जन के स्थान पर 88.81 रू. से नकारात्मक रूप में होती थी ।

ख) फिर, कंपनी ने पहले ही डेबिट किया हुआ (नोट 29 ई) पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के लिए प्रावधान से चालू वर्ष से संबंधित 774.67 लाख रू. का प्रावधान समायोजित किया जाना चाहिए था, जबकि कंपनी ने पहले से ही डेबिट किए गए व्यय से चालू वर्ष के प्रावधान को रिवर्स नहीं किया परन्तु अपवादात्मक मद व्यय/(आय)– प्रावधान की आवश्यकता नहीं (नोट 30) रिर्वस कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 774.67 लाख रू. अन्य व्यय के ओवरस्टेटमेंट प्रावधान व व्यय बट्टेखाते डालना (नोट 29 ई) तथा 774.67 लाख रू. द्वारा अपवादात्मक मद व्यय (आय)– प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं (नोट 30) 774.67 लाख रु. से रिवर्स किया गया ।

ग) चूंकि कंपनी ने संचित प्रावधान को रिवर्स कर दिया है जबकि इंडएएस 37 के अनुसार 6459.99 लाख रू. पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के प्रावधान का लेखा के नोट्स में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन किया जाना चाहिए था ।

3) कंपनी ने इंड ए एस 37 की पैरा 84 व 85 के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवश्यक प्रकटन जैसे पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस के लिए 4303.69 लाख रू. राशि का प्रावधान, व्यय के रूप में 151.09 लाख रू. की राशि 141.85 लाख रू. का एमएसएमई की बकाया राशि पर ब्याज के रूप में प्रावधान तथा संशोधित वित्तीय विवरणियों के नोट सं. 17 के अंतर्गत 1416.85 लाख रू. राशि का अन्य स्टाफ रिलेटेड प्रावधानों का प्रकटन नहीं किया है।

4) कंपनी ने कंपनी सचिव से लेनदेन का प्रकटन नहीं किया जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (2) के अनुसार मुख्य प्रबंधन कार्मिक है । कंपनी ने इंडएएस 24 की पैरा 17 के अनुसार अन्य मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के साथ प्रतिपूर्ती का प्रकटन भी नहीं किया है ।

5) कंपनी ने दिनांक 23 अगस्त, 2018 को आयोजित बोर्ड मंडल की बैठक में अनुमोदित वित्तीय विवरणियों में ''संशोधित' शब्द का प्रयोग नहीं किया जिस पर हमारे

the Company has reversed whole provision of interest on Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.6459.99 lakh through the Statement of Profit and Loss (Exceptional Items Expense/(Income) - Note No. 30) as provision no longer required, for current year ended 31st march 2018 which has resulted in suppression of current year's Losses by Rs.5685.32 lakh, The other equity (Retained Earnings) would have been higher by Rs.2531.68 lakh (Net of Taxes) and Earning per Share (EPS) would have been negative to the tune of Rs. 88.81 instead of positive Earning per Share (EPS) of Rs. 37.34.

b. Again, the Company should have adjusted Rs. 774.67 lakh provision pertaining to current year from the Provision for interest on Punjab Infrastructure Cess (Note 29E) already debited whereas, the Company has not reversed the current year's provision from the expenditure already debited but has reversed Rs. 774.67 lakh through Exceptional Items Expense/ (Income) – Provisions no longer required (Note 30) resulting in overstatement of Other expenses – Provision and Write off expenses (Note 29E) to the tune of Rs. 774.67 lakh and also overstatement of Exceptional Items Expense/(Income) – Provisions no longer required (Note 30) by Rs. 774.67 lakh.

c. Since the Company has reversed the accumulated provision, it should have treated Rs.6459.99 lakh being provision of interest on Punjab Infrastructure Cess as a contingent liability and disclosed the same in the notes to accounts as per Ind AS37.

3. The Company has not given complete disclosure as required under para 84 and para 85 of Ind As 37 for the provisions like Provision for Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs. 4303.69 lakh, Provision for expenses amounting to Rs. 151.09 lakh, Provision for interest on outstanding dues to MSME amounting to Rs. 141.85 lakh and other staff related provisions amounting to Rs. 1416.58 lakh disclosed under note no. 17 of Revised Financial Statements.

4. The Company has not disclosed the transaction with Company Secretary who is a Key Management personnel as per section 203(2) of the companies Act, 2013. The Company has also not disclosed the compensation to other Key management Personnel as per para 17 of Ind AS 24.

5. The Company has not used the word "Revised" in the Financial Statements approved by the Board in its meeting held on 23rd August 2018 on which our

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की जा रही है ।

6) नीचे वर्णित व्यापार प्राप्य (एनटीसी को छोड़कर), व्यापार भुगतान, ईएमडी। डिपॉजिट्स/ रीटेंशन मनी के अंतर्गत बकाया शेष पुष्टि/समाधान तथा समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई हो :

(रू. करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2018 को शेष	समाधान/ पुष्टि किए गए शेष	अंतर	पुष्टि/समाधान किए गए शेष का %
(एनटीसी को छोड़कर) व्यापार प्राप्य	214.95	0.10	214.85	99.95%
व्यापार भुगतान योग्य	65.60	1.86	63.74	97.16%
ईएमडी/जमा/ रीटेंशन मनी	53.14	5.54	47.60	89.57%

प्रबंधन का उत्तर

1. पंजाब राज्य की अधिसूचना दिनांक 11.07.2002 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक डीलर द्वारा कृषि उत्पादन की खरीद पर 1% इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस का भुगतान किया जाएगा जिसमें कपास भी शामिल है । यह पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास अधिनियम, 1998 द्वारा तथा पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सेस (कलेक्शन नियमावली) 1998 द्वारा लागू किया गया था । यह दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी था । दिनांक 1.4.2008 से सेस में 1% से 2% में वृद्धि की गई । पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में सिविल रिट पेटीशन 3713-2008 द्वारा भाकनि बनाम पंजाब राज्य सरकार व अन्य नाम से निगम द्वारा इसकी चुनौती दी गई । पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 22.6.2009 निर्णय द्वारा भारतीय खाद्य निगम बनाम पंजाब राज्य व अन्य के पक्ष में 1999 के सी डब्ल्यू पी 6676 का निपटान किया गया कि इस निर्णय पर निगम का रिट पेटीशन दायर करके इससे कनेक्टेड 112 रिट पेटीशन्स का भी निपटान किया जाएगा । पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय के विरूद्ध भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया गया जो अंतिम निर्णय के लिए लंबित है । तथापि, पंजाब सरकार ने अधिसूचना दिनांक 3.2.2014 द्वारा दिनांक 3.2.2014 से कपास पर पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस लगाने से मुक्त रखा गया है ।

एसएलपी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णय के

independent auditors report is being issued.

6. Balances under Trade Receivables (Other than NTC), Trade payables, EMD / Deposits / Retention money as detailed hereunder are subject to confirmation/Reconciliation and consequent adjustments, if any.

(Rs. In Crores)

Particulars	Balance as at 31.03.2018	Balance Reconciled/ Confirmed	Difference	% of balance not confirmed/ reconciled
Trade Receivable (Other than NTC)	214.95	0.10	214.85	99.95%
Trade Payables	65.60	1.86	63.74	97.16%
EMD/ Deposits/ Retention Money	53.14	5.54	47.60	89.57%

Reply of the Management:

1. Punjab State issued Notification dated 11.7.2002 vide which it was provided that every Dealer shall be liable to pay infrastructure cess @1% on purchase of agricultural produce including cotton. It was enacted vide Punjab Infrastructure Development Act, 1998 and the Punjab Infrastructure Development Cess (Collection Rules), 1998. It was effective from 1.4.2005. The cess was increased from 1% to 2% with effect from 1.4.2008. It was challenged in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh by the Corporation in Civil Writ Petition–3713-2008 titled Cotton Corporation of India Vs. State of Punjab & Others. The High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh, vide decision dated 22.6.2009 disposed off CWP 6676 of 1999 titled Food Corporation of India Vs. State of Punjab and another stating that this judgment shall also dispose of the connected batch of 112 writ petitions including that of the Corporation. Against the judgment of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, SLP has been filed in the Hon'ble Supreme Court of India which is pending for final adjudication. However, the Government of Punjab has exempted the cotton from levy of Punjab Infrastructure cess w.e.f. 03.02.2014 vide notification dated 03.02.2014.

The SLP which is pending for adjudication with

लिए लंबित है वह पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस के उगाही की वैद्यता को चुनौती देने से संबंधित है जिसके लिए निगम के लेखा पुस्तकों में पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है और न कि ब्याज के लिए प्रावधान किया गया ।

पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस से संबंधित प्रश्न की पूरक लेखा परीक्षा व जाँच के दौरान की गई व्याख्या तथा ब्याज के लेखे पर निगम की देयता को देखते हुए निगम द्वारा इस मामले पर पुन: गौर किया गया है ।

यह नोट किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत सेस पर ब्याज की उगाही का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। एपेक्स न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया है कि ब्याज के संबंध में जब तक कोई विशिष्ट चार्जिंग का प्रावधान न हो, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा । खेमका एंड कं एजेंसीज (पी) लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1975) 2 एससीसी 22 के मामले में यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्णित किया गया है कि जिसमें ब्याज की उगाही के बारे में किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में भुगतान योग्य ब्याज देय नहीं है तथा यह मामला केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अधीन है ।

वैसे ही, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 से संबंधित अन्य मामले में इंडिया कार्बन लिमिटेड बनाम असम राज्य (1997) 106 एसटीसी 460, एपेक्स न्यायालय ने वैसे ही इस पर टिप्पणी दी तथा पाया कि अधिनियम में ही विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में निर्धारितियो द्वारा भुगतान योग्य ब्याज देय नहीं है । एपेक्स न्यायालय ने अपने निर्णय में यह घोषित किया है कि सीएसटी अधिनियम 1956 में निर्दिष्ट करारोपण को ही राज्य बिक्रीकर अधिनियम के मशीनरी प्रावधान के रूप से वसूली कर सकता है । यह पाया गया है कि कथित निर्णय में विचारार्थ प्रावधान पीआईडीआर अधिनियम 2002 की धारा 25(3) के प्रावधान जैसे है। इसीलिए पीआईडीआर अधिनियम के अधीन ब्याज की उगाही हेतु धारा 25 (3) लागू नहीं की जा सकती । धारा 25(3) केवल मशीनरी प्रावधान है । एपेक्स न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम में ही ब्याज के विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में प्राधिकारी द्वारा ब्याज नहीं लगाया जा सकता यानि, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास विनियमन अधिनियम, 2002 में भी ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों तथा पंजाब इंफ्रास्टक्चर (विकास व विनियमन) अधिनियम 2002 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन की यह राय थी कि पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर 6459.99 लाख रू. की राशि

the Hon'ble Supreme Court of India is relating to challenging the validity of levy of Punjab infrastructure Cess, for which the necessary provision towards Punjab Infrastructure Cess has been made in the books of accounts of the Corporation, and not the interest.

In the light of interpretation made during the course of supplementary audit and scrutiny of the issue related to Punjab Infrastructure Cess and liability of the Corporation on account of interest thereupon, this matter was revisited by the Corporation.

It has been noted that there is no specific provision under the PIDR Act to levy interest on cess. It has been settled by the Apex Court that unless there is a specific charging provision relating to interest, no interest can be charged under the Act. The issue stands settled by the judgment of Hon'ble Supreme Court of India in the case of Khemka & Co. Agencies (P) Ltd. Vs. State of Maharashtra (1975) 2 SCC 22, wherein, it was held that no interest is payable in absence of any specific provision regarding levying of interest and that was a case under the Central Sales Tax Act 1956.

Similarly, in another case relating to Central Sales Tax Act, 1956, India Carbon Ltd. Vs. State of Assam (1997)106 STC 460, the Apex Court observed in a similar manner and held that no interest is payable by the assesses in absence of a specific provision in the Act itself. The Apex Court in this judgment has declared that only levies specified in the CST Act 1956 itself can be recovered by taking assistance of machinery provision of State Sales Tax Act. It has been observed that the provisions which have been considered in the said judgment are similar to provisions of Sec. 25 (3) in the PIDR Act 2002. Therefore, Sec. 25 (3) cannot be invoked for the levy of interest under the PIDR Act. The section 25 (3) is only a machinery provision. In various judgments of Apex court, it is clear that no interest can be charged by the authority in absence of specific provision of interest in the Act itself i.e. Punjab Infrastructure & Development and Regulation Act, 2002.

In view of the various judgments of Hon'ble Supreme Court and as per the existing provisions of Punjab Infrastructure (Development & Regulation) Act, 2002, the management was of the opinion that the provision of interest made on Punjab infrastructure

के ब्याज के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वास्तव में वह कंपनी के वास्तविक अर्जन को दबा रही है ।

ब्याज अधिनियम 1978 के संबंध में माननीय न्यायालय यदि उपयुक्त समझे तो सांविधिनिक लेखा परीक्षा द्वारा बतायेनुसार ऋण के पात्र व्यक्ति को ब्याज की अनुमति दी जा सकती है, यहाँ यह बताना उचित होगा कि ब्याज अधिनियम 1978 के अधीन ब्याज की उगाही की कार्रवाई का कारण होना चाहिए और वो भी तब जब ऋण हो । इसका आशय यह है कि व्यक्ति की लिखित माँग, कि माँग की गई राशि का भुगतान किया जाए जिसके विफल होने की दशा में बतायी तारीख से ब्याज की उगाही की जा सकती है । जबकि पीआईडीआर अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान मामले की वास्तविकता यह नहीं है । माँग की गई राशि पर ब्याज खंड को अनुबंधित करते हुए कंपनी पर माँग नहीं की गई है अत: यह ऋण नहीं है इसीलिए ब्याज अधिनियम 1978 के अंतर्गत ब्याज की उगाही की कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह मामला दिनांक 23 अगस्त, 2018 को आयोजित बोर्ड की 40 वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया तथा समिति की भी यह राय थी कि ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण को देखते हुए तथा शेयर होल्डर्स के हित में पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है । इस बारे में निदेशक मंडल ने भी लेखा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया ।

2. सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर ब्याज प्रावधान का पुन: निर्धारण तथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की व्याख्या के आधार पर भी जैसे ऊपर बताया गया है पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के कारण कोई देयताएँ नहीं है ।

तद्नुसार दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरणी से पंजाब सेस पर 6459.99 लाख रू. की राशि का ब्याज का प्रावधान रिवर्स किया गया है । आगे, प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं (नोट 30) से चालू वर्ष 774.67 लाख रू. का प्रावधान को रिवर्सल का वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निगम के कर से पूर्व लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा इस संशोधन के परिणामस्वरूप निगम के रीटेंड अर्जन में वृद्धि हुई ।

इंडएएस 37 के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर प्रावधानों को पुन: निर्धारण करना आवश्यक है तथा यदि यह संभव न होता कि आर्थिक लाभ सम्मिलित करके साधनों के प्रवाह की बाध्यता को सेटल करना आवश्यक है तो यह रिवर्स कर सकते थे । चूँकि इसका प्रधान अधिनियम यानि पीआईडीआर में प्रावधान नहीं है, पंजाब सेस पर ब्याज के प्रोद्भूत पर देयता नहीं होती है । आकस्मिक देयता के रूप में सेस पर ब्याज के प्रकटन की आवश्यकता ही नहीं है ।

Cess amounting to Rs. 6459.99 lakh so far is no longer required and was in fact suppressing the real earnings of the company.

As regard Interest Act 1978, whereby Hon'ble court, if deems fit, may allow interest to the person entitled to the debt, as mentioned by Statutory Audit, it is to state that to levy interest under Interest Act 1978, a cause of action must arise and also there is a debt. It means that there is a demand on a person in writing to pay the demand amount failing which interest could be levied from the date stipulated in the order. Whereas, the fact of the present case under PIDR act is not the same. There is no demand raised on the Company stipulating interest clause on the demand amount and hence no debt. Therefore, the cause of action does not arise which attracts levy of interest under Interest Act 1978.

The matter was placed before the Audit Committee of the Board in its 40th meeting held on 23rd August 2018, and the Committee was also of the opinion that in view of the precedent of Hon'ble Supreme Court of India in similar cases and in the interest of the shareholders, the provision of interest on Punjab Infrastructure Cess is no longer required. The Board of Director has also accepted the recommendations of Audit Committee in this regards.

2. On the basis of observations of CAG, reassessment of interest provision and also based on the interpretation of various judgments of Hon'ble Supreme Court, there is no liability on account of interest on Punjab Infrastructure Cess, as explained above.

Accordingly, the provision for interest on Punjab Cess amounting Rs.6459.99 lakh has been reversed through the Statement of Profit and Loss for the current year ended 31st March 2018. Further, reversal of current year provision of Rs. 774.67 lakh through provision no longer required (Note no. 30) does not have any impact on the profit before tax of the Corporation for the F.Y. 2017-18 and this revision has resulted into increase in retained earnings of the Corporation.

As per Ind AS 37 the provisions need to be reassessed at each reporting date and will be reversed if it is no longer probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Since, there is no provision in the principle Act i.e. PIDR, no liability can accrue on account of interest on Punjab Cess. Thus, the disclosure of the interest on cess as contingent liability is not required.

3. प्रत्येक प्रावधानों में मूवमेंट के बारे में वित्तीय विवरणी में प्रावधानों की राशि तुलनात्मक आँकड़ो सहित दर्शाई गई हैं तथा इन प्रावधानों में मटीरियल मूवमेंट्स नहीं है । प्रावधानों में मूवमेंट का मटीरियल वित्तीय प्रभाव न होने के कारण प्रकटन आवश्यक नहीं है ।

आगे, कंपनीज नियमावली 2016 की पैरा 31 के अनुसार (इंडएएस) (संशोधित) जिसमें वर्णित किया गया है कि इंडएएस की विशिष्ट जानकारी जिसका वित्तीय विवरणी में शामिल होना आवश्यक है, उसका नोट्स में उल्लेख किया गया है । यदि जानकारी प्रकटन के परिणामस्वरूप मटीरियल नहीं होती तो कानून द्वारा आवश्यकता को छोड़कर इंडएएस द्वारा आवश्यक विशिष्ट प्रकटन में एनटीटी प्रदान करना आवश्यक नहीं है ।

4) इंडएएस 24 की पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटन, मुख्य प्रबंधक कार्मिक एनटीटी के निदेशक सहित (कार्यकारी हो अथवा अन्यथा) वे व्यक्ति हैं जिनके पास प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से एनटीटी की परियोजना निर्देशन तथा गतिविधियों को नियंत्रण करने का प्राधिकार व जिम्मेदारी है । जबकि कंपनी सचिव सांविधिक पद है जो विभिन्न सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करता है । कंपनी सचिव को किसी परियोजना, निर्देशन तथा निगम की गतिविधियों को नियंत्रण करने का प्राधिकार व जिम्मेदारी नहीं है । तद्नुसार यह महसूस किया गया कि कंपनी सचिव इंडएएस 24 के अंतर्गत परिभाषिक संबंधित पार्टी नहीं है।

आगे संबंधित पार्टी का प्रकटन स्वाभविक रूप से सूचनात्मक है तथा कंपनी ने वार्षिक लेखा के नोट सं. 44 में नाम व पदनाम सहित मुख्य प्रबंधक कार्मिको के भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन किया है । आगे, कंपनी सचिव के साथ लेन देन का गैर प्रकटन वित्तीय विवरणी पर न तो कोई मटीरियल वित्तीय प्रभाव डालता है और न ही यह वित्तीय विवरण के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रभावित करता है ।

5) वित्तीय विवरणियों में संशोधनों के बारे में, वार्षिक लेखों के नोट सं. 52 में इसका उल्लेख किया गया है । जब तक वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक लेखों को अपनाया नहीं जाता, वित्तीय विवरणियों में ''संशोधन'' शब्द की आवश्यकता नहीं है । आगे, कंपनीज अधिनियम 2013 में इसका कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि (संशोधन शब्द का उपयोग किया जाए अथवा इंडएएस के अनुसार कोई प्रकटन किया जाए ।

6) कंपनी सांविधिक लेखा परीक्षकों को सीधे बकाया शेष राशि के पुष्टिकरण के लिए अपने सभी ग्राहक/वेंडर्स को लेखा पुस्तकों की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक वर्ष बकाया शेष राशि पुष्टि के पत्र भेजती है तथा लेखा विवरणी भी समय-समय पर उपलब्ध करवाती है ।

3. As regard to the movements in each class of provisions, the amount of provisions in financial statements has been shown along with comparative figures and there are no material movements in these provisions. The movement in the provisions is a disclosure requirement having no material financial impact.

Further, as per Para 31 of the Companies (Indian Accounting Standards)(Amendment) Rules, 2016 which states that "some Ind AS's specify information that is required to be included in the financial statements which includes the notes. An entity need not provide a specific disclosure required by an Ind AS if the information resulting from that disclosure is not material except when required by law.

4. As per para 9 of Ind AS 24 – Related Party Disclosure, the Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of that entity. Whereas, the Company Secretary is a statutory post ensuring various statutory compliances. Company Secretary is not having any authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Corporation and accordingly it was felt that the company secretary is not a related party as defined under Ind AS 24.

Further, the disclosure of related party is only informative in nature and the company has disclosed the remuneration paid to key management personnel along with their name and designation in the note no. 44 of annual accounts. Further, non-disclosure of transactions with company secretary neither has any material financial impact on the Financial Statement nor it affects the true and fair view of the Financial Statements.

5. As regard the revisions in the financial statement, the same has been mentioned in the Note no 52 to the Annual Accounts. Till the annual accounts are adopted in the Annual General Meeting, the revised word in the financial statements is not required. Further, there is no specific provision in the Companies Act, 2013 either to use the word "Revised" or to make any disclosure as per Ind AS.

6. The company sends balance confirmation letters every year after closure of books of account to all its customers/vendors to confirm the balances directly to the Statutory Auditors and also the statement of account is provided to them periodically.

नीति के अनुसार, निगम अपने निजी ग्राहकों को क्रेडिट सुविधा उपलबध नहीं करवाता है, तथा ऐसे मामले नहीं है जिसके कारण बकाया शेष की गैर पुष्टि की वजह से पूर्व वर्षों मे वित्तीय प्रभाव पड़े हो । तथापि, निगम ने वार्षिक लेखा के नोट 35 में पहले ही उचित प्रकटीकरण दिया है कि लेनदारों व देनदारों को विभिन्न बकाया शेषों की पुष्टि / लेखा समाधान व समायोजन की शर्त के अधीन हैं ।

As per the policy, the Corporation do not provide any credit facility to its private customers and also there has been no such case of consequence adjustments having any financial impact in earlier years due to non-confirmation of balances. However, Corporation has already given suitable disclosure in the note no. 35 to the annual accounts that the various balances of debtors and creditors are subject to confirmation/ reconciliation and consequent adjustment.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(डॉ. पी अल्लि रानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

for and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Dr. P. Alli Rani)
Chairman-cum-Managing Director

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 26 नवंबर, 2018

Place : Navi Mumbai
Date : 26th November, 2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ब) के अधीन 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महापरीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017.

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो लेखा परीक्षा के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा और अधिनियम की धारा 143 (10) कं अंतर्गत निर्धारित आश्वासन मानदंड पर आधारित बताया गया है । यह उनकी संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 15 अक्तूबर 2018 जो कि उनकी पहलेकी 31 मई 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के स्थान पर दी गई हैं के द्वारा बताया गया है ।

मैंने, नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षा की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की धारा 143 (6)(अ) के अधिन अनुपूरक लेखा परीक्षा की है । यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी कार्मिक एवं कुछ लेखा रिकॉर्ड की चयनात्मक जाँच तक मुख्यत: सीमित है ।

वित्तीय विवरणियों के नोट संख्या 52 में दर्शायेनुसार प्रबंधन के वित्तीय विवरणियों में किए गए संशोधनों को देखते हुए, अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ के प्रभाव में मेरे पास देने के लिए कोई टिप्पणी अथवा अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का कोई अनुपूरक नहीं है ।

कृते और नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा
परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(रुप राशि)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यक लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल - 1, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 दिसंबर, 2018

The preparation of financial statements of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the reponsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the Financial Statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 15 October 2018 which supersedes their earlier Audit Report dated 21 May 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the Financial Statements of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2018 under section 143 (6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the Financial Statements by the management, as indicated in Note No. 52 of the Financial Statements, to give effect to some of my audit observations raised during Suppplementary Audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the Statutory Auditors' report under section 143 (6)(b) of the Act.

for and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Roop Rashi)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member Audit Board - I, Mumbai.

Place : Mumbai
Date : 28th December, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

प्रति,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड के सदस्यगण

हमारी पूर्व स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2018 के अधिक्रमण में यह संशोधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी की जाती है ।

कंपनी ने दिनांक 21 मई, 2018 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणी को संशोधित की है । यह संशोधन लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणी पर नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रारंभिक अवलोकन ज्ञापन के आधार पर किया गया था ।

चार प्रारंभिक अवलोकन ज्ञापन के आधार पर वित्तीय विवरणियों का संशोधन किया गया है, जो निम्नानुसार है :

I. (पीओएम 1) : पीओएम 1 ने सुझाव दिया कि पंजाब इन्फ्रास्टक्चर सेस पर 6459.99 लाख रू. राशि के ब्याज (2006-07 से 2016-17 तक 5685.32 रू. तथा चालू वर्ष के लिए 774.67 लाख रू.) हेतु पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (विकास व विनियमन) अधिनियम 2002 को वर्तमान प्रावधान के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय तथा इंडिया कार्बन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ आसाम 106-एसटीसी 460 इत्यादि (1997) में रिपोर्टेड इसी तरह के मामले को देखते हुए संचित प्रावधान की आवश्यकता नहीं है ।

II. (पीओएम 4) : महबूबनगर शाखा के मालसूची मूल्यांकन में 98.34 लाख रू. की अनजाने से की गई गलती । 0.07% टर्न ओवर में तथा 0.07% कुल मालसूची की छोटी गलती नगण्य थी ।

III. (पीओएम 10) : इंडएएस 19 के अधीन आवश्यकतानुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा व्यय का प्रावधान न रखना । चालू वर्ष के लिए 23.51 लाख रू. की राशि हेतु प्रावधान वित्तीय विवरणी के संशोधन से पूर्व वर्ष के लिए कुल व्यय का 0.02% होने के नाते नगण्य था ।

IV. (पीओएम 15) : वित्तीय विवरणियों के अनुपालन के दौरान व्यापार प्राप्य तथा रीटेंड अर्जन में अनजाने से

To,

The Members of The Cotton Corporation of India Limited

This Revised Independent Auditors Report is being issued in supersession of our earlier Independent Auditors Report dated 21st May 2018.

The Company revised its Audited Financial Statements approved by the Board of Directors on 21st May 2018. The revision was based on the Preliminary Observations Memos (POMs) issued by Comptroller and Auditor General of India, Mumbai office, on those Audited Financial Statements.

The revision of the Financial Statements was carried out on the basis of four POMs as under:

I. (POM 1): The POM suggested that Accumulated Provision for Interest amounting to Rs. 6459.99 Lakh (Rs. 5685.32 lakh from 2006-07 upto 2016-17 and Rs. 774.67 lakh for the current year) on Punjab Infrastructure cess was not required as per the existing provisions of Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Act, 2002 and in view of the favourable Judgment of Hon'ble Supreme Court in the similar case of 'India Carbon Limited vs State of Assam', reported in (1997) 106-STC 460 etc.

II. (POM 4): Inadvertent mistake of Rs. 98.34 lakh in Inventory valuation at Mahaboobnagar branch. This minor mistake was immaterial being 0.07% of total inventory as well as 0.07% of turnover of the company.

III. (POM 10): Non provision of Post Retirement Medical Expenses as per Actuarial valuation as required under Ind AS 19. The provision required for the current year amounting to Rs. 23.51 lakh was immaterial being 0.02% of total expenditure for the year before revision of financial statements.

IV. (POM 15): Compensatory difference of Rs. 31.53 lakh in Trade receivable and retained earnings inadvertently

31.53 लाख रू. का प्रतिपूर्ति अंतर हुआ ।

उपरोक्त टिप्पणियों पर वित्तीय विवरणियों के संशोधन तथा संशोधित वित्तीय विवरणियों के नोट 52 में प्रकटन को देखते हुए संशोधित वित्तीय विवरणियों पर संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें 31.03.2018 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ व हानि की विवरणी (अन्य व्यापक आय शामिल) नकद प्रवाह विवरणी तथा वर्ष की समाप्ति हेतु इक्विटी में परिवर्तन तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ का सार व अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है । इन वार्षिक लेखों का संशोधन किया गया तथा दि. 23 अगस्त, 2018 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया ।

इंडएएस वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने **भारतीय कपास निगम लिमिटेड (कंपनी)** की संशोधित इंडएएस के साथ वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसके साथ 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र, लाभ व हानि की विवरणी (अन्य व्यापक आय शामिल) नकद प्रवाह विवरणी तथा वर्ष की समाप्ति के लिए इक्विटी में विवरणी में परिवर्तन तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार व अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सार शामिल है ।

इंडएएस वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी प्रबंधन की:

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में बताये मामलों के लिए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत बताये भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) शामिल करके सामान्य रूप से भारत में स्वीकार किये गये लेखा निर्देशों के साथ जारी संबंधित नियमावली के साथ पढ़ा जाये जो संशोधित इंडएएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के बारे में कार्यकलापों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ वित्तीय निष्पादन तथा कंपनी के नकदी प्रवाह तथा कंपनी के ईक्विटी की सही और उपयुक्त सूचना देने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है । इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा छल–कपट व अनियमितताओं को रोकने के लिए पर्याप्त लेखा नीतियों के चयन न्यायोजित व अनुमान लगाना, जो उचित व विवेकपूर्ण हो तथा डिजाईन, अनुपालन व पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव जो लेखा रिकार्डस् के पूर्ण व परिशुद्धता

occurred during compilation of Financial Statements

In view of the revision of Financial Statements on above observations and as disclosed in note no. 52 to the revised financial statements, this Revised Independent Auditors Report is being issued on the Revised Financial Statements which includes Balance Sheet as at 31st March 2018, Statement of Profit and Loss (Including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended and a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information. These Annual Accounts were revised and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 23rd August 2018.

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the accompanying Revised Ind AS financial statements of **The Cotton Corporation of India Limited ("the Company"),** which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, the Statement of Profit and Loss (Including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information

Management's Responsibility for the Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Revised Ind AS financial statements that give a true and fair view of the State of Affairs (Financial position), Profit (financial performance) and Cash flows of the Company and Changes in Equity of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with relevant Rules issued there-under. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of

हेतु प्रभावशाली प्रचालन कार्य कर रहे हो, जिससे वित्तीय विवरणियों को तैयार व इंडएएस प्रस्तुत किया जाये ताकि वित्तीय विवरणियों छल–कपट व त्रुटि के कारण मेटीरियल मिस–स्टेटमेंट से मुक्त हो ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन संशोधित लेखा मानक (इंडएएस) के अनुसार वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा व लेखा परीक्षा के मानकों तथा उन सभी मामलों पर जो अधिनियम के प्रावधानों व उन पर बनाये गये नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है, उन सभी पर ध्यान दिया है ।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग के मानक के अनुसार हमारे लेखपरीक्षकों का आयोजन किया । उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन और लेखा परीक्षा का निष्पादन करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या भारतीय मानक (इंडएएस) के अनुसार वित्तीय विवरण मटेरियल गलत कथन से मुक्त हैं ।

लेखा परीक्षा की जाँच, परीक्षा के आधार पर राशियों के समर्थन में प्रमाण और इंडएएस वित्तीय विवरणियों में उसका प्रकटन शामिल है । चयनित पध्दति में, लेखा परीक्षकों के निर्णयों में इंडएएस वित्तीय विवरणियोंमे मटीरियल मिस–स्टेटमेंटों के फ्रॉड अथवा गलतियों से हुए जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है । उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा तैयार किये गये संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पध्दति पर तथा उचित इंडएएस वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उचित लेखा पध्दति का डिजाईन तैयार करने पर सही तथा क्या कंपनी ने इंडएएस वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पध्दति स्थापित की है तथा ऐसे नियंत्रण पर प्रभावशाली प्रचालन कर रही है । लेखा परीक्षा में उपयोग में लाये गये उचित लेखा नीति और निदेशक मंडल द्वारा महत्वपूर्ण आकलन के साथ–साथ समग्र इंडएएस के अनुरूप वित्तीय विवरणी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है ।

हमें विश्वास है कि इंडएएस वित्तीय विवरणियों पर जो साक्ष्य लेखा–परीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं वे हमारी राय में लेखा परीक्षा के प्रतिकूल आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं ।

adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Revised Ind AS financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit of Revised Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial controls relevant to the Company's preparation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Adverse Audit Opinion on the Ind AS Financial Statements.

प्रतिकूल राय के लिए आधार

1. कंपनी ने पंजाब इंस्फ्रास्ट्रक्चर सेस पर 6459.99 लाख रू. की राशि जिसमें 2006-07 से 2016-17 तक 56852.32 लाख रू. तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 के लिए 774.67 लाख रू. ब्याज का संचित प्रावधान शामिल है को रिवर्स किया है । दिनांक 31 मार्च, 2018 को चालू वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरणी से 6459.99 लाख रू. का संपूर्ण प्रावधान रिवर्स किया है । (अपवादात्मक मदें प्रावधान की आवश्यकता नहीं है नोट 30)

वर्ष के दौरान पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज देने के आधार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में मामला हारने के पश्चात पंजाब इंफ्रास्टक्चर (विकास व विनियमन) अधिनियम 2002 के अंतर्गत सेस की उगाही पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कंपनी की अपील लंबित है । ब्याज अधिनियम 1978 के अनुसार माननीय न्यायालय यदि योग्य समझता है तो ऋण के हकदार व्यक्ति को ब्याज भुगतान की अनुमति दे सकता है । इन तथ्यों को देखते हुए, हमारी राय है कि, पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के प्रावधान को रिवर्स नहीं किया जाना चाहिए था । पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के संचित प्रावधान को गलत रूप से हटाने के परिणामस्वरूप 6459.99 लाख रू. हानि का अधिक्रमण हुआ तथा 6459.99 लाख रू. द्वारा प्रावधान में कमी आयी । यदि, इस प्रावधान को रिवर्स न किया गया होता, तो संशोधित लाभ व हानि की विवरण में दर्शाएनुसार 2368.39 लाख रू. लाभ के स्थान पर 4091.00 लाख रू. कर के पूर्व हानि होती । अन्य इक्विटी (रीटेंड अर्जन) 3657.60 लाख (कर का शुद्ध) रू. द्वारा कम होती तथा प्रतिशेयर अर्जन (ईपीएस) 37.34 रू. के सकारात्मक प्रतिशेयर अर्जन के स्थान पर 108.97 रू. नकारात्मक होता ।

2. इसी प्रकार, नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक, मुंबई कार्यालय की टिप्पणियाँ (पीओएम-ख) के अनुपालन के लिए :

क) कंपनी को पंजाब इंस्फ्रास्ट्रक्चर सेस पर ब्याज के लिए लाभ व हानि विवरणी में डेबिट के रूप में चालू वर्ष के प्रावधान से 01.04.2016 को रीटेंड अर्जन के रूप में 4910.65 लाख रू. 31.03.2017 को 774.67 लाख रू. तथा चालू वर्ष के प्रावधान से 774.67 लाख रू. शेष का समायोजन किया जाना चाहिए था (नोट 29 ई)।जबकि कंपनी ने लाभ व हानि विवरणी से दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष के लिए पूरे प्रावधान को रिवर्स कर दिया (अपवादात्मक मद व्यय/(आय) नोट सं. 30) जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में 5685.32 राशि हानि के अधिक्रमण का परिणाम भुगतना

Basis for Adverse Opinion

1. The Company has reversed Accumulated provision of interest on Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.6459.99 lakh which includes accumulated provision of interest of Rs.5685.32 lakh from 2006-07 till 2016-17 and Rs.774.67 lakh for the year ended 31st March 2018. The whole provision of Rs.6459.99 lakh has been reversed through the Statement of Profit and Loss (Exceptional Items-Provision no longer required – Note 30) for the current year ended 31st march 2018.

No change in the basis of providing the interest on Punjab Infrastructure Cess has taken place during the year. The company also has a pending appeal with the Hon'ble Supreme Court on levy of Cess under Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Act, 2002 after having lost the case in Hon'ble Punjab and Haryana High Court. Also, as per Interest Act, 1978, the Hon'ble Court, if it thinks fit, may allow interest to the person entitled to the debt. In view of these facts, we are of the opinion, that, the Provision of Interest on Punjab Infrastructure Cess should not have been reversed. This wrong reversal of accumulated provision of interest on Punjab Infrastructure Cess has resulted in suppression of losses by Rs.6459.99 lakh and understatement of Provisions by Rs.6459.99 lakh. Had this amount of provision not been reversed the loss before tax would have been Rs.4091.60 lakh instead of profit before tax of Rs.2368.39 lakh as shown in Revised Statement of Profit and Loss, The other equity (Retained Earnings) would have been lower by Rs.3657.60 lakh (Net of Taxes) and Earning per Share (EPS) would have been negative to the tune of Rs.108.97 instead of positive Earning per Share (EPS) of Rs.37.34.

2. Alternatively, to comply with the observation (POM-1) of the Comptroller and auditor General of India, Mumbai office :

a. The Company should have adjusted Rs.4910.65 lakh from retained earnings as at 01.04.2016, Rs.774.67 lakh as at 31.03.2017 and balance of Rs.774.67 lakh from the current years Provision for interest on Punjab Infrastructure Cess (Note 29E) debited in Statement of Profit and Loss, whereas, the Company has reversed whole provision of interest on Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.6459.99 lakh through the Statement of Profit and Loss (Exceptional Items Expense/(Income) - Note No. 30) as provision no longer required, for current year ended 31st march 2018 which has resulted in suppression of current year's Losses by Rs.5685.32

पड़ा । अन्य इक्विटी (रीटेंड अर्जन) 2351.68 लाख रू. से अधिक होती थी (कर का शुद्ध) तथा प्रति शेयर अर्जन 37.34 सकारात्मक प्रति शेयर अर्जन के स्थान पर 88.81 रू. से नकारात्मक रूप में होती थी ।

ख) फिर, कंपनी ने पहले ही डेबिट किया हुआ (नोट 29 ई) पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के लिए प्रावधान से चालू वर्ष से संबंधित 774.67 लाख रू. का प्रावधान समायोजित किया जाना चाहिए था । जबकि कंपनी ने पहले से ही डेबिट किए गए व्यय से चालू वर्ष के प्रावधान को रिवर्स नहीं किया परन्तु अपवादात्मक मद व्यय/(आय) प्रावधान की आवश्यकता नहीं (नोट 30) रिवर्स कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 774.67 लाख रू. अन्य व्यय के ओवर स्टेटमेंट प्रावधान व व्यय बट्टेखाते डालना (नोट 29 ई) तथा 774.67 लाख रू. द्वारा अपवादात्मक मद व्यय (आय) प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं (नोट 30) में रिवर्स किया गया ।

ग) चूंकि कंपनी ने संचित प्रावधान को रिवर्स कर दिया है जबकि इंडएएस 37 के अनुसार 6459.99 लाख रू. पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस पर ब्याज के प्रावधान का लेखा के नोट्स में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन किया जाना चाहिए था ।

3) कंपनी ने इंडएएस 37 की पैरा 84 व 85 के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवश्यक प्रकटन जैसे पंजाब इंफ्रास्टक्चर सेस के लिए 4303.69 लाख रू. राशि का प्रावधान, व्यय के रूप में 151.09 लाख रू. की राशि 141.85 लाख रू. का एमएसएमई की बकाया राशि पर ब्याज के रूप में प्रावधान तथा संशोधित वित्तीय विवरणियों के नोट सं. 17 के अंतर्गत 1416.85 लाख रू. राशि का अन्य स्टाफ रिलेटेड प्रावधानों का प्रकटन नहीं किया है ।

4) कंपनी ने कंपनी सचिव से लेनदेन का प्रकटन नहीं किया जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (2) के अनुसार मुख्य प्रबंधन कार्मिक है । कंपनी ने इंडएएस 24 की पैरा 17 के अनुसार अन्य मुख्य कार्मिको के साथ प्रतिपूर्ति का प्रकटन भी नहीं किया है ।

5) कंपनी ने दिनांक 23 अगस्त, 2018 को आयोजित बोर्ड मंडल की बैठक में अनुमोदित वित्तीय विवरणियों में ''संशोधित'' शब्द का प्रयोग नहीं किया जिस पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की जा रही है ।

6) नीचे वर्णित व्यापार प्राप्य (एनटीसी को छोड़कर), व्यापार भुगतान, ईएमडी । डिपॉजिट्स /रीटेंशन मनी के अंतर्गत बकाया शेष पुष्टि / समाधान तथा समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई हो :

lakh, The other equity (Retained Earnings) would have been higher by Rs.2531.68 lakh (Net of Taxes) and Earning per Share (EPS) would have been negative to the tune of Rs. 88.81 instead of positive Earning per Share (EPS) of Rs.37.34.

b. Again, the Company should have adjusted Rs. 774.67 lakh provision pertaining to current year from the Provision for interest on Punjab Infrastructure Cess (Note 29E) already debited whereas, the Company has not reversed the current year's provision from the expenditure already debited but has reversed Rs.774.67 lakh through Exceptional Items Expense/ (Income) – Provisions no longer required (Note 30) resulting in overstatement of Other expenses – Provision and Write off expenses (Note 29E) to the tune of Rs.774.67 lakh and also overstatement of Exceptional Items Expense/(Income) – Provisions no longer required (Note 30) by Rs.774.67 lakh.

c. Since the Company has reversed the accumulated provision, it should have treated Rs.6459.99 lakh being provision of interest on Punjab Infrastructure Cess as a contingent liability and disclosed the same in the notes to accounts as per Ind AS37.

3. The Company has not given complete disclosure as required under para 84 and para 85 of Ind As 37 for the provisions like Provision for Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.4303.69 lakh, Provision for expenses amounting to Rs.151.09 lakh, Provision for interest on outstanding dues to MSME amounting to Rs.141.85 lakh and other staff related provisions amounting to Rs. 1416.58 lakh disclosed under note no. 17 of Revised Financial Statements.

4. The Company has not disclosed the transaction with Company Secretary who is a Key Management personnel as per section 203(2) of the companies Act, 2013. The Company has also not disclosed the compensation to other Key management Personnel as per para 17 of Ind AS 24.

5. The Company has not used the word "Revised" in the Financial Statements approved by the Board in its meeting held on 23rd August 2018 on which our independent auditors report is being issued.

6. Balances under Trade Receivables (Other than NTC), Trade payables, EMD / Deposits / Retention money as detailed hereunder are subject to confirmation/ Reconciliation and consequent adjustments, if any.

(रु. करोड में)

ब्यौरे	31.03.2018 को शेष	समाधान/ पुष्टि किए गए शेष	अंतर	पुष्टि/समाधान किए गए शेष का %
(एनटीसी को छोड़कर) व्यापार प्राप्य	214.95	0.10	214.85	99.95%
व्यापार भुगतान योग्य	65.60	1.86	63.74	97.16%
ईएमडी/जमा/ रीटेंशन मनी	53.14	5.54	47.60	89.57%

प्रतिकूल राय

हमारी राय में प्रतिकूल राय पैराग्राफ के आधार पर महत्वपूर्ण मामलों पर हुई चर्चा के कारण उपरोक्त संशोधित इंडएएस वित्तीय विवरणियाँ इंडएएस को शामिल करके भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुसार सही व उपयुक्त स्थिति नहीं दर्शाते हैं ।

i. दिनांक 31 मार्च, 2018 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति तुलन पत्र के मामले में (वित्तीय स्थिति)

ii. कंपनी के अपने लाभ लाभ व हानि विवरणी के मामले में अन्य व्यापक आय को शामिल करके (वित्तीय कार्य निष्पादन), तथा

iii. कंपनी के अपने नकद प्रवाह विवरणी के मामले में तथा उसी दिन को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन

मामलों पर जोर

हम संशोधित इंडएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण की टिप्पणी के मामलों पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं ।

नोट सं. 32 जिसमें कहा गया है कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के अंतर्गत प्रतिपूर्ति योग राशि 31.03.2018 को 3,14,313.76 लाख रूपये (गत वर्ष 2,95,737.27 लाख रूपये) है ।

हमारा दृष्टिकोण परिपक्वता के प्रभाव के तहत रखे गये मामलों के मद्देनजर संशोधित नहीं है ।

अन्य मामले

हमने संशोधित वित्तीय विवरणियों के नोट सं. 52 में उल्लेखित वित्तीय विवरणियों में संशोधन को तद्नन्तर घटनाओं की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर दिया है ।

(Rs. In Crores)

Particulars	Balance as at 31.03.2018	Balance Reconciled/ Confirmed	Difference	% of balance not confirmed / reconciled
Trade Receivable (Other than NTC)	214.95	0.10	214.85	99.95%
Trade Payables	65.60	1.86	63.74	97.16%
EMD / Deposits / Retention Money	53.14	5.54	47.60	89.57%

Adverse Opinion

In our opinion, because of the significance of matters discussed in the Basis of Adverse Opinion paragraph, the aforesaid Revised Ind AS Financial Statements do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS,

i. In the case of the Balane Sheet, of the state of affairs (Financial position) of the Company as at March 31, 2018,

ii. In the case of Statement of Profit and Loss of its Profit (Financial performance including Other Comprehensive Income), and

iii. In the case of Cash flow Statement of its Cash Flows and the Changes in Equity for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We also draw attention to the matters in the notes to the revised Ind AS financial statements.

Note No. 32 wherein it has been stated that the amount receivable on account of Minimum Support Price operations reimbursable from Ministry of Textiles, Government of India as on 31.03.2018 is Rs. 3,14,313.76 lakh (Previous Year Rs. 2,95,737.27 lakh).

Our opinion is not modified in respect of the matters stated under Emphasis of matter.

Other Matters

We have restricted our audit procedures on subsequent events solely to the amendments in financial statements as described in note no. 52 of revised financial statements.

अन्य विधि व विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा जारी यथासंशोधित कंपनीज (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की आवश्यकता के अनुसार आदेश की पैरा 3 व 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरणी ''परिशिष्ट क'' में दे रहे हैं।

2. हमको दी हुई जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्डस के सत्यापन के आधार पर, हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार परिशिष्ट 'ख' में नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर अपनी टिप्पणी देते हैं ।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यकतानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने जानकारी हासिल की है तथा, प्रतिकूल राय पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लेखित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर हमने हमारी जानकारी व विश्वास में हमारे लेखा परीक्षा के लक्ष्य के लिए आवश्यक सभी जानकारियाँ एवे स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली हैं ।

   ख) उपरोक्त प्रतिकूल पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लेखित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर कंपनी ने अभी तक हमारे द्वारा की गई पुस्तको की जाँच को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि कंपनी ने विधि की आवश्यकतानुसार पुस्तकें रखी है ।

   ग) तुलन पत्र, लाभ व हानि की विवरणी (अन्य व्यापक आय) शामिल करके नकद प्रवाह विवरणी तथा इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी को इस रिपोर्ट के साथ जाँच कर ली है जो लेखा पुस्तकों के करार के अनुसार हैं ।

   घ) उपरोक्त प्रतिकूल राय पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लेखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर हमारी राय में अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विशिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में उपरोक्त इंडएएस वित्तीय विवरणियों को इसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमावली से पढ़ा जाये ।

   ड) उपरोक्त प्रतिकूल राय पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लेखित मामले, हमारी राय में कंपनी के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

   च) निगमित कार्यकलाप मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) को देखते हुए निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है ।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. Based on the verification of records of the company and information and explanations given to us, we give our comments on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Act in "Annexure B":

3. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:

   a. We have sought and, except for the possible effects of the matter decribed in the Basis for Adverse Opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b. Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Adverse Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (Including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

   d. Except for the effect of the matters described in the Basis for Adverse Opinion paragraph above, in our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with relevant rules issued there under.

   e. The matters described in the Basis for Adverse Opinion paragraph above, in our opinion,may not have an adverse effect on the functioning of the Company.

   f. The provisions of Section 164 (2) of the Act regarding disqualification of directors are not applicable to the Company in view of Notification No. G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs (Government of India).

छ) *लेखो के रखरखाव तथा उससे संबंधित अन्य मामलों के रिमार्कस प्रतिकूल राय पैराग्राफ के लिए आधार में अभिलिखित किया गया है ।*

ज) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग की पर्याप्तता से संबंधित तथा उस नियंत्रण के प्रभावशाली परिचालन के बारे में हमारी परिशिष्ट 'ग' पर अलग रिपोर्ट देखें ।

ळ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामले शामिल करने के बारे में कंपनीज नियमावली 2014 (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) के नियम खख के अनुसार कंपनीज संशोधन नियमावली 2017 (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) सहित पढ़ा जाये । हमारी राय में तथा हमें प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी व हमकों दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. उपर्युक्त प्रतिकूल राय के आधार पर पैराग्राफ 2(ग) में उल्लेखित देयताओं के प्रकटीकरण को छोड़कर कंपनी ने संशोधित इंडएएस वित्तीय विवरणियों के नोट 31 में संदर्भ के रूप में संशोधित इंडएएस वित्तीय विवरणी में वित्तीय स्थिति पर लंबित लिटीगेशन के प्रभावों का प्रकटन किया है ।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधो सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे जिसके लिए भौतिक रूप से शायद ही कोई हानि उठानी पड़ी ।

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में राशि स्थानांतरण करने का प्रावधान लागू नहीं है।

g. The remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Adverse Opinion paragraph above.

h. With respect to adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure- C".

i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, read with the Companies (Audit and Auditors) amendment Rules 2017, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. Except for the non disclosure of liability as described in paragraph 2(c) of Basis of Adverse Opinion above, the Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its revised Ind AS financial statements as referred to in Note 31 to the revised Ind AS financial statements.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. The provision of transferring the amount to the Investor Education and Protection Fund is not applicable to the Company.

बसंल आर.कुमार एंड असोसिएट्स
For **Bansal R. Kumar & Associates**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

सीए आर के गुप्ता
CA.R.K. Gupta
पार्टनर
Partner
एम नं. 086851
M. No.: 086851

बवेजा एंड कौल
For **Baweja and Kaul**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

सीए दलिप के कौल
CA Dalip K Kaul
पार्टनर
Partner
एम. नं. 083066
M. No.: 083066

स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 15/10/18
Dated: 15/10/18

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – क

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अंतर्गत 'विधिक तथा विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट्स' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित किया गया परिशिष्ट)

हमारे द्वारा की गई पर्याप्त जाँच के आधार पर तथा लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिती और मात्रात्मक विवरण के साथ पूरे ब्यौरे दर्शानेवाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है ।

(ख) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंध व्यवस्था ने वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया था, जो हमारे मतानुसार कंपनी के आकार व परिसंपत्तियों के अनुरूप है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगती नहीं पायी गयी है ।

(ग) उपलब्ध करवाये गए दस्तावेजों तथा उनकी जाँच के आधार पर कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति के टाईटल डीडस पाये गए हैं ।

(ii) मालसूची का सत्यापन आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाता है । वर्ष के अंत में स्वतंत्र सत्यापक द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन किया गया है । हमारी राय में, मालसूची की मात्रा को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है । इन सत्यापन पर मुख्य रूप से कोई विसंगतियाँ नहीं पायी गई ।

(iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में निहित के अनुसार कंपनियों, फर्मस् या अन्य पार्टियों को/से किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण न तो प्रदान किया है और न ही लिया है । अत: इसके अनुसार क्लॉज 3,(iii) के उप क्लॉज (a), (b) एवं (c) के आदेश के संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

(iv) हमको दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी तथा प्रतिभूति नहीं दी है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 व 186 के अधीन कोई निवेश कवर नहीं किया गया है । अत: क्लॉज 3(iv) के ऑडर के इस खंड से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

(v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 और अन्य संबंधित किसी प्रावधान के अंतर्गत कोई जमा राशि पब्लिक से स्वीकार नहीं की है। परिणामस्वरूप इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

Annexure - A to the Independent Auditors' Report

[The Annexure Referred to in Paragraph 1 Under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our Report of even date to the members of The Cotton Corporation of India Limited for the financial year ended 31st March 2018]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us by the management during the course of our audit, we report that:

(i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property Plant and Equipment.

(b) The management has carried out physical verification of Property Plant and Equipment at the year end, which in our opinion is reasonable having regard to the size of Company and nature of its assets. No material discrepancies were noticed on such verification.

(c) Based on the documents provided and examined, title deeds of immovable properties are held in the name of Company.

(ii) The inventories are verified by the internal auditors at regular intervals. Further, the inventories have also been physically verified by the Independent agencies at the year end. In our opinion, having regard to the volume of the inventories, the frequency/intervals of verification is reasonable. No material discrepancies were noticed on such verification.

(iii) The Company has not granted any loans, secured or unsecured to Companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act 2013. In view of this, the related provisions of sub clause (a), (b) and (c) of clause 3(iii) of the Order are not applicable to the company.

(iv) The Company has not given any loans, guarantees and security, and has not made investments covered under section 185 and 186 of the Companies Act 2013. Accordingly, clause 3(iv) of the Order is not applicable to the company.

(v) The Company has not accepted any deposits from the public within the meaning Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 and the rules framed thereunder, Consequently the directives issued by the Reserve Bank of India and the provision of the Companies Act 2013 and the rules framed there under are not applicable to the company.

(vi) कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकार्ड का रख-रखाव कंपनी की किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए लागू नहीं होते है ।

(vii) (क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सर्विस कर, कस्टम्स डयुटी, एक्साईस डयूटी, वेट, सेस तथा कोई बकाया सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास, सामान्यत: नियमित रूप से जमा कर रही है और संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर कोई अविवादित बकाया सांविधिक राशि नहीं है जो देय तारीख से 6 माह से अधिक समय के लिए बकाया हो । हमें यह बताया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) बिक्री कर, वैट, पर्चेज टैक्स, सेस इत्यादि से संबंधित निम्नलिखित बकाया लंबित विवाद के कारण जमा नहीं किए गए है :

(vi) The Central Government of India has not prescribed the maintenance of cost records by the Company under sub-section (1) of section 148 of the Act in respect of any of the activities of the company.

(vii) (a) The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, income-tax, sales-tax, wealth tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and there are no arrears of undisputed outstanding statutory dues as on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they became payable We have been informed that employees' state insurance is not applicable to the company.

(b) The following dues of Sales tax, VAT, Purchase tax, cess etc. have not been deposited on account of pending disputes :

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	देय का प्रकार **Nature of dues**	जमा राशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (लाख रुपये में) **Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakh)**	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) **Period to which the amount relates (Assessment Years)**	किस फोरम पर विवाद लंबित है **Forum where dispute is pending.**
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	53.59	1996-97	बिक्री कर ट्रिबुनल, विशाखापटनम में अपील Appeal in Sales Tax Tribunal, Yisakhapatnam.
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	एपी वैट एक्ट के अंतर्गत मांग Demand under AP VAT Act.	5.96	2011 -12	हैदराबाद हाई-कोर्ट में अपील Appeal in High Court, Hyderabad
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	एपी वैट एक्ट के अंतर्गत मांग Demand under AP VAT Act.	16.99	2013-14	उप आयुक्त वारंगल के सामने अपील Appeal in Appellate Dy. Commissioner, Warangal
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	एपी वैट एक्ट के अंतर्गत मांग Demand under AP VAT Act.	15.58	2013-14	हैदराबाद हाईकोर्ट में अपील Appeal in High Court, Hyderabad
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Cen tral Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax.	11.37	2012-13	उप आयुक्त के सामने अपील Appeal Before Dy. Commissioner, Appeals

राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Cen tral Sales Tax Act	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	0.20	2014-15	इंदौर वाणिज्य कर के सामने अपील Appeal before Commercial Taxes, Indore
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax.	6.25	2008-09	जेसीटी (अपील्स), धारवाड JCT (Appeals), Dharwad
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Cen tral Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax.	13.73	2011 -12	जेसीटी (अपील्स), धारवाड JCT (Appeals), Dharwad
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	6.83	2011-12	एडीसी (सीटी)–गुंतूर ADC(CT)-Guntur
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax.	9.01	2013-14	एडीसी (सीटी)–गुंतूर ADC(CT)-Guntur
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax.	4.06	1980-81, 1981-82, 1989-90 तथा 1992-93.	पुन: निर्धारण के लिए अपील दुबारा भटिंडा बिक्री कर कार्यालय में भेजी गयी । Appeals remanded back for reassessment at Bhatinda Sale Tax Office.
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	14.28	2010-11 तथा 2011-12	पंजाब वैट ट्रिब्युनल, चंडीगढ़ Punjab VAT Tribunal, chandigarh.
सेवा कर Service Tax	सेवा कर के अंतर्गत मांग Demand under service tax	4.06	2009-10	सीईएसटीएटी, कोलकाता CESTAT, Kolkata
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	3.97	2005-06	व्यवसाय कर कमीशनर, बरहांपुर, उडीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa

राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	1.53	2006-07	व्यवसाय कर कमीशनर, बरहांपुर, उडीसा के पास अपील Appeal with Commissioner of Commercial Tax, Berhampur, Orissa
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	5.42	2010-11	ब्रिकी कर ट्रिब्यूनल, उडीसा के पास अपील Appeal with Sales Tax Tribunal, Orissa
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	2.57	2007-08 और 2008-09	ब्रिकी कर संयुक्त कमीशनर (अपील्स), महाराष्ट्र के पास Appeal with Jt. Commissioner of Sales Tax (Appeals), Maharashtra
राज्य और केंद्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales T 1x Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	2.27	2009-10	ब्रिकी कर ट्रिब्यूनल, उडीसा के पास अपील Appeal with Sales Tax Tribunal, Orissa
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	धारा 200 ए के अंतर्गत U/s 200A	1.82	2006-07 से 2011 -12	आयकर आयुक्त, मुंबई के पास अपील Appeal with Commissioner of Income Tax, Mumbai
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	प्रोत्साहन पर टीडीएस TDS on incentive	41.11	2013 से 2015	आयकर आयुक्त के पास अपील Appeal with Commissioner of Income Tax
पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर डिवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 Punjab Infrastructure (Development & Regulation)Act, 2002.	पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर सेस Punjab Infrastructure Cess	4292.79*	2005-06 से 2015-16	सर्वोच्च न्यायालय के पास स्पेशल लीव पेटिशन दायर की है । Special Leave Petition filed with Hon'ble Supreme Court.

*32.72 लाख रूपये की माँग जिसके विरूद्ध उत्पाद एवं कराधान कमीश्नर (अपील), फरीदकोट डीवीजन, भटिंडा के समक्ष दूसरी अपील दायर है वह भी इसमें शामिल हैं ।

(viii) कंपनी ने सरकार, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के भुगतान में कोई चूक नहीं की है । कंपनी ने वित्तिय वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी प्रकार के 'ऋण-पत्र' जारी नहीं किये है ।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर अथवा आगे कोई भी पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेजों को शामिल करके) व टर्म लोन से कोई राशि वर्धित नहीं की है। तदनुसार इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(x) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की घटना संज्ञान में नहीं आई है । आगे, चालू वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी किसी भी कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल करते हुए कोई घटना पायी नहीं गई है । तथापि, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पूर्व वर्षों में किए गये धोखाधड़ी के मामलों को कंपनी ने अपने इंडएएस के वित्तिय विवरणियों के नोट सं. 41 में प्रकट किया है ।

(xi) प्रबंधन पारिश्रमिक के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट (भारत सरकार) निगमित कार्य-कलाप मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस. आर.463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा कंपनी को यह लागू नहीं है ।

(xii) यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है तदनुसार क्लॉज 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

(xiii) प्रतिकूल राय के आधार में बताये गए मामलों को छोड़कर वर्ष 2017-18 के दौरान संबंधित पार्टीज के साथ लेन देन का कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 के प्रावधानों से अनुपालन किया गया है तथा लागू लेखा मानकों की आवश्यकतानुसार इंडएएस वित्तीय विवरणियों के नोट्स में इन विवरणों का प्रकटन किया गया है ।

(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डिबेंचर शेयर अथवा आंशिक या पूर्णता संपरिवर्तनीय डिबेंचर का आंशिक अथवा पूर्णता निजी रूप से आवंटन नहीं किया है । तदनुसार 3(xiv) खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है ।

(xv) कंपनी ने कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 192 को देखते हुए वर्ष के दौरान निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों से नॉन कैश ट्रांसेक्शन्स नहीं किया है । अत: 3(xv) खण्ड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है ।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार क्लॉज 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

*Includes demand of Rs. 32.72 lakh against which another appeal is filed before Excise & Taxation Commissioner (Appeals), Faridkot Division, Bathinda

(viii) The Company has not defaulted in repayment of loans or borrowing to any financial institution, bank, Government. The Company has not issued any debentures in Financial Year 2017-18 or earlier.

(ix) The company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (Including debt instruments) and term loan during the year. Accordingly this clause is not applicable to the Company.

(x) No fraud by the Company has been noticed during the year. Further, there are no fraud cases noticed and reported during the current year on the company by any person including its officers / employees. However, cases of fraud on the Company by its employees pertaining to earlier years have been disclosed by the company in its Ind AS financial statements in note no. 41.

(xi) The provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 in respect of Managerial Remuneration are not applicable to the Company in view of Notification no. G.S.R No. 463 (E) dated 05th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs (Government of India).

(xii) The company is not a Nidhi company. Therefore, the provisions of clause 3(xii) are not applicable to the Company.

(xiii) Except for the matters mentioned in the Basis of Adverse opinion, during the year 2017-18, transactions with the related parties are in compliance with the provisions of section 177 and 188 of the Companies Act 2013 and the details of such transactions have been disclosed in the notes to the Ind AS financial statements as required by the applicable Accounting Standards.

(xiv) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Therefore, the provisions of clause 3(xiv) are not applicable to the Company.

(xv) The company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him as referred to in Section 192 of The Companies Act 2013. Therefore, the provisions of clause 3(xv) are not applicable to the Company.

(xvi) The company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Therefore, the provisions of clause 3(xvi) are not applicable to the Company.

कृते बंसल आर. कुमार एंड एसोसिएट्स
for **Bansal R. Kumar & Associates**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 008186एन)
FRN : 008186N

हस्ता/-
Sd/-
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
आर.के.गुप्ता
CA. R.K. Gupta
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक : 086851
M. No.: 086851

दिनांक : 15/10/2018
Dated : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

कृते बवेजा आणि कौल
for **Baweja and Kaul**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 005834एन)
FRN: 005834N

हस्ता/-
Sd/-
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
दलीप के. कौल
CA Dalip K Kaul
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक : 083066
M. No.: 083066

दिनांक : 15/10/2018
Dated : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

स्वतंत्र लेखा परिक्षक रिपोर्ट का परिशिष्ट – ख

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अंतर्गत विधिक तथा विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्टस के पैराग्राफ 2 में संदर्भित किया गया परिशिष्ट 'ख'

"Annexure B" to the Independent Auditor's Report

The Annexure Referred to in Paragraph 2 Under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our Report of even date to the members of The Cotton Corporation of India Limited for the financial year ended 31st March 2018

क्रमांक S. No.	निदेश Direction	हमारा उत्तर Our Reply
1	क्या कंपनी को क्रमश: फ्रीहोल्ड व लीजहोल्ड भूमि के लिये क्लीअर टाइटल / लीज डीड्स है ? यदि नहीं तो, कृपया फ्रीहोल्ड व लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र सूचित करें जिसके लिए टाईटल/लीज डीड्स उपलब्ध नहीं है। Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available	प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार तथा दिए गए दस्तावेजों की जाँच के आधार पर कंपनी को क्रमश: फ्रीहोल्ड व लीजहोल्ड भूमि के लिए क्लीअर टाईटल /लीज डीड्स है । According to the information and explanations given to us by the management and based on the documents provided and examined, the Company has clear titles/lease deeds for freehold and leasehold land respectively.
2	क्या कोई, ऋण के वेवर/राइट ऑफ लोन्स/ब्याज इत्यादि के मामले हैं, यदि हाँ तो उसके कारण व राशि सूचित करें। Whether there are any cases of waiver/write off of debts/ loans/interest etc., if yes, the reasons therefore and the amount involved.	हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान ऋण के वेवर/राइट ऑफ लोन्स/ब्याज इत्यादि के मामले नहीं है । According to the information and explanations given to us by the management, there are no cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc. during the year.
3	क्या तीसरी पार्टी के पास रखी हुई मालसूची तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से गिफ्ट/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रूप से रखरखाव किया जाता है । Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/ grant(s) from Government or other authorities?	कंपनी ने वर्ष के दौरान रखी हुई तीसरी पार्टी के पास मालसूची के रिकॉर्ड का उचित रूप से रखरखाव किया है । प्रबंधन द्वारा हमें दी हुई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वर्ष के दौरान सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से गिफ्ट/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । The Company has maintained proper records for inventories lying with third parties during the year. According to the information and explanations given to us by the management, the Company has not received any assets as gifts/grant(s) from Government or other authorities during the year.

कृते बंसल आर. कुमार एंड एसोसिएट्स
for **Bansal R. Kumar & Associates**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 008186एन)
FRN : 008186N

हस्ता/-
Sd/-
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
आर.के.गुप्ता
CA.R.K. Gupta
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक : 086851
M. No.: 086851

दिनांक : 15/10/2018
Dated: 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

कृते बवेजा एंड कौल
for **Baweja & Kaul**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 005834एन)
FRN: 005834N

हस्ता/-
Sd/-
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
दलीप के. कौल
CA Dalip K Kaul
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक : 083066
M. No.: 083066

दिनांक : 15/10/2018
Dated: 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

स्वतंत्र लेखा परिक्षक रिपोर्ट का परिशिष्ट – ग

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भारतीय कपास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समदिनांकित रिपोर्ट की धारा ''विधिक तथा विनियमन'' की अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्टस के पैराग्राफ 3(एफ) में संदर्भित किया गया परिशिष्ट 'ग'

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के क्लॉज (I) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने भारतीय कपास निगम लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च 2018 को वित्तीय रिपोर्ट पर एवं उस दिन कंपनी की हमारी ओर से आंकेक्षित वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण किया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

द इंस्टिट्युट ऑफ चार्टड अकाउंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) के द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के गाइडन्स नोट में उल्लेखित आवश्यक मदों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मापदंड के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है । इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा छल–कपट व त्रुटियों को खोजने तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए पर्याप्त लेखा नीतियों के चयन न्यायोजित व अनुमान लगाना, जो उचित व विवेकपूर्ण हो तथा डिजाईन, अनुपालन व पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव जो लेखा रिकार्डस् के पूर्ण व परिशुद्धता हेतु प्रभावशाली प्रचालन कार्य कर रहे हो, जिससे वित्तीय विवरणियों को तैयार व प्रस्तुत किया जाये ताकि वित्तीय विवरणियों छल–कपट व त्रुटि के कारण मेटीरियल मिस–स्टेटमेंट से मुक्त हो, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता है ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है । हमने हमारी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के दिशा निर्देश नोट, आयसीएआय द्वारा जारी लेखा परीक्षक के मानक और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन समझे जानेवाले निर्धारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की सीमा तक लागू, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू एवं जो दोनो ही

"Annexure C" to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to in Paragraph 3(f) under the heading "Report on other Legal and Regulatory requirements" section of our report of even date to the members of The Cotton Corporation of India Limited for the financial year ended on 31st March 2018

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Cotton Corporation Of India Limited ("the Company") as of 31 March 2018 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) के द्वारा जारी किए गए है, के आधार पर की है । इन मानकों व गाइडन्स नोट की अपेक्षा है कि हम आवश्यकतानुसार इस अनुपालन व योजना को बनाए तथा लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर हम उचित आश्वासन देते है कि पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित तथा बनाए रखा गया है तथा सभी मटीरियल में इस नियंत्रण का प्रभावशाली रूप से परिचालन किया जा रहा है ।

लेखा परीक्षा की जाँच, परीक्षा के आधार पर राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं उनके संचालन की प्रभावशीलता की अभिव्यक्ति शामिल है । चयनित पध्दति में, लेखा परीक्षकों के निर्णयों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मिस-स्टेटमेंटों के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है । उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा तैयार किये गये संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पध्दति पर तथा उचित वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उचित लेखा पध्दति का डिजाईन तैयार करने पर सही तथा क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पध्दति स्थापित की है तथा ऐसे नियंत्रण पर प्रभावशाली प्रचालन कर रही है । वित्तीय विवरणियों के छल-कपट के कारण मटेरीयल मिस स्टेअमेंट के जोखिम का निर्धारण शामिल करके लेखा परीक्षा के निर्णय पर आश्रित कार्यविधि का चयन किया गया है ।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों पर जो साक्ष्य लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए हैं वे हमारी राय में लेखा परीक्षा के आधार हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक का अभिप्राय

सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतो के अनुरूप बाध्य लक्ष्यों हेतु इंडएएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने तथा विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में उचित सुनिश्चितता उपलब्ध करवाने में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाईन किया गया है । कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की वो नीतियाँ व प्रक्रिया शामिल है जो 1) कंपनी के रिकॉर्ड के रखरखाव को कंपनी लेनदेन व परिसंपत्तियों के व्यय को सही व उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है । 2) सामान्य रूस्प से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतो के अनुरूप इंडएएएस वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने की उचित सुनिश्चितता प्रदान करने तथा प्रबंधक व कंपनी के निदेशक के प्राधिकरण के अनुरूप प्राप्ति व व्यय को तैयार करना तथा 3) अप्राधिकृत अर्जन का उपयोग व कंपनी की परिसंपत्तियों के व्यय की रोकथाम अथवा समयानुसार पता लगाने के बारे में उचित सुनिश्चितता उपलब्ध करवाना जिससे इंडएएस वित्तीय विवरणियों पर तात्विक प्रभाव पड़ सकता है ।

Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक की अंतरनिहीत परिसीमा

दुरभिसंधि की संभावना अथवा नियंत्रण के अध्यारोही अनुचित प्रबंधक, अनियमताओं अथवा छल कपट तथा त्रुटियों के कारण मटीरियल मिसस्टेटमेंट को शामिल करके वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक की अंतरनिहीत परिसीमा के कारण घटित हो सकता है जिसको पकड़ना मुमकिन नहीं है । भावी अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी मूल्यांकन के प्रकलन का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के जोखिम पर होगा जिस पर परिस्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण अपर्याप्त अथवा नीतियों या प्रक्रिया के अनुपालन की डिग्री से विकृत होगा ।

राय

हमारे राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरणियाँ, द इंस्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) के द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के गाइडन्स नोट में उल्लेखित आवश्यक मदों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मापदंड के अनुसार महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी देते है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिध्दांतों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को कंपनी के कार्यकलापों तथा उसी दिन वर्ष समाप्त के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सही और उपयुक्त जानकारी देते हैं ।

कृते बंसल आर. कुमार एंड एसोसिएट्स
for **Bansal R. Kumar & Associates**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 008186एन)
FRN : 008186N

हस्ता/–
Sd/-
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
आर.के.गुप्ता
CA.R.K. Gupta
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक : 86851
M. No.: 086851

दिनांक : 15/10/2018
Dated: 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, generally in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2018, based on 'the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India'.

कृते बवेजा एंड कौल
for **Baweja & Kaul**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 005834एन)
FRN: 005834N

हस्ता/–
Sd/-
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
दलीप के. कौल
CA Dalip K Kaul
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक : 083066
M. No.: 083066

दिनांक : 15/10/2018
Dated: 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi

31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

(रुपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

	विवरण / Particulars	नोटस् / Notes	दि. 31 मार्च 2018 को As at 31st March 2018	दि. 31 मार्च 2017 को As at 31st March 2017	दि. 31 मार्च 2016 को As at 1st April 2016
(I)	**परिसंपत्तियाँ Assets**				
1	**गैर चालू परिसंपत्तियाँ Non Current Assets**				
	(क) संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण (a) Property, Plant and Equipment	3A	1,770.19	1,893.00	1,982.14
	(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर/ (b) Capital Work in Progress	3B	1.74	-	1.77
	(ग) निवेश संपत्ति (c) Investment Properties	4	2,790.65	2,851.56	2,912.47
	(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ/(d) Intangible Assets	5	4.71	10.00	14.48
	(ड) वित्तीय परिसंपत्तियाँ (e) Financial Assets				
	(i) निवेश/Investments	6	0.01	0.01	0.01
	(ii) व्यापार प्राप्य/Trade Receivables	7A	-	-	-
	(iii) ऋण/Loans	8	275.28	306.02	311.87
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ (iv) Other Financial Assets	9	171.32	174.25	172.13
	(ट) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/ (f) Deferred Tax Assets	10	4,097.61	4,918.15	5,271.11
	(ठ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ/ (g) Other Non-Current assets	11	217.47	213.62	242.28
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ/ Total Non-Current Assets		**9,328.98**	**10,366.61**	**10,908.26**
2	**चालू परिसंपत्तियाँ Current Assets**				
	(क) माल सूचियाँ/(a) Inventories	12	1,39,282.72	11,039.17	1,34,642.02
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ/(b) Financial Assets				
	(i) निवेश/(i) Investments	6	-	-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य/(ii) Trade Receivables	7B	27,267.34	10,347.09	25,671.05
	(iii) नकद व नकद समकक्ष (iii) Cash and Cash Equivalents	13	1,405.00	459.44	650.69
	(iv) बैंक शेष उपयुक्त (iii) को छोड़कर (iv) Bank Balances other than (iii) above	13	44.59	41 .90	44.45
	(v) ऋण/(v) loans	8	95.84	105.25	106.81

	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ (vi) Other Financial Assets	9	18.68	18.72	23.84
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ/(c) Other Current Assets	11	3,22,169.47	2,98,041.23	3,34,827.57
	(घ) बिक्री हेतु रोगी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ (d) Assets Classified as Held For Sale	3C	23.08	-	-
	(ड) चालू कर परिसंपत्तियॉ (शुद्ध) (e) Current Tax Assets (Net)	14	434.50	1,027.87	877.32
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ/Total Current Assets		**4,90,741.22**	**3,21,080.67**	**4,96,843.75**
	कुल संपत्तियाँ/Total Assets		**5,00,070.20**	**3,31,447.28**	**5,07,752.01**
(II)	**इक्विटी एवं देयताएँ Equity and Liabilities**				
1	**इक्विटी/Equity**				
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी/(a) Equity Share Capital	15	2,500.00	2.500.00	2.500.00
	(ख) अन्य इक्विटी/(b) Other Equity	16	26,111.93	25,527.93	26,459.20
	कुल इक्विटी/Total Equity		**28,611.93**	**28,027.93**	**28,959.20**
2	**देयताएँ/Liabilities**				
	(1) गैर-चालू देयताएँ/(1) Non current liabilities				
	(क) वित्तीय देयताएँ/(a) Financial Liabilities				
	(i) उधारी/कर्ज (i) Borrowings -		-	-	-
	(ii) व्यापारी प्राप्य/(ii) Trade Payables		-	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ/ (iii) Other Financial liabilities	20A	770.39	933.18	860.19
	(ख) प्रावधान/(b) Provisions	17A	6,518.33	12,273.92	11,371.09
	(ग) अस्थिगित कर देयताएँ/(c) Deferred Tax liabilities				
	(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ/ (d) Other Non Current Liabilities				
	कुल गैर-चालू देयताएँ/Total Non Current liabilities		7,288.72	13,207.10	12,231.28
	(2) चालू देयताएँ/(2) Current Liabilities				
	(क) वित्तीय देयताएँ/(a) Financtal Liabilities				
	(i) उधारी/कर्ज (i) Borrowings	18	4,44,200.00	2,78,500.00	4,28,793.07
	(ii) व्यापार प्राप्य/(ii) Trade Payables	19	6,560.42	757.62	1,594.79
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ (iii) Other Financial liabilities	20B	5,314.26	2,552.55	3,822.96
	(ख) प्रावधान/(b) Provisions	17C	292.94	314.43	1,011.98
	(ग) कर्मचारी लाभ बाध्यता (c) Employee Benefits Obligations	17B	3,124.40	1,708.55	1,588.73
	(घ) सरकारी अनुदान (d) Government Grants				
	(ड) चालू कर देयताएँ (शुद्ध) (e) Current Tax liabilities (Net)	21	545.00	444.40	587 38
	(छ) अन्य चालू देयताएँ/ (f) Other Current liabilities	22	4,132.53	5,934.70	29,162.62

कुल चालू देयताएँ/Total Current Liabilities	**464,169.55**	**290,212.25**	**466,561.53**
कुल देयताएँ/Total liabilities	**471,458.27**	**303,419.35**	**478,792.81**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ/Total Equity and Liabilities	**500,070.20**	**331,447.28**	**507,752.01**

(III) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश
Summary of Significant Accounting Potictes 1-2

वित्तीय विवरणियों का भाग बनाने वाले अन्य नोट
Other notes forming part of Financial Statements 31-52

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

(डॉ. पी. अल्लि रानी)	(प्रदीप कुमार अग्रवाल)	(एम.एम. चोक्कलिंगम)	(ललित कुमार गुप्ता)
(Dr. P. Alli Rani)	**(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(M.M. Chockalingam)**	**(Lalit Kumar Gupta)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary
DIN : 02305257	DIN : 05234132	DIN : 00051744	M.No.: 46871

दिनांक : 23/08/2018
Date : 23/08/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते बंसल आर. कुमार एण्ड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 008186एन)
Firm Registration No. 008186N

आर. के. गुप्ता
(R.K. Gupta)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. 086851
Membership No. : 086851

दिनांक : 15/10/2018
Date : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

कृते बवेजा एण्ड कौल
For Baweja & Kaul
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 005834एन)
Firm Registration No. 005834N

दलीप के. कौल
(Dalip K. Kaul)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. 083066
Membership No. : 083066

दिनांक : 15/10/2018
Date : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की लाभ और हानि विवरणी

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

(रुपये लाख में)

(Rupee in Lakh)

विवरण Particulars	नोटस् Notes	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2018	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2017
परिचालन से राजस्व Revenue from Operations	23	139221.98	185345.80
अन्य आय Other income	24	1018..44	1111.19
कुल आय (I) Total Income (I)		**140240.42**	**186456.99**
व्यय Expenses			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत (a) Cost of Material Consumed	25	131339.73	17335.62
(ख) व्यापार के लिए माल की खरीद (b) Purchase of Stock in Trade		96343.02	5952.16
(ग) तैयार माल, व्यापारिक स्टॉक तथा प्रक्रियागत स्टॉक की माल सूचियों में परिवर्तन (c) Changes in Inventories of Finished Goods, W.I.P., Stock In Trade	26	(127365.72)	123211.24
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय (d) Employee Benefit Expenses	27	9286.27	7699.47
(च) वित्त लागत (e) Finance Cost	28	25250.63	26456.30
(छ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय (f) Depreciation and Amortization Expenses		241.51	282.19
(ज) अन्य व्यय (g) Other Expenses	29	9603.70	5425.40
कुल व्यय (II)/Total Expenses (II)		**144699.14**	**186362.38**
अपवादात्मक और असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि) तथा कर (I-II) Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary items and tax (I-II)		**(4458.72)**	**94.61**
अपवादात्मक मदें व्यय/(आय) Exceetional items Expense/(Income)	30	(6827.11)	(49.12)
कर से पहले लाभ/(हानि) Profit/(Loss) before tax		**2368.39**	**143.73**
कर व्यय Tax Expense			

(क) वर्तमान कर/(a) Current Tax		545.00	290.00
(ख) आस्थगित कर/(b) Deferred Tax		889.96	364.55
(ग) पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन (c) Adjustment relating to Prior period		0.00	(55.56)
कुल कर व्यय **Total Tax Expense**		**(1434.96)**	**598.99**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (क) **Profit/(Loss) for the year (A)**		**933.43**	**(455.26)**
अन्य व्यापक आय Other Comprehensive Income			
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिये पुनवर्गीकृत नहीं किया जायेगा Items that will not be reclassified to profit or loss:			
– पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मूल्यांकन - Remeasurements of the Defined benefit plans		(148.06)	(65.14)
– आयकर का प्रभाव - Income Tax Effect		69.42	11.59
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) (ख) **Other Comprehensive Income (Net of Tax) (B)**		**(78.64)**	**(53.55)**
कुल व्यापक आय (क+ख) **प्रतिशेयर अर्जन** **Total Comprehensive Income (A+ B)** **Earnings per share:**		**854.79**	**(508.81)**
मूल Basic		37.34	(18.21)
तनुकृत Diluted		37.34	(18.21)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश वित्तीय विवरणियाँ का भाग बनाने वाले अन्य नोट Summary of Significant Accounting Policies Other notes forming part of Financial Statements	1-2 31-52		

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

(डॉ. पी. अल्लि रानी) **(Dr. P. Alli Rani)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director DIN : 02305257	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल)** **(Pradeep Kumar Agarwal)** निदेशक (वित्त) Director (Finance) DIN : 05234132	**(एम.एम. चोक्कलिंगम)** **(M.M. Chockalingam)** निदेशक (विपणन) Director (Marketing) DIN : 00051744	**(ललित कुमार गुप्ता)** **(Lalit Kumar Gupta)** कंपनी सचिव Company Secretary M.No.: 46871

दिनांक : 23/08/2018
Date : 23/08/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते बंसल आर. कुमार एण्ड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 008186एन)
Firm Registration No. 008186N

आर. के. गुप्ता
(R.K. Gupta)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. 086851
Membership No. : 086851

दिनांक : 15/10/2018
Date : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

कृते बवेजा एण्ड कौल
For Baweja & Kaul
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 005834एन)
Firm Registration No. 005834N

दलीप के. कौल
(Dalip K. Kaul)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. 083066
Membership No. : 083066

दिनांक : 15/10/2018
Date : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

Statement of changes in equity for the year ended 31st March 2018

क) इक्विटी शेयर पूँजी
A. Equity Share Capital

	दि. 31 मार्च, 2018 को As at 31st March 2018		दि. 31 मार्च, 2017 को As at 31st March 2017	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि (रूपये लाख में) Amount (Rs. in Lakh)	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि (रूपये लाख में) Amount (Rs. in Lakh)
वर्ष के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the year	2,500,000	2,500	2,500,000	2,500
वर्ष के दौरान शेयर पूँजी इक्विटी में परिवर्तन Changes in Equity Share capital during the year	-	-	-	-
रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर शेष Balance at the end of the reporting period	2,500,000	2.500	2,500,000	2,500

ख) 31.03.2018 को अन्य इक्विटी
B. Other Equity as on 31.03.2018

(I) रक्षित व अधिशेष
(I) Reserves and surplus

विवरण Particulars	क) सामान्य रक्षित (a) General Reserve	ख) प्रतिधारित अर्जन (b) Retained Earnings	ग) अन्य व्यापक आय (c) Other Comprehensive Income	कुल Total
अवधि के आरंभ में शेष Balance at the begiming of the period	2798.86	22782.62	-53.55	25527.93
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि से संबंधित त्रुटियाँ Changes in accounting policy or prior period errors	0.00	0	0.00	0
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ पर पुन:वर्गीकृत शेष Restated balance at the beginning of the reporting period	2798.86	22782.62	-53.55	25527.93
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय Total Comprehensive Income for the year	0.00	933.44	-78.64	854.80
वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये देय लाभांश तथा लाभांश वितरण कर Dividand and DDT payable for FY 2016-17	0.00	-270.80	0.00	-270.80
रिटेंड अर्जन में अंतरण Transfer to retained earnings				
अवधि की समाप्ति पर शेष **Balance at the end of the period**	**2,798.86**	**23,445.26**	**-132.19**	**26,111.93**

31.03.2017 को अन्य इक्विटी
Other Equity as on 31.03.2017

विवरण Particulars	क) सामान्य रक्षित (a) General Reserve	ख) प्रतिधारित अर्जन (b) Retained Earnings	ग) अन्य व्यापक आय (c) Other Comprehensive Income	कुल Total
अवधि के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the period	2,798.86	23,660.34	0.00	26,459.20
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि से संबंधित त्रुटियाँ Changes In Accounting policy or prior period errors	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्व नीति में परिवर्तन के कारण Due to Change in revenue policy				
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ पर पुन: वर्गीकृत शेष Restated balance at the beginning of the reporting period	**2,798.86**	**23,660.34**	**0.00**	**26,459.20**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय Total Comprehensive Income for the year	0.00	-455.26	-53.55	-508.82
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रस्तावित लाभांश का रिवर्सल तथा उस पर लाभांश वितरण कर Reversal of proposed dividend and DOT thereon(FY 2016-17)	0.00	-422.46	0.00	-422.46
रिटेंड अर्जन में अंतरण Transfer to retained earnings	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के समाप्ति पर शेष Balance at the end of the period	**2,798.86**	**22,782.62**	**-53.55**	**25,527.93**

01.04.2016 को अन्य इक्विटी
Other Equity as on 01.04.2016

विवरण Particulars	क) सामान्य रक्षित (a) General Reserve	ख) प्रतिधारित अर्जन (b) Retained Earnings	ग) अन्य व्यापक आय (c) Other Comprehensive Income	कुल Total
अवधि के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the period	2,798.86	21,519.70	0.00	24,318.56
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि से संबंधित त्रुटियाँ Changes in accounting policy or prior period errors.				
इंड एएस 17 (लीज) पर परिवर्तन के कारण Due to changes as per IND AS 17 (Leases)	0.00	-21.79	0.00	-21.79
पूर्व अवधि मदें Prior period items	0.00	1,383.63	0.00	1,383.63

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन: वर्गीकृत शेष Restated balance at the beginning of the reporting period	**2,798.86**	**22,881.54**	**0.00**	**25,680.40**
वर्ष के लिए लाभ Profit for the year	0.00	778.80	0.00	778.81
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय Other Comprehensive Income for the year				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन Remeasurernent of Defined benefit plans	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल व्यापक लाभ Total comprehensive income		**0.00**	**0.00**	**0.00**
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रस्तावित लाभांश का रिवर्सल तथा उस पर लाभांश वितरण कर Reversal of proposed dividend and DDT thereon(FY 2016-17)	0.00	0.00	0.00	0.00
रीटेंड अर्जन में अंतरण Transfer to retained earnings		0.00	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर शेष Balance at the end of the Period	**2,798.86**	**23,660.34**	**0.00**	**26,459.20**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

(डॉ. पी. अल्लि रानी)	(प्रदीप कुमार अग्रवाल)	(एम.एम. चोक्कलिंगम)	(ललित कुमार गुप्ता)
(Dr. P. Alli Rani)	**(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(M.M. Chockalingam)**	**(Lalit Kumar Gupta)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary
DIN : 02305257	DIN : 05234132	DIN : 00051744	M.No.: 46871

दिनांक : 23/08/2018
Date : 23/08/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते बंसल आर. कुमार एण्ड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 008186एन)
Firm Registration No. 008186N

आर. के. गुप्ता
(R.K. Gupta)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. 086851
Membership No. : 086851

दिनांक : 15/10/2018
Date : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

कृते बवेजा एण्ड कौल
For Baweja & Kaul
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 005834एन)
Firm Registration No. 005834N

दलीप के. कौल
(Dalip K. Kaul)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. 083066
Membership No. : 083066

दिनांक : 15/10/2018
Date : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(रुपये लाख में)
(Rupees in Lakh)

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष For the year ended 31st March 2018		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष For the year ended 31st March 2017
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह : **(A) Cash Flow From Operating Activities :**				
कर के पूर्व शुद्ध लाभ Net profit Before Tax		2368.40		143.73
समायोजन के लिए Adjustment for				
मुल्यह्रास और परिशोधन व्यय Depreciation & Amoritization Expenses	241.51		282.19	
ब्याज आय Interest Income	(35.59)		(140.78)	
वित्तीय लागत Finance Costs	25,250.63		26,456.30	
आय कर वापसी पर ब्याज Interest on Income tax refund	-		(17.55)	
प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है Provision no longer required	(34.52)		(42.78)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि पर हानि (Profit)/loss on sale of fixed asset	(0.72)	25,421.30	(2.84)	26,534.55
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन के पूर्व नकद परिचालन प्रवाह **Operating cash flows before working capital changes**		**27,789.71**		**26,678.28**
परिसंपत्तियों व देयताओं के परिचालन में परिवर्तन **Changes In operating assests and liabilities**				
व्यापार प्राप्ति योग्य में (वृद्धि)/घटौती (Increase)/Decrease In Trade Receivables	(16,888.71)		15,323.96	

गैर–चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ घटौती (Increase)/Decrease In Non current Assests	(3.85)		28.66	
मालसूची में (वृद्धि)/घटौती (Increase)/Decrease in Inventories	(1,28,243.56)		1,23,602.85	
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/घटौती (Increase)/Decrease in other current financial Assests	0.04		5.13	
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृध्दि)/ घटौती (Increase)/Decrease In Other Non-Current Financial Assests	2.93		(2.13)	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ घटौती (Increase)/Decrease in Other Current Assests	(24,128.25)		36,786.35	
व्यापार भुगतान योग्य में (वृद्धि)/ घटौती (Increase)/Decrease In trade Payables	5,802.80		(837.16)	
दीर्घावधि प्रावधानो में (वृद्धि)/घटौती (Increase)/Decrease in Long Term Provisions	(5,705.30)		871.18	
लघु अवधि प्रावधानों में (वृद्धि)/ घटौती (Increase)/Decrease in Short Term Provisions	(21.48)		(697.55)	
अन्य वित्तीय देयता – दीर्घावधि में (वृध्दि)/ घटौती (Increase)/Decrease In Other Finacial Liablities - Long Term	(162.79)		73.00	
अन्य वित्तीय देयता में (वृद्धि)/घटौती (Increase)/Decrease in other Financial Liablities	2,761.72		(1,270.43)	
कर्मचारी लाभ दायित्व में (वृध्दि)/ घटौती (Increase)/Decrease in Employee benefits obliqations	1,415.85		119.83	
अन्य चालू देयताओं में (वृद्धि)/ घटौती (Increase)/Decrease in other Current Liablities	(1,802.18)	(1,66,972.77)	(23,227.92)	1,50,775.76
परिचालन से निर्मित नकद प्रवाह Cash flow Generated from Operations		**(1,39,183.07)**		**1,77,454.03**

प्रदत्त आयकर (धन वापसी का शुद्ध) Income Taxes Paid (Net of Refund)		(47.88)		(497.85)
परिचालन गतिविधियाँ से शुध्द नकद प्रवाह (ए) **Net cash from operating Activities (A)**		**(1,39,230.94)**		**1,76,956.19**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह **(B) Cash Flow from Investing Activities**				
संपत्ति के निर्माण, प्लांट व उपकरण अथवा खरीद Purchase or construction of Property, Plant and equipment	(78.86)		(132.54)	
संपत्ति, प्लांट व उपकरण की बिक्री Proceeds on sale of Property, plant and equipment	3.74		6.19	
अन्य बैंक डिपॉजिट में शुद्ध उतार-चढ़ाव Net movement in other bank deposits	(2.69)		2.54	
प्राप्य लाभांश Interest received	35.59	(42.21)	140.78	16.97
निवेश की गई गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ख) **Net cash generated from Investing activites (B)**		**(42.21)**		**16.97**
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह **(C) Cash Flow from Financial Activities :**				
अल्पावधिक उधार (शुद्ध) से प्राप्त राशि (की चुकौती) Proceed from (Repayment of) short Term Borrowings (Net)	1,65,700.00		(1,50,293.07)	
चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का पुन: भुगतान - ऋण Repayment of finacial current asset - loans	9.41		1.56	
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का पुन: भुगतान - ऋण Repayment of Non current financial asset - loans	30.74		5.86	

लाभांश भुगतान (लाभांश पर कर शामिल करके) Dividend Paid (Including tax on Dividend)	(270.80)		(422.46)	
वित्तीय लागत का भुगतान Finance cost paid	(25,250.63)	1,40,218.72	(26,456.30)	(1,77,164.41)
शुद्ध नकद प्रवाह/(उपयोग में) वित्तीय गतिविधियाँ (ग) Net cash flow/(Used in) Financing Activities (C)		**1,40,218.72**		**(1,77,164.41)**
(घ) नगद में शुद्ध परिवर्तन तथा नकद समतुल्य (क+ख+ग) (D) Net changes in cash and cash equivalents (A+B+C)		945.56		(191.25)
(ड) वर्ष के प्रारंभ पर नकद व नगद समतुल्य (नोट 13 देखें) (E) Cash and cash equivalents at the beginning of the year (refer note 13)		459.44		650.69
(च) वर्ष के अंत में नकद व नगद समतुल्य (नोट 13 देखें) (F) Cash and cash equivalents at the end of the year (refer note 13)		1,405.00		459.44

नोट्स :

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण नकद प्रवाह विवरणी पर इंड एएस 7 में निर्धारित ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के अंतर्गत तैयार की गई है ।
2. नकद प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद समाधान व नकद समतुल्य ।

Note:

1. The above cash flow statement has been prepared under the "Indirect method" as set out in AS-7 on Statement of cash Flow.
2. Reconciliation of cash and cash equivalents as per cash flow statement :

उपर्युक्त के अनुसार निम्नलिखित रोकड़ समाहित करते हुए नकद व नकद समतुल्य Cash and cash equivalents as per above comprise of the following		
हाथ में नकद Cash on hand	-	-
हाथ में चेक, ड्राफ्टस, स्टैम्पस Cheques,Drafts,Stamp on hand	-	-
बैंक के साथ शेष Balances with banks		
चालू खाते पर On curent accounts	1,124.61	171.90

कैश क्रेडिट पर On cash credit	280.39	287.54
वर्ष की समाप्ति पर नकद व नकद समतुल्य **Cash and cash equivalents at the end of the year**	**1,405.00**	**459.44**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

(डॉ. पी. अल्लि रानी) **(Dr. P. Alli Rani)**	**(प्रदीप कुमार अग्रवाल)** **(Pradeep Kumar Agarwal)**	**(एम.एम. चोक्कलिंगम)** **(M.M. Chockalingam)**	**(ललित कुमार गुप्ता)** **(Lalit Kumar Gupta)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	निदेशक (वित्त) Director (Finance)	निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	कंपनी सचिव Company Secretary
DIN : 02305257	DIN : 05234132	DIN : 00051744	M.No.: 46871

दिनांक : 23/08/2018
Date : 23/08/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते बंसल आर. कुमार एण्ड एसोसिएट
For Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 008186एन)
Firm Registration No. 008186N

आर. के. गुप्ता
(R.K. Gupta)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. 086851
Membership No. : 086851

दिनांक : 15/10/2018
Date : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

कृते बवेजा एण्ड कौल
For Baweja & Kaul
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 005834एन)
Firm Registration No. 005834N

दलीप के. कौल
(Dalip K. Kaul)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. 083066
Membership No. : 083066

दिनांक : 15/10/2018
Date : 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

लेखों के नोट्स

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ व वित्तीय विवरणियों पर अन्य व्याख्यात्मक जानकारी

सामान्य जानकारी व इंड एएस से अनुपालन की विवरणी

रिपोर्टिंग एनटिटि

भारतीय कपास निगम लि. की (''कंपनी'') शेयर्स द्वारा यह कंपनी वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लोक उद्यम कार्यालय है तथा लिमिटेड कंपनी (CIN: U51490MH1970GOI14733) के रूप में 31 जुलाई 1970 को स्थापना की गई जो भारत में अधिवासी है । कपास की व्यापारिक गतिविधियों में लगी है, भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जब कभी कपास मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूने लगे तो निगम सेन्ट्रल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परिचालन करता है । निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से अधिक कपास मूल्य पहुँचने की स्थिति में वाणिज्य परिचालन भी करता है ।

निगम का पंजीकृत कार्यालय 'कपास भवन' प्लॉट 3 ए सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई 400 614 पर स्थित है । कंपनी के मुख्य मुख्य सभी कपास उत्पादक राज्यों में 19 खरीदी शाखाएँ, बिक्री कार्यालय व वेअर हाऊसिंग कॉम्पलेक्स है ।

पहली बार भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) अपनाना

250 करोड़ रू. या उससे अधिक की नेट वर्थ वाली सभी कंपनीज को (सूचीबद्ध अथवा असूचीबद्ध) को इंड-एएस अपनाने की आवश्यकता है । तद्नुसार निगमित कार्यकलाप मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी, 2015 के अनुसार कंपनी ने इंड एएस को अपनाया है जो ट्रांजीशन तारीख 1 अप्रैल 2016 सहित 1 अप्रैल, 2017 से लागू है । पिछले गैप इंडएएस में ट्रांजीशन के वित्तीय विवरणी का भाग बनाने वाले नोट में दिए गए हैं ।

नोट 1 : मुख्य लेखा नीतियों का सार

यह नोट इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में कंपनी द्वारा अपनायी गई मुख्य लेखा नीतियों को उपलब्ध करवाना है । यह नीतियाँ प्रस्तुत सभी वर्षों तक लगातार लागू की गई है, जब तक कि अन्यथा कहा न गया हो ।

1.1 तैयार करने का आधार

क) इन वित्तीय विवरणियों को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के निर्धारित मान्यता तथा माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । जो कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित हैं । जो इसके अंतर्गत जारी नियमावली अथवा सनदी

Notes to the accounts

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND OTHER EXPLANATORY INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

GENERAL INFORMATION AND STATEMENT OF COMPLIANCE WITH IND AS

Reporting Entity

The Cotton Corporation of India Ltd. (the "Company") is a company limited by shares, incorporated on 31st July 1970 and domiciled in India (CIN: U51490MH1970GOI14733). The Company is a Government of India Undertaking under administrative control of Ministry of Textiles and engaged in the trading activity of cotton. As per mandate given by the Govt. of India, the Corporation is a Central Nodal Agency to undertake Minimum Support Price (MSP) operations as and when the prices of raw cotton touch the support price announced by the Govt. of India. In the event of kapas prices ruling above MSP level, Corporation also undertakes commercial operations.

The registered office of the Company is situated at 'Kapas Bhawan'. Plot 3A, Sector 10,CBD Belapur, Navi Mumbai-400614. The company has 19 procurement branches, sales offices and warehousing complex locating in all major cotton growing states.

First time adoption of Indian Accounting Standards (Ind-AS)

All companies (listed or unlisted) having net worth of Rs.250 crore or more are required to adopt Ind AS. Accordingly, the company has adopted Ind-AS, in accordance with Notification dated February 16, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, with effect from April 01, 2017 with a transition date on April 01, 2016. The details of transition from previous GAAP to Ind-AS is given at Note forming part of Financial Statement.

Note 1 : Summary of Significant Accounting Policies

This Note provides a list of the significant Accounting Policies adopted by the Company in the preparation of these Financial Statements. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

1.1 Basis of Preparation

a) These Financial statements have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard ('Ind AS'), prescribed under

लेखापाल के इंस्टिट्यूट द्वारा जारी संबंधित नियमावली से पढ़ा जाये जैसा लागू हो व अन्य लेखा सिद्धांत जो सामान्यत: भारत में स्वीकार्य हो ।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष तक वित्तीय विवरण भारत में इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स (आईजीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा इन विवरणों को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनीज (लेखा मानक) नियमावली 2014 में लागू निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन व कंपनीज अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार तथा कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के पैरा 7 के साथ पढ़ा जाये ।

कंपनीज अधिनियम 2013 की अनुसूची खखख में निर्धारित अन्य मानदंड व कंपनीज सामान्य परिचालन साईकल के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ व देयताओं का चालू व गैर चालू के रूप में विश्लेषण किया गया है। उत्पादन की प्रवृत्ति तथा उत्पादन के अधिग्रहण व संसाधन व नकद वसूली तथा नकद समतुल्य कें बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों व देयताओं के चालू/गैरचालू विश्लेषण के उद्देश्य से 12 महीनों के परिचालन साईकल का दावा किया है ।

ख) एतिहासिक लागत समझौता

निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण एतिहासिक लागत पर तैयार किए गए है :

क) कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ व देयताएँ जिनका उचित मूल्य पर आकलन किया गया है ।

ख) परिभाषित लाभ योजना : योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य आकलन किया गया है ।

ग) हाल ही में लेखांकन घोषणाएँ :

मानक जारी परन्तु अभी तक प्रभावी नहीं:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी 2015 के माध्यम से 39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) जारी किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक से अभिसरण हैं । 22 जुलाई 2015 को आईएएसबी ने आईएफआरएस 15 को ग्राहकों द्वारा संविदाओं से राजस्व को एक वर्ष के लिए यानि 2018 तक स्थगित रखा । फलस्वरूप भारत के एमसीए व (आईसीएआई) भारत के सनदी लेखापाल इंस्टीट्यूट जैसे नियंत्रक ने इंडएएस 115 को स्थगित रखा, ग्राहकों द्वारा संविदा से राजस्व, जो आईएफआरएस 15 पर आधारित है तथा इंडएएस खख, कंस्ट्रक्शन कांट्रैक्स तथा इंडएएस 18 दो मानकों पर अधिसूचित है । दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से इकाइयों को लागू राजस्व को इंडएएस में अंतरण की गई हैं ।

इंडएएस को आईएफआरएस में किए गए संशोधन से अद्यतन रखने

Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under; or by the Institute of Chartered Accountants of India, as applicable and other accounting principles generally accepted in India.

The Financial Statements up to the year ended March 31, 2017 were prepared in accordance with Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP) in India and complied with the applicable accounting standards prescribed in the Companies (Accounting Standard) Rules, 2014 issued by the Central Government and as per relevant provisions of the Companies Act, 2013 read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of products for processing and their realization in cash and cash equivalents, the company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities.

b) Historical Cost Convention:

The Financial Statements have been prepared on a historical cost basis except for the following :

a) Certain Financial assets and liabilities that are measured at fair value.

b) Defined Benefit Plans : Plan assets measured at Fair Value

c) Recent accounting pronouncements :

Standards issued but not yet effective :

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), through its notification dated 16 February 2015, issued 39 Indian Accounting Standards (Ind AS), which are converged with the International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB). On 22 July 2015, IASB deferred the applicability of IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers by one year to 2018. Consequently, the regulators in India such as MCA and the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) deferred Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, which is based on IFRS 15 and notified two standards - Ind AS 11, Construction Contracts and Ind AS 18, Revenue that were applicable to entities transitioning to Ind AS from 1 April 2016 onwards.

To keep Ind AS updated with revisions made to IFRS, in

के लिए, अभिसरण का रखरखाव करने के लिए, भारत के संदर्भ में वैसे ही संशोधनों की आवश्यकता है । तद्नुसार 26 अप्रैल, 2017 को आईसीएआईने इंडएएस 115 में स्पष्टीकरण पर एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया । इस एक्सपोजर ड्राफ्ट में यह भी प्रस्ताव किया कि यह इंडएएस 115, 1 अप्रैल 2018 के प्रारंभ से अथवा उसके पश्चात लेखा अवधि के लिए लागू किया जायेगा ।

1.2 कार्यात्मक व प्रस्तुति करंसी

कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के उपयोग द्वारा आकलन किया गया है जिसमें कंपनी परिचालन करती है । कंपनी के ये वित्तीय विवरण भारतीय मानक रू. रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है । सभी राशियों को नजदीकी लाख रू. में राउंड ऑफ किया गया है । जब तक अन्यथा न कहा गया हो ।

1.3 निर्णय और अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रबंधन ने अनुमान और धारणाओं के निर्णय लिए हैं । जो कंपनी को लागू लेखा नीतियों, तथा परिसंपत्तियों पर रिपोर्ट की गई राशि, देनदारों, आय और व्यय की राशि को प्रभावित करता है प्रबंधन विश्वास करता है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने में लगाए गए अनुमान विवेकी और उचित है । वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमान व निहित पूर्णधारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है । अनुमानों के संशोधन संभावित रूप से पहचाने जाते हैं ।

क) निर्णय

लेखा नीतियों को लागू करने में निर्णयों से संबंधित बनाई गई सूचना जिनका वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वे निम्नासनुसार है :

– पट्टा : क्या व्यवस्था में पट्टा शामिल है ।

– पट्टे का वर्गीकरण : अनुमानित आर्थिक आयु व परिसंपत्तियों की अनुमानित लागत के बारे में वित्तीय पट्टा अथवा परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टे के वर्गीकरण के निर्णय की आवश्यकता है । कंपनी ने वित्तीय पट्टे अथवा परिचालन के रूप में व्यवस्था के वर्गीकरण में प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसे पट्टो के संविदा का विश्लेषण किया है जो व्यवस्था के नियम व शर्तों के मूल्यांकन पर आधारित है जैसे लीज टर्म वाणिज्य संपत्ति की आर्थिक आयु तथा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मुख्य भाग नहीं बनाता है ।

ख) मान्यताओं और अनिश्चितताओं का आकलन

मान्यताओं व अनिश्चितताओं के आकलन की जानकारी के बारे में मटीरियल समायोजन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण जोखिम में निम्नलिखित शामिल है :

order to maintain convergence, similar amendments were required in the Indian context. Accordingly, on 26 April 2017, the ICAI issued an Exposure Draft on Clarifications to Ind AS 115 (Exposure Draft). This Exposure Draft also proposes that Ind AS 115 would be applicable for accounting periods beginning on or after 1 April 2018.

1.2 Functional and Presentation currency

Items included in the Financial Statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates ('functional currency'). The Financial Statements of the Company are presented in INR which the Company's functional currency. All amounts have been rounded to the nearest lakh, unless otherwise stated.

1.3 Use of judgments and estimates

In preparing these financial statements, management has made judgments, estimates and assumptions that affect the application of the company's accounting policies and the reported amounts of assets , liabilities, income and expenses. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognised prospectively

a) Judgements

Information about the judgements made in applying accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the financial statements have been given below:

- Leases: Whether an arrangement contains a lease.
- Classification of Leases: Classification of leases under finance lease or operating lease requires judgement with regard to the estimated economic life and estimated cost of the asset. The Company has analysed such lease contracts on case to case basis to classify the arrangement as operating or finance lease, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, such as the lease term not constituting a major part of the economic life of the commercial property and the fair value of the asset.

b) Assumptions and estimation uncertainties

Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a material adjustment is included below:

– पारिभाषित लाभ दायित्व का आकलन : मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ

– स्थगित कर परिसंपत्ति की मान्यता : भावी कर योग्य लाभ की उपलब्धता जिसके विरूद्ध फॉरवर्ड कर हानि का उपयोग किया जा सकता है ।

– हानि परीक्षण : वसूली योग्य विकासात्मक लागत को शामिल करके आधारभूत वसूली योग्य राशि की मुख्य मान्यताएँ

– संपत्ति की उपयोगी आयु, प्लांट व उपकरण तथा मूर्त परिसंपत्तियाँ

– प्रावधान व आकस्मिक व्यय के आकलन व मान्यताएँ अति प्रवाह संसाधनों की संभावना तथा परिणाम के बारे में महत्वपूर्ण धारणा

1.4 मालसूची :

मालसूची को प्रेजेन्ट लोकेशन तथा कंडीशन में लाने के लिए लागत में खरीदी की सभी लागतें, रूपांतरण पर लागत तथा अन्य लागतों सभी पर किया गया व्यय शामिल है ।

क) खरीदे गए तैयार माल पर मूल्य लागत पर अथवा शुद्ध प्राप्य योग्य मूल्य जो भी कम हो, लगाया जाता है ।

ख) पूर्णबंधित गाँठों/ रूई का मूल्य –

(i) बिक्री के लिए संविदागत न की हुई तथा संविदागत परन्तु खरीददार द्वारा चयन न हुई गाँठों के वाणिज्यिक खरीद के बारे में औसत लागत अथवा बाजार शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो ।

(ii) न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत बिक्री के लिए संविदागत न की हुई गाँठों के बारे में औसत लागत पर, यदि इस परिचालन के अंतर्गत कोई हानि होती हो, तो वह भारत सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य है ।

iii) निर्यात के लिए मात्रा के बारे में (जहाँ कहीं संविदा की गई हो) संविदागत और ढुलाई आदि द्वारा घटायी गई औसत लागत या संविदागत मूल्य, जो भी कम हो ।

iv) प्रत्यक्ष खर्च जो स्टॉक रखी गई जगह तक किए गए है, को शामिल करके निर्यात स्टॉक निकाला गया है । वैसे ही बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्च भी शामिल है जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं ।

ग) बिनौला बिक्री के लिए संविदागत स्टॉक का मूल्य अनुबंधित दरों पर लगाया जाता है तथा बिनौला का अन्य स्टॉक वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध प्राप्य मूल्य / मार्केट मूल्य पर लगाया जाता है क्योंकि बिनौला की लागत का मूल्य अलग से नहीं लगाया जा सकता है ।

- Measurement of defined benefit obligations: Key actuarial assumptions ;

- Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit against which carry forward tax losses can be used;

- Impairment test: Key assumption underlying recoverable amounts, including the recoverability of development cost;

- Useful life of property, plant and equipment and intangible assets

- Recognition and measurement of provision and contingencies: Key assumption about the likelihood and magnitude of an outflow of resources.

1.4 Inventories :

Cost comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventory to the present location and condition.

(a) Purchased finished goods are valued at cost or net realizable value whichever is lower

(b) FP Bales/Lint are valued at -

(i) Average cost or market/net realizable value whichever is lower in respect of commercial purchases not contracted for sale and contracted but not selected by the buyers.

(ii) Average cost in respect of bales not contracted for sale under Support Price Operations as the loss suffered under such operations, if any, is reimbursable by Government of India.

(iii) Average cost or contracted rates as reduced by contracted freight and cartage etc. whichever is lower in case of quantities meant for export (Wherever contracted for).

(iv) Cost of export stocks is arrived at after including direct expenses incurred up to the point at which the stocks are lying. Similarly the realizable value is derived by deducting from the market price the expenses to be incurred from that point to the stage where they are sold. Exports are valued at cost or NRV whichever is lower.

(c) Stocks of seeds contracted for sale are valued at contracted rates and other stocks of seeds are valued at the market/net realizable value at the close of the year since the cost of seeds cannot be ascertained separately.

घ) कच्चा माल यानि कपास का मूल्यांकन गुणवत्ता वार, केन्द्र वार तथा कपास वर्ष वार लगाया जाता है । तथापि जब कच्चा माल यानि कपास के मूल्य में गिरावट आती हैं तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि तैयार वस्तुओं यानि की लागत (यानि पूर्ण बंधित गाँठों) शुद्ध प्राप्य मूल्य से अधिक होगी तो कपास का मूल्य शुद्ध प्राप्य मूल्य से कम लगाया जाता है ।

ड) कच्चा माल यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी गई कपास के मूल्य की गणना औसत लागत पर गुणवत्ता वार तथा कपास वर्ष वार लगायी जाती है । क्योंकि इस परिचालन के अंतर्गत हुई हानि यदि हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है ।

च) येलो पिकिंग तथा नमूना गाँठों का मूल्यांकन उगाहे जाने वाले मूल्य पर लगाया जाता है ।

छ) अनुपयोगी हेजियन/ग्रे क्लॉथ, बारदान, गनी बैग्स, आयरन हूप्स तथा पेस्टीसाईड्स के स्टॉक को औसत लागत मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है ।

ज) तीन वर्षों की अवधि पर तारपोलिन्स को बट्टे खाते में डाल दिया गया है ।

1.5 नकद प्रवाह विवरणियाँ

इंड एएस–7 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए तैयार किए जाते है जहाँ गैर नकद प्रकृति के लेन देन के प्रभावों के लिए लाभ की अवधि का समायोजन किया जाता है। कंपनी के ऑपरेटिंग, इनवेस्टिंग तथा वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह अलग किए जाते हैं ।

1.6 पूर्वावधि मदें

पूर्वावधि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में पायी गई चूकों अथवा त्रुटियों के परिणामस्वरूप चालू अवधि में प्रकट की गई पूर्वावधि मदों की सामग्री में चूक खोजने के पश्चात वित्तीय विवरण के पहले सेट में सुधार किया जाता है ।

क) पूर्वावधि में प्रस्तुत तुलनात्मक राशि पुन: बताने से जहाँ त्रुटि पायी गई है अथवा

ख) यदि पूर्व अवधि से पहले त्रुटि हुई है तो परिसंपत्तियों के आरंभिक शेष, देयताएँ व प्रस्तुत की गई पहले की पूर्वावधि के लिए इक्विटी को पुन: स्थापित किया जाए ।

ग) कुल राजस्व के 0.25% से अधिक किसी मद को मटीरियल पूर्ववधि वस्तु माना जाएगा ।

घ) पूर्ववर्ती यदि त्रुटि के संचित प्रभाव अथवा विशिष्ट अवधि के

(d) Raw Material i.e. Kapas is valued at average cost calculated quality wise, centre wise and cotton year wise. However, when there has been a decline in the price of Raw Material i.e. Kapas and it is estimated that the cost of the finished goods i.e. FP Bales will exceed net realizable value of raw material, the value of Kapas is written down to net realizable value.

(e) Raw Material i.e. Kapas purchased under the Support Price Operations is valued at average cost calculated quality wise and cotton year wise, since the loss suffered under such operations, if any, is reimbursable by Government of India.

(f) Yellow picking and sample bales are valued at realizable value.

(g) Stock of un-issued hessian/grey cloth, bardanas, gunny bags, iron hoops and pesticides are valued at average cost price.

(h) Tarpaulins are being written off over a period of three years.

1.5 Cash Flow Statements

Cash Flow Statement, as per Ind AS-7, is prepared using the indirect method, whereby profit for the period is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated.

1.6 Prior Period Items

Material prior period items which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of prior period's financial statement are corrected retrospectively in the first set of financial statements approved for issue after their discovery by:

a) Restating the comparative amounts for the prior perlod(s) presented in which the error occurred; or

b) If the error occurred before the earliest prior period presented, restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented .

c) Any items exceeding 0.25% of total revenue shall be considered as material prior period item.

d) Retrospective restatement shall be done except

लिए प्रभाव व्यवहार्य नहीं होते है तो इस स्थिति के लिए पुन: विवरणी तैयार की जायेगी । जब एक अथवा अधिक पूर्ववधि प्रस्तुत के लिए तुलनात्मक जानकारी पर किसी त्रुटि को विशेष प्रभाव निर्धारित करने की व्यवहार्य हो तो उस अवधि से कंपनी की परिसंपत्तियों के आरंभिक शेष देयताएँ तथा इक्विटी पुन: दर्शायी जा सकती है । (जो चालू अवधि हो सकती है)

to the extent that it is impracticable to determine either the period specific effects or the cumulative effect of the error. When it is impracticable to determine the period specific effects of an error on comparative information for one or more prior periods presented, the company shall restate the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period for which retrospective restatement is practicable (which may be the current period).

1.7 आयकर

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है ।

वर्तमान कर

वर्तमान में भुगतान योग्य कर वर्ष के कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/ लाभ या हानि विवरण में दिखाये गये कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती है । कंपनी के चालू कर की गणना लागू कर की दर से की जाती है जो हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो ।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणियों और संबंधित कर के बीच का अस्थायी अंतर है । आस्थगित कर दायित्वों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक पहचान की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे । आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ वापसी योग्य संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों पर मिलेगा । आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है । यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधरित होता है ।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट)

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का कर के नियमों के अनुसार भुगतान किया गया है, जो कि भविष्य में आय कर देयताओं के समायोजन के रूप में आर्थिक लाभ को बढ़ावा देता है, जिसको परिसम्पत्ति माना गया है, यदि ऐसे प्रत्यक्षकारी साक्ष्य हैं कि कंपनी भविष्य में सामान्य कर का भुगतान करती रहेगी । तद्नुसार यह संभावित है कि इसके साथ जुड़ा भावी आर्थिक लाभ कंपनी को बढ़ायेगा तथा तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जायेगा तथा परिसंपत्ति का विश्वस्त मूल्यांकन किया जा सकेगा ।

1.7 Income Taxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current Tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income/statement of profit or loss because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered. Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Minimum Alternate Tax (MAT)

Minimum alternative tax (MAT) paid in accordance with tax laws, which gives rise to future economic benefit in form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company shall pay normal tax in future. Accordingly, it is recognized as an asset in the balance sheet when it is probable that future economic benefit associated with it shall flow to the company and the asset can be measured reliably.

वर्ष के लिए वर्तमान और स्थगित कर

वर्तमान और आस्थिगत कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके की जब वे उन मदों से जोड़े जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमश: अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है ।

1.8 संपत्ति, प्लांट और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति की शुरुआती लागत प्लांट और उपकरणों में आयात शुल्क और गैर वापसीयोग्य खरीद कर सहित इसकी खरीद मूल्य शामिल है और किसी भी संपत्ति को कम करने की स्थिति और उसके इच्छित उपयोग के लिए स्थान लाने की प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल है।

फ्रीहोल्ड भूमि ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है । प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण के सभी अन्य सामान संचित मूल्यह्रास और संचित क्षतिपूर्ति घाटे के अधिग्रहण लागत नेट पर बताए जाते हैं यदि कोई हो ऐतिहासिक लागत में व्यय शामिल है जो वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार है पी । पीई की एक वस्तु की लागत मान्यता तिथि पर नकद मूल्य बराबर है । पीपीई के किसी आइटम की लागत में व्यापार शुल्क और छूट (यदि कोई हो) कटौती के बाद आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य खरीद कर सहित खरीद मूल्य शामिल है । प्रबंधन द्वारा लक्षित तरीके से परिचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक पीपीई को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार लागत है ।

बाद की लागत परिसंपत्तियों की ले जाने वाली राशि में शामिल होती है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है जब उचित हो सकता है कि आइटम के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाह करेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है । अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव व्यय को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान पर लगाया जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं । लाभ या हानि के बयान में संपत्तियों के सेवानिवृत्ति या निपटान पर उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को मान्यता दी जाती है ।

यदि महत्वपूर्ण भागों में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के एक आइटम के पास अलग–अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति संयंत्र और उपकरण के एक अलग आइटम (प्रमुख घटक) के रूप में माना जाता है । संपत्ति संयंत्र और उपकरण के निपटान पर कोई लाभ, लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है ।

संपत्ति संयंत्र और उपकरण के मामले में किए गए किसी भी राशि का भुगतान / व्यय जो बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को पूंजी कार्य–प्रगति के रूप में प्रकट किया गया है।

Current and deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

1.8 Property, Plant and Equipments (PPE)

The initial cost of property, plant and equipment (PPE) comprises its purchase price, including import duties and non refundable purchase taxes, and any directly attributable costs of bringing an asset to working condition and location for its intended use.

Freehold land is carried at historical cost. All other items of property, plant and equipment are stated at acquisition cost net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. The cost of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date. The cost of an item of PPE comprises purchase price including import duties and non refundable purchase taxes after deducting trade discounts and rebates (if any), Costs directly attributable to bringing the PPE to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the carrying amount of asset or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance expenses are charged to the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred. Gains or losses arising on retirement or disposal of assets are recognized in the Statement of Profit and Loss.

If significant parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, then they are accounted for as a separate item (major components) of property, plant and equipment. Any gain on disposal of property, plant and equipment is recognised in Profit and loss account.

Any amount paid/expenditure made in case of Property, plant and equipment which are not ready for intended use as on the date of Balance Sheet are disclosed as 'Capital work-in-progress'.

मूल्यह्रास पद्धति, अनुमानित उपयोगी जीवन व अवशिष्ट मूल्य :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 11 के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है । परिसंपत्तियों की खरीदी स्थापित करने की तारीख से जब तक बेची नहीं जाती प्रो रेटा आधार पर उनकी मूल्यह्रास की गणना की जाती है ।

संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है । पीपीई की प्रत्येक इकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है ।

सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को ''उपयोग के लिए उपलब्ध'' है और यह बिक्री द्वारा निपटान की तिथि तक लगाया जाता है । वित्तीय लीज के अंतर्गत लेखा की गई लैंड व बिल्डिंग की लीज की अवधि पर सीधी लाईन प्रणाली से परिशोधित किया जाता है । वित्तीय लीज के अंतर्गत प्राप्त अन्य संपत्ति, प्लांट व उपकरण परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से कम तथा यदि लीज टर्म की समाप्ति पर यदि स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कंपनी सुनिश्चित है तो मूल्यह्रास किया जाये ।

रिनोवेशन व आधुनिकीकरण के कारण यदि किसी परिसंपत्ति की कार्यक्षमता व आयु में वृद्धि होती है तो परिशोधित मूल्यह्रास राशि के साथ उस पर व्यय को तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित उसकी शेष उपयोगी जीवन पर चार्ज किया जाता है ।

यदि परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि वसूली योग्य राशि से तुरंत कम की जाती है ।

इंड एएस में परिवर्तन:

इंड एएस में परिवर्तन पर कंपनी ने आईजीएएपी के अंतर्गत आकलन की गई दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को मान्य सभी निवेश की गई संपत्तियों को संपत्ति, प्लांट और उपकरण माने जाने वाली लागत के रूप में संपत्तियों की कैरिंग वैल्यू के साथ लगातार चुना गया है ।

1.9 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्ति है जो किराया कमाने और/या पूँजी में बढ़ोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती है । निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन-देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने

Depreciation methods, estimated useful lives and residual value:

Depreciation is provided on the straight-line method to allocate the cost of assets, net of their residual values, over their estimated useful lives which are equal to those provided under schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation is calculated on a pro-rata basis from the date of acquisition/installation till the date the assets are sold or disposed of.

The useful life of an asset is reviewed at each financial year-end. Each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the asset and if the useful life of that part is different from remaining part of the asset; such significant part is depreciated separately.

Depreciation on all such items have been provided from the date they are 'Available for Use' till the date of sale/ disposal and includes amortization of intangible assets and lease hold assets. Land and building accounted under Finance Lease is amortized on a straight line basis over the period of lease. Other property, plant and equipment acquired under finance leases is depreciated over the asset's useful life or over the shorter of the asset's useful life and the lease term if there is reasonable certainty that the Company will obtain ownership at the end of the lease term.

Where the life and/or efficiency of an asset is increased due to renovation and modernization, the expenditure thereon along-with its unamortized depreciable amount is charged prospectively over the revised/remaining useful life determined by technical expert.

The carrying amount of an asset is written down immediately to its recoverable amount if the carrying amount of the asset is greater than its estimated recoverable amount.

Transition to Ind AS:

On transition to Ind AS, the Company has elected to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment recognized as at April 01, 2016 measured under IGAAP as the deemed cost of the property, plant and equipment.

1.9 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation (including property under construction for such purposes). Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. All of the Company's property interests held under operating leases to earn rentals or for capital

के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती है । आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है ।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति को पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है । संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है । (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है ।)

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की प्रबंधन द्वारा संपत्ति को उसी श्रेणी के लिए लगाया जाता है ।

इंड एएस में परिवर्तन:

इंड एएस में परिवर्तन पर कंपनी ने आईजीएएपी के अंतर्गत आकलन की गई दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को मान्य सभी निवेश की गई संपत्तियों को निवेश की गई संपत्तियों पर मानी जाने वाली लागत के रूप में संपत्तियों को कैरिंग वैल्यू के साथ लगातार चुना गया है ।

1.10 अमूर्त परिसंपत्ति

अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख लागत पर कम संचित परिशोधन तथा क्षति में हुई हानि (यदि कोई हो) पर किया गया है ।

क) इन्टरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग प्रोजेक्ट में शामिल कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर तथा अन्य लागत से संबंधित ऐसे सॉफ्टवेअर जो विशिष्ट रूप से आर्थिक लाभ देते है । इन लागतों में लाइसेंस फीस तथा सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस की लागत का समावेश है।

ख) उत्पादन/नमूने की आर्थिक जीवनी के ऊपर परिशोधित करने के लिए अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में योग्य विकासात्मक व्यय यदि कोई हो पूँजीकरण किया जाता है।

ग) कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर की लागत को सीधे लाईन पद्धति अपनाकर 3 वर्षों की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

इंड एएस में परिवर्तन:

इंड एएस में परिवर्तन पर कंपनी ने आईजीएएपी के अंतर्गत आकलन की गई दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को मान्यता प्राप्त सभी निवेश की गई संपत्तियों को मूर्त परिसंपत्तियों की माने जाने वाली लागत के रूप में संपत्तियों को कैरिंग वैल्यू के साथ लगातार चुना गया है ।

appreciation purposes are accounted for as Investment Properties. After initial recognition, the company measures investment property at cost.

An investment property is derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from the disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

Investment properties to be depreciated in accordance to the class of asset that it belongs and the life of the asset shall be as conceived for the same class of asset by the management of the company.

Transition to Ind AS :

On transition to Ind AS, the Company has elected to continue with the carrying value of all of its investment properties recognized as at April 01, 2016 measured under IGAAP as the deemed cost of investment properties.

1.10 Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

a) Computer software includes enterprise resource planning project and other cost relating to such software which provides significant future economic benefits. These costs comprise of license fees and cost of system integration services.

b) Development expenditure qualifying as an intangible asset, if any, is capitalized, to be amortized over the economic life of the product/ patent.

c) Computer software cost is amortized over a period of 3 years using straight-line method.

Transition to Ind AS:

On transition to Ind AS, the Company has elected to continue with the carrying value of intangible assets recognized as at April 01, 2016 measured under IGAAP as the deemed cost of intangible assets.

1.11 परिसंपत्तियों की क्षति

आंतरिक/बाहरी घटक पर आधारित कोई क्षति के संकेत निर्धारण करने के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की वर्तमान राशि पर समीक्षा की जाती है । जहाँ कहीं परिसंपत्तियों की वर्तमान राशि वसूली योग्य राशि से अधिक है तो यदि ऐसे निर्धारण पर हुई क्षति की हानि को मान्यता दी जाती है । परिसंपत्तियों की उपयोग में वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य अथवा वैल्यू है जो अधिक है । उपयोग में मूल्य निर्धारण करते समय पूँजी की वेटेज औसत लागत के उपयोग द्वारा अनुमानित भावी नकद प्रवाह को वर्तमान मूल्य तक छूट दी जाती है । पहले मान्यता प्राप्त क्षति की हानि को आगे प्रावधान किया जाये अथवा रिवर्स किया जायेगा यह परिस्थितियों पर आधारित है तथा परिसंपत्तियों की वर्तमान राशि उस सीमा तथा वर्तमान राशि के अधिक न हो के निर्धारण के लिए यदि पिछली क्षति में हानि को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है तो इस पर मान्यता दी जायेगी ।

1.12 पट्टा (लीज):

वित्तीय लीज

लीज के अधीन परिसंपत्ति जैसे संपत्ति, प्लांट व उपकरण जिसमें जोखिम व स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा पट्टेदार को स्थांनांतरित कर दिया जाता है वे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत होते हैं । एकाऊटिंग ट्रीटमेंट निम्नानुसार है :

पट्टाकर्ता के रूप में

वित्तीय लीज का पूँजीकरण लीज्ड संपत्ति के उचित मूल्य पर लीज के प्रारंभ में अथवा यदि कम हो, तो न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है । संबंधित किराएँ पर दायित्व, वित्तीय चार्ज का निवल उधारी में अथवा अन्य उचित वित्तीय देयताए शामिल हैं । प्रत्येक लीज का भुगतान देनदार तथा वित्तीय लागत के मध्य आवंटित है । वित्त लागत को पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण के लिए चार्ज किया जाता है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर उत्पन्न हो सके ।

लीज जिसके स्वामित्व में जोखिम व रिवार्डस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कंपनी को पट्टे के रूप में स्थांनांतरित नहीं किया जाता है उनको ऑपरेटिंग पट्टे के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । ऑपरेटिंग पट्टे के तहत किए गए भुगतान (पट्टे से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन के नेट) को लीज की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि का विवरण दिया जाता है ।

पट्टादाता के रूप में

ऑपरेटिंग पट्टे से लीज आय जहाँ कंपनी पट्टादाता के रूप में है लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति कें आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की तुलना में रसीदों को तैयार नहीं किया जाता ताकि संभावित मुद्रास्फीति

1.11 Impairment of Assets

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date to assess if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss on such assessment will be recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of the assets is net selling price or value in use, whichever is higher. While assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value by using weighted average cost of capital. A previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in the circumstances and to the extent that carrying amount of the assets does not exceed the carrying amount that will be determined if no impairment loss had previously been recognized.

1.12 Leases:

Finance Lease

Assets held under lease viz. property, plant and equipment, in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are transferred to lessee are classified as finance leases. The accounting treatment is as below:

As Lease

Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in borrowings or other financial liabilities as appropriate. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to the Statement of Profit and Loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are not transferred to the company as lessee are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the period of the lease.

As Lessor

Lease income from operating leases where the company is a lessor is recognized as income on a straight-line basis over the lease term unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost

लागत में वृद्धि की जा सकें । संबंधित लीज्ड परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति पर आधारित तुलन पत्र में शामिल किया गया है ।

ऑपरेटिंग लीज

अन्य सभी शेष लीज को ऑपरेटिंग लीज के रूप में माना जाता है ।

1.13 राजस्व पहचान

(i) **पहचान का समय**

माल की बिक्री से प्राप्त आप की संविदा की शर्तों के अनुसार खरीददार को माल के अंतरण में स्वामित्व के सभी विशिष्ट जोखिम व पुरस्कार की मान्यता दी जाती है । माल से कोई सतत मैनेजेरियल इंवॉल्वमेंट नहीं है और ना ही बिक्री किए गए माल के ऊपर प्रभावी रूप से नियंत्रण है, राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से माप लिया जा सकता है और यह संभव हैं कि भविष्य में आर्थिक लाभ इकाई के लिए यह प्रवाह करेंगे और कंपनी के प्रत्येक कार्यों के लिए विशिष्ट मानदंडो को पूरा किया जायेगा ।

ऑपरेटिंग राजस्व

क) संविदा जब हस्ताक्षर की जाती है तो रूई की बिक्री, पूर्ण बंधित गाँठों को मान्यता दी जाती है । संविदा के शर्तों के अनुसार प्रारंभ में सुरक्षा जमा राशि प्राप्त की जाती है तथा गाँठों का चयन किया जाता है ।

ख) कंपनी द्वारा सुपुर्दगी आदेश जारी करते समय बिनौला बिक्री को मान्यता दी जाती है बशर्ते कि वजन हुआ हो ।

ग) वर्ष के दौरान बुक की गई बिक्री के बारे में जहाँ लागू हो, ब्याज के सामने ऋण, देरी से उठाये गए प्रभार तथा कैरिंग चार्जस लिए जाते है ।

घ) संबंधित लदान बिल्स के आधार पर निर्यात बिक्री को लेखांकित किया जाता है ।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय जो बिक्री/सेवाएँ जैसे सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर हुई हानि दावों, क्रेडिट सेल्स पर ब्याज व व्यापार संबंधित अग्रिम (ओवरड्यू को छोड़कर) जो व्यापार एसोसिएट्स से संबंधित व्यापार करार की शर्तों पर आधारित निकाली जाती है वे अन्य ऑपरेटिंग राजस्व के अंतर्गत लेखांकित की जाती हैं ।

दावे

सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियों की प्रतिपूर्ति इत्यादि के लिए सरकार से प्राप्त योग्य राशि शामिल करते हुए प्रोद्भूत आधार पर लाभ और हानि की विवरणी (कोई भुगतान योग्य निवल) में दावों को मान्यता दी जाती है जब यह अंतिम संग्रह के लिए उचित नहीं है परन्तु इसके साथ संदिग्ध हो रहे दावों को लाभ और हानि विवरणी के लिए

increases. The respective leased assets are included in the Balance Sheet based on their nature.

Operating Lease

All other leases are treated as operating leases.

1.13 Revenue Recognition

(i) Timing of Recognition

Revenue from sale of goods is recognized when all the significant risks and rewards of ownership in the goods are transferred to the buyer as per the terms of the contract, there is no continuing managerial involvement with the goods nor effective control over the goods sold, the amount of revenue can be measured reliably and it is probable that future economic benefits will flow to the entity and specific criteria have been met for each of the activities of the company.

Operating Revenue

(a) Sale of lint, fully pressed bales of cotton are recognized when the contract has been signed, initial security deposit as per the terms of the contract has been received and bales have been selected.

(b) Sale of cotton seeds is recognized at the time of issuance of delivery orders by the company provided weighment has taken place.

(c) Credit towards interest, late lifting charges and carrying charges wherever applicable, has been taken in respect of sales booked during the year.

(d) Export sales are accounted on the basis of relevant Bills of Lading.

Other Operating Revenue

The income relating to the core activities of the company which are not included in revenue from sales/ services for e.g. subsidy, claims against losses on trade transactions, interest on credit sales and trade related advances (other than on overdue) etc., which are derived based on the terms of related trade agreements with business associates or schemes on related trade, are accounted for under 'Other Operating Revenue'.

Claims

Claims are recognized in the Statement of Profit & Loss (Net of any payable) on accrual basis including receivables from Govt. towards subsidy, cash incentives, reimbursement of losses etc, when it is not unreasonable to expect ultimate collection. Claims recognized but subsequently becoming doubtful are provided for

प्रबंध किया गया है । बीमा कंपनी द्वारा संबंधित हानि वाऊचर्स को जारी करने पर बीमा दावों का लेखा किया गया है ।

लाभ व ब्याज आय

बकाया राशि व प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में लेते हुए ब्याज की आय को समयानुपातिक आधार पर मान्यता दी गई है जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल कैरिंग राशि से अपेक्षित आयु के अनुमानित भविष्य की नकद रसीदों को पूरी तरह छूट देती है।

वास्तविक वसूली पर राजस्व मान्यता

क) संस्थागत खरीददारों से बकाया ऋण के बारे में ब्याज की आय जो कंपनी को बकाया राशि भुगतान करने में नियमित नहीं है।

ख) प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुन: बिक्री से उत्पन्न हानियों के लिए चूककर्ता खरीददारों के निवल दावें (जमा राशि समायोजन के पश्चात, अग्रिम कैरिंग चार्जेस, तथा शेष ऋण) व उस पर ब्याज

1.14 कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, पारिश्रमिक, बोनस, एक्सग्रेशिया, चिकित्सा लाभ इत्यादि जैसी सेवा के 12 महीनों के भीतर सभी कर्मचारियों के भुगतान योग्य लाभ को जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा देते हैं उनको उस वर्ष में मान्यता दी जाती है तथा तुलन पत्र में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । टरमीनेशन लाभ जब खर्च किया गया हो व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है । अल्पकालिक छुट्टी नकदीकरण कर्मचारियों द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं पर लेखा अवधि के दौरान छूट राशि के आधार पर प्रावधान किया गया है ।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अर्जित छुट्टी व सिक लीव हेतु देनदारियों को नियत सेवाएँ प्रस्तुत करने के दौरान वर्ष की समाप्ति पर जिसमें कर्मचारियों के सबंद्ध सेवाएँ दी है 12 महीनों के भीतर पूर्ण रूप से निपटाने की अपेक्षा नहीं है इसीलिए इनको प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बारे में किए जाने वाले अपेक्षित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य से आकलन किया जाता है । उन लाभों को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर मार्केट उपज का उपयोग करते हुए लाभों को छूट दी जाती है जिसमें संबंधित दायित्व के टर्मस अनुमानित होते हैं । अनुभव समायोजन तथा बीमांकिक अनुमानों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पुन: आकलन को लाभ और हानि में मान्यता दी गई हैं।

through Statement of Profit and Loss. Insurance claims are accounted upon issuance of relevant loss vouchers by the insurance company.

Dividend and Interest income

Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to the gross carrying amount of a financial asset.

Revenue recognition on actual realization

(a) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are not regular in clearing their dues to the Company;

(b) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

1.14 Employee Benefits:

Short term employee benefits

All employee benefits payable within 12 months of service such as salaries, wages, bonus, ex-gratia, medical benefits etc. are recognized in the year in which the employees render the related service and are presented as current employee benefit obligations within the Balance Sheet. Termination benefits are recognized as an expense as and when incurred. Short-term leave encashment is provided at undiscounted amount during the accounting period based on service rendered by employees.

Other Long term employee benefits

The liabilities for earned leave and sick leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Re-measurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in profit or loss.

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना, योजना के अंशदान जैसे भविष्य निधि व अधिवर्षिता निधि में अंशदान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं में आवश्यक अंशदान की राशि के आधार पर लाभ व हानि विवरणी में व्यय के रूप में चार्ज किया गया है । उपर्युक्त लाभों को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है । क्योंकि भारतीय कपास निगम लिमिटेड में मासिक अंशदान के अलावा आगे परिभाषित दायित्व के रूप में कुछ नहीं है ।

परिभाषित लाभ योजना

उपदान निधि :

सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल करते हुए न्यास द्वारा प्रशासित निधि में कर्मचारी उपदान निधि योजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा वार्षिक अंशदान किया जाता है । इस योजना में कर्मचारियों को एक मुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान है । इस योजना में नियोक्ता को त्याग पत्र देने, सेवानिवृत्ति पर, मृत्यु के समय उपदान निधि प्राप्त करने का हक निहित है जिसमें कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के भुगतान का जो छः महीनों से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष व किसी सेवा के भाग के लिए 15 दिनों के समतुल्य वेतन की राशि का प्रावधान है । मृत्यु को छोड़कर पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर उपदान निधि दावे का हक निहित है ।

उपदान निधि दायित्व परिभाषित लाभ बाध्यता है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रोजेक्टेड इकाई क्रेडिट पद्धति के अनुसार इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक्चुअरी द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर इसकी गणना की जाती है । परिभाषित लाभ उपदान निधि योजना के बारे में तुलन पत्र में परिसंपत्ति अथवा देयता को मान्यता दी गई है जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्लान परिसंपत्ति के उचित मूल्य से कम वर्तमान मूल्य है ।

पारिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य सरकारी बॉन्डस पर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर मार्केट उत्पादकता के संदर्भ में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारण किया जाता है। जिसमें संबंधित बाध्यता के टर्मस की शर्ते हैं ।

पारिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष तथा उचित मूल्य की योजना परिसंपत्ति पर डिस्काऊंट रेट द्वारा शुद्ध ब्याज लागत की गणना की जाती है । लाभ व हानि विवरणी में कर्मचारी लाभ व्यय में इस लागत को शामिल किया गया है ।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकक धारणाओं से उत्पन्न लाभ व हानियों का पुर्नमूल्यांकन उस अवधि में जिसमें घटित हुई हैं उन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है । इन्हें इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी तथा तुलन पत्र में रिटेंड अर्जन में शामिल किया गया है ।

Defined Contribution Plan

Contributions to defined contribution schemes such as contribution to Provident Fund and Superannuation Fund are charged as an expense to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contribution required to be made as and when services are rendered by the employees. The above benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Cotton Corporation of India Limited has no further defined obligations beyond the monthly contributions.

Defined Benefit Plan

Gratuity :

The company makes annual contributions under the Employees Gratuity scheme to a fund administered by trustees covering all eligible employees. The plan provides for lumsum payments to employees whose right to receive gratuity has vested at the time of resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary for each completed year of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs upon completion of five years of service except in case of death.

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is computed on the basis of an actuarial valuation by an actuary appointed for the purpose as per projected unit credit method at the end of each financial year. The liability or asset recognized in the Balance Sheet in respect of defined benefit Gratuity plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on Government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the Statement of Profit and Loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur directly in Other Comprehensive Income. They are included in retained earnings in the Statement of changes in equity and in the Balance Sheet.

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ को परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी गई है । जिसकी प्रत्येक वार्षिक रिपार्टिंग अवधि की समाप्ति पर ली जानेवाली बीमांकिक मूल्यांकन से इंड ए एस 19 के अनुसार प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए गणना की गई है । किसी भी बीमांकिक हानि/लाभ को लाभ व हानि विवरणी खाते में आय अथवा व्यय के रूप में तुरंत मान्यता दी जाती है ।

अन्य

(i) **उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन :**

उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन योजना संपूर्ण कार्य निष्पादन पर आधारित है यानि वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन और कपास वर्ष के लिए वास्तविक निष्पादन । वित्तीय निष्पादन वित्तीय वर्ष के परिणाम पर आधारित है और वास्तेविक निष्पादन कपास वर्ष के दौरान निष्पादन पर आधारित है । वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप् होता है और कपास वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है यानि वित्तीय वर्ष समाप्ति के छः माह के बाद पीएलआई योजना के अंतर्गत सर्वोत्तम उत्पादकता सूचकांक की गणना केवल कपास वर्ष यानि प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के बाद की जा सकती है । अतः पीएलआई के लिए उसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रावधान करना संभव नहीं है । अतः कंपनी कपास वर्ष के अंत मे पीएलआई की ग्राह्यता तथा मात्रा की गणना करने की प्रथा का अनुपालन करती है और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय को नामे करती है ।

(ii) एक्सग्रेशिया का भुगतान तथा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर नोटिस पे को जिस वर्ष में भुगतान किया गया है उस वर्ष के लाभ व हानि की विवरणी में मान्यता दी जाती है ।

(iii) कर्मचारियों को दिए गए ऋण के भावी प्रवाह में यदि रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रवाह वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व का 0.25% तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋण का मूल्यांकन उचित मूल्य पर लगाया जाता है तो छूट से उत्पन्न कर्मचारी लागत को लेखा में मान्यता दी जाती है ।

1.15 सरकारी अनुदान

क) सरकारी अनुदान को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जहाँ उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन करेगी ।

ख) संपत्ति, प्लांट व उपकरण की खरीदी से संबंधित सरकारी अनुदान आस्थगित आय के रूप में गैर-चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा परिसंपत्तियों की अपेक्षित आय पर मूल्यह्रास के अनुपात में लाभ अथवा हानि में जमा किया गया है तथा अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया गया है ।

Post Retirement Medical Benefit Scheme

Post-retirement medical benefits are recognized based on the present value of defined benefit obligation which is computed using the projected unit credit method as per IND AS 19, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Any actuarial losses/gains are recognized immediately in the statement of profit and loss account as an income or expense.

Others

(i) Productivity Linked Incentive :

The productivity linked incentive scheme is based on overall performance i.e. Financial Performance for the Financial Year and Physical Performance for the Cotton Year. The Financial performance is based on the Financial Results for the Financial Year and the Physical performance is based on the performance during the Cotton Year. The Financial Year ends on 31st March and the Cotton Year ends on 30th September i.e. after 6 months of close of the Financial Year. Since it involves two financial years, hence the Optimum Productivity Index under the Productivity Linked Incentive Scheme, can be worked out only at the end of the Cotton Year i.e. after 30th September each year. Therefore, the Company follows the practice consistently of working out the eligibility and quantum of PLI at the end of the Cotton Year and debiting the expenditure in the ensuing Financial Year in which the same is approved by the Board.

(ii) Payment of Ex-Gratia and notice pay on voluntary retirement are recognized in the Statement of Profit and Loss in the year in which payment is made.

(iii) Employees cost that would arise on discounting of future cash flows of loans given to employees are recognized in the accounts if the net impact in the reporting financial year exceeds 0.25% of total revenue of the financial year and loans given to employees are measured at fair value.

1.15 Government Grants

a) Government grants are recognized at their fair value where there is a reasonable assurance that the Grant will be received and the company will comply with all attached conditions.

b) Government Grants relating to purchase of property, plant and equipment are included in non- current liabilities as deferred income and are credited to profit or loss in proportion to depreciation over the expected lives of the related assets and presented within other income.

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से लागत से आवश्यक मैच करने की अवधि पर लाभ व हानि विवरणी में आस्थगित मान्यता दी जाती है तथा अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है ।

1.16 विदेशी मुद्रा अंतरण

विदेशी मुद्रा में लेन देन का क्रियात्मक मुद्रा में अंतरण लेन देन की तारीखों पर विनिमय दर से किया जाता है । ऐसे लेन देन के निपटान के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय के लाभ व हानियों तथा विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य पर मौद्रिक परिसंपत्तियों व देयताओं के अंतरण से वर्ष की समाप्ति पर विनिमय दर को सामान्यत: लाभ तथा हानि में मान्यता दी जाती है ।

1.17 उधार लागत

उधार लागत को प्रारंभ में लेन देन की शुद्ध लागत खर्च पर उचित मूल्य में मान्यता दी गई है । इसके पश्चात उधार को परिशोधन लागत पर आकलन किया गया है । इस प्रक्रिया तथा(लेन देन की शुद्ध लागत) राशि में छूट के बीच अंतर को प्रभावशाली ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए उधार की अवधि पर लाभ अथवा हानि में मान्यता दी गई है । उधारी को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात न्यूनतम 12 महीनों के लिए देयताओं के आस्थिगत निपटान के अनकंडीशनल हक ।

जब तक कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात न्यूनतम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को अस्थगित रखने का अशर्त अधिकार न हो, उधार को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

1.18 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी प्रति शेयर को सकल लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर के अर्जन की गणना की जाती है । ई पीएस के निर्धारण में अर्जन तथा उस अवधि के लिए दिए गए किसी कर का शुद्ध लाभ हैं ।

1.19 प्रावधानों, समाश्रित देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ

क) पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक और रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के बर्हिभाव की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके ।

ख) प्रावधानों का आकलन व्यय के प्रबंध के श्रेष्ठ आकलन वर्तमान मूल्य द्वारा ही किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो । वर्तमान मूल्य निर्धारण करने के लिए उपयोग की जानेवाली छूट दर एक पूर्व करदाता है जो मुद्रा के समय मूल्य और देयता के लिए

c) Government grants relating to income are deferred and recognized in the Statement of Profit and Loss over the period necessary to match them with the costs that they are intended to compensate and presented within other income.

1.16 Foreign currency translation

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at year end exchange rates are generally recognized in profit or loss.

1.17 Borrowing costs

Borrowings are initially recognized at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently measured at amortized cost. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption amount is recognized in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

1.18 Earnings per Share

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to Equity Shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the period. Earnings considered in ascertaining the EPS is the net profit for the period and any attributable tax thereto for the period.

1.19 Provisions, Contingent liabilities & Assets

a) Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount can be reliably estimated. These are reviewed at each year end and reflect the best current estimate. Provisions are not recognized for future operating losses.

b) Provisions are measured at the present value of best estimate of the Management of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time

निर्दिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है । समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

ग) जब कंपनी का पिछली घटनाओं से संभावित दायित्व की विद्यमानता जो भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर पुनरावृत्ति की पुष्टि करता है, जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जहाँ या तो यह संभव नहीं है कि स्त्रोतो के बहिर्वाह पर दायित्व के निपटान की आवश्यकता हो अथवा राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता ।

घ) आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में टिप्पणियों में दिखाया जाता है । अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है ।

1.20 वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय दस्तावेज कोई ऐसी संविदा है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति को दूसरी इकाई की वित्तीय देयताएँ अथवा इक्विटी दस्तावेज में वृद्धि देता है । वित्तीय दस्तावेज अमौलिक (डेरीवेटिव) संविदाएँ जैसे विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कांट्रैक्टस, क्रास करंसी ब्याज दर स्वैप, ब्याज दर स्वैप तथा मुद्रा विकल्प तथा होस्ट कांट्रैक्ट में एम्बेडेड डेरीवेटिव भी शामिल है ।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक मान्यता व आकलन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य प्लस पर मान्यता दी गई है, उन वित्तीय परिसंपत्त्यिों के मामले में जो लाभ व हानि, लेनदेन लागत से (उचित मूल्य पर रिकॉर्ड नहीं की गई है) वे वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए आरोपनीय है ।

वर्गीकृत एवं अनुवर्ती आकलन

वर्गीकृत

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण परिशोधन लागत अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी के बिजनेस मॉडल पर आश्रित उचित मूल्य तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकद प्रवाह विशेषताओं पर आकलन किया जाता है ।

बिजनेस मॉडल निर्धारण

कंपनी बिजनेस मॉडल जिसमें परिसंपत्तियों को पोर्टफोलियों स्तर को निमंत्रित किया जाता है उसके मूल उद्देश्य को निर्धारण करती

value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expense.

c) Contingent liabilities are disclosed when there is a possible obligation arising from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount cannot be made.

d) Contingent Assets are not recognized in the financial statements. Such contingent assets are assessed continuously and are disclosed in Notes when the inflow of economic benefits becomes probable. If it is virtually certain that inflow of economic benefits will arise then such assets and the relative income will be recognized in the financial statements.

1.20 Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. Financial instruments also include derivative contracts such as foreign currency forward contracts, cross currency interest rate swaps, interest rate swaps and currency options; and embedded derivatives in the host contract.

Financial Assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit and loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the financial asset.

Classification and subsequent measurement

Classifications

The Company classify financial asset as subsequently measured at either amortized cost or fair value depending on the Company's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.

Business Model Assessment

The company makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way business is

है क्योंकि ये श्रेष्ठ बिजनेस का प्रतिबिंब है व हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है ।

अमूर्त लागत पर डेब्ट दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों शर्ते मेल खाती है तो ही अमूर्त लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का आकलन किया जाता है ।

परिसंपत्तियों को रोकने के उद्देश्य से अनुबंधित नगद प्रवाह को एकत्र करने के लिए व्यापार मॉडल के भीतर किया जाता है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अनुबंधित शर्ते जो संविदात्मक नकद प्रवाह को प्रतिनिधित्व करती है । वे पूर्णत: मूल व ब्याज के भुगतान है ।

प्रारंभिक आकलन के पश्चात ऐसी वित्तीय परसंपत्तियों पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति अपनाकर परिशोधन लागत पर आकलन किया जाता है । परिशोधन लागत की कोई छूट अथवा धारण पर प्रीमियम व फीस अथवा लागत जो प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग है उनको ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है । परिशोधन प्रभावी ब्याज दर को लाभ व हानि में वित्त के रूप में शामिल किया जाता है । क्षति से उत्पन्न हानि को लाभ व हानि में मान्यता दी जाती है ।

अन्य व्यापक आय से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज अनुबंधित नकद प्रवाह से (ओसीआई)

संविदागत नकद प्रवाह के साथ ऋण दस्तावेज की विशेषताओं जिनका मूल राशि व ब्याज में पूर्णत: भुगतान किया गया है और बिजनेस मॉडल में रोका गया है उनका मूल उद्देश्य अनुबंधित नकद प्रवाह को एकत्र करने तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों के द्वारा प्राप्त किया गया है । एफवीओसीआई पर आकलन वर्गीकृत किया गया है ।

लाभ व हानि से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (एफवीटीपीएल)

ऋण दस्तावेज जो परिशोधन लागत पर वर्गीकृत लागत के रूप में या एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडो को पूर्ण नहीं करता है उनको एफवीटीपीएल में वर्गीकृत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण दस्तावेज को वर्गीकरण करने के लिए जो एफवीटीपीएल पर अन्यथा परिशोधन लागत अथवा एफवीओसीआई मानदंड के अनुकूल है । तथापि, यदि घटौति अथवा आकलन को विलुप्त करने अथवा मान्यता में मेल न हो तो इसके चयन की अनुमति दी जा सकती है । (लेखा मिसमैच के रूप में संदर्भित)

ऋण दस्तावेज को एफवीटीपीएल के भीतर शामिल श्रेणी को लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों से उचित मूल्य पर आकलन किया गया है ।

managed and information is provided to us.

Debt Instrument at amortized cost

A financial asset is measured at amortized cost only if both the following conditions are met:

It is held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows

The contractual terms of the financial asset represent contractual cash flows that are solely payments of the principal and interest..

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest rate amortization is included as finance in the profit and loss. The losses arising from the impairment are recognized in profit and loss.

Debt Instrument at fair value through Other Comprehensive Income (OCI)

Debt instrument with contractual cash flow characteristics that are solely payments are principal and interest and held in a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets are classified to be measured at FVOCI.

Debt Instrument at fair value through profit and loss (FVTPL)

Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVOCI, is classified as at FVTPL

In addition, the company may elect to classify a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVCOI criteria, as at FVTPL. However, such selection is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch')

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in profit and loss.

इक्विटी दस्तावेज

इंड एएस 109 के दायरे में इक्विटी दस्तावेज को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है । प्रारंभिक मान्यता पर इक्विटी निवेश जो व्यापारिक नहीं है, कंपनी ओसीआई में उचित मूल्य में होनेवाले परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से चुनाव कर सकती है । यह चुनाव निवेश पर निवेश आधार पर किया जायेगा ।

शेष सभी दस्तावेज एफवीटीपीएल पर आकलन के अनुसार वर्गीकृत किए गए है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग अथवा समूह का भाग भी वित्तीय परिसंपत्ति) को मुख्य रूप से अमान्यता दी गई हो (यानि कंपनी के तुलन–पत्र से निकाला हुआ) जब

- समाप्त होनेवाली परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्ति का अधिकार, अथवा
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अपना अधिकार स्थानांतरित किया हो अथवा 'पास थ्रु' व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी को अविलंब मटीरियल पूर्ण नकद प्राप्ति का भुगतान करने के लिए दायित्व ग्रहण किया हो, और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम व रिवॉर्डस के पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिए हो, (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम व रिवॉर्डस को पर्याप्त रूप से न स्थानांतरित किए हो और न ही रोककर रखे गए हो परंतु परिसंपत्ति के नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया हो ।

कंपनी ने जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार स्थानांतरित कर दिया हो अथवा 'पास थ्रु' व्यवस्था में प्रविष्टि की हो, तो यह मूल्यांकन किया जाता है कि किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम व रिकॉर्ड को रोककर रखा है । जब कंपनी ने परिसंपत्ति के जोखिम व रिकॉर्ड को न तो स्थानांतरण किया है और ना ही पर्याप्त मात्रा में रोककर रखा हैं और ना ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, तो कंपनी स्थानांतरित परिसंपत्ति को सतत रूप से सम्मिलित कर मान्यता दे रही है । ऐसे मामले में कंपनी संबंद्ध देयता को भी मान्यता प्रदान कर रही है । स्थानांतरित परिसंपत्ति तथा संबंद्ध देयता को उनके अधिकार व औचित्य की प्रतिष्ठा के आधार पर आकलन कर रही है जो कंपनी ने रोकी है ।

स्थांतरित परिसंपत्ति पर सतत जुड़ाव जो गारंटी का रूप लेता है उसका परिसंपत्ति के मूल राशि के नीचे आकलन किया जाता है तथा अधिकतम राशि दर पुनः भुगतान करने की आवश्यकता है ।

वित्तीय परिसंपत्ति की अमान्यता पर, परिसंपत्ति की वर्तमान राशि के बीच का अंतर (अथवा अमान्यता प्राप्त परिसंपत्ति के भाग का आवंटित वर्तमान मूल्य) तथा विचार प्राप्त (किसी नई संपत्ति को कम

Equity Instruments

All equity instruments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. On initial recognition an equity investment that is not held for trading, the Company may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value in OCI. This election is made on an investment-by-investment basis.

All other financial instruments are classified as measured at FVTPL.

Derecognition of financial asset

A financial asset (or, where applicable, a part of financial asset or part of a group is similar financial assets) is primarily derecognized (i.e. removed from the Company's balance sheet) when:

- The right to receive cash flows from the asset have expired, or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed obligation to pay the received cash flows in the full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset

When the Company has transferred its right to receive cash flows from an asset or has entered into a 'pass-through' arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risk and reward of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risk and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the company continues to recognize the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligation that company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay.

On derecognition of a financial asset, the difference between the carrying amount of the asset (or the carrying amount allocated to the portion of the asset derecognized) and the sum of (i) the consideration

से कम कोई नहीं देयता को शामिल करते हुए) तथा (ii) कोई संचित लाभ अथवा हानि जिसकी ओसीआई में पहचान की गई है उसे लाभ अथवा हानि में मान्यता दी गई है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी परिशोधित लागत व एफवीओसीआई ऋण दस्तावेजों पर कैरिड परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित जमा हानियों के आधार पर आगे मूल्यांकन करती है । यदि क्रेडिट जोखिम में विशिष्ट वृद्धि हो तो उस पर निर्भर क्षति की कार्यप्रणाली लागू की जाती है ।

व्यापार प्राप्य के बारे में, कंपनी इंडएएस 109, द्वारा लागू सरल दृष्टिकोण अपनाती है जो वित्तीय दस्तावेज जिसमें व्यापार प्राप्य की प्रारंभिक पहचान से अपेक्षित आजीवन हानियों को मान्यता देने की आवश्यकता है ।

वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता एवं आकलन

उचित लाभ अथवा हानि, परिशोधित लागत से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं के अनुसार प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है ।

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा परिशोधन लागत के मामले में सीधे आरोपित ट्रान्जेक्शन लागत के निवल पर मान्य किया जाता है ।

तद्रंतर आकलन

वित्तीय देयताओं का आकलन उनके वर्गीकरण पर निर्भर होता है जो निम्नानुसार है:

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताओं का आकलन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात ऋण और उधार पर ब्याज की प्रभावी ब्याज पद्धति अपनाकर परिशोधन लागत पर आकलन किया जाता है । लाभ अथवा हानि को जब देयताओं को अमान्य तथा ई आई आर परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से लाभ व हानि में मान्यता दी जाती है ।

परिशोधन लागत की छूट अथवा धारण करने पर प्रीमियम व फीस अथवा लागत जो प्रभावी दर के अभिन्न अंग है उनको ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है । प्रभावी ब्याजदर पर अमूर्तकरण को लाभ व हानि विवरणी में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है ।

लाभ अथवा हानि से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ (एफवीटीपीएल)

ट्रेडिंग व वित्तीय देयताओं हेतु रोकी गई वित्तीय देयताओं में शामिल लाभ अथवा हानि से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं के लाभ अथवा हानि से उचित मूल्य पर प्रारंभिक रूप से पहचानने के अनुसार

received (including any new asset obtained less any new liability assumed) and (ii) any cumulative gain or loss that had been recognized in OCI is recognized in profit or loss.

Impairment of financial assets

The Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its assets carried at amortized cost and FVOCI debt instruments. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

With regards to trade receivable, the Company applies the simplified approach as permitted by Ind AS 109, Financial Instruments, which requires expected lifetime losses to be recognized from the initial recognition of the trade receivables.

Financial Liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, amortized cost, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of amortized cost, net of directly attributable transaction costs.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends o their classification, as described below:

Financial liabilities measured at amortized cost

After initial recognition, interest bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are integral part of the effective interest rate. The effective interest rate amortization is included as finance costs in the statement of profit and loss.

Financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair

नामित किया गया है । यदि नजदीकी अवधि में पुन: बिक्री के लक्ष्य के लिए किए गए ट्रेडिंग कर के अनुसार वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण किया गया है ।

ट्रेडिंग के लिए की गई देयताओं पर लाभ व हानियों को लाभ अथवा हानि में मान्यता

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताओं को पहचानने की प्रारंभिक तारीख के रूप में नामित किया जाता है और यदि वे केवल इंड एएस 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं । एफवीटीपीएल पर नामित देयताओं हेतु क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन से किए गए उचित मूल्य पर लाभ/हानियाँ को ओसीआई में मान्यता दी गई है । तत्पश्चात इन लाभ/हानि को पीएंडएल में स्थानांतरण नहीं किया गया है । तथापि ग्रुप इक्विटी के भीतर संचित लाभ अथवा हानि को स्थानांतरण किया जा सकता है । इन देयताओं के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता दी गई है ।

वित्तीय देयताओं को अमान्य

जब संविदागत दायित्व डिस्चार्ज अथवा रद्द अथवा समाप्त किए जाते है तो वित्तीय देयताओं को कंपनी अमान्य करती है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं में संशोधन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

यदि वित्तीय परिसंपत्तियों का टर्म संशोधित किया जाता है तो कंपनी बताती है कि संशोधित परिसंपत्तियों का नकद प्रवाह अलग है या नहीं। यदि नकद प्रवाह अलग है तो मूल वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त समझे जाते है । इस मामले में मूल वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य किया जाता है तथा नए वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है । यदि परिशोधित लागत पर संशोधित परिसंपत्ति के नकद प्रवाह अलग न हो तो वित्तीय परिसंपत्ति को संशोधन के परिणामस्वरूप अमान्य किया जाता है ।

इस मामले में कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वर्तमान राशि की पुन: गणना करती है तथा सकल वर्तमान राशि के समायोजन से उत्पन्न राशि को लाभ अथवा हानि में संशोधित लाभ अथवा हानि के रूप में मान्यता देती है । ऐसे संशोधन यदि उधार लेनेवाले की वित्तीय कठिनाई के कारण हुई है तो हानियों की क्षति सहित लाभ व हानि प्रस्तुत: की जाती है । अन्य मामलों में ब्याज आय के रूप में प्रस्तुत की जाती है ।

value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term.

Gains and losses on liabilities held for trading are recognized in the profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss are designated as such at the initial date of recognition, and only if the criteria in Ind AS 109 are satisfied. For liabilities designated at FVTPL, fair value gains/losses attributable to changes in own credit risks are recognized in OCI. These gains/loss are not subsequently transferred to P&L. However, the group may transfer the cumulative gain or loss within equity. All other changes in fair value of such liability are recognized in the statement of profit or loss.

Derecognition of financial liabilities

The company derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expire.

Modification of financial assets and financial liabilities

Financial Assets

If the terms of a financial asset are modified, the company evaluates whether the cash flows of the modified assets are subsequently different. If the cash flows are subsequently different, then the contractual rights to cash flows from the original financial assets are deemed to have expired. In this case, the original financial asset is derecognized and a new financial asset is recognized at fair value.

If the cash flows of the modified asset carried at amortized cost are not substantially different, then the modification does not result in derecognition of the financial asset. In this case, the company recalculates the gross carrying amount of the financial asset and recognizes the amount arising from adjusting the gross carrying amount as a modification gain or loss in profit or loss. If such a modification is carried out because of financial difficulties of the borrower, then the gain or loss is presented together with impairment losses. In other cases, it is presented as interest income.

1.21 रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

नकद एवं नकद समतुल्य जिसमें कैश ऑन हैंड, बैंक्स में कैश, बैंक्स में तीन माह अथवा उससे कम ओरीजनल की मैच्युरिटी के साथ अन्य शॉर्ट टर्म डिपॉजिट तथा हायली लिक्विड निवेश जो नकद जानने के लिए आसानी से परिवर्तनीय है और जो मूल्य और बैंक ओवरड्राफ्ट्स में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन है ।

1.22 व्यापार प्राप्य

प्रारंभ में व्यापार प्राप्य को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है । 12 माह से अधिक व्यापार प्राप्य को गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाये जाते है जो हानि हेतु प्रावधान की घटौती से प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर आयोजित किया जाता है ।

1.23 व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य

ये राशियॉ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कंपनी को दी गई वस्तुओं व सेवाओं के लिए देयताओं का प्रतिनिधित्व करती है जिनका भुगतान नहीं किया गया है । व्यापार व अन्य भुगतान योग्य को चालू देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है । जिनका भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों के भीतर देय नहीं है । उनको प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है तत्पश्चात ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर आकलन किया गया है ।

1.24 खंडवार रिपोर्टिंग

प्रमुख स्त्रोत तथा जोखिम व रिर्टन तथा आंतरिक संगठन व प्रबंधन संरचना की प्रकृति के संबंध में सेगमेंट्स की पहचान की जाती है। कंपनी के पास कोई ''इंडएएस 108– ऑपरेट सेगमेंटस'' के अनुसार भौगोलिक व ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं है ।

2. इंडएएस में परिवर्तन

कंपनी की यह पहली वित्तीय विवरणियाँ हैं जो इंडएएस के अनुसार तैयार की गई है । 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने में विशिष्ट लेखा नीति में निर्धारित लेखांकित नीतियों को लागू किया गया है; 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणियों में तथा 1 अप्रैल 2016 के आरंभ से इंडएएस तुलन पत्र में तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है । इंडएएस तुलन शीट आरंभ करने की तैयारी में कंपनी में कंपनीज (लेखा मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानक के अनुसार तैयार की गई वित्तीय विवरणियों में पूर्ववत् रिपोर्ट की गई राशि तथा अधिनियम के संगत अन्य प्रावधानों को कंपनी ने समायोजन किया है । आईजीएएपी से इंडएएस में परिवर्तन से कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन व नकद प्रवाह में हुए प्रभावों को निम्नलिखित टेबल व नोट्स में निर्धारण किया गया है ।

1.21 Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash at banks, other short term deposits with banks with an original maturity of three months or less and highly liquid investments, that are readily convertible to known amount of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value and Bank overdrafts.

1.22 Trade Receivables

Trade receivables are initially recognized at fair value. Trade receivables for more than 12 months are shown under Non current financial assets and are held at amortized cost, using the effective interest rate (EIR) method, less provision for impairment.

1.23 Trade and Other Payables

These amounts represent liabilities for goods and services provided to the Company prior to the end of financial year which are unpaid. Trade and other payables are presented as current liabilities unless payment is not due within 12 months after the reporting period. They are recognized initially at their fair value and subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

1.24 Segment Reporting

Segments are identified having regard to the dominant source and nature of risks and returns and internal organization and management structure. The company does not have any geographical and operating segments as per “Ind AS 108- Operating Segments”.

2. Transition to Ind AS

These are the first Financial Statements of the Company prepared in accordance with Ind AS. The Accounting policies set out in significant accounting policy (Note 1) have been applied in preparing the Financial Statements for the year ended March 31, 2018; the comparative information presented in these Financial statements for the year ended March 31, 2017 and in the preparation of an opening Ind AS Balance sheet as at April 01, 2016 (the date of transition). In preparing its opening Ind AS Balance sheet, the company has adjusted the amounts reported previously in Financial Statements prepared in accordance with the Accounting Standards notified under Companies (Accounting Standards) Rules,2006 (as amended) and other relevant provisions of the Act (IGAAP). An explanation of how the transition from IGAAP to Ind AS has affected the financial position, financial performance and cash flows of the company is set out in the following tables and notes:

(क) गतवर्ष गैप एवं इंडएएस के बीच में समाधान

(A) Reconciliations between previous GAAP and Ind AS

विवरण Particulars		दि. 31 मार्च, 2017 को As at 31st March, 2017			दि. 1 एप्रिल 2016 को As on 01st April, 2016		
1.	परिसंपत्तियाँ Assets	गत वर्ष गैप Previous GAAP*	समायोजन Adjustments	इंडएएस Ind AS	गत वर्ष गैप Previous GAAP*	समायोजन Adjustments	इंडएएस Ind AS
1	**गैर चालू परिसंपत्तियाँ Non Current Assets**						
	(क) संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण (a) Property, Plant and Equipment	1,911.80	(18.80)	1,893.00	2001.17	(19.03)	1,982.14
	(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर/ (b) Capital Work in Progress	-	-	-	1.77	-	1.77
	(ग) निवेश संपत्ति (c) Investment Properties	2,851.56	-	2,851.56	2,912.47	-	2,912.47
	(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ (d) Intangible Assets	10.00	-	10.00	14.48	-	14.48
	(ड) वित्तीय परिसंपत्तियाँ (e) Financial Assets						
	(i) निवेश (i) Investments	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
	(ii) व्यापार प्राप्य (ii) Trade Receivables		-	-		-	-
	(iii) ऋण (iii) Loans	306.02	-	306.02	311.87	-	311.87
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तीयाँ (iv) Other Financial Assets	174.25	-	174.25	172.13	-	172.13
	(ट) आस्थगित कर परसंपत्तीयाँ (f) Deferred Tax Assets	4,906.56	11.59	4,918.15	5,271.11	-	5271.11
	(ठ)अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ/ (g) Other non current assets	213.62	0.00	213.62	242.28	-	242.28
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ Total Non current Assets	**10,373.82**	**(7.21)**	**10,366.61**	**10,927.29**	**(19.03)**	**10,908.26**
2	**चालू परिसंपत्तियाँ Current Assets**						

	(क) माल सूचियाँ (a) Inventories	11,039.17	-	11,039.17	1,34,642.02	-	1,34,642.02
	ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ (b) Financial Assets						
	(i) निवेश (i) Investments		-	-		-	
	(ii) व्यापार प्राप्य (ii) Trade Receivables	10,347,09	-	10,347.09	25,671.05	-	25,671.05
	(iii) नकद व नकद समकक्ष (iii) Cash and Cash Equivalents	459.44	-	459.44	650.69	-	650.69
	(iv) बैंक शेष उपयुक्त (iii) को छोडंकर (iv) Bank Balances other than above	41.90	-	41.90	44.45	-	44.45
	(v) ऋण (v) Loans	105.25	-	105.25	106.81	-	106.81
	(vi) Aन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (vi) Other Financial Assets	18.72	-	18.72	23.84	-	23.84
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (c) Other Current Assets	2,98,041.23	-	2,98,041.23	3,34,827.57	-	3,34,827.57
	(घ) बिक्री हेतु रोगी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ (d) Assets Classifed as Held for Sale	-	-	-	-	-	-
	(ड) चालू कर परिसंपत्तियॉ (शुद्ध) (e)Current Tax Asstes (Net)	1,027.87	-	1,027.87	877.32	-	877.32
	कुल चालू परिसंपत्तियॉ Total Current Assets	**3,21,080.67**	**-**	**3,21,080.67**	**4,96,843.75**	**-**	**4,96,843.75**
	कुल संपत्तियॉ Total Assets	**3,31,454.49**	**(7.21)**	**3,31,447.28**	**5,07,771.04**	**(19.03)**	**5,07,752.01**
II	**इक्विटी एवं देयताएँ Equity & Liabilities**		**-**			**-**	
1	**इक्विटी Equity**		**-**			**-**	
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी (a) Equity Share Capital	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
	(ख) अन्य इक्विटी (b) Other Equity	25,538.30	435.31	25,527.93	25,065.37	1,784.29	26,459.20
	कुल इक्विटी Total Equity	**28,038.30**	**435.31**	**28,027.93**	**27,565.37**	**1,784.29**	**28,959.20**

2	देयताएँ **Liabilities**		-			-	
(i)	गैर-चालू देयताएँ **Noncurrent Liabilities**		-			-	
	(क) वित्तीय देयताएँ (a) Financial Libilities		-			-	
	(i) उधारी/कर्ज (i) Borrowings	-	-	-	-	-	0
	(ii) व्यापारी प्राप्य (ii) Trade Payables	-	-	-	0	-	0
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ (iii) Other Financial Liabilities	933.18	-	933.18	860.19	-	860.19
	(ख) प्रावधान (b) Provisions	11,852.73	-	12,273.92	11,002.24	-	11,371.09
	(ग) अस्थिगित कर देयताएँ (c) Deffered Tax Liabilities	0	-				
	(घ) अन्य गैर-चालू देयताए (d) Other Non Current Liabilities	-	-	-	0	-	0
	कुल गैर-चालू देयताएँ Total Non Current Liabilities	12,785.91	-	13,207.10	11,862.43	-	12,231.28
(ii)	चालू देयताएँ Current Liabilitles	-	-			-	
	(क) वित्तीय देयताएँ (a) Financial Liabilities		-			-	
	(i) उधारी/कर्ज (i) Borrowings	2,78,500.00	-	2,78,500.00	4,28,793.07	-	4,28,793.07
	(ii) व्यापारी प्राप्य (ii) Trade Payables	757.62	-	757.62	1594.79	-	1,594.79
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ (iii) Other Financial Liabilities	2,995.07	(442.52)	2,552.55	4,245.42	(422.46)	3,822.96
	(ख) प्रावधान (b) Provisions	314.43	-	314.43	1,011.98	-	1,011.98
	(ग) कर्मचारी लाभ बाध्यता (c) Employees Benefits Obligations	1,684.06	-	1,708.55	2,180.71	(613.59)	1,588.73
	(घ) सरकारी अनुदान (d) Government Grants	-	-	-	-	-	0
	(ड) चालू कर देयताएँ (शुद्ध) (e) Current Tax Liabilities (Net)	444.40	-	444.40	587.38	-	587.38

	(छ) अन्य चालू देयताएँ (f) Other Current Liabilities	5,934.7	-	5,934.70	29,929.89	(767.27)	29,162.62
	कुल चालू देयताए **Total Current Liabilities**	**2,90,630.28**	**(442.52)**	**2,90,212.25**	**4,68,343.24**	**(1,803.32)**	**4,66,561.53**
	कुल देयताएँ **Total Liabilities**	**3,03,416.19**	**(442.52)**	**3,03,419.35**	**4,80,205.67**	**(1,803.32)**	**4,78,792.81**
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ Total **Equity and Liabilities**	**3,31,454.49**	**(7.21)**	**3,31.447.28**	**5,07,771.04**	**(19.03)**	**5,07,752.01**

* The previous GAAP figures have been reclassified to confirm to Ind AS presentation requirements for the purpose of this note .

(ब) 31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए कुल यातक आय का समाधान

(B) Reconcilition of Total Comprehensive Income for the year ended March 31, 2017

(रु. लाख में)
(Rs. in lakh)

विवरण **Partlculars**	**गत वर्ष गैप** **Previous GAAP***	**समायोजन** **Adjustments**	**इंडएसएस (31.03.2017) पुन: सुचित** **Ind As (31.03.2017) Restated**	**इंडएएस (31.03.2018)** **Ind As (31.03.2018)**
परिचालन से राजस्व Revenue from Operations	1,85,345.80	0.00 1	1,85,345.80	1,39,221.98
अन्य आय Other Income	1,111.19	0.00	1,111.19	1,018.44
कुल आय (I) **Total Income (I)**	**1,86,456.99**	**0.00**	**1,86,456.99**	**1,40,240.42**
व्यय **Expenses**				
उपभोग की गई सामग्री की लागत Cost of Material consumed	17,335.62	0.00	17,335.62	1,31,339.73
(ख) व्यापार के लिए माल की खरीद Purchase of Stock In Trade	5,952.16	0.00	5,952.16	96,343.02
(ग) तैयार माल, व्यापारिक स्टॉक तथा प्रक्रियागत स्टॉक की माल सूचियों में परिवर्तन Changes- in Inventories of finished Coods, W.I.P. Stock In Trade	1,23,211.24	0.00	1,23,211.24	(1,27,365.72)
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय Employee Benefit Expenses	7,709.38	33.49	7,699.47	9,286.27
वित्त लागत Finance Cost	26,456.30	0.00	26,456.30	25,250.63
मूल्यहास और परिशोधन व्यय Depredation and Amortization Expenses	282.43	0.24	282.19	241.51
अन्य व्यय Other Expenses	3,992.65	(1,432.75)	5,425.40	9,603.70

कुल व्यय (II) **Totol Expenses (II)**	**1,84,939.78**	**(1,399.02)**	**1,86,362.38**	**1,44,699.14**
अपवादात्मक और असाधारण मदों से पहले लाभ/ (हानि) तथा कर (I-II) **Profit (Loss) before exceptional and extraordinary Items and tax (I-II)**	**1,517.21**	**1,399.02**	**94.61**	**(4,458.72)**
अपवादात्मक मदें व्यय/(आय) Exceptional items Expense/ (lncome)	0.00	49.12	(49.12)	(6,827.11)
कर से पहले लाभ/(हानि) **Profit (Loss) before tax**	**1,517.21**	**1,349.90**	**143.73**	**(2,368.39)**
कर व्यय Tax Expense				
(क) वर्तमान कर (a) Current Tax	290.00	0.00	290.00	545.00
(ख) आस्थगित कर (b) Defferred Tax	364.55	0.00	364.55	889.96
(ग) पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन (c) Adjustment rclatmg to Prior period	(55.56)	0.00	(55.56)	0.00
कुल कर व्यय **Total Tax Expense**	**598.99**	**0.00**	**598.99**	**1,434.96**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (क) **Profit/(Loss) for the year (A)**	**918.22**	**1,349.90**	**(455.26)**	**933.43**
अन्य व्यापक आय **Other Comprehensive Income**				
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिये पुनवर्गीकृत नहीं किया जायेगा **Items that will not be reclassified to profit or loss**				
– पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मूल्यांकन - Remeasurementt of the defined benefit plans	0.00	33.49	(65.14)	(148.06)
– आयकर का प्रभाव – Income Tax Effect	0.00	(11.59)	11.59	69.42
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) (ख) **Other Comprehensive Income (Net ofTax) (B)**	**0.00**	**21.90**	**(53.55)**	**(78.64)**
कुल व्यापक आय (क+ख) **Total Comprehensive Incomc (A + B)**	**918.22**	**1,371.60**	**(508.81)**	**854.79**

*The previous GAAP figures have been reclassified to confirm to Ind AS presentation requirements for the purpose of this note.

(क) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह के बयान के रुप में इंडएएस का प्रभाव

(C) Impact of Ind As adoption of the statement of cash flows for the year ended 31 march 2017

(रु. लाख में) (Rs. in lakh)

विवरण Partlculurs	previous GAAP	Adjustments	Ind AS
परिचालन गतिविधीयों शुद्ध नगद प्रवाह Net cash flow operating activities	1,75,578.07	1,378.12	1,76,956.19
निवेश गतिविधीयों से शुद्ध नगद प्रवाह Net cash flow from investing activities	614.89	(597.92)	16.97
वित्तीय गतिविधीयों से शुद्ध नगद प्रवाह Net cash flow from financing activities	(1,76,378.55)	(785.86)	(1,77,164.41)
नगद एवं नगद समतुल्य में शुद्ध बढोतरी/(घटौतरी) Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	(185.59)	5.67	(159.60)
नगद एवं नगद समतुल्य 1 एप्रिल 2016 को Cash and cash equivalents as at 1 April 2016	641.74	(8.95)	650.69
नगद एवं नगद समतुल्य 31 मार्च 2017 को Cash and cash equivalents as at 31 March 2017	456.15	3.29	459.44

क) रियायत व अपवादों का लाभ

इंडएएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में कंपनी ने भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाने में इंड एएस 101 के अनुसार कुछ रियायत व अपवाद का लाभ उठाया है जो निम्नानुसार है । इंडएएस व आईजीएएपी के अधीन परिवर्तन तारीख पर वित्तीय विवरणियों में परिसंपत्तियों के कैरिंग मूल्यो तथा देयताओं के बीच परिणाम के अंतर को सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई है (रीटेंड अर्जन अथवा इक्विटी की अन्य उचित श्रेणी) इस नोट में 1 अप्रैल 2016 को तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों सहित आईजीएएपी वित्तीय विवरणियों की री स्टेटिंग में कंपनी द्वारा किए गए समायोजन का व्याख्यान किया गया है ।

(क) इंडएएस वैकल्पिक रियायत

इंडएएस 101 लागू करने में आईजीएएपी से इंडएएस ट्रांजीशन में वैकल्पिक रियायत तथा अनिवार्य अपवाद निम्नानुसार हैं ।

- संपत्ति, प्लांट व उपकरण, निवेश की गई संपत्ति व अमूर्त परिसंपत्तियों की डीम्ड लागत

  इंडएएस 101 आईजीएएपी के अंतर्गत आकलन की गई, इंडएएस में परिवर्तन की गई तारीख से वित्तीय विवरणियों में मान्यता दिए अनुसार संपत्ति, प्लांट व उपकरण के सभी कैरिंग मूल्य को पहली बार अपनाने की अनुमति देता है तथा डी कमिशनिंग देनदारियों के लिए आवश्यक समायोजन करने

(A) Exemptions and exceptions availed

In preparing these Ind AS Financial Statements, the Company has availed certain exemptions and exceptions in accordance with Ind AS 101 First time adoption of Indian Accounting Standards, as explained below. The resulting difference between the carrying values of the assets and liabilities in the financial statements as at the transition date under Ind AS and IGAAP have been recognized directly in Equity (retained earnings or another appropriate category of equity). This note explains the adjustments made by the company in restating its IGAAP Financial Statements, including the Balance sheet as at April 01, 2016 and the Financial Statements as at and for the year ended March 31, 2017.

(a) Ind AS optional exemptions

Set out below the applicable Ind AS 101 optional exemptions and mandatory exceptions applied in the transition from IGAAP to Ind AS.

- Deemed Cost for property, plant and equipment, investment property and Intangible Assets

  Ind AS 101 permits a first time adopter to elect to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment as recognized in the Financial Statements as at the date of transition to Ind AS, measured under IGAAP and use that as its deemed cost as at the date of transition

के पश्चात परिवर्तन की तारीख से डीम्ड लागत के अनुसार उसका उपयोग करता है । इंडएएस ''अमूर्त परिसंपत्ति'' में कवर्ड अमूर्त परिसंपत्ति तथा एएस 40 द्वारा कवर्ड निवेश संपत्ति के लिए भी इसका अपवाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तद्नुसार कंपनी ने वित्तीय विवरणियों में आईजीएएपी कैरिंग वैल्यू पर अपनी संपत्ति, प्लांट व उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियाँ तथा निवेश की गई संपत्तियों के आकलन को चुना है ।

(ख) इंडएएस अनिवार्य अपवाद

कंपनी ने इंडएएस 101 के अधीन अनिवार्य रूप से आवश्यक एंडएएस के पूर्ण पूर्वव्यापी आवेदन से निम्नलिखित रियायतों का निर्धारण किया है : अनुमान

ट्रांजीशन तारीख पर इंडएएस के अनुसरण में अनुमान, संगत होंगे जो अनुमान आईजीएएपी के अनुसार उसी तारीख के लिए तैयार किए गए है । (लेखा नीतियों में समायोजन के पश्चात किसी भी अंतर को प्रतिबिंबित करने के लिए) जब तक कि साबित हो जाए कि वे अनुमान गलत थे ।

01 अप्रैल, 2016 को इंडएएस के अनुमानित अनुमान उसी दिन को आईजीएएपी के अनुरूप बनाए गए अनुमान से संगत हैं । कंपनी ने इंडएएस के अनुसरण में निवेश की गई संपत्तियों के उचित मूल्य हेतु अनुमान तैयार किए हैं क्योंकि परिवर्तन की तारीख पर आईजीएएपी के अंतर्गत इनकी आवश्यकता नहीं थी।

समाधान के लिए नोट्स

क) निवेश की गई संपत्ति

आईजीएएपी के अधीन लैंड, बिल्डिंग अथवा किसी भाग की संपत्ति, प्लांट व उपकरण अथवा निवेश की गई संपत्ति के भीतर वर्गीकरण का उपयोग करने के लिए वर्तमान में निर्धारण अथवा अनिश्चित भविष्य के लिए इनका मूल्यांकन नहीं किया गया था । इंडएएस के अंतर्गत कंपनी ने वर्तमान में अनिश्चित भविष्य के उपयोग के लिए निर्धारित फ्रीहोल्ड व लीजहोल्ड लैंड, फ्रीहोल्ड व लीजहोल्ड बिल्डिंग, रेलवे साईडिंग के कुछ पार्सल्स को पहचाना है । इन निवेश की गई परिसंपत्तियों को अंकित तुलन पत्र पर पृथक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है । इस समायोजन के फलस्वरूप कुल इक्विटी अथवा लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

ख) लीजज

आईजीएएपी के अधीन लीजहोल्ड लैंड को एएस 10 के अंतर्गत चल परिसंपत्तियों में लेखांकित किया गया है । इंडएएस के अधीन लीजहोल्ड को इंड एएस 17 के अंतर्गत परिभाषा व वर्गीकृत मानदंड के अनुसार परिचालन अथवा वित्तीय लीज के लिए मूल्यांकन किया जायेगा । (नोट 48 देखें)

after making necessary adjustments for de-commissioning liabilities. This exemption can also be used for intangible assets covered by Ind AS "Intangible Assets" and "Investment Properties" covered by Ind AS 40 'Investment Property'. Accordingly, the company has elected to measure all of its property, plant and equipment, Intangible Assets and Investment Properties at their IGAAP carrying value in their Financial Statements.

(b) Ind AS mandatory exceptions

The company has applied the following exceptions from full retrospective application of Ind AS as mandatorily required under Ind AS 101: Estimates

Estimates in accordance with Ind AS as at the transition date will be consistent with estimates made for the same date in accordance with IGAAP (after adjustments to reflect any difference in Accounting Policies) unless there is objective evidence that those estimates were in error.

Ind AS estimates as at April 01, 2016 are consistent with the estimates as at the same date made in conformity with IGAAP. The company made estimates for Fair value of Investment Properties in accordance with Ind AS as at the date of transition as it was not required under IGAAP.

Notes to the reconciliations

(a) Investment Property

Under the IGAAP, Land, building or part thereof were not evaluated for currently determined or undetermined future use for classification into property, plant and equipment or Investment property. Under Ind AS, the company has identified certain parcels of freehold and Leasehold land, Freehold and leasehold building, railway sidings that are held for a currently undetermined future use. These Investment Properties are required to be separately presented on the face of the Balance sheet. There is no impact on the total equity or profit as a result of this adjustment.

(b) Leases

Under IGAAP, leasehold land was accounted under AS 10 – 'Accounting for Fixed Assets'. Under Ind AS, leasehold land is to be evaluated for operating or finance lease as per the definition and classification criteria under Ind AS 17. (Refer note no. 48)

ग) प्रस्तावित लाभांश

आईजीएएपी के अधीन तुलन पत्र के तारीख के पश्चात परन्तु वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन से पूर्व निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को समायोजन घटनाओं के रूप में माना गया है । तद्नुसार प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान को देनदारियों में मान्यता दी गई है । इंडएएस के अंतर्गत इन लाभांशों को शेयरहोल्डर्स की सामान्य बैठक के अनुमोदन पर इसकी मान्यता दी गर्ई है । तद्नुसार 31 मार्च 2016 को 422.46 लाख रू. को प्रस्तावित लाभांश के लिए (लाभांश वितरण कर शामिल करके) तथा 31 मार्च 2017 को क्रमश: 270.80 लाख रू. जो चालू प्रावधानों में शामिल हैं उन्हें रीटेंड अर्जन में तत्संबंधी समायोजन से प्रतिवर्ती किया गया है । इसके फलस्वरूप कुल इक्विटी में समकक्ष राशि द्वारा वृद्धि हुई है ।

घ) आस्थगित कर

आईजीएएपी के अधीन तुलन पत्र दृष्टिकोण अपनाते हुए जो परिसंपत्ति की कैरिंग मूल्य के बीच अंतर पर केंद्रित हैं, आस्थगित कर लेखांकित किया गया है । इंडएएस तुलन पत्र का दृष्टिकोण अपनाते हुए आस्थगित करों के लिए उन इकाईयों की आवश्यकता होती है जो उसके कर आधार में परिसंपत्ति अथवा देयताओं के कैरिंग राशि के मध्य केवल अस्थायी अंतर केंद्रित करता है ।

आस्थगित कर समायोजन को परिवर्तन की तारीख पर रीटेंड अर्जन में अथवा अन्य व्यापक आय में अंतरनिहित लेनदेन के सहसंबंध में मान्यता दी जाती है ।

च) रोजगार के बाद लाभ दायित्व के पुन: आकलन

आईजीएएपी व इंडएएस दोनो के अधीन कंपनी बीमांकिक आधार पर रोजगार के पश्चात पारिभाषित लाभ योजना से संबंधित बीमांकिक लागत को मान्यता देती है । आईजीएएपी के अधीन एक्युरिल लाभ व हानिया शामिल करके पूर्ण लागत लाभ अथवा हानि में चार्ज की जाती है । इंडएएस के अधीन बीमांकिक लाभ व हानियाँ, परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव तथा निवल परिभाषित लाभ दायित्व तथा परिसंपत्ति योजना पर रिटर्न शुद्ध ब्याज शामिल राशि को छोड़कर ओसीआई से रीटेंड अर्जन में संबंधित डेबिट अथवा क्रेडिट करने के लिए तुलन पत्र में तुरंत मान्यता दी जाती है ।

(c) Proposed Dividend

Under IGAAP, dividends proposed by the Board of Directors after the Balance sheet date, but before the approval of the Financial Statements were considered as adjusting events. Accordingly, provision for proposed dividends was recognized as a liability. Under Ind AS, such dividends are recognized when the same is approved by the Shareholders in General Meeting. Accordingly, the liability for proposed dividend (including dividend distribution tax) of Rs. 422.46 lakh as at 31st march 2016 and Rs. 270.80 lakh as at 31st March 2017 respectively included in current provisions has been reversed with corresponding adjustment to Retained earnings. Consequently, the total equity has increased by an equivalent amount.

(d) Deferred tax

Under IGAAP, deferred tax accounting was done using the balance sheet approach which focuses on differences between the carrying value of the assets. Ind As requires entities to account for deferred taxes using Balance sheet approach which focuses only temporary differences between the carrying amount of an asset or liability in the Balance sheet and its tax base.

Deferred tax adjustments are recognized in correlation to the underlying transaction either in retained earnings or Other Comprehensive Income on the date of transition

.

(e) Remeasurements of post-employment benefit obligations

Both under IGAAP and Ind AS, the Company recognised costs related to its post-employment defined benefit plan on an actuarial basis. Under IGAAP, the entire cost, including actuarial gains and losses, are charged to profit or loss. Under Ind AS, Re-measurements comprising of actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability are recognised immediately in the balance sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI.

छ) रीटेंड अर्जन

दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को रीटेंड अर्जन उपर्युक्त इंडएएस ट्रांजीशन समायोजन के परिणामस्वरूप समायोजन किया गया है ।

ज) अन्य व्यापक आय

इंडएएस के अधीन जब तक किसी मानक को अन्यथा आवश्यक या अनुमति नहीं दी जाती उस अवधि में मान्यता प्राप्त सभी आय व व्यय के मदों कोउसी अवधि के लिए लाभ व हानि विवरणी में शामिल किया जाता है । आय व व्यय के मदों को जिनको लाभ व हानि में मान्यता नहीं दी गई है बल्कि अन्य व्यापक आय के रूप में जो परिभाषित लाभ योजना के पुन:आकलन में शामिल है उन्हें लाभ अथवा हानि की विवरणी में दर्शाया गया है । आईजीएएपी के अधीन अन्य व्यापक आय की अवधारणा इसमें मौजूद नहीं है ।

(f) Retained Earnings

Retained earnings as at April 01, 2016 have been adjusted consequent to the above Ind AS transition adjustments.

(g) Other Comprehensive Income

Under Ind AS, all items of income and expense recognized in a period are to be included in the Statement of Profit and Loss for the period, unless a standard requires or permits otherwise. Items of income and expense that are not recognized in profit or loss, but are shown in the Statement of Profit or Loss as Other Comprehensive Income which includes remeasurements of defined benefit plans. The concept of Other Comprehensive Income did not exist under IGAAP.

नोट 3 (क) प्रॉपर्टी, प्लान्ट एवं इक्विपमेंट

Note 3 - (A) Property, plant and Equipment

(रूपये लाख में) **(Rs. in lakh)**

विवरण Particulars	Gross carrying value as at 01.04.2017	Additions	Disposal/ Adjustment	Gross carrying value as at 31.03.2018	Accumulated depreciation as at 01.04.2017	Addition	Disposal/ Adjustment	Accumulated depreciation as at 31.03.2018	Net carrying value as at 31.03.2018
भूखंड (पूर्ण स्वामित्व) Land (Free hold)	126.23	-	-	126.23	-	-	-	-	126.23
भूखंड (पट्टे पर) Land (Lease hold)	59.32	-	-	59.32	0.83	0.83	-	1.66	57.66
भवन (पूर्ण स्वामित्व) Building (free hold)*	983.51	-	24.38	959.13	20.60	19.95	0.65	39.90	919.23
भवन (पट्टे पर) Building (lease hold)	88.03	-	-	88.03	1.16	1.16	-	2.32	85.71
रेल्वे साईडिंग Railway Siding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एअर कंडीशन संयंत्र Air Condition Plant	13.83	-	-	13.83	-	-	-	-	13.83
विद्युत संस्थापन लिफ्ट एवं एलीवेर्टस Electrical instalation Lifts and elevators	118.54	-	-	118.54	13.89	14.79	-	28.68	89.86
प्रयोगशाला उपकरण Lab Equipment	38.70	4.00	0.27	42.43	6.06	8.02	-	14.08	28.35
कंप्यूटर उपकरण Computer Equipment	303.10	22.99	0.95	325.14	102.65	69.12	(1.59)	173.36	151.78
फनीचर एवं फिक्सचर्स Furniture and Fixtures	99.88	20.67	1.55	119.00	18.19	16.13	0.30	34.02	84.98
वाहन/Vehicles	157.51	27.95	3.02	182.44	24.81	21.21	(7.26)	53.28	129.16
कार्यालय उपकरण Office Equipments	111.45	18.05	4.49	125.02	18.92	22.71	0.01	41.62	83.40
	2,100.11	**93.66**	**34.66**	**2,159.11**	**207.11**	**173.92**	**(7.89)**	**388.92**	**1,770.19**

विवरण Particulars	Deemed cost as at 01.04.2016	Additions	Disposal/ Adjustment	Gross carrying value as at 31.03.2017	Accumulated depreciation as at 01.04.2016	Addition	Disposal/ Adjustment	Accumulated depreciation as at 31.03.2017	Net carrying value as at 31.03.2017
भूखंड (पूर्ण स्वामित्व) Land (Free hold)	126.23	-	-	126.23	-	-	-	-	126.23
भूखंड (पट्टे पर) Land (Lease hold)	59.32	-	-	59.32	-	0.83	-	0.83	58.49
भवन (पूर्ण स्वामित्व) Building (freehold)*	933.51	-	-	983.51	-	20.60	-	20.60	962.91

भवन (पट्टे पर) Building (leasehold)	88.03	-	-	88.03	-	1.16	-	1.16	86.87
रेल्वे साईडिंग Railway Siding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एअर कंडीशन संयंत्र Air codition Plant	13.83	-	-	13.83	-	-	-	-	13.83
विद्युत संस्थापन लिफ्ट एवं एलीवेर्टस Electrical instalation Lifts and elevators	103.15	15.39	-	118.54	-	13.89	-	13.89	104.65
प्रयोगशाला उपकरण Lab Equipment	35.23	3.48	0.01	38.70	-	6.06	-	6.06	32.64
कंप्यूटर उपकरण Computer Equipment	272.27	31.67	0.84	303.10	-	102.65	-	102.65	200.45
फनीचर एवं फिक्सचर्स Furniture and Fixtures	91.12	8.77	0.01	99.88	-	18.19	-	18.19	81.69
वाहन/Vehicles	152.28	6.44	1.21	157051	-	24.81	-	24.81	132.70
कार्यालय उपकरण Ofice Equipments	57.17	56.80	2.51	111.46	-	19.37	0.45	18.92	92.54
	1,982.14	**122.55**	**4.58**	**2,100.11**	**-**	**207.56**	**0.45**	**207.11**	**1,893.00**

नोट 3 (ख)– पूँजी कार्य प्रगती पर

Note 3 (B) - Capital Work In Progress

विवरण Particulars	2017-18				2016-17			
	Balence as at April 1, 2017	Addition/ Adjustments during the year	Capitalized during the year	Balence as at March 31, 2018	Balence as at April 1, 2016	Addition/ Adjustments during the year	Capitalized during the year	Balence as at March 31, 2017
भवन (पूर्ण स्वामित्व) Building (freehold)	-	1.74	-	1.74	-	-	-	-
प्रयोगशाला उपकरण Lab Equipment	-	-	-	-	1.77	-	1.77	-
कुल/**Total**	**-**	**1.74**	**-**	**1.74**	**1.77**	**-**	**1.77**	**-**

नोट 3 (ग) – विक्रय के लिए वर्गीकृत की गई संपत्ती

Note 3 (C) Assets classified as held for sale

विवरण Particulars	Gross carrying value as at 01.04.2017	Additions	Disposal/ Adjustment	Gross carrying value as at 31.03.2018	Accumulated depreciation as at 01.04.2017	Addition	Disposal/ Adjustment	Accumulated depreciation as at 31.03.2018	Net carrying value as at 31.03.2018
भवन (पूर्ण स्वामित्व) Building (freehold)		24.38	-	24.38	0.65	0.65	-	1.30	23.08
	-	24.38	-	24.38	0.65	0.65	-	1.30	23.08

नोट 4 : निवेश संपत्ति

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	रूपये लाख में
सकल कैरिंग राशि	
01.04.2017 को सकल कैरिंग राशि	2,912.47
वृद्धि	–
निपटान	–
31.03.2018 को सकल कैरिंग मूल्य	2,912.47
01.04.2017 को संचित मूल्यह्रास	60.91
जोड	60.91
निपटान	–
31.03.2018 को संचित मूल्यह्रास	121.82
31.03.2018 को शुद्ध कैरिंग मूल्य	2,790.65

31.03.2018 को समाप्त वर्ष

विवरण	रूपये लाख में
01.04.2016 को डीम्ड लागत	2,912.47
वृद्धि	–
निपटान	–
31.03.2017 को सकल कैरिंग मूल्य	2,912.47
01.04.2016 को संचित मूल्यह्रास	–
वृद्धि	60.91
निपटान	–
31.03.2017 को संचित मूल्यह्रास	60.91
31.03.2017 को शुद्ध कैरिंग मूल्य	2,851.56
01.04.2016 को शुद्ध कैरिंग मूल्य	2,912.47

Note 4 : Investment Properties

Year ended 31st March, 2018

Particulars	Rs. in lakh
Gross Carrying amount	
Gross Carrying amount as at 01.04.2017	2,912.47
Additions	-
Disposals	-
Gross Carrying value as on 31.03.2018	2,912.47
Accumulated depreciation as at 01.04.2017	60.91
Additions	60.91
Disposals	-
Accumulated dep,..clation as at 31.03.2018	121.82
Net Carrying value as on 31.03.2018	2,790.65

Year ended 31st march 2018

Particulars	Rs. in lakh
Deemed cost as at 01.04.2016	2,912.47
Additions	-
Disposals	-
Gross Carrying value as on 31.03.2017	2,912.47
Accumulated depreciation as at 01.04.2016	-
Additions	60.91
Disposals	-
Accumulated depreciation as at 31.03.2017	60.91
Net Carrying value as on 31.03.2017	2,851.56
Net Carrying value as at 01.04.2016	2,912.47

निवेश संपत्तियों से संबंधित राशि जिसे लाभ अथवा हानि में शामिल किया गया है ।

Amounts recognized In Profit and loss for Investment properties (रु. लाख में) (Rs. in Lakh)

विवरण **Particulars**	31 मार्च, 2018 **31st March 2018**	31 मार्च, 2017 **31st March 2017**
किराये से आय Rental income	856.78	700.58
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय कमाई गई । Direct Operating expenses on properties that generated rental income	68.60	37.16
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय न कमाई गई । Direct Operating expenses on properties that did not generate rental income	6.61	6.40
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ **Profit from Investment properties before depreciation**	781.57	657.02
मूल्यह्रास Depreciation	60.91	60.91
निवेश संपत्तियों से लाभ **Profit from Investment Properties**	720.66	596.11

निवेश संपत्ति के प्रकटन का उचित मूल्य :
Falr Value Disclosure of Investment Property

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन लागत मॉडल के अनुसार किया गया है । कंपनी ने अपने निवेश के लिए स्वतंत्र वैल्यूवेशन को प्राप्त किया है तथा स्वतंत्र अनुमोदित मूल्य निर्धारकों द्वारा लिए गए मूल्यांकन के आधार पर उचित मूल्य प्राप्त किया है । उचित मूल्य का तुलनात्मक मार्केट अप्रोच का प्रयोग करते हुए निर्धारण किया गया है । स्वतंत्र वैल्युअर्स द्वारा निर्धारित निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है:-

The investment properties have been measured following cost model. The company has obtained independent valuations for Its investment properties and fair values have been arrived on the basis of valuation carried out by Independent approved valuers. The fair value has been determinled using the comparable market approach. Fair value of invesment properties determined by independent valuers are as follows:

(रु. लाख में) (Rs. in Lakh)

विवरण **Particulars**	संपत्ति का वर्गीकरण **Classification of property**	31 मार्च, 2018 को **As at 31st March, 2018**	31 मार्च, 2017 को **As at 31st March, 2017**	01 अप्रैल, 2016 को **As at 01st April, 2016**
कोलकाता की संपत्ति Property at Kolkata	कार्यालय परिसर Office Premises	442.17	416.16	390.15
इंदौर की संपत्ति Property al Indore	कार्यालय परिसर Office Premises	397.50	373.77	344.10
सिरसा की संपत्ति Property at Sirsa	कार्यालय परिसर Office Premises	39.31	40.20	41.09
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई की संपत्ति Property at CBD Belapur. Navi Mumbai	कार्यालय परिसर Office Premises	4.686.60	4.482.77	4,361.99
कलंबोली, नवी मुंबई की संपत्ति Property at kalamboli, Navi Mumbai	वेयर हाऊस काम्पलैक्स Werehouse Complex	13,933.72	13,289.34	12,644.96

Note 5 : Intangible Assets
नोट 5 : अमूर्त संपत्तियाँ
Year ended 31st March 2018
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. लाख में) (Rs. in Lakh)

विवरण **Particulars**	कंप्यूटर/ साफ्टवेयर **Computer Software**	कुल **Total**
01.04.2017 को सकल कैरिंग राशि Gross carrying amount as at 01.04.2017	25.13	25.13
वृद्धि Additions	0.75	0.75
निपटान /समायोजन Disposals/ Adjustment	-	-
31.03.2018 को सकल कैरिंग मूल्य **Gross carrying amount 31.03.2018**	25.88	25.88
01.04.2016 को संचित अमोर्टाइजेशन **Accumulated Amortization as at 01.04.2017**	15.13	15.13
वृद्धि Additions	6.04	6.04
निपटान /समायोजन Disposals/ Adjustment	-	-

31.03.2018 को संचित अमोर्टाइजेशन/इम्पेयरमेंट Accumulated Amortization Impairment as at 31.03.2018	21.17	21.17
31.03.2018 को शुद्ध कैरिंग राशि **Net carrying Amount as at 31.03.2018**	4.71	4.71

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

Year ended 31st March 2017 (रु. लाख में) (Rs. in Lakh)

विवरण **Particulars**	कंप्यूटर/ साफ्टवेयर **Computer Software**	कुल **Total**
01.04.2016 को डीम्ड लागत Deemed cost as at 01.04.2016	14.48	14.48
वृद्धि Additions	11.13	11.13
निपटान /समायोजन Disposals/ Adjustment	0.48	0.48
31.03.2017 को सकल कैरिंग मूल्य **Gross carrying amount 31.03.2017**	25.13	25.13
01.04.2016 को संचित अमोर्टाइजेशन Accumulated Amortization as at 01.04.2016	-	-
वृद्धि Additions	15.13	15.13
निपटान /समायोजन Disposals/ Adjustment	-	-
31.03.2017 को संचित अमोर्टाइजेशन/इम्पेयरमेंट Accumulated Amortization Impairment as at 31.03.2017	15.13	15.13
31.03.2017 को शुद्ध कैरिंग राशि Net carrying Amount as at 31.03.2017	10.00	10.00
01.04.2016 को शुद्ध कैरिंग मूल्य **Net carrying Value as at 01.04.2016**	14.48	14.48

नोट- 6 : निवेश

Note-6 : Investments

(रु. लाख में) (Rs. in Lakh)

विवरण **Particulars**	31 मार्च, 2018 को **As at 31st March, 2018**	31 मार्च, 2017 को **As at 31st March, 2017**	01 अप्रैल, 2016 को **As at 01st April, 2016**
क. गैर चालू **A. Non current**			
इक्विटी इस्ट्रूमेंट्स में निवेश (गैर-उद्धृत) Invtatment in Equity instrument (Unquoted)	5.00	5.00	5.00
घटाइये निवेश के मूल्य में क्षति less : Impaiment in value of investment	(4.99)	(4.99)	(4.99)
ख. चालू B. Current			
निवेश Investment	-	-	-
कुल (क+ख) **Total(A+B)**	0.01	0.01	0.01

नोट – 7 : प्राप्य व्यापार

Note - 7 : Trade Receivables

(रु. लाख में) (Rs. in Lakh)

विवरण **Particulars**	31 मार्च, 2018 को **As at 31st March, 2018**	31 मार्च, 2017 को **As at 31st March, 2017**	01 अप्रैल, 2016 को **As at 01st April, 2016**
क. गैर चालू **A. NON-CURRENT**			
(i) संबंधित पार्टियों से व्यापार प्राप्य **(I) Trade Receivtbles from related parties**			
सुरक्षित, शोध्य माने गए Seceured, considered Good	-	-	-
असुरक्षित, शोध्य माने गए Unsecured, consldered good	-	-	-
संदिग्ध Doubtful	-	-	-
घटाईए– संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता Less : Allowences for doubtful debts	-	-	-
उप–योग **Sub-Total**	-	-	-
(I) अन्य व्यापार प्राप्य **(I) Other Trade Receivables**	-	-	-
क) सुरक्षित, शोध्य माने गए a) Secured, considered Good	-	-	-
ख) असुरक्षित, शोध्य माने गए b) Unsecured, considered good	-	-	-
ग) संदिग्ध c) Doubtful	1,405.98	1,738.10	1,732.54
घटाईए– संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता Less : Alowances for doubtful debts	(1,405.98)	(1,738.10)	(1,732.54)
उप–योग **Sub-Total**	-	-	-
कुल (क) **Total (A)**	-	-	-
ख. चालू **B. CURRENT**			
(I) संबंधित पार्टियों से प्राप्य व्यापार **(I) Trade Receivable from releted parties**	-	-	-
सुरक्षित, शोध्य माने गए Secured, considered Good	-	-	-
असुरक्षित, शोध्य माने गए Unsecured, considered Good	-	-	-
संदिग्ध Doubtful	-	-	-
घटाईए– संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता Less : Allowences for doubtful debts	-	-	-

उप–योग **Sub-Total**	-	-	-
(I) अन्य व्यापार प्राप्य **(I) Other trade Receivable**	-	-	-
क) सुरक्षित, शोध्य माने गए a) Secured, considered Good	-	-	-
ख) असुरक्षित, शोध्य माने गए b) Unsecured, considered Good	27,267.34	10,374.09	25,671.05
ग) संदिग्ध c)Doubtful	-	-	-
घटाईए– संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता Less : Allowences for doubtful debts	-	-	-
उप–योग **Sub-Total**	27,267.34	10,374.09	25,671.05
कुल (ख) **Total (B)**	27,267.34	10,347.09	25,671.05

Movement in allowances for bad and doubtful debt:
अशोध्य संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में अपनाई गई प्रक्रिया

(रु. लाख में)(Rs. in Lakh)

Particulars **विवरण**	**31st March 2018** **31 मार्च, 2018 को**	**31st March 2017** **31 मार्च, 2017 को**	**1st April 2016** **01 अप्रेल 2016 को**
Balance at the beginning of the year वर्ष के आरंभ में शेष	1,738.10	1,732.54	1,694,42
Impairment Losses/Provision during the year recognised वर्ष के दौरान मानी गई हानियाँ / प्रावधान	1.56	5.56	41.87
Amount written off during the year वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	333.68	-	3.75
Amounts recovered during the year वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	-	-	-
Balance at the end of the year **वर्ष के अंत में शेष**	1,405.98	1,738.10	1,732.54

Note 8 : Loans
नोट 8 : ऋण

(रु. लाख में)(Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	**31st March 2018** **31 मार्च, 2018 को**		**31st March 2017** **31 मार्च, 2017 को**		**1st April 2016** **01 अप्रेल 2016 को**	
	Current चालू	**Non-Current** गैर–चालू	**Current** चालू	**Non-current** गैर–चालू	**Current** चालू	**Non-current** गैर–चालू
Secured (considered good) सुरक्षित (शोध्य माने गए)						
Loans to Related Parties/Directors संबंधित पार्टियों/निदेशकों को दिए गए ऋण	4.24	-	5.76	4.24	-	-
Loans to Employees कर्मचारियों को दिए गए ऋण	45.06	209.13	49.53	232.10	57.80	241.90

Others अन्य						
Sub-Total उप-योग	49.30	209.13	55.29	236.34	57.80	241.90
Unsecured (Considered good) असुरक्षित (शोध्य माने गए)						
Loans to Related Parties/Directors संबंधित पार्टियों/निदेशकों को दिए गए ऋण	-	-	-	-	-	-
Loans to Employees कर्मचारियों को दिए गए ऋण	46.54	66.15	49.96	69.68	49.01	69.97
Others अन्य						
Sub- Total उप-योग	**46.54**	**66.15**	**49.96**	**69.68**	**49.01**	**69.97**
Unsecured (doubtful) असुरक्षित (संदिग्ध)						
Loans to Directors निदेशकों को दिए गए ऋण	-	-	-	-	-	-
Lans to Employees कर्मचारियों को दिए गए ऋण	-	1.25	-	1.25	-	1.25
Others Loans and Advance अन्य को दिए गए ऋण एवं अग्रिम	-	31.94	-	31.94	-	48.37
Less : Allowance for bad and doubtful loans घटाइये- शेध्य संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	-	(33.19)	-	(33.19)	-	(49.62)
Sub-Total उप-योग	-	-	-	-	-	-
Total कुल	**95.84**	**275.28**	**105.25**	**306.02**	**106.81**	**311.87**

फूट नोट :

संबंधित पार्टियों को मार्केट रेट पर ऋण और अग्रिम दिए गए है इसलिए ऐसे ऋण और अग्रिमों पर कैरिंग राशि उसके उचित मूल्य के समतुल्य है । चूँकि माप के प्रभाव सारहीन है इसलिए कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पिछले जीएएपी मूल्य पर निरंतर जारी हैं ।

Foot Note :

Loans & advances given to related parties are at market rate, therefore the carrying amount of such loans & advances are equal to their fair value. Staff loans & advances continue to be carrying at previous GAAP value as measurement impact is immaterial.

Note 9 : Other Financial Assets

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (रु. लाख में)(Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	31st March 2018 31 मार्च, 2018 को		31st March 2017 31 मार्च, 2017 को		1st April 2016 01 अप्रेल 2016 को	
	Current चालू	Non-Current गैर-चालू	Current चालू	Non-current गैर-चालू	Current चालू	Non-current गैर-चालू
Bank Deposits with more than 12 months maturity 12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक डिपाजिट्स	-	-	-	-	-	-
Other Advances अन्य अग्रिम						
Interest accrued due/not due on निम्नलिखित पर उत्पन्न देय/अदेय ब्याज						
Term Deposites सावधिक जमा राशि	-	-	-	-	0.41	-
Loan to Related Parties संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	0.83	-	-	0.02	0.01	-
Loan to Employees कर्मचारियों को दिए गए ऋण	17.85	171.32	18.72	174.23	23.42	172.13
Loan to Others अन्य को दिए गए ऋण						
Total **कुल**	18.68	171.32	18.72	174.25	23.84	172.13

Note 10 : Deffered Tax Assets

नोट 10 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां (रु. लाख में)(Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	31st March 2018 31 मार्च, 2018 को	31st March 2017 31 मार्च, 2017 को	1st April 2016 01 अप्रेल 2016 को
Deffered Tax Liability **आस्थगित कर देयता**			
Plant Property Equipments, Assets Held for Sale, Investment Property & Intagible Assets प्लांट, संपत्ति, उपकरण, बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां, निवेश संपत्ति एवं अमूर्त संपत्तियां	845.59	809.63	805.44
Sub-Total उप-योग	845.59	809.63	805.44
Deffered Tax Asstes आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
Carried Forwarded Losses & Depreciation i) हानि और मूल्यह्रास आगे लाया गया	1,176.53	-	-
Disallowance Under the Income Tax Act ii) आयकर अधिनियम के अंतर्गत नामंजूर	2,427.23	4,354.91	4,710.21
Provision for Doubtful Debts and advances iii) संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमोंके लिए प्रावधान	502.90	613.01	618.07

Provision for Dimnution Value of Investment iv) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1.74	1.73	1.73
Provision for Buffer Stock losses Receivable v) प्राप्य बफर स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	753.79	746.54	746.54
Remeasurements of the defined benifit plans vi) परिभाषित लाभ योजना के पुन: मूल्यांकन	81.01	11.59	-
Sub-Total **उप-योग**	4,943.20	5,727.78	6,076.55
Deferred Tax Assets (Net) **आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)**	4,097.61	4,918.15	5,271.11

Movement in deffered tax balances during the year

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष के लिए अपनायी गई प्रक्रिया :

(Rs. in Lakh)(रुपये लाख में)

Particulars विवरण	**Balance as at 31st March 2017** 31 मार्च, 2017 को शेष	**Recognised in Statement of Profit & Loss** लाभ व हानि विवरणी में शामिल	**Adjustments** समायोजन	**Balance as at 31st March 2018** 31 मार्च, 2018 को शेष
Deffered Tax Liability आस्थगित कर देयता				
Plant Property Equipments, Assets Held for Sale, Investment Property & Intagible Assets प्लांट, संपत्ति, उपकरण, बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां, निवेश संपत्ति एवं अमूर्त संपत्तियां	809.63	35.97	-	845.60
Sub-Total **उप-योग**	**809.63**	**35.97**	**-**	**845.60**
Deffered Tax Asstes आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
Carried Forwarded Losses & Depreciation i) हानि और मूल्यह्रास आगे लाया गया	-	1,176.53	-	1,176.53
Disallowance Under the Income Tax Act ii) आयकर अधिनियम के अंतर्गत नामंजूर	4,354.91	(1927.67)	-	2427.24
Provision for Doubtful Debts and advances iii) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	613.01	(110.10)	-	502.91
Provision for Dimnution Value of Investment iv) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1.73	0.01	-	1.74
Provision for Buffer Stock losses Receivable v) प्राप्य बफर स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	746.54	7.25	-	753.79
Remeasurements of the defined benifit plans vi) परिभाषित लाभ योजना के पुन: मूल्यांकन	11.59	69.42	-	81.09
Sub-Total उप-योग	5,727.78	(784.56)	-	4,943.22
Deferred Tax Assets (Net) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	4,918.15	(820.53)	-	4097.62

Particulars विवरण	Balance as at 1st April 2018 31 मार्च, 2016 को शेष	Recognised in Statement of Profit & Loss लाभ व हानि विवरणी में शामिल	Adjustments समायोजन	Balance as at 31st March 2017 31 मार्च, 2017 को शेष
Deffered Tax Liability आस्थगित कर देयता				
Plant Property Equipments, Assets Held for Sale, Investment Property & Intagible Assets प्लांट, संपत्ति, उपकरण, बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां,निवेश संपत्ति एवं अमूर्त संपत्तियां	805.44	4.19	-	809.63
Sub-Total उप–योग	805.44	4.19	-	809.63
Deffered Tax Asstes आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
I) Carried Forwarded Losses & Depreciation i) हानि और मूल्यह्रास आगे लाया गया	-	-	-	-
II) Disallowance Under the Income Tax Act ii) आयकर अधिनियम के अंतर्गत नामंजूर	4 ,710.21	(355.30)	-	4,354.91
III) Provision for Doubtful Debts and advances iii) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	618.07	(5.06)	-	613.01
IV) Provision for Dimnution Value of Investment iv) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1.73	-	-	1.73
V) Provision for Buffer Stock losses Receivable v) प्राप्य बफर स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	746.54	-	-	746.54
VI) Remeasurements of the defined benifit plans vi) परिभाषित लाभ योजना के पुन: मूल्यांकन	-	11.59	-	11.59
Sub-Total उप–योग	6,076.55	(348.77)	-	5,727.78
Deferred Tax Assets (Net) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	5,271.11	(352.96)	-	4,918.15

Foot Note :

The Company does not have any Unrecognised Deffered Tax/Assests/Liabilities as at 31st March 2018, 31st March 2017 and 01st April 2016.

फूट नोट –

कंपनी के पास 31 मार्च, 2018, 31 मार्च, 2017 तथा 01 अप्रैल, 2016 पर कोई भी अमान्यता प्राप्त स्थगित कर परिसंपत्तियां /देयताएँ नहीं हैं ।

नोट -11 : अन्य परिसंपत्तियां

Note 11 - Other Assets

(रूपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	31st March 2018 31 मार्च, 2018 को	31st March 2017 31 मार्च, 2017 को	1st April 2016 01 अप्रैल, 2016 को
A. Non Current **क.** गैर-चालू			
Capital Advences पूँजी अग्रिम	-	-	-
Less : Allownces for bas and doubtful Advance घटाईये अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों हेतु भत्ते	-	-	-
Advances Other than Capital Advances पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
- Security Deposits - सिक्युरिटी डिपाजिट	159.97	156.09	184.75
Advances to related parties - संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-	-
- Advances to other suppliers - अन्य सप्लार्यस को अग्रिम	-	-	-
- Other Advances - अन्य अग्रिम	-	-	-
Less : Allowances for bad and doubtful Advance घटाईये अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों हेतु भत्ते	-	-	-
Allowances for bad and doubtful Advance अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों हेतु भत्ते	-	-	-
Others recoverable अन्य वसूली योग्य			
- Income Tax paid recoverable - वसूली योग्य प्रदत्त आयकर	-	-	-
- Sales Tax paid recoverable - वसूली योग्य प्रदत्त बिक्री कर	57.50	57.50	57.50
- GST Refund recoverable - वसूली योग्य जीएसटी रिफंड	-	-	-
- Other Receivable - Losses on Buffer Stock Receivable - अन्य प्राप्य बफर स्टॉक पर प्राप्य हानि	2,157. 14	2,157.17	2,157.17
Less : Provision for losses on Buffer Stock Operations receivable घटाईये- बफर स्टॉक परिचालन पर प्राप्य हानियों के लिए प्रावधान	(2,157. 14)	(2,157. 14)	(2,157. 14)
Total **कुल**	217.47	213.62	242.28
B. Current **ख. चालू**			
Capital Advances पूँजी अग्रिम			
Advances other than Capital Advances पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			

- Secuirity Deposites – सिक्युरिटी डिपाजिट	49.87	62.03	61.95
- Advances to related parties – संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-	-
- Advances to other suppliers – अन्य सप्लार्यस को अग्रिम	-	-	-
- Claim Recoverable others – वसूली योग्य अन्य दावे	-	-	-
- Other advances – अन्य अग्रिम	-	-	-
Less : Allowances for bad & doubtful Advance घटाईये अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों हेतु भत्ते			
Other Assets अन्य परिसंपत्तियां			
- Receivables other than Trade Receivables व्यापार प्राप्य के अतिरिक्त अन्य प्रापय	240.32	129.87	98.04
- Income Tax Refund – आयकर रिफंड	497.03	201.56	168.13
- Sales Tax /Vat refund – बिक्री कर/ वैट रिफंड	849.24	944.70	865.38
- GST Refund recoverable – वसूली योग्य जीएसटी रिफंड	-	-	-
- Service Tax Refund – सर्विस टैक्स रिफंड	0.66	0.66	0.90
- MSP Losses Receivable from Govt. of India – भारत सरकार से प्राप्य एमएसपी हानि	3,14,313.76	2,95,737.27	3,32,014.08
- Other Current Assets – अन्य चालू परिसंपत्तियां	6,218.60	965.14	1,619.09
Total कुल	3,22,169.48	2,98,041.23	3,34,827.57

Note 12 : Inventories

नोट –12 : मालसूची

(Rs. in Lakh)
(रूपये लाख में)

Particulars **विवरण**	**31st March 2018** **31 मार्च, 2018 को**	**31st March 2017** **31 मार्च,2017 को**	**1st April 2016** **01 अप्रैल, 2016 को**
Raw Materials कच्चा माल	1,628.40	-	286.18
Work in Progress कार्य प्रगति पर	-	-	-
Finished Goods तैयार माल	1,32,527.66	5,170.55	1,28,318.69
Packing Materials पैकिंग सामग्री	5,116.92	5,867.49	5,972.92

Other Misc Items अन्य विविध मदें	9.74	1.13	64.23
Total कुल	1,39,381.07	11,039.17	1,34,642.02

Note 13 Cash and Equivalent

नोट -13 : नकद तथा नकद समतुल्य

(Rs. in Lakh)
(रूपये लाख में)

Particulars विवरण	31 st March 2018 31 मार्च,2018 को	31 st March 2017 31 मार्च,2017 को	1st April 2016 01 अप्रैल, 2016 को
A. Cash and Cash Equivalent **क. नकद तथा नकद समकक्ष**			
Cash on hand हाथ में रोकड़	-	-	-
Cheques, Drafts, Stamp on hand हाथ में उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्टस	-	-	-
Balances with Banks बैंक में उपलब्ध शेष			
(a) in corrent account* ए) चालू खाते में	1,124.61	171.90	650.69
(b) in cash credit account** बी) कैश क्रेडिट अकांउट में	280.39	287.54	-
In term deposit with origanal maturity upto 3 months सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	-	-	-
Sub total (A) अनुयोग (ए)	1,405.00	459.44	650.69
B. Bank Balances other than above **ख. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष**			
In term deposit with original maturity than 3 months but less than 13 months* सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	44.59	41.90	44.45
Sub Total (B) उप-योग (बी)	44.59	41.90	44.45
Total कुल	1,449.59	501.34	695.14

Fool Note:

The above balances in Current Account and term deposit includes Rs. 0.12 lakh and Rs. 44.59 lakh respectively with Andra Bank which are under line as per order issued by the Principal Senier Civil Judge, Guntur in the matter of non payment of kapas value to the verious formers during the year 1999.

फूट नोट -

वर्ष 1999 के दौरान विभिन्न किसानों को कपास के मूल्य का भुगतान न करने के मामले में आंध्रा बैंक के पास क्रमश: 0.12 लाख रू. तथा 44.59 लाख रू. शामिल करते हुए चालू व सावधिक जमा में उपरोक्त शेष है, जो प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज गुन्तूर द्वारा जारी आदेश के अनुसार लीन के अंतर्गत है ।

Particulars विवरण	31st March 2018 31 मार्च,2018 को	31st March 2017 31 मार्च,2017 को	1st April 2016 01 अप्रैल, 2016 को
Current Account चालू खाता	0.12	0.12	0.12
As Fixed Deposit सावधिक जमा पर	44.59	41.90	39.45
Total कुल	44.71	42.02	39.57

** The Company has a credit facilities of Rs. 25,000 crores cronsortium of 15 PSBs. Looking to the seasnal nature of business, Company resorted to avail short term loans in liou of cash credit limits. As at 31st March 2018 and 31st March 2017, Company had a credit balance in cash Account.

कंपनी के पास 15 लोक उद्यम बैंक के कंसोर्टियम में 25000 करोड रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध है । व्यापार की मौसमी प्रकृति को देखते हुए कंपनी ने कैश क्रेडिट लिमिट के सामने लघु अवधि के ऋण को प्राप्त करने के लिए सहारा लिया है । दिनांक 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 को कंपनी का कैश क्रेडिट खाते में जमा शेष है ।

Note 14 : Current Tax Assets (Net)

नोट –14 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 31 मार्च, 2018 को	March 31, 2017 31 मार्च, 2017 को	April 1, 2016 01 अप्रैल, 2016 को
Advance Income Tax अग्रिम आयकर	255.73	408.15	251.80
Tax Aoducled at Soutce स्रोत पर कर कटौती	178.77	187.47	193.26
MAT Credit Receivablt प्राप्य एमएटी ऋण	-	432.25	432.26
Total कुल	434.50	1,027.87	877.32

Note 15 : Equity Share Capital

नोट –15 : इक्विटी शेयर पूँजी

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	31st March 2018 31 मार्च,2018 को	31st March 2017 31 मार्च,2017 को	1st April 2016 01 अप्रैल, 2016 को
Authorized **प्राधिकृत**			
75,00,000 Equity shares of Rupees 100/- each प्रत्येक 100 /– रू. के 75,00,000 इक्विटी शेयर्स	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Issued,subscribed and fully paid-up **निर्गमित, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त**			

25,00,000 Equity Shares of Rupees 100/- fully paid-up प्रत्येक 100 /- रू. के 25,00,000 इक्विटी शेयर्स पूर्ण प्रदत्त	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Total कुल	2,500.00	2,500.00	2,500.00

Reconcilliation of number of share :

शेयरों की संख्या जिनका समाधान किया गया

Particulars **विवरण**	**31st March 2018** **31 मार्च,2018 को**	**31st March 2017** **31 मार्च,2017 को**
Opening Equity shares आरंभिक इक्विटी शेयर	2,500.00	2,500.00
Add: No. of shares, shares capital issued/subscribed during the year जोडे- वर्ष के दौरान शेयरों की संख्या, शेयर पूँजी जारी की गई/खरीदे गए	-	-
Less: Deduction घटाइये कटौती	-	-
Closing balance अंतिम शेष	2,500.00	2,500.00

No.of shares in the comapny held by shareholder holding more than 5 percent

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

Name of the shareholder **शेयर होल्डर का नाम**	**31st March 2018** **31 मार्च,2018 को**	**31st March 2017** **31 मार्च,2017 को**	**1st April 2016** **01 अप्रैल, 2016 को**
President of India भारत के राष्ट्रपति	25,00,000	25,00,000	25,00,000
	(100%)	(100%)	(100%)
Total कुल	25,00,000	25,00,000	25,00,000

Fool Note :

(3 Shares (previous year 3 shares) held by nominee shareholders of the President of India being the beneficial shareholder.)

फूट नोट :

(बेनीफिशियल शेयर होल्डर्स होने के कारण 3 शेयर(गति वर्ष 3 शेयर) भारत के राष्ट्रपति के नामिनी शेयर्स द्वारा धारित किए गए हैं)

No. 16 : Other Equity

नोट –16 : अन्य इक्विटी

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	31st March 2018 31 मार्च,2018 को	31st March 2017 31 मार्च,2017 को	1st April 2016 01 अप्रैल,2016 को
General Reserve सामान्य आरक्षित	2,798.86	2,798.86	2,798.85
Capital Reserve आरक्षित पूँजी	-	-	-
Corporate social responsibility reserve निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षित	-	-	-
Retained Earnings प्रतिधारण अर्जन	23,313.07	22,729.07	23,660.34
Other Reserves अन्य आरक्षित	-	-	-
Total Other Equity कुल अन्य इक्विटी	26,111.93	25,527.93	26,459.20

(I) Genetal Reserve

(i) सामान्य आरक्षित

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 दि. 31 मार्च, 2018	March 31 , 2017 दि. 31 मार्च, 2017	April 1, 2016 दि. 1 एप्रिल, 2016
Opening Balance आरंभिक शेष	2,798.96	2,798.86	2,798.86
Transfer from Surplus सरप्लस से अंतरण	-	-	-
Transfer to capital reserve आरक्षित पूँजी का अंतरण	-	-	-
Closing Balance **अंतिम शेष**	2,798.96	2,798.96	2,798.96

(II) Capital Reserve

(ii) आरक्षित पूँजी

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 दि. 31 मार्च, 2018	March 31, 2017 दि. 31 मार्च, 2017
Opening Balance आरंभिक शेष	-	-
Transfer to General Reserve सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
Closing Balance **अंतिम शेष**	-	-

(III) Corporate Social Responsibility Reserve

(iii) निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षित

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 दि. 31 मार्च, 2018	March 31, 2017 दि. 31 मार्च, 2017
Opening Balance आरंभिक शेष	-	-
Transfer from Surplus सरप्लस से अंतरण	-	-
Deduction कटौती	-	-
Closing Balance **अंतिम शेष**	**-**	**-**

(IV) Retained Earnings

(iv) प्रतिधारण अर्जन

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 दि. 31 मार्च, 2018	March 31 , 2017 दि. 31 मार्च, 2017	April 1, 2016 दि. 1 एप्रिल, 2016
Opening Balance आरंभिक शेष	22,729.07	23,660.34	21,876.05
Net profit for the year वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ	933.44	(455.26)	-
Items of other comprehensive income reognised directly in Retained Earnings **प्रतिधारित अर्जन में सीधे व्यापक आय पहचान की अन्य मदें**			
Re-Measurments of post benefit obligation net of tax कर पश्चात सेवानिवृत्ति के लाभ देय लाभ का मूल्यांकन	(78.64)	(53.55)	-
Transfer from corporate Social Responsibility निगमित सामाजिक दायित्व से अंतरण	-	-	-
Reversal of Dividends and Dividend tax proposed लाभांश तथा प्रस्तावित लाभांश कर का रिवर्सल	-	-	422.46
Other Adjustments अन्य समायोजन	(270.80)	(422.46)	1,361.83
Appropriations विनियोजन	-	-	-
General Reserve सामान्य आरक्षित	-	-	-
Closing Balance **अंतिम शेष**	**23,313.07**	**22,729.07**	**23,660.34**

(V) Other Reserve

(v) अन्य आरक्षित

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	Equity Instruments through OCI सीसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंटस	Remeasurements of post employment benefit plans पुन:मूल्यांकन, पोस्ट इम्प्लाय लाभ योजना	Total other Reserves कुल अन्य रिजर्व
As at 01.04.2016 **01.04.2016 को**	-	-	-
Remeasurements of defined benefit plans परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मूल्यांकन	-	-	-
As at 01.04.2017 **01.04.2017 को**	-	-	-
Remeasurements of defined benefit plans परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मूल्यांकन	-	-	-
Equity Instruments through other comprehensive income अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंटस	-	-	-
As at 01.04.2018 **01.04.2018 को**			-

Note 17 Provisions

नोट –17 : प्रावधान

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 31 मार्च,2018 को	March 31, 2017 31 मार्च,2017 को	April 1, 2016 01 अप्रैल,2016 को
A. Non Current **क.. गैर–चालू**			
For Employee benefits **कर्मचारी लाभों के लिए**			
a) Leave Encashment ए) अवकाश नकदीकरण	1,821.50	1863.72	1787.89
b) Compassionate Gratuity बी) अनुकंपा उपदान (ग्रेच्युटी)	-	-	-
c) Post Retirement medical benefit सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	393.14	421.19	368.85
d) Half pay Leave डी) अर्धवेतन अवकाश	-	-	-
e) Others ई) अन्य	-	-	-
Sub total (A) **उप–योग (क)**	2,214.64	2,284.91	2,156.74

For Others **अन्य के लिए**			
Provision for Punjab Infrastructure Cess पंजाब इनफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए प्रावधान	4,303.69	9,989.01	9,214.35
Total (A) **कुल (क)**	6,518.33	12,273.92	11,371.09
B. Current **ख. चालू**			
For Employee benefits **कर्मचारी लाभों के लिए**			
a) Leave Encashment ए) अवकाश नकदीकरण	357.67	327.29	767.04
b) CPF बी) अंशदायी भविष्य निधि	-	8.43	-
c) CSS* सी) अशदायी अधिवर्षिता योजना	85.66	1,196.81	634.14
d) GSLI डी) जीएसएलआई	0.65	1.98	1.45
e) Gratuity ई) उपदान	1,214.78	134.16	105.91
f) Bonus/ Performance related pay एफ) बोनस / कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान	23.29	14.60	56.91
g) Post Retirement Medical Benefit Scheme जी) सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना	25.77	24.49	21.61
h) Others Staff Related Provisions एच) स्टॉफ से संबंधित अन्य प्रावधान	1,416.58	0.79	1.67
Sub Total (B) **उप-योग (ख)**	3,124.40	1,708.55	1,588.73
C. For Other **ग. अन्य के लिए**			
Provision for Expenses व्यय के लिए प्रावधान	151.09	174.51	872.06
Provision for Interest on outstanding dues to MSME एमएसएमई को बकाया राशि पर ब्याज हेतु प्रावधान	141.85	139.92	139.92
Sub Total (C) **उप-योग (ग)**	292.94	314.43	1,011.98
Total (A+B+C) **कुल (क+ ख+ग)**	3,417.34	2,022.98	2,600.71

Note 18 Borrowings

नोट –18 : उधार

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 31 मार्च,2018 को	March 31, 2017 31 मार्च,2017 को	April 1, 2016 01 अप्रैल,2016 को
Current: **चालू**			
Securred Repayable on demand मांग पर पुन: भुगतान योग्य सुरक्षित			
From Banks बैंकों से	4,04,200.00	2,78,500.00	4,28,793.07
From Other Parties अन्य पार्टियों से	-	-	-
Unsecured repayable on demand **मांग पर पुन: भुगतान योग्य असुरक्षित**	-	-	-
From Banks बैंकों से	40,000.00	-	-
From Other Parties अन्य पार्टियों से	-	-	-
Loans and advances from related parties- Unsecured संबंधित पार्टियों से ऋण एवं अग्रिम – असुरक्षित	-	-	-
Short Term Security Deposites- Unsecured लघु अवधि सुरक्षित जमा – असुरक्षित	-	-	-
Other Loans (Borrowings) अन्य ऋण (उधार)	-	-	-
Total **कुल**	4,44,200.00	2,78,500.00	4,28,793.07

Rs. 359,200 lakh at Marginal Cost of Fund based Lending Rate (MCLR) at the rate of 7.80 per cent per annum and Rs. 45,000 lakh borrowing at MCLR at the rate of 7.75 per cent per annum payable within 30 days (previous year Rs. 278,500 lakh borrowed at MCLR @ 7.85 percent per annum.) for working capital requirement, payable on demand as per loan agreement from Consortium of 14 PSU banks {Bank of Baroda (Lead Bank), Bank of India, Central Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, Oriental Bank of Commerce, Punjab National Bank, State Bank of India, Syndicate Bank, Union Bank of India, Allahabad Bank, Andhra Bank, United Bank of India and Vijaya bank}, which is secured by Pari-passu charge on Hypothecation of entire current assets of the company both present and future.

वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हेतु ऋण करार के अनुसार माँग पर भुगतान योग्य संकाय बैंकों से ऋण मॉर्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेसड लेडिंग दर (एमसीएलआर) पर 7.80% प्रति वर्ष से 3,59,200 लाख रू. तथा 7.75% की दर से 45,000 लाख रू. ऋण 30 दिन के भीतर देय (गत वर्ष 278500/– रू. लाख एमसीएलआर दर से 7.85% प्रति वर्ष ऋण) (बैंक ऑफ बड़ौदा (मुख्य बैंक), बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेश्नल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, यूनायटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा विजया बैंक) जो कंपनी की संपूर्ण वर्तमान व भावी चालू परिसंपत्तियों के दृष्टि बंधक पर समगति से समरूप चार्ज द्वारा रक्षित हैं ।

Note 19 Trade Payables

नोट - 19 : व्यापार देय

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 31 मार्च,2018 को	March 31, 2017 31 मार्च,2017 को	April 1, 2016 01 अप्रैल,2016 को
Current: चालू			
Other than MSMEs एमएसएमई को छोडकर अन्य	6,495.49	754.89	1,527.81
Trade Payables (MSME) व्यापार देय (एमएसएमई)	64.93	2.73	66.98
Trade Payables to related parties संबंधित पार्टियों को व्यापार देय	-	-	-
Total कुल	6,560.42	757.62	1,594.79

Note 20 Other Financial Liabilities

नोट - 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars विवरण	March 31, 2018 31 मार्च,2018 को	March 31, 2017 31 मार्च,2017 को	April 1, 2016 01 अप्रैल,2016 को
A. Non Current **क. गैर- चालू**			
Security Deposites/EMD from venders सुरक्षा जमा राशि / विक्रेता से ईएमडी	716.13	717.70	686.02
Other Payables अन्य भुगतान योग्य	54.26	215.48	174.17
Sub total (A) **उप-योग (क)**	770.39	933.18	860.19
B. Current **क. चालू**			
Payables- Other than trade व्यापार के अलावा भुगतान योग्य	81.62	128.91	419.39
Interest Payable to Customers ग्राहकों को भुगतान योग्य ब्याज	18.83	18.73	38.31
Interest accrued on borrowings उधारी पर अर्जित ब्याज	-	-	-
Security deposit and EMD सुरक्षा जमा राशि एवं ईएमडी	2,282.23	1223.66	1,177.16
Deposits (Security) from Suppliers आपूर्तिकर्ता से जमा (सुरक्षा)	309.96	494.58	880.33
Deposits (Security) from Tenants किरायेदारों से जमा (सुरक्षा)	4.99	34.43	4.27
EMD received from Customers ग्राहकों से प्राप्त ईएमडी	1,514.36	49.79	239.09
Retention money रिटेंशन मनी	804.36	509.97	825.89

Other Payable अन्य भुगतान योग्य	297.91	92.50	238.52
Sub total (B) **उप–योग (ख)**	5,314.26	2552.55	3,822.96
Total (A+B) **कुल (क+ख)**	6,084.66	3,485.73	4,683.15

Note 21 Current Tax liabilities (Net)

नोट –21 : चालू कर देयताएं (शुद्ध)

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars **विवरण**	**March 31, 2018** **31 मार्च,2018 को**	**March 31, 2017** **31 मार्च,2017 को**	**April 1, 2016** **01 अप्रैल,2016 को**
Income Tax आयकर	545.00	444.40	587.38
Total **कुल**	545.00	444.40	587.38

Note 22 Other Current liabilities

नोट –22 : अन्य चालू देयताएं

(रुपये लाख में) (Rs. in Lakh)

Particulars **विवरण**	**March 31, 2018** **31 मार्च,2018 को**	**March 31, 2017** **31 मार्च,2017 को**	**April 1, 2016** **01 अप्रैल,2016 को**
Current **चालू**			
Advance Received from Customers ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	2,863.41	5,072.84	26,855.76
Statutory dues payable सांविधिक भुगतान योग्य देय	1,061.88	607.72	2,049.55
Employee benefits payable भुगतान योग्य कर्मचारी लाभ	40.91	27.63	47.20
Others अन्य	166.33	226.51	210.11
Total **कुल**	4,132.53	5,934.70	29,162.62

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD, NAVI MUMBAI
NOTES FOR THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018
भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई
1 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणी के लिए नोटस

Note 23 Revenue and Operations

नोट –23 परिचालन से राजस्व

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

Note नोट	Year ended 31st March 2018 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	Year ended 31st March 2017 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
(a) Sale of products* **(क) उत्पादों की बिक्री ***		
Sale of Fully Pressed Bales Cotton Seed, Lint and Miscellaneous Items such as Sample, Cowdy, Roller/Yellow Picking Bales etc. पूर्ण बंधित गांठों की बिक्री, बिनौला, लिंट तथा विविध मदें जैसे सैंपल, कौडी, रोलर / येलो पिकिंग गॉठें इत्यादि	1,08,407.59	1,58,762.43
Total (a) **कुल (क)**	1,08,407.59	1,58,762.43
(b) Sale of Services **(ख) सेवाओं की बिक्री**		
Certification of Bales गांठों का प्रमाणन	-	0.24
Total (b) कुल (ख)	-	0.24
(c) Other Operating Revenues **(ग) अन्य परिचालन से राजस्व**		
Carrying Charges & Late Lifting Charges रखरखाव प्रभार तथा देर से उठाये जाने पर प्रभार	390.14	1,132.65
Interest received from Customers ग्राहको से प्राप्त ब्याज	748.69	641.20
Compensation For Cancellation of Contracts संविदा रद्द करने के लिए प्रतिपूर्ति	906.14	793.33
Duty Drawback (Export)/Export Incentive डयूटी ड्राबैक (निर्यात) निर्यात प्रोत्साहन	-	1.70
Cash Discount on Ready Bales purchase तैयार गॉठों की खरीद पर कैश डिस्काउंट	17.90	16.06
Reimbursement of Losses on Minimum Support Price Operations न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन पर हुई हानि की प्रतिपूर्ति	28,751.52	23,998.19
Total (c) **कुल (ग)**	30,814.39	26 583.13
Total (a+b+c) **कुल (क+ ख +ग)**	1,39,221.98	1,85,345.80

*वित्तीय 2017-18 के दौरान कंपनी ने परिचालन राजस्व की राजस्व मान्यता पर लेखांकित नीति में परिवर्तन किया है यानि रूई की बिक्री, पूर्णबंधित रूई की गांठों के संविदा पर हस्ताक्षर करने, संविदा की शर्तो के अनुसार प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि प्राप्त करने पर व गांठों के चयन करने पर मान्यता दी गई है । तुलनात्मक आंकडे सूचित किए गए हैं ।

*During the FY 2017-18, the Company has changed its accounting policy on Revenue Recognition of operating revenue i.e. Sale of lint, fully pressed bales of cotton are recognized when the contract has been signed, initial security deposit as per the terms of the contract has been received and bales have been selected. The Comparative figures have been stated.

Note 24 Other Income

नोट -24 अन्य आय

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

Rent Income किराये से आय	858.50	700.59
Interest Received on Bank Deposits बैंक डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज	2.99	2.63
Other Interest Income (Net) अन्य ब्याज आय (शुद्ध)	32.60	138.14
Insurance Claims बीमा दावे	-	29.39
Bad Debts Recovered डूबत ऋण की वसूली	-	5.30
Other Miscelleneous Income and Write Backs अन्य विधि आय व राईट बैकस	124.35	235.14
Total कुल	1,018.44	1,111.19

Note 25 Cost of Material Consumed

नोट -25 उपभोग की गई मटेरियल पर लागत

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

Raw Material कच्चा माल	1,30.587.82	17,230.20
Packing Material पैंकिंग सामग्री	751.91	105.42
Total कुल	1,31,339.73	17,335.62

Note 26 Changes in Inventories of Finished Goods, W.I.P., Stock In Trade

नोट -26 तैयार माल की मालसूची में परिवर्तन, डब्ल्यू.आई.पी. व्यापार में स्टाक

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

Opening Stock आरंभिक स्टाक	5,171.68	1,28,382.92
Less : Closing Stock घटाइये : अंतिम स्टॉक	1,32,537.40	5,171.68
Decrease/ (Increase) in Inventories **मालसूची में कमी/(वृद्धि)**	(1,27,365.72)	1,23,211.24

Note 27 Employee Benefit Expenses

नोट -27 कर्मचारी लाभ व्यय

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

Salaries, Allowances & Other incentives वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रोत्साहन	6,571.92	5,043.90
Bonus & Performance related pay बोनस तथा परफॉरमेंस से जुडा वेतन	111.01	99.89
Contribution to Provident Fund & Pension Fund भविष्य निधि तथा पेंशन निधि में अंशदान	501.06	529.62
Contribution to Gratuity Fund उपदान निधि में अंशदान	998.40	99.40
Contribution to Super Annuation Fund अधिवर्षिता निधि में अंशदान	85.66	1,196.81
Post Retirement Benefit Scheme सेवा निवृत्ती के बाद की योजना	46.99	46.65
Payment for leave encashment छुट्टी नकदीकरण के लिए भुगतान	615.99	264.25
Staff Welfare Expenses स्टॉफ कल्याण व्यय	355.24	418.94
Total **कुल**	9,286.27	7,699.46

Note 28 Finance Cost

नोट -28 वित्तीय लागत

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

A) On Bank Loans ए) बैंक ऋण पर	25,245.48	26,456.09
B) Others बी) अन्य	5.15	0.21
Total **कुल**	25,250.63	26,456.30

Note 29 Other Expenses

नोट–29 अन्य व्यय

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

	Year ended 31st March 2018 31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष	Year ended 31St March 2017 31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष
(A) Ginning and Pressing Expenses **(क) जिनिंग एवं प्रेसिंग व्यय**		
Ginning Charges जिनिंग प्रभार	3,749.30	302.43
Pressing Charges प्रेसिंग प्रभार	1,538.61	153.19
Labour and Other Processing Charges श्रम एवं अन्य संसाधन प्रभार	564.24	82.91
Total (A) कुल(क)	5,852.15	538.53
(B) Other Operating Expenses **(ख) अन्य परिचालन व्यय**		
Godown Rent गोदाम किराया	833.96	1,486.84
Insurance बीमा	245.25	338.62
Bank Charges बैंक प्रभार	9.29	10.76
Expneses on Improvement of Cotton Yield कपास उपज में सुधार के लिए व्यय	-	-
Total (B) कुल(ख)	1,088.50	1,836.22
(C) Administrative Expneses **(ग) प्रशासनिक व्यय**		
Office Rent कार्यालय किराया	89.72	104.66
Travelling Expenses of : यात्रा के लिए व्यय :		
- Directors - निदेशकों हेतु	38.42	17.97
- Others - अन्य हेतु	143.61	150.79
Rates and Taxes दरें एवं कर	50.19	50.83
Legal and Professional Fees विधिक तथा व्यावसायिक फीस	106.73	169.81
Remuneration To Auditors लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		

- As Auditor – लेखा परीक्षक	21.60	18.00
- For Taxation Matters/ VAT Audit – कराधान मामले वैट लेखा परीक्षा	7.12	7.61
- For Other Services – अन्य सेवाओं के लिए	2.80	2.50
- For Reimbursement of Expenses – व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	1.10	0.87
Repairs and Maintenance (Building) मरम्मत एवं रखरखाव (भवन)	133.45	96.42
Repairs and Maintenance (Computers) मरम्मत एवं रखरखाव (कंप्यूटर)	161.28	158.33
Repairs and Maintenance (Others) मरम्मत एवं रखरखाव (अन्य)	10.48	9.07
Printing and Stationery प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	56.94	23.59
Telephone टेलीफोन	34.54	39.30
Postage and Courier पोस्टेज एवं कुरियर	15.00	10.25
Advertisement विज्ञापन	18.04	26.59
Electricity Water Charqes/ Generator Charges बिजली एवं जल प्रभार / जनरेटर प्रभार	99.23	190.08
Expenditure on Corporate Social Responsibilites निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्चे	32.44	62.93
Other Administrative Expenses अन्य प्रशासनिक खर्चे	192.71	189.79
Total (C) **कुल(ग)**	1,215.40	1,329.39
(D) Selling, Distribution & Forwarding Expenses **(घ) बिक्री, वितरण तथा प्रेषित व्यय**		
Selling, Distribution Expenses विक्री, वितरण व्यय	668.05	588.29
Brokerage/ Commission दलाली/ कमीशन	0.72	0.53
Cash Discount कैश डिस्काउंट	0.45	336.70
Total (D) **कुल(घ)**	669.22	925.52

(E) Provisions and Write Off Expenses **(ड.) प्रावधान तथा राईट ऑफ व्यय**		
Advances/ Recoverable Written Off अग्रिम/ वसूली योग्य बट्टे खाते में डाला गया	-	15.51
Provision for Doubtful Debts/ Advances संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान / अग्रिम	1.83	5.56
Provision for Interest on Outstanding dues to MSME एम.एस.एम.ई को बकाया राशि पर ब्याज हेतु प्रावधान	1.94	0.01
Provision for Interest on Punjab Infrastructure Cess पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस पर ब्याज हेतु प्रावधान	774.66	774.66
Total (E) **कुल(ड.)**	778.43	795.74
Total Expenses (A+B+C+D+E) **कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ड.)**	9,603.70	5,425.40

Note 30 Exceptional Items

नोट – 30 असाधारण मदें

(रूपये लाख में)
(Rs. in Lakh)

Disposal of items of Fixed assets अचल परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	(0.72)	(2.83)
Interest on delayed payments (Late Payment Charges) देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज (लेट पे–मेंट चार्जेस)	1.23	1.70
Provision for Doubtful Debts/ Advances (Previous Year) Written Back संदिग्ध ऋणें के लिए प्रावधान/ अग्रिम (गतवर्ष) पुनरांकन	(333.11)	(5.21)
Provisions no longer required प्रावधान जिनकी आवश्यकता नहीं	(6,494.52)	(42.78)
Total **कुल**	(6,827.12)	(49.12)

लेखों कें लिए नोट्स

31. आकस्मिक देयताएँ व प्रकटीकरण

i)

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	विषय	31.03.2018 को	31.03.2017 को
क)	कर्मचारियों के दावों और अन्य कंपनियों के खिलाफ जिनकी राशि निश्चित है परन्तु ऋण के रूप में नहीं जानते हैं ।	829.77	862.22
ख)	विवादित बिक्रीकर माँग जिसके सामने 83.27 लाख रू. जमा किए गए है (गत वर्ष 0.33 लाख रू.)	247.49	221.96
ख)	विवादित बिक्रीकर माँग जिसके सामने 0.33 लाख रू. जमा किए गए है (गत वर्ष 0.33 लाख रू.)	4.39	4.39
ग)	विवादित आय कर माँग जिसके सामने कंपनी ने आय कर आयुक्त के समक्ष अपील की है (अपील्स)	42.93	42.93
घ)	'सी'/'एच'/'आई' फॉर्मस प्रस्तुत न करने के कारण संभावित देय राशि	6.91	521.13
ड़)	संबंधित दोषी खरीददारों द्वारा दायर की गई अपील में संचित ब्याज सहित कंपनी की न्यायालय को वचनबद्धता के सामने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशो के अधीन प्रारंभ में उनको बेची हुई मात्रा की पुन: बिक्री के सामने हुई हानि के लिए दोषी खरीददारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त 511.93 लाख रू. की राशि पर ब्याज देयता	119.77	78.82
		1,251.26	1731.45

Notes to the Accounts

31. Contingent Liabilities & Disclosure:

i)

(Rs. In Lakh)

Sr. no.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
a)	Claims of employees and other against the Company of which the amounts are ascertainable but not acknowledged as debts*	829.77	862.22
b)	Disputed Sales Tax Demand against which Rs.83.27 Lakh (PY Rs.47.37 Lakh) is deposited.	247.49	221.96
b)	Disputed Service Tax Demand against which Rs.0.33 Lakhs (PY Rs.0.33 Lakhs) is deposited.	4.39	4.39
c)	Disputed Income Tax Demand against which company is in appeal before Commissioner of Income Tax (Appeals)	42.93	42.93
d)	Dues may arise due to non submission of 'C'/'H'/'I' Forms**	6.91	521.13
e)	Interest liability on the amount of Rs. 511.93 lakh received during the FY 2015-16 from the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them under the orders of Hon'ble Bombay High Court.	119.77	78.82
		1,251.26	1731.45

* यदि विधिक मामले कंपनी के विरूद्ध निर्णित होते हैं तो दावा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा (राशि निश्चित नहीं मानी गई है)

** बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारण से पूर्व पार्टियो से 'सी'/'एच'/'आई' फॉर्मस जमा करने व आगे प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के प्रयास जारी हैं ।

ii) पूँजीगत संविदाओं की अनुमानित राशि जिन्हें निष्पादित किया जाता है एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। राशि शून्य रूपये (गत वर्ष शून्य) ।

iii) अन्य कमिटमेंट पर अनुमानित राशि तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है शून्य (गत वर्ष शून्य)

iv) निगम की ओर से बैंक द्वारा 0.01 लाख रू. की गारंटी दी गई (गत वर्ष 0.01 लाख रू.)

32. न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन में हुई हानियों की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से प्रतिपूर्ति योग्य न्यूनतम मूल्य परिचालन के लेखें में हुई हानियाँ यदि कोई हों, तो उन्हें प्रोद्भवन रीति के आधार पर लेखांकित किया गया है तथा चूँकि यह परिचालन कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है इसीलिए इन्हें ऑपरेटिंग राजस्व के रूप में प्रकटन किया गया है । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 31.03.2017 तक प्राप्त करने योग्य एमएसपी हानियों के विरूद्ध भारत सरकार ने 9900 लाख रू. की प्रतिपूर्ति की है । दिनांक 31.03.2018 को प्राप्त करने योग्य राशि 3,14,313.76 लाख रू. है (गत वर्ष 2,95,737.27 लाख रू.)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर हुई हानि 28,751.52 लाख रूपये (गत वर्ष 23,998 लाख रूपये) है, जिसकी प्रतिपूर्ति जो भारत सरकार द्वारा की जानी है । इनमें निम्न व्यय/ हानियाँ शामिल है :-

(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रशासनिक, स्थापना व्यय व मूल्यह्रास का वर्ष के दौरान एमएसपी व सीपी परिचालन के अंतर्गत क्रय-विक्रय के वॉल्यूम के आधार पर प्रभाजन किया जा सकता है ।

(ii) निधियों पर ब्याज, जिसमें बैंक ऋण के साथ-साथ अपनी स्वयं की निधि भी शामिल है, के लिए गणना की गई अवधि है:-

क) गाँठों में बदलने की संसाधन प्रक्रिया यानि कपास की

* Interest on the claimed amount may have to be paid if legal cases are decided against the Company (amount not ascertainable)

** Company is persuing with the parties for collection of 'C'/'H'/'I' forms and onward submission before assessment by the Sales Tax Authorities.

ii) Estimated amount of commitment of capital contracts remaining to be executed and not provided for is Nil (previous year Nil).

iii) Estimated amount of other commitments not provided for is Nil (previous year Nil).

iv) Guarantee given by the Bank on behalf of the Corporation is Rs 0.01 lakh (previous year Rs.0.01 lakh).

32. Reimbursement of losses in Minimum Support Price operation

The losses if any, incurred on account of Minimum Support Price Operations reimbursable from the Government of India, Ministry of Textiles are accounted on accrual basis and disclosed as Operating Revenue as these operations are related with the core business activities of the Company. During the financial year 2017-18, Govt. of India, reimbursed Rs. 9900 lakh against the MSP losses receivable upto 31.03.2017. The amount receivable as on 31.03.2018 is Rs. 3,14,313.76 lakh (previous year Rs. 2,95,737.27 lakh).

Losses amounting to Rs. 28,751.52 lakh (previous year Rs. 23,998.19 lakh) arising on account of Minimum Support Price (MSP) operations are reimbursable by the Government of India during the financial year 2017-18. These expenses / losses include:

i) Administrative, establishment expenses and depreciation for the financial year 2017-18, apportioned on the basis of volume (number of bales) of purchase and sales handled during the year under MSP and CP operations.

ii) Interest on funds which includes bank borrowings as well as own funds deployed, computed for the following periods:-

a) Process cycle for conversion of bales i.e. from the date of purchase of kapas up to the

खरीद की तारीख से गाँठों की प्रेसिंग की तारीख तक।

ख) बेची गई और उठायी गई गांठों के लिए – गॉठों के प्रेसिंग की तारीख से गाँठें उठाने की तारीख तक ।

ग) अनबिकी गाँठें और बेची गयी लेकिन न उठवाई गई गाँठों के लिए – गाँठों की प्रेसिंग की तारीख से गाँठों के उठाये जाने तक 31.03.2018 ।

घ) न बेची गई गाँठे तथा बेची गई गाँठों परंतु वर्ष के प्रारंभ से न उठायी गई गाँठों के लिए 1 अप्रैल से उठाने की तारीख तक

च) वर्ष के आरंभ में बकाया राशि के लिए भुगतान की प्राप्ति तक ब्याज लगाया गया है।

(iii) कपास के खरीद मूल्य के आधार पर तिरपालों के खर्चो को आबंटित किया गया है ।

(iv) प्रेस की गई गाँठों की संख्या के आधार पर हैसियन /ग्रे कपड़े के खर्चो को आबंटित किया गया है ।

(v) वर्ष के दौरान मायक्रोनेयर टेस्टर तथा मौइस्चर मीटर्स जैसे परीक्षण सामग्री की लागत की खरीद की राशि शून्य है (गत वर्ष शून्य रूपये)।

(vi) विक्रय और वितरण व्यय वास्तविक आधार पर ।

33. बफर स्टॉक परिचालन की प्रतिपूर्ति

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार निगम ने गुजरात राज्य में कपास मौसम 2011-12 के दौरान बफर स्टॉक के अंतर्गत खरीद कार्य किया । निगम को 3173.08 लाख रूपये की हानि हुई तथा जिसे इन हानियों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान किये जाने हेतु लेखांकित किया गया ।

वस्त्र मंत्रालय ने उपरोक्त संदर्भित 3173.08 लाख रू. के सामने वर्ष 2013-14 के दौरान केवल 1,015.94 लाख रू. की राशि की प्रतिपूर्ति की है तथा शेष 2,157.14 लाख रू. वसूली की अनिश्चितता के कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 में संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान किया है (नोट 11 देखें) ।

34. अन्य परिचालन राजस्व

अन्य परिचालन आय में 906.14 लाख रू. (गत वर्ष 793.33 लाख रू.) शामिल है जो चूककर्ता खरीददारों से उनको आरंभ में बेची गयी मात्रा की पुन: बिक्री से उत्पन्न हानियों के लिए जमा राशि, अग्रिम, लदान प्रभार, ऋण शेष और उस पर ब्याज के लिए है ।

35. डेबटर्स समाधान

व्यापार प्राप्ति योग्य में एनटीसी सहायिकायें, संस्थागत खरीददार,

date of pressing of bales.

b) For bales sold and lifted - from the date of pressing of bales up to the date of lifting of bales.

c) For unsold bales and bales sold but unlifted from the date of pressing of bales till the end of the year i.e. 31st March 2018.

d) For unsold bales and bales sold but not lifted at the beginning of the year from 1st April to date of lifting.

e) For the amount outstanding in the beginning of the year, interest is charged till receipt of the payment.

iii) Tarpaulins expenditure allocated on the basis of purchase value of cotton.

iv) Hessian/grey cloth expenditure allocated on the basis of the number of bales pressed.

v) Cost of testing equipments namely Micronaire Testers and Moisture meters, purchased during the year amounting to Rs. Nil (Previous year Rs. Nil).

vi) Selling and Distribution expenses on actual basis.

33. Reimbursement of Buffer Stock Operation

As per mandate given by Government of India, Ministry of Textiles, the Corporation had undertaken buffer stock operations in the state of Gujarat during the cotton season 2011-12. Losses amounting to Rs. 3,173.08 Lakh were accounted for being reimbursable by the Government of India during financial year 2012-13.

Ministry of Textiles reimbursed only a sum of Rs. 1,015.94 lakh during the year 2013-14 out of Rs. 3,173.08 lakh referred to above and the balance Rs. 2,157.14 lakh was provided for doubtful recoveries (Refer Note 11) in the financial year 2013-14 due to uncertainty of recovery.

34. Other operating revenue

Other operating revenue includes Rs. 906.14 lakh (Previous year Rs. 793.33 lakh) towards deposits, advance carrying charges, credit balances and interest thereon received from defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them.

35. Debtors Reconciliation

Trade Receivables comprising NTC subsidiaries, Institutional buyers, other Trade Receivable, Loans and

अन्य व्यापार प्राप्ति योग्य, ऋण और अग्रिम जमा राशि, जमा राशियाँ अन्य वर्तमान आस्तियाँ तथा भुगतान योग्य व्यापार पुष्टीकरण/ समाशोधन तथा समायोजन के फलस्वरूप के अधीन है ।

36. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण :

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदान करनेवाली संस्थाओं से पुष्टि प्राप्त की है, जिन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट, 2006) के अंतर्गत जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर्ड किया है तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अंतर्गत मायक्रो, स्माल एंड मीडियम एन्टरप्राईजेस को देय शेष 150.53 लाख रूपये है (पिछले वर्ष 105.94 लाख रू.)

(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि तथा उस पर देय ब्याज का शेष भुगतान :

(लाख रूपये में)

को समाप्त वित्तीय वर्ष	मूल	ब्याज
31.03.2014	38.01	134.66
31.03.2015	554.78	136.73
31.03.2016	66.98	139.91
31.03.2017	105.94	139.92
31.03.2018	64.93	141.85

* इसमें ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो संविदा की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों से प्राप्त हुआ है।

(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट ऍक्ट- 2006 की धारा -16 की शर्तो के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि 'शून्य' है। (गत वर्ष शून्य रूपये) उपरोक्त (i) के अनुसार भुगतान योग्य राशि को छोड़कर ।

(iii) ब्याज की राशि जो भुगतान देरी से करने के कारण है, देय एवं भुगतान योग्य है (वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद जिसका भुगतान किया गया है) परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज शामिल नहीं किया गया है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज राशि और शेष अप्रदत्त राशि निम्नानुसार है :

Advances, Deposits, Other Current Assets and Trade Payables are subject to confirmation/Reconciliation and consequent adjustments.

36. Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

Disclosure as required under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:

The Company has obtained confirmations from suppliers and service providers who have registered themselves under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) and based on the information available with the Company, balance due to Micro, Small and Medium Enterprises defined under the MSMED Act, 2006 is Rs. 150.53 lakh (Previous year Rs. 105.94 lakh).

(i) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year:

(Rs. in Lakh)

Financial Year end	Principal*	Interest
31.03.2014	38.01	134.66
31.03.2015	554.78	136.73
31.03.2016	66.98	139.91
31.03.2017	105.94	139.92
31.03.2018	64.93	141.85

* Includes interest free security deposits received from contractors as per the terms of the contract.

(ii) The amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with amount of payment made to the suppliers beyond the appointed day during each accounting year is Nil (Previous year Nil), except amounts payable as in (i) above.

(iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act is Nil (Previous year Nil).

(iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year is as under:

को समाप्त वित्तीय वर्ष	राशि (लाख रू. में)
31.03.2014	134.66
31.03.2015	136.73
31.03.2016	139.91
31.03.2017	139.92
31.03.2018	141.85

(v) आगे देय ब्याज की बकाया राशि और आगामी वर्षो में भी देय उस तारीख तक जब उपर्युक्त बकाया राशि वास्तविक रूप से छोटे उद्यमों को भुगतान किया गया है, जो मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट- 2006 की धारा-23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में डिसअलाउन्स प्रयोजन के लिए देय 141.85 लाख रूपये है। (गत वर्ष 139.92 लाख रूपये)

कंपनी के पास उपरोक्त जानकारी जिस सीमा तक उपलब्ध है, दी गई है ।

37. विभिन्न मिल्स से वसूली योग्य क्षति का परिसमापन

वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयात की गई कपास की पुन: बिक्री पर 1679.63 लाख रूपये (गत वर्ष 1679.63 लाख रूपये) की राशि हानि के लिए संविदागत गॉठें विभिन्न मिलों द्वारा न उठाने के कारण वसूली योग्य परिसमापन क्षति के कारण बकाया थी । कंपनी को भारत सरकार से इसकी प्राप्ति हो चुकी है । इस प्रकार के चूककर्ताओं के विरूध्द परिसमापन क्षति के रूप में वसूली योग्य हानियाँ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या, में मामलों के रूप में लंबित हैं । चूककर्ता खरीददारों से जमा की गयी राशि, ऐसे मामले के लंबित रहने तक भारत सरकार को देय गैर चालू देयताएँ शीर्ष के अंतर्गत (संदर्भ नोट-20ए) इस प्रकार के मामलों के निपटान हेतु ली गयी है ।

38. कर्मचारी लाभ

इंडएएस 19- ''कर्मचारी लाभ'' द्वारा अपेक्षित कर्मचारी लाभों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी उन कर्मचारियों से संबंधित जो भविष्य निधि तथा अधिवर्षिता निधि के लिए योग्य है कर्मचारी को विशिष्ट वेतन से निर्धारित अंशदान देता है जो परिभाषित अंशदान योजना है। इस विशिष्ट अंशदान देने के अलावा कंपनी के अन्य कोई दायित्व नहीं है । ये अंशदान लाभ अथवा हानि विवरणी में

Financial Year end	Amount (Rs. in lakh)
31.03.2014	134.66
31.03.2015	136.73
31.03.2016	139.91
31.03.2017	139.92
31.03.2018	141.85

(v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is Rs. 141.85 lakh (Previous year Rs 139.92 lakh).

The above information is given to the extent available with the Company.

37. Liquidated damages recoverable from various mills

On account of liquidated damages recoverable from various mills for their failure to lift the contracted bales an amount of loss of Rs. 1679.63 lakh (Previous year Rs. 1679.63 Lakh) on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 and 1977-78 were outstanding. The same has already been received by the Company from the Government of India. The losses recoverable towards liquidated damages against such defaulters are pending in large number of cases before Honorable Bombay High Court. The amount collected from the defaulted buyers, pending such cases, shall be accounted for on settlement of such cases and are currently shown under the head of Non-Current liabilities being payable to the Government of India (Refer Note No. 20A).

38. Employee Benefits

Details of Employee Benefits as required by the Ind AS 19– "Employee Benefits" are as follows:

A. Defined Contribution Plans:

The Company makes contributions, determined as a specified percentage of employee salaries, in respect of qualifying employees towards Provident Fund and Superannuation Fund which are defined contribution plans. The Company has no obligation other than to make the specified contributions. The

चार्ज किए जाते हैं जो प्रोदभवन के अनुसार हैं ।

भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि की प्रकृति में अपने कर्मचारियों को कर्मचारी लाभ प्रदान करने के लिए योजना का परिचालन करती है । पात्र कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते है जो परिभाषित अंशदायी योजना है । कर्मचारी एवं कंपनी दोनों भविष्य निधि योजना में मासिक रूप से अंशदान करते हैं जो कर्मचारी वेतन को कवर करते हुए विशिष्ट प्रतिशत के समान है । कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का नियत अंशदान करती है (भाकनि कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि) जो अनुमति प्रदान प्रतिभूतियों में निधि को निवेश करता है । ट्रस्ट अपने सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज की दर से भुगतान करती है । निधि में निवेश पर रिर्टन को शामिल करते हुए निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दयित्व से अधिक है । कंपनी भविष्य निधि में भुगतान योग्य अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता देती है ।

अधिवर्षिता

कंपनी ने दिनांक 01.11.1995 से सभी नियमित कर्मचारियों के लिए भाकनि कर्मचारी अंशदायी अधिवर्षिता निधि में संशोधन किया है । कंपनी एक विशिष्ट ट्रस्ट को पात्र राशि का अंशदान करती है (भाकनि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निधि निवेश करती है । कंपनी अधिवर्षिता में भुगतान योग्य अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता देती है ।

कंपनी ने निम्नलिखित राशि को लाभ व हानि की विवरणी में मान्यता दी गई है । (नोट 27 देखें) :

	2017-2018 (लाख रू. में)	2016-2017 (लाख रू. में)
भविष्य निधि तथा पेंशन निधि में अंशदान	501.06	529.62
अधिवर्षिता निधि में अंशदान	85.66	1196.81

ख) परिभाषित लाभ योजना –

दिनांक 31.03.2018 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा कर्मचारी लाभ योजनाओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता दी गई है ।

contributions are charged to the statement of profit and loss as they accrue.

Provident Fund

The company operates plan for its employees to provide employee benefits in the nature of provident fund. Eligible employees receive benefits from a provident fund, which is defined contribution plan. Both the employee and the company make monthly contribution to the provident fund plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. The Company contributes fixed contribution of provident fund at a predetermined rate to a separate trust (The Cotton Corporation of India Ltd Employees' Contributory Provident Fund Trust) which invests the funds in permitted securities. The trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to members of trust. The amount available in the fund including the return on investment is greater than the obligation of the company. The company recognizes contribution payable to the provident fund scheme as expenditure.

Superannuation

The Company has implemented 'The Cotton Corporation of India Ltd Employees' Contributory Superannuation Fund' w.e.f. 01.11.1995 for all regular employees. The Company contributes eligible amount to a separate trust (The Cotton Corporation of India Ltd Employees' Contributory Superannuation Fund Trust) which invests the funds in permitted securities. The company recognizes contribution payable to the superannuation fund scheme as expenditure.

The Company has recognized the following amounts in the Statement of Profit and Loss (Refer note 27):

	2017-2018 (Rs. in lakh)	2016-2017 (Rs. in lakh)
Contribution to Provident Fund and Pension Fund	501.06	529.62
Contribution to Superannuation Fund	85.66	1196.81

B. Defined Benefit Plans -

As per Actuarial Valuation as on 31.03.2018 and recognized in the financial statements in respect of Employee Benefit Schemes:

1. रोजगार के बाद लाभ

कंपनी में रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ निम्नलिखित है :

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

सभी कर्मचारियों को बारह महीने सेवाएँ देने के भीतर पूरी तरह से देय को अल्पावधि कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा कर्मचारियों द्वारा दी गई संबंधित सेवाओं की अवधि में इसकी मान्यता दी जाती है । देयता (उपार्जित व्यय) के रूप में दी गई सेवाओं के बदले पहले से भुगतान की गई किसी राशि की कटौती के पश्चात भुगतान की गई अपेक्षित अल्पावधि कर्मचारी लाभ की अनडिस्काऊंटेड राशि को मान्यता दी जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

कंपनी के नियमों के अनुसार वर्ष के लिए अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन की देयताएँ प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड को अपनाते हुए एक्युरल मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है ।

एक्यूरल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अवकाश देयताओं का अनुमान : –

	चालू अवधि	पूर्व अवधि
लाभ का प्रकार	अवकाश	अवकाश
देश	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	आईएनआर	आईएनआर
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकित मानक 19 (इंडएएस 19)	भारतीय लेखांकित मानक 19 (इंडएएस 19)
वित्त पोषित स्थिति	गैर वित्त पोषित	गैर वित्त पोषित
आरंभ की अवधि	01–अप्रैल–17	01–अप्रैल–17
रिपोर्टिंग की तारीख	31–मार्च–18	31–मार्च–17
रिपोर्टिंग अवधि	12 महिने	12 महिने

मान्यताएँ (आरंभिक अवधि)		
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	लागू नहीं	लागू नहीं
डिस्काऊंटिंग की दर	7.27%	7.86%
वेतन में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%

1. Post- employment benefits

The company has the following post – employment benefit plans:-

a) Short term employee benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits and they are recognized in the period in which the employee renders the related service. It recognizes the undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for services rendered as a liability (accrued expense) after deducting any amount already paid.

b) Other Long term employee benefits

The liability towards earned leave and half pay leave for the year as per rules of Company is recognized on the basis of actuarial valuation carried out by using projected unit credit method.

Estimate of the Leave liability as per Actuarial valuation report:-

	Current Period	Previous Period
Type of Benefit	Leave	Leave
Country	India	India
Reporting Currency	INR	INR
Reporting Standard	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)
Funding Status	Unfunded	Unfunded
Starting Period	01-Apr-17	01-Apr-16
Date of Reporting	31-Mar-18	31-Mar-17
Period of Reporting	12 Months	12 Months

Assumptions (Opening Period)		
Expected Return on Plan Assets	N.A.	N.A.
Rate of Discounting	7.27%	7.86%
Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%

कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी	भारतीय आश्वासन जीवनमॉरटेलिटी (2006-08)	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटेलिटी (2006-08)
रोजगार के पश्चात मॉरटैलिटी दर	लागू नहीं	लागू नहीं

Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)
Mortality Rate After Employment	N.A.	N.A.

मान्यताएँ (समापन अवधि)		
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	लागू नहीं	लागू नहीं
डिस्काऊंटिंग की दर	7.78%	7.27%
वेतन में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटेलिटी (2006-08)	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटेलिटी (2006-08)
रोजगार के पश्चात मॉरटैलिटी दर	लागू नहीं	लागू नहीं

Assumptions (Closing Period)		
Expected Return on Plan Assets	N.A.	N.A.
Rate of Discounting	7.78%	7.27%
Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)
Mortality Rate After Employment	N.A.	N.A.

(Amount in Rs.)

Table Showing Change in the Present Value of Projected Benefit Obligation
प्रोजेक्टेड लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली विवरणी

Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,91,01,011	31,68,51,472
Interest Cost ब्याज लागत	1,59,28,643	2,49,04,526
Current Service Cost चालू सेवा लागत	1,33,86,401	1,22,95,146
Past Service Cost - Non-Vested Benefit Incurred During the Period तत्कालीन सेवा लागत गैर निहीत	-	-
Past Service Cost - Vested Benefit Incurred During the Period अवधि के दौरान किए गए लाभ	-	-
Liability Transferred In/ Acquisitions तत्कालीन सेवा लागत अवधि के दौरान किए गए लाभ निहीत	-	-
(Liability Transferred Out/ Divestments) प्रतिग्रहण में देयताएँ अंतरण	-	-
(Gains)/ Losses on Curtailment विनिवेश / देयताएँ अंतरण	-	-

(Liabilities Extinguished on Settlement) (लाभ)/ कटौती पर हानियाँ	-	-
(Benefit Paid Directly by the Employer) (निपटान पर देयताएँ निकाली गई)	(7,38,12,934)	(6,37,24,534)
(Benefit Paid From the Fund) (नियोक्ता द्वारा सीधे लाभ भुगतान)	-	-
The Effect Of Changes in Foreign Exchange Rates विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव	-	-
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Demographic Assumptions जनसांख्यिकी धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक लाभ/हानि पर दायित्व	-	-
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक लाभ/हानि पर दायित्व	(81,14,405)	13,06,527
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience अनुभव के कारण धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक लाभ/हानि पर दायित्व	5,14,28,362	(7,25,32,126)
Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,79,17,078	21,91,01,011
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Actuarial (Gains)/Losses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period **चालू अवधि के लिए लाभ व हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/ हानियाँ**		
Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ हानियों पर दायित्व	4,33,13,957	(7,12,25,599)
Return on Plan Assets, Excluding Interest Income ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-
Subtotal अनुयोग	4,33,13,957	(7,12,25,599)
Actuarial (Gains)/Losses Recognized in the Statement of Profit or Loss लाभ अथवा हानि के निपटान में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	4,33,13,957	(7,12,25,599)
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period **चालू अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय**		
Current Service Cost चालू सेवा लागत	1,33,86,401	1,22,95,146
Net Interest Cost शुद्ध ब्याज लागत	1,59,28,643	2,49,04,526
Actuarial (Gains)/Losses बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	4,33,13,957	(7,12,25,599)
Past Service Cost - Non-Vested Benefit Recognized During the Period अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त तत्कालीन सेवा लागत- गैर निहित लाभ	-	-
Past Service Cost - Vested Benefit Recognized During the Period अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त तत्कालिन सेवा लागत निहित लाभ	-	-

(Expected Contributions by the Employees) कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
(Gains)/Losses on Curtailments And Settlements (लाभ)/ कटौती पर हानियाँ और निपटान	-	-
Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के शुद्ध प्रभाव	-	-
Change in Asset Ceiling परिसंपत्ति सीलिंग में परिवर्तन	-	-
Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय	7,26,29,001	(3,40,25,927)

	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Amount Recognized in the Balance Sheet **तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि**		
Present Value of Benefit Obligation at the end of the period अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(21,79,17,078)	(21,91,01,011)
Fair Value of Plan Assets at the end of the period अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
Funded Status (Surplus/(Deficit)) वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष/घाटा)	(21,79,17,078)	(21,91,01,011)
Unrecognised Past Service Cost at the end of the Period अवधि की समाप्ति पर तत्कालिन सेवा लागत अमान्य	-	-
Net(Liability)/Asset Recognised in the Balance Sheet तुलन पत्र में माने गए शुद्ध(देयताएँ)/परिसंपत्ति	(21,79,17,078)	(21,91,01,011)

	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Net Interest Cost for Current Period **चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत**		
Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the period अवधि के आरंभ पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	219,101,011	316,851,472
(Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the period) अवधि के आरंभ पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
Net Liability/(Asset) at the Beginning आरंभ पर शुद्ध(देयताएँ) / परिसंपत्ति	219,101,011	316,851,472
Interest Cost ब्याज लागत	1,59,28,943	2,49,04,526
(Interest Income) (ब्याज आय)	-	-
Net Interest Cost for Current Period चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	1,59,28,943	2,49,04,526

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
Balance Sheet Reconciliation तुलन पत्र समाधान		
Opening Net Liability शुद्ध देयताएँ आरंभ	21,91,01,011	31,68,51,472
Expense Recognized in Statement of Profit or Loss लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय	7,26,29,001	(3,40,25,927)
Net Liability/(Asset) Transfer In अंतरण में शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति)	-	-
Net (Liability)/Asset Transfer Out अंतरण के बाहर शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति)	-	-
(Benefit Paid Directly by the Employer) नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया लाभ	(7,38,12,934)	(6,37,24,534)
(Employer's Contribution) नियोक्ता का अंशदान	-	-
Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet तुलन प्राप्त में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयताएँ/ परिसंपत्तियाँ	21,79,17,078	21,91,01,011
Experience Adjustment अनुभव समायोजन		
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्व पर हानि		
Experience अनुभव	5,14,28,362	(7,25,32,126)
Return on Plan Assets, Excluding Interest Income ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिर्टन	-	-
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period पिछली अवधि**
Other Details अन्य विवरणी		
No of Active Members सक्रिय सदस्यों की संख्या	798	846
Per Month Salary For Active Members सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	3,72,08,087	3,32,11,276
Projected Benefit Obligation (PBO) प्रोजेक्टेड बेनेफिट ऑबलिगेशन (पीबीओ)	21,79,17,078	21,91,01,011
Prescribed Contribution For Next Year (12 Months) अगले वर्ष (12 महिने) के लिए निर्धारित अंशदान	-	-

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी कुछ निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए परिभाषित सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना संचालित कर रहा है तथा कर्मचारियों की कुछ शर्तों की संतुष्टि के पश्चात भुगतान योग्य है ।

परिभाषित लाभ योजना की मान्यता व आकलन:

परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए जाने वाले अनुमानित मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है । तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ बाध्यता को परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य को लागू करने के लिए योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा कम किया गया है, यदि लागू हो तो ।

किसी परिभाषित लाभ परिसंपत्ति (इस गणना के परिणामस्वरूप नकारात्मक परिभाषित लाभ दायित्व) को उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य तथा योजना के भावी अंशदान में कटौति का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान्यता दी जाती है ।

परिभाषित लाभ देयता /परिसंपत्ति पर वर्तमान सर्विस लागत, भूतपूर्व सर्विस लागत, यदि कोई हो, तथा शुद्ध ब्याज को लाभ व हानि विवरणी में मान्यता दी जाती है ।

बीमांकिक लाभ व हानि तथा योजना परिसंपत्ति पर वापसी को शामिल करके (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/ परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: आकलन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है । आगामी अवधि में ऐसे पुन: आकलन को लाभ व हानि विवरणी में पुन: वर्गीकृत नहीं किया गया है । कंपनी ने उक्त देयता /(परिसंपत्ति) को स्वतंत्र एक्युअरी द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तुलन पत्र में चालू व गैर चालू के रूप में प्रस्तुत किया है तथापि, उपदान निधि के लिए संपूर्ण देयताओं को वर्तमान के रूप में विचार किया गया है चूँकि कंपनी अगले 12 महीनों के भीतर उपदान निधि में इस राशि का अंशदान कर देगी ।

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (अपोषित)

कंपनी कुछ निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए परिभाषित सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना संचालित कर रहा है तथा कर्मचारियों की कुछ शर्तों की संतुष्टि के पश्चात भुगतान योग्य है ।

उक्त नियुक्ति के पश्चात लाभ योजना आम तौर पर कंपनी को निम्नलिखित रूप से जीवनांकित जोखिम का खुलासा करती है ।

Post Retirement Medical Benefit Plan

The Company operates a defined post-retirement medical benefit plan for certain specified employees and is payable upon the employee satisfying certain conditions.

Recognition and measurement of Defined Benefit plans:

The cost of providing defined benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at each reporting date. The defined benefit obligations recognized in the Balance sheet represent the present value of the defined benefit obligations as reduced by the fair value of plan assets, if applicable.

Any defined benefit asset (negative defined benefit obligations resulting from this calculation) is recognized representing the present value of available refunds and reductions in future contributions to the plan.

All expenses represented by current service cost, past service cost, if any, and net interest on the defined benefit liability/(asset) are recognized in the statement of Profit and Loss.

Re-measurements of the net defined benefit liability/ (asset) comprising actuarial gains and losses and the return on the plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset), are recognized in Other comprehensive Income. Such re-measurements are not reclassified to the Statement of Profit and Loss in the subsequent periods. The Company presents the above liability/(asset) as current and non-current in the Balance sheet as per actuarial valuation by the independent actuary; however, the entire liability towards gratuity is considered as current as the company will contribute this amount to the gratuity fund within the next twelve months.

Defined benefit post-retirement medical benefit plan (Unfunded)

The Company operates a defined post-retirement medical benefit plan for certain specified employees and payable upon the employee satisfying certain conditions.

Aforesaid post-employment benefit plans typically expose the Company to actuarial risks such as:

निवेश जोखिम :

परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना डिस्काऊंट दर का उपयोग करते हुए की जाती है जो सरकारी बॉडस पर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर बाजार प्राप्ति को देखते हुए निर्धारित की जाती है ।

ब्याज जोखिम :

बॉंड ब्याज दर में घटौति के कारण योजना देयताओं में वृद्धि होगी तथापि इस योजना के निवेश पर वापसी में आंशिक रूप से वृद्धि होगी ।

दीर्घावधि जोखिम :

परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य उनकी रोजगार के दौरान और पश्चात दोनों में योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में गणना की जाती है । योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी ।

वेतन जोखिम :

योजना प्रतिभागियों के भावी वेतन को देखते हुए परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है । जैसे कि योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी ।

हाल ही में 31 मार्च, 2018 को एक्युरीज ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट के अधीन पंजीकृत फर्म मेसर्स के.ए. पंडित द्वारा प्लान एसेट्स की बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिभाषित दायित्व का वर्तमान मूल्य लगाया गया । परिभाषित लाभ दायित्व तथा संबंधित चालू सेवा लागत का आकलन हमने वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के प्रयोग द्वारा लगाया है ।

निम्नलिखित विवरणी परिभाषित लाभ व्यय के सारांशित घटकों को लाभ अथवा हानि / ओसीआई की विवरणी में मान्यता देती हैं तथा (वित्त पोषित स्थिति राशि के) संबंधित प्लान्स के लिए तुलन पत्र में मान्यता देती है ।

मान्यताएं :-

Investment risk:

The present value of the defined benefit liability is calculated using a discount rate which is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds.

Interest Risk:

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's investments.

Longevity Risk:

The present value of the defined benefit liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk:

The present value of the defined benefit liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of defined obligation were carried out as on 31.03.2018 by M/s. K.A. Pandit Consultants and Actuaries, Fellow of the Institute of Actuaries of India. The present value of the defined benefit obligation and related current service cost were measured using the projected unit credit method.

The following tables summarise the components of defined benefit expense recognized in the statement of Profit or Loss/OCI and the amounts recognized in the balance sheet:

Assumptions:

	FY 2017-18 वित्तीय वर्ष 2017-18	FY 2016-17 वित्तीय वर्ष 2016-17	FY 2015-16 वित्तीय वर्ष 2015-16
Expected Return on Plan Assets योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	N.A. लागु नहीं	N.A. लागु नहीं	N.A. लागु नहीं
Rate of Discounting डिस्काऊंटिंग की दर	7.78%	7.27%	8.12%
Medical Cost Inflation चिकित्सा लागत में हुई मुद्रा स्फिती	3.00%	3.00%	3.00%
Rate of Employee Turnover कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी दर	Indian Assured Lives Mortality(2006-08)	Indian Assured Lives Mortality(2006-08)	Indian Assured Lives Mortality(2006-08)
Mortality Rate After Employment रोजगार के पश्चात मॉरटैलिटी दर	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)

Table Showing Change in the Present Value of Projected Benefit Obligation
प्रोजेक्टड लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period अवधि के प्रारंभ पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,45,68,581	3,90,45,979
Interest Cost ब्याज लागत	32,40,136	31,70,533
Current Service Cost चालू सर्विस लागत	14,58,405	14,94,654
Past Service Cost गत सर्विस लागत	-	-
Liability Transferred In/ Acquisitions देयताएँ अंतरण / धारण	-	-
(Liability Transferred Out/ Divestments) देयताएँ बाहर अंतरण/ विनिवेश	-	-
(Gains)/ Losses on Curtailment (लाभ)/कटौति पर हानियाँ	-	-
(Liabilities Extinguished on Settlement) (निपटान पर देयताएँ निकाली गई)	-	-
(Benefit Paid Directly by the Employer) (नियोक्ता द्वारा सीधे लाभ भुगतान)	(23,46,801)	(23,07,792)
(Benefit Paid From the Fund) (निधि से लाभ भुगतान)	-	-
The Effect of changes in Foreign Exchange Rates विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव	-	-

Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Demographic Assumptions जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानियाँ	-	-
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	(29,18,737)	47,52,186
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	(21,09,935)	(15,86,979)
Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,18,91,649	4,45,68,581

Amount Recognized in the Balance Sheet

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period **चालू अवधि**	**Previous Period** **पिछली अवधि**
(Present Value of Benefit Obligation at the end of the Period) अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(4,18,91,649)	(4,45,68,581)
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
Funded Status (Surplus/ (Deficit) वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष/घाटा)	(4,18,91,649)	(4,45,68,581)
Net (Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयताएँ/ परिसंपत्ति	(4,18,91,649)	(4,45,68,581)

Net Interest Cost for Current Period

चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period **चालू अवधि**	**Previous Period** **पिछली अवधि**
Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,45,68,581	3,90,45,979
(Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the Period) (अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
Net Liability/(Asset) at the Beginning आरंभ में शुद्ध(देयताएँ) / परिसंपत्ति	4,45,68,581	3,90,45,979
Interest Cost ब्याज लागत	32,40,136	31,70,533
(Interest Income) (ब्याज आय)	-	-
Net Interest Cost for Current Period चालू अवधि में शुद्ध ब्याज लागत	32,40,136	31,70,533

Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period
चालू अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
Current Service Cost चालू सेवा लागत	14,58,405	14,94,654
Net Interest Cost शुद्ध ब्याज लागत	32,40,136	31,70,533
Past Service Cost तत्कालिन सेवा लागत	-	-
(Expected Contributions by the Employees) कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
(Gains)/Losses on Curtailments And Settlements (लाभ)/ कटौति पर हानियाँ और निपटान	-	-
Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के शुद्ध प्रभाव	-	-
Expenses Recognized मान्यता प्राप्त व्यय	46,98,541	46,65,187

Expenses Recognized in the Other Comprehensive Income (OCI) for Current Period
चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआय) में मान्यता प्राप्त व्यय

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period अवधि के लिए औचित्य पर बीमांकिक (लाभ) /हानि	(50,28,672)	31,65,207
Return on Plan Assets, Excluding Interest Income ब्याज आय छोडकर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-
Change in Asset Ceiling परिसंपत्तियों की सीलिंग में परिवर्तन	-	-
Net (Income)/Expense For the Period Recognized in OCI ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध आय / व्यय	(50,28,672)	31,65,207

Balance Sheet Reconciliation
तुलन पत्र समाधान

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
Opening Net Liability शुद्ध देयताएँ आरंभ	4,45,68,581	3,90,45,979
Expenses Recognized in Statement of Profit or Loss लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय	46,98,541	46,65,187
Expenses Recognized in OCI ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	(50,28,672)	31,65,207
Net Liability/(Asset) Transfer In अंतरण में शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति)	-	-
Net (Liability)/Asset Transfer Out अंतरण के बाहर शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति)	-	-
(Benefit Paid Directly by the Employer) नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया लाभ	(23,46,801)	(23,07,792)
(Employer's Contribution) नियोक्ता का अंशदान	-	-
Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयताएँ/ परिसंपत्तियाँ	4,18,91,649	4,45,68,581

Other Details
अन्य जानकारियाँ

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
No of Active Members सक्रिय सदस्यों की संख्या	788	839
No of Retired Employees सेवा निवृत्त सदस्यों की संख्या	438	395
No of Persons Covered कवर किए गए व्यक्तिओं की संख्या	817	742
प्रोजेक्टेड बेनेफिट ऑबलिगेशन के भारित औसत अवधि Weighted Average Duration of the Projected Benefit Obligation	19	19
अपेक्षित भावी सेवा का औसत Average Expected Future Service	29	29
Projected Benefit Obligation (PBO) प्रोजेक्टेड बेनेफिट ऑबलिगेशन (पीबीओ)	4,18,91,649	4,45,68,581
अगले वर्ष (12 महिने) के लिए निर्धारित अंशदान (12 माह) Prescribed Contribution For Next Year (12 Months)	-	-

अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत
Net Interest Cost for Next Year

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period	Previous Period
अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्वों का उचित मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period	41,891,649	44,568,581
(अवधि की समाप्ति पर पारसंपत्तियों का उचित मूल्य) (Fair Value of Plan Assets at the End of the Period)	-	-
अवधि की समाप्ति पर शुद्ध देयताएँ/ (परिसंपत्ति) Net Liability/(Asset) at the End of the Period	4,18,91,649	4,45,68,581
ब्याज लागत Interest Cost	32,59,170	32,40,136
(ब्याज आय) (Interest Income)	-	-
अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत Net Interest Cost for Next Year	32,59,170	32,40,136

Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Next Year

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
चालू सेवा लागत Current Service Cost	11,99,727	14,58,405
शुद्ध ब्याज लागत Net Interest Cost	32,59,170	32,40,136
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान) (Expected Contributions by the Employees)	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय Expenses Recognized	44,58,897	46,98,541

Maturity Analysis of Projected Benefit Obligation: From the Employer

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
रिपोर्टिंग की तारीख से भावी वर्षों में भुगतान योग्य प्रोजेक्टेड लाभ Projected Benefits Payable in Future Years From the Date of Reporting		
1ला अगला वर्ष 1st Following Year	42,74,340	71,69,151
2रा अगला वर्ष 2nd Following Year	39,37,670	37,24,431
3रा अगला वर्ष 3rd Following Year	35,04,017	32,03,206
4था अगला वर्ष 4th Following Year	32,63,142	30,16,123
5वाँ अगला वर्ष 5th Following Year	31,50,527	29,08,318
6 से 10 वे वर्ष तक कुल Sum of Years 6 To 10	66,63,998	65,38,061

Sensitivity Analysis

(राशि रु. में) (Amount in Rs.)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
चालू धारणाओं पर प्रोजेक्टेड लाभ दायित्व Projected Benefit Obligation on Current Assumptions	4,18,91,649	4,45,68,581
डिस्काऊंटिंग दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Rate of Discounting	(76,04,032)	(80,89,940)
डिस्काऊंटिंग की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Rate of Discounting	86,84,843	92,39,816
चिकित्सा लागत मुद्रा स्थिती में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Medical Cost Inflation	87,34,430	92,92,572
चिकित्सा लागत मुद्रा स्थिती में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Medical Cost Inflation	(80,76,132)	(85,92,207)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Rate of Employee Turnover	(61,85,302)	(65,80,551)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Rate of Employee Turnover	63,89,733	67,98,046

परिभाषित लाभ उपदान योजना (वित्त पोषित)

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ उपदान योजना है जिसमें अलग से प्रशासनिक निधि के अंशदान की आवश्यकता है (द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. कर्मचारी उपदान निधि) । यह उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है । इस अधिनियम के अधीन वे कर्मचारी इसके पात्र होंगे जिन्होंने 5 वर्षों की सेवा पूर्ण की है । इस लाभ के स्तर का प्रावधान सेवानिवृत्ति के समय सदस्य की इसके सेवा की अवधि एवं सेवा निवृत्ति के समय वेतन पर निर्भर है । यह निधि न्यास मंडल द्वारा नियंत्रित एक न्यास है । न्यासी मंडल भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निधि के निवेश को शामिल करते हुए परिसंपत्तियों के प्लानल एसेट्स के प्रशासन हेतु जिम्मेदार है ।

हाल ही में 31 मार्च, 2018 को एक्युरीज ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट के अधीन पंजीकृत फर्म मेसर्स के.ए. पंडित द्वारा प्लान एसेट्स की बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिभाषित दायित्व का वर्तमान मूल्य लगाया गया । परिभाषित लाभ दायित्व तथा संबंधित चालू सेवा लागत का आकलन हमने वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के प्रयोग द्वारा लगाया ।

निम्नलिखित विवरणी परिभाषित लाभ व्यय के सारांशित घटकों को लाभ अथवा हानि / ओसीआई की विवरणी में मान्यता देती हैं तथा (वित्त पोषित स्थिति राशि के) संबंधित प्लान्स के लिए तुलन पत्र में मान्यता देती है ।

Defined benefit gratuity plan (Funded)

The company has defined benefit gratuity plan for its employees, which requires contributions to be made to a separately administered fund (The Cotton Corporation of India Ltd Employees' Gratuity Fund). It is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972. Under the Act, employee who has completed five years of service is entitled to specific benefit. The level of benefits provided depends on the member's length of service and salary at retirement age. The fund has the form of a trust and it is governed by the Board of Trustees. The Board of Trustees is responsible for the administration of the plan assets including investment of the funds in accordance with norms prescribed by the Government of India.

The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of defined obligation were carried out as at 31st March, 2018 by M/s K.A. Pandit, firm registered under Institute of Actuaries of India. The present value of the defined benefit obligation and the related current service cost we measured using the projected unit credit method.

The following tables summarize the components of defined benefit expense recognised in the statement of Profit or loss/OCI and the funded status and amounts recognised in the Balance sheet for the respective plans:

भारतीय लेखांकित मानक 19 के अनुसार (इंडएएस19) उपदान निधि प्रकटन विवरणी

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 हेतु

	चालू अवधि	पिछली अवधि
लाभ के प्रकार	उपदान	उपदान
देश	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	आईएनआर	आईएनआर
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकित	भारतीय लेखांकित
	मानक 19 (इंडएएस 19)	मानक 19 (इंडएएस 19)
वित्त पोषित स्थिति	वित्त पोषित	वित्त पोषित
आरंभिक की अवधि	01-अप्रैल-17	01-अप्रैल-16
रिपोर्टिंग की तारीख	31-मार्च-18	31-मार्च-17
रिपोर्टिंग की अवधि	12 महिने	12 महीने

धारणाएँ (गत अवधि)

योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	7.27%	7.86%
डिस्काऊंटिंग की दर	7.27%	7.86%
वेतन में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी दर	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटेलिटी (2006-08)	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटेलिटी (2006-08)
रोजगार के पश्चात मॉरटैलिटी दर	लागू नहीं	लागू नहीं

धारणाएँ (चालू अवधि)

योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	7.78%	7.27%
डिस्काऊंटिंग की दर	7.78%	7.27%
वेतन में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी दर	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटेलिटी (२००६-०८)	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटेलिटी (२००६-०८)
रोजगार के पश्चात मॉरटैलिटी दर	लागू नहीं	लागू नहीं

Gratuity Disclosure Statement as Per Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)

For The Period 01/04/2017 - 31/03/2018

	Current Period	Previous Period
Type of Benefit	Gratuity	Gratuity
Country	India	India
Reporting Currency	INR	INR
Reporting Standard	Indian Accounting	Indian Accounting
	Standard 19 (Ind AS 19)	Standard 19 (Ind AS 19)
Funding Status	Funded	Funded
Starting Period	01-Apr-17	01-Apr-16
Date of Reporting	31-Mar-18	31-Mar-17
Period of Reporting	12 Months	12 Months

Assumptions (Previous Period)

Expected Return on Plan Assets	7.27%	7.86%
Rate of Discounting	7.27%	7.86%
Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)
Mortality Rate After Employment	N.A.	N.A.

Assumptions (Current Period)

Expected Return on Plan Assets	7.78%	7.27%
Rate of Discounting	7.78%	7.27%
Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08)
Mortality Rate After Employment	N.A.	N.A.

Table Showing Change in the Present Value of Projected Benefit Obligation
प्रोजेक्टड लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका

(राशि रु. में)

	Current Period चालू अवधि	Previous Period पिछली अवधि
Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period अवधि के प्रारंभ पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,34,86,313	32,73,62,210
Interest Cost ब्याज लागत	2,20,63,455	2,57,30,670
Current Service Cost चालू सर्विस लागत	95,79,829	92,34,586
Past Service Cost गत सर्विस लागत	8,93,36,227	-
Liability Transferred In/ Acquisitions देयताएँ अंतरण / धारण	-	-
(Liability Transferred Out/ Divestments) देयताएँ बाहर अंतरण/ विनिवेश	-	-
(Gains)/ Losses on Curtailment (लाभ)/कटौति पर हानियाँ	-	-
(Liabilities Extinguished on Settlement) (निपटान पर देयताएँ निकाली गई)	-	-
(Benefit Paid Directly by the Employer) (नियोक्ता द्वारा सीधे लाभ भुगतान)	-	-
(Benefit Paid From the Fund) (निधि से लाभ भुगतान)	(4,93,18,324)	(6,49,28,111)
The Effect Of Changes in Foreign Exchange Rates विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव	-	-
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Demographic Assumptions जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानियाँ	-	-
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	(1,31,75,586)	1,12,89,723
Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	3,93,07,330	(52,02,765)
Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	40,12,79,244	30,34,86,313

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

Table Showing Change in the Fair Value of Plan Assets योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका		
	Current Period **चालू अवधि**	**Previous Period** **पिछली अवधि**
Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the period अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का उचित मूल्य	29,00,70,481	31,67,71,134
Interest Income ब्याज आय	2,10,88,124	24,898,211
Contributions by the Employer नियोक्ता द्वारा अंशदान	1,34,15,832	1,05,91,076
Expected Contributions by the Employees कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
Assets Transferred in/Acquisitions परिसंपत्तियाँ अंतरण में / धारण	-	-
(Assets Transferred Out/Divestments) (परिसंपत्तियाँ अंतरण के बाहर/ विनिवेश)	-	-
(Benefits Paid from the Fund) (निधि से भुगतान किया गया लाभ)	(4,93,18,324)	(6,49,28,111)
(Assets Distributed on Settlements) (निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ)	-	-
Effects of Asset Ceiling परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव	-	-
The Effect of Changes in Foreign Exchanges Rates विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव	-	-
Return on Plan Assets, Excluding Interest Income ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	62,96,729	27,38,171
Fair Value of Plan Assets at the End of the period अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	28,15,52,842	29,00,70,481

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

Amount Recognized in the Balance Sheet तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि		
	Current Period **चालू अवधि**	**Previous Period** **पिछली अवधि**
(Present Value of Benefit Obligation at the end of the Period) (अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	(40,12,79,244)	(30,34,86,313)
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	28,15,52,842	29,00,70,481
Funded Status (Surplus/ (Deficit)) वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष/घाटा)	(11,97,26,402)	(1,34,15,832)
Net (Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयताएँ/ परिसंपत्ति	(11,97,26,402)	(1,34,15,832)

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

Net Interest Cost for Current Period चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत		
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,34,86,313	32,73,62,210
(Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the Period) (अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य)	(29,00,70,481)	(31,67,71,134)
Net Liability/(Asset) at the Beginning आरंभ में शुद्ध(देयताएँ) / परिसंपत्ति	1,34,15,832	1,05,91,076
Interest Cost ब्याज लागत	2,20,63,455	2,57,30,670
(Interest Income) (ब्याज आय)	(2,10,88,124)	(2,48,98,211)
Net Interest Cost for Current Period चालू अवधि में शुद्ध ब्याज लागत	9,75,331	8,32,459

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period चालू अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय		
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Current Service Cost चालू सेवा लागत	95,79,829	92,34,586
Net Interest Cost शुद्ध ब्याज लागत	9,75,331	8,32,459
Past Service Cost तत्कालिन सेवा लागत	8,93,36,227	–
(Expected Contributions by the Employees) (कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	–	–
(Gains)/Losses on Curtailments And Settlements (लाभ)/ कटौति पर हानियाँ और निपटान	–	–
Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के शुद्ध प्रभाव	–	–
Expenses Recognized मान्यता प्राप्त व्यय	9,98,91,387	1,00,67,045

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

Balance Sheet Reconciliation तुलन पत्र समाधान		
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Opening Net Liability आरंभिक शुद्ध देयताएँ	1,34,15,832	1,05,91,076
Expenses Recognized in Statement of Profit or Loss लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय	9,98,91,387	1,00,67,045
Expenses Recognized in OCI ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	1,98,35,015	33,48,787
Net Liability/(Asset) Transfer In अंतरण में शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति)	-	-
Net (Liability)/Asset Transfer Out अंतरण के बाहर शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति)	-	-
(Benefit Paid Directly by the Employer) (नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया लाभ)	-	-
(Employer's Contribution) (नियोक्ता का अंशदान)	(1,34,15,832)	(1,05,91,076)
Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयताएँ/परिसंपत्तियाँ	11,97,26,402	1,34,15,832

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

Category of Assets परिसंपत्तियों की श्रेणी		
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Government of India Assets भारत सरकार की परिसंपत्ति	4,21,79,400	4,21,79,400
State Government Securities राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	7,46,85,000	7,46,85,000
Special Deposits Scheme विशेष जमा योजना	1,87,77,495	1,87,77,495
Debt Instruments डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स	-	-
Corporate Bonds कॉर्पोरेट बॉन्डस	14,59,10,947	15,44,28,586
Cash And Cash Equivalents नकद व नकद समतुल्य	-	-
Insurance fund बीमा निधि	-	-
Asset-Backed Securities एसेट्स बैक्ड प्रतिभूतियाँ	-	-

Structured Debt संरचित ऋण	-	-
Other अन्य	-	-
Total योग	28,15,52,842	29,00,70,481

(Amount in Rs.)
(राशि रु. में)

Other Details अन्य जानकारियाँ		
	Current Period **चालू अवधि**	**Previous Period** **पिछली अवधि**
No of Active Members सक्रिय सदस्यों की संख्या	798	848
Per Month Salary For Active Members सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	3,72,08,087	3,32,87,008
Weighted Average Duration of the Projected Benefit Obligation प्रोजेक्टेड बेनेफिट ऑबलिगेशन के भारित औसत अवधि	8	8
Average Expected Future Service अपेक्षित भावी सेवा का औसत	13	13
Projected Benefit Obligation प्रोजेक्टेड बेनेफिट ऑबलिगेशन	40,12,79,244	30,34,86,313
Prescribed Contribution For Next Year (12 Months) अगले वर्ष (12 महिने) के लिए निर्धारित अंशदान	3,72,08,087	2,29,95,661

(Amount in Rs.)
(राशि रू. में)

Expenses Recognized in the Other Comprehensive Income (OCI) for Current Period चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआय) में मान्यता प्राप्त व्यय		
Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period अवधि के लिए औचित्य पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,61,31,744	60,86,958
Return on Plan Assets, Excluding Interest Income ब्याज आय छोडकर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(62,96,729)	(27,38,171)
Change in Asset Ceiling परिसंपत्तियों की सीलिंग में परिवर्तन	-	-
Net (Income)/Expense For the Period Recognized in OCI ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध आय / व्यय	1,98,35,015	33,48,787

(Amount in Rs.)
(राशि रू. में)

Net Interest Cost for Next Year अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत		
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्वों का उचित मूल्य	401,279,244	30,34,86,313
(Fair Value of Plan Assets at the End of the Period) (अवधि की समाप्ति पर पारसंपत्तियों का उचित मूल्य)	(281,552,842)	(29,00,70,481)
Net Liability/(Asset) at the End of the Period अवधि की समाप्ति पर शुद्ध देयताएँ/ (परिसंपत्ति)	11,97,26,402	1,34,15,832
Interest Cost ब्याज लागत	3,12,19,525	22,063,455
(Interest Income) (ब्याज आय)	(2,19,04,811)	(2,10,88,124)
Net Interest Cost for Next Year अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत	93,14,714	9,75,331

(Amount in Rs.)
(राशि रू. में)

Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Next Year अगले वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय		
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** पिछली अवधि
Current Service Cost चालू सेवा लागत	1,50,08,714	95,79,829
Net Interest Cost शुद्ध ब्याज लागत	93,14,714	9,75,331
(Expected Contributions by the Employees) (कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
Expenses Recognized मान्यता प्राप्त व्यय	2,43,23,428	1,05,55,160

(Amount in Rs.)
(राशि रू. में)

Maturity Analysis of the Benefit Payments: From the Fund लाभ भुगतान के परिपक्वता विश्लेषण: निधि से		
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period** चालू अवधि
Projected Benefits Payable in Future Years From the Date of Reporting रिपोर्टिंग की तारीख से भावी वर्षों में भुगतान योग्य प्रोजेक्टेड लाभ		
1st Following Year 1ला अगला वर्ष	11,23,22,200	6,02,21,388
2nd Following Year 2रा अगला वर्ष	1,89,20,287	3,45,06,352

3rd Following Year 3रा अगला वर्ष	3,02,09,683	2,85,02,551
4th Following Year 4था अगला वर्ष	2,92,87,643	2,05,22,444
5th Following Year 5वाँ अगला वर्ष	2,63,53,599	1,95,04,173
Sum of Years 6 To 10 6 से 10 वे वर्ष तक कुल	14,64,04,758	10,27,03,869

(Amount in Rs.)
(राशि रू. में)

Sensitivity Analysis संवेदनशील विश्लेषण		
	Current Period चालू अवधि	**Previous Period पिछली अवधि**
Projected Benefit Obligation on Current Assumptions चालू धारणाओं पर प्रोजेक्टेड लाभ दायित्व	40,12,79,244	30,34,86,313
Delta Effect of +1% Change in Rate of Discounting डिस्काऊंटिंग दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन	(2,32,17,986)	(1,85,90,205)
Delta Effect of -1% Change in Rate of Discounting डिस्काऊंटिंग की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन	2,67,95,423	2,15,39,632
Delta Effect of +1% Change in Rate of Salary Increase वेतन वृद्धि की दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन	2,35,22,353	98,29,641
Delta Effect of -1% Change in Rate of Salary Increase वेतन वृद्धि की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन	(2,17,53,615)	(1,12,76,055)
Delta Effect of +1% Change in Rate of Employee Turnover कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन	21,57,283	26,75,781
Delta Effect of -1% Change in Rate of Employee Turnover कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन	(24,26,274)	(30,17,308)

- संवदेनशील विश्लेषण को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर होनेवाले संबंधित मान्यताओं के निरंतर संभावित परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित किया गया हैं जबकि अन्य मान्यताएँ स्थिर रखी गई है ।
- उपरोक्त प्रस्तुत संवेदनशील विश्लेषण प्रोजेक्टेड बेनीफिट दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करती क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग हो। कुछ मान्यताएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है ।
- आगे उपरोक्त संवेदनशील विश्लेषण को प्रस्तुत करने में प्रोजेक्टेड ऑबलीकेशन की वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके गणना की गई है जो तुलन पत्र में मान्यता दिए अनुसार प्रोजेक्टेड बेनीफिट ऑबलीगेशन की गणना में उसी पद्धति का उपयोग किया गया है ।
- संवेदनशील विश्लेषण को तैयार करने में पिछले वर्षों से उपयोग की गई पद्धति व मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं है ।

नोट्स

- रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार उपदान निधि कंपनी की स्कीम के अनुसार भुगतान योग्य है ।
- अन्य व्यापक आय के अंतर्गत घटना की अवधि में बीमांकिक लाभ/हानि को मान्यता दी गई है । उपर्युक्त सभी रिपोर्ट की गई अन्य व्यापक आय के आँकड़े कराधान का सकल है ।
- वेतन एसकेलेशन तथा एट्रिएशन को कंपनी द्वारा सूचित किए अनुसार विचार किया गया है कर्मचारियों की पदोन्नति तथा माँग व आपूर्ति का विचार करते हुए उद्योग की प्रथा के अनुसार प्रकट किया गया है ।
- लाभ भुगतान के मैच्युरिटी विश्लेषण भविष्य के आगे 10 वर्षों के लिए उपर्युक्त बताये गए सदस्यों हेतु संबंधित वर्ष में भावी वेतन, एट्रीएशन तथा मृत्यु को ध्यान में रखते हुए अनडिस्काऊंटेड नकद प्रवाह है ।
- औसत अपेक्षित भावी सेवा अनुमानित पद की अवधि रोजगार लाभ दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है ।
- क्लाईंट द्वारा उपलब्ध करायी गई परिसंपत्ति का मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्लान परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर विचार किया गया है क्योंकि हमारे बीमांकिक द्वारा उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

- The sensitivity analysis have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.
- The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the projected benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.
- Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the projected benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same method as applied in calculating the projected benefit obligation as recognised in the balance sheet.
- There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

Notes

- Gratuity is payable as per company's scheme as detailed in the report.
- Actuarial gains/losses are recognized in the period of occurrence under Other Comprehensive Income (OCI). All above reported figures of OCI are gross of taxation.
- Salary escalation & attrition rate are considered as advised by the company; they appear to be in line with the industry practice considering promotion and demand & supply of the employees.
- Maturity Analysis of Benefit Payments is undiscounted cashflows considering future salary, attrition & death in respective year for members as mentioned above for forseable future of next 10 years.
- Average Expected Future Service represents Estimated Term of Post - Employment Benefit Obligation.
- Value of asset provided by the company is considered as fair value of plan asset for the period of reporting as same is not evaluated by the Actuary.

गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पैरा 139 (क) परिभाषित लाभ योजना की विशेषताएँ**

  कंपनी भारत में परिभाषित लाभ उपदान निधि योजना है (वित्त पोषित) । कंपनी की परिभाषित लाभ उपदान योजना कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन योजना है जिसमें अलग से प्रसाशनिक निधि के अंशदान की आवश्यकता है।

  उपदान निधि का न्यास मंडल द्वारा नियंत्रित न्यास से प्रबंध किया जाता है । न्यास मंडल योजना परिसंपत्ति के प्रशासन के लिए तथा निवेश नीति की परिभाषा के लिए उत्तरदायी है ।

- **पैरा 139 (ख) परिभाषित लाभ योजना से जुड़े जोखिम**

  उपदान निधि परिभाषित लाभ योजना है तथा कंपनी निम्नलिखित जोखिम का खुलासा करती है ।

- **ब्याज दर जोखिम :** डिस्काऊंट दर में गिरावट जो सरकारी प्रतिभूतियों से लिंक है । इस दर से देयताओं के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी जिससे उच्च प्रावधानों की आवश्यकता होगी । डिस्काऊंट दर में गिरावट सामान्यत: परिसंपत्ति की अवधि पर निर्भर परिसंपत्ति के मार्केट मूल्य में वृद्धि दर्शाती है ।

- **वेतन जोखिम :** परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य की सदस्यों के भावी वेतन के संदर्भ से गणना की जाती है । इस प्रकार सदस्यों के वेतन में वृद्धि के अनुमानित स्तर की तुलना से योजना देयता में वृद्धि होगी ।

- **निवेश जोखिम :** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का डिस्काऊंट दर अपनाकर गणना की जाती है जो सरकारी बॉन्डस पर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर मार्केट उपज को निर्धारित करती है । यदि योजना परिसंपत्ति का रिर्टन इस दर से निम्न हो तो यह प्लान घाटा उत्पन्न करता है। वर्तमान में भारत में इस योजना के लिए सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य उधार लिखित के रूप में निवेश का संतुलित मिश्रित निवेश हैं।

- **परिसंपत्ति देयता मैचिंग जोखिम :** इस योजना में मैचिंग नकद प्रवाह होने के कारण एएलएम जोखिम है, चूँकि यह प्लान आयकर नियमावली 1962 के नियम 101 की लाईन्स के निहित है इसीलिए यह सामान्यत: एएलएम जोखिम को कम करता है ।

- **मॉरटैलिटी जोखिम :** चूँकि इस योजना का लाभ आजीवन भुगतान योग्य न होकर केवल रिटायरमेंट की

Qualitative Disclosures

- **Para 139 (a) Characteristics of defined benefit plan**

  The Company has a defined benefit gratuity plan in India (funded). The company's defined benefit gratuity plan is a final salary plan for employees, which requires contributions to be made to a separately administered fund.

  The fund is managed by a trust which is governed by the Board of Trustees. The Board of Trustees are responsible for the administration of the plan assets and for the definition of the investment strategy.

- **Para 139 (b) Risks associated with defined benefit plan**

  Gratuity is a defined benefit plan and company is exposed to the Following Risks:

- **Interest rate risk :** A fall in the discount rate which is linked to the G.Sec. Rate will increase the present value of the liability requiring higher provision. A fall in the discount rate generally increases the mark to market value of the assets depending on the duration of asset.

- **Salary Risk :** The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of members. As such, an increase in the salary of the members more than assumed level will increase the plan's liability.

- **Investment Risk :** The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate which is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds. If the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, for the plan in India, it has a relatively balanced mix of investments in government securities, and other debt instruments.

- **Asset Liability Matching Risk:** The plan faces the ALM risk as to the matching cash flow. Since the plan is invested in lines of Rule 101 of Income Tax Rules, 1962, this generally reduces ALM risk.

- **Mortality risk:** Since the benefits under the plan is not payable for life time and payable till retirement age

आयु तक ही भुगतान योग्य है अत: इस योजना में दीर्घावधि जोखिम नहीं है ।

- **पैरा 139 (ग) परिभाषित लाभ प्लान की विशेषताएँ :**

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने उपदान निधि अधिनियम 1972 के लाभ योजना में 10 लाख रू. से 20 लाख रू. तक वित्तीय सीलिंग में परिवर्तन किया है अत: इस योजना के कारण देयता में परिवर्तन (यदि कोई हो) को तत्कालीन सेवा लागत के रूप में मान्यता दी गई है ।

- **पैरा 147 (क) :**

उपदान निधि प्लान की व्यवस्था करने के लिए एक अलग से न्यास निधि सृजित की गई है तथा आयकर नियमावली 1962 के नियम 103 द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार ट्रस्ट निधि में अंशदान किया जाता है ।

39. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (सेवा कर/ जीएसटी को छोड़कर)

ब्यौरा	2017-18 (रू. लाख में)	2016-17 (रू. लाख में)
क) लेखा परीक्षा शुल्क	21.60*	18.00
ख) कर/वॅट लेखा परीक्षा शुल्क	7.12**	7.61
ग) प्रमाणीकरण के लिए	2.80	2.50
घ) व्यय की प्रतिपूर्ति	1.10	0.87
कुल	**32.62**	**28.98**

* वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इनक्रीमेंटल अंतर को शामिल करके 1.80 लाख रू. (गत वर्ष शून्य) लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान वित्त वर्ष 2017-18 में प्रदान किया गया ।

** वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इनक्रीमेंटल अंतर को शामिल करके 0.50 लाख रू. (गत वर्ष शून्य) लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान वित्त वर्ष 2017-18 में प्रदान किया गया।

40. निगमित सामाजिक दायित्व

निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-18 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए 32.19 लाख रू. की खर्च की जाने वाली राशि को अनुमोदित किया है (पिछले वर्ष 62.74 लाख रू.)

वास्तविक रूप से सीएसआर में खर्च की गई राशि की प्रकृति निम्नानुसार है ।

only, plan does not have any longevity risk.

- **Para 139 (c) Characteristics of defined benefit plans**

During the year, the company has changed the benefit scheme in line with Payment of Gratuity Act, 1972 by increasing monetary ceiling from 10 lakhs to 20 lakhs. Change in liability (if any) due to this scheme change is recognised as past service cost.

- **Para 147 (a)**

A separate trust fund is created to manage the Gratuity plan and the contribution towards the trust fund is done as guided by rule 103 of Income Tax Rules, 1961.

39. Auditor's Remuneration (Excluding Service Tax/GST)

Particular	2017-2018 (Rs. in lakh)	2016-2017 (Rs. in lakh)
a) Audit Fee	21.60*	18.00
b) Tax/VAT Audit Fees	7.12**	7.61
c) For certification	2.80	2.50
d) Reimbursement of Expenses	1.10	0.87
Total:	**32.62**	**28.98**

* Includes incremental differences of Audit Fees of Rs. 1.80 Lakh (Previous Year Nil) for the financial year 2016-17, paid during the financial year 2017-18.

** Includes incremental differences of Tax Audit Fees of Rs. 0.50 Lakh (Previous Year Nil) for the financial year 2016-17, paid during the financial year 2017-18.

40. Corporate Social Responsibility

The Board of Directors has approved a sum of Rs. 32.19 lakh (Previous year Rs. 62.74 lakh) to be incurred for Corporate Social Responsibility (CSR) during the year 2017-18.

The nature of actual CSR expenditure incurred is as follows:

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विषय	2017-18	2016-17
1	निर्माण/संपत्ति भिधारण	–	–
2	उपर्युक्त को छोड़कर कोई लक्ष्य	32.44	62.93
	कुल	**32.44**	**62.93**

41. धोखा और दुर्विनियोग

क) अकोला शाखा में दि. 06.05.2010 को पुसद केंद्र के एमएसडब्ल्यूसी गोदाम में 1212 पूर्णबंधित गाँठों का एक दुर्विनियोग पाया गया । दोषी के विरूद्ध पुलिस स्टेशन पुसद में एफआयआर सं. 117/10 दि. 08.05.2010 द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया । कथित 1212 पूर्णबंधित गाँठों का मूल्य लगभग 150.63 लाख रू. है । संबंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा अभी भी मामले की जाँच जारी है । जांच के दौरान पुलिस ने 900 गांठे बरामद करके सीज की है । आगे 37.49 लाख रू. की राशि जो 300 पूर्णबंधित गाँठों की है दोषी से वसूल करके एल.सी.बी यवतमाल कार्यालय में जमा की गयी है । शेष 12 पूर्णबंधित गाँठों के लिये पुलिस जाँच चल रही है । वर्तमान में यह जॉच सीआईडी, अमरावती द्वारा की जा रही है । उपरोक्त को स्टॉक के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है । माननीय सेशन कोर्ट के अनुमोदन के पश्चात 900 गाँठें ई ऑक्शन द्वारा बेची गई तथा बिक्री से प्राप्त 1.79 करोड़ रू. अगली कार्रवाई तक कोर्ट के पास जमा की गई । एलसीबी यवतमाल व न्यायालय से इस बारे में किसी प्रकार की प्राप्ति को जब कभी भी प्राप्त किया जायेगा तब लेखा खातों में दर्ज कर लिया जायेगा ।

ख) गुंतूर शाखा में वर्ष 2007-08 के दौरान 233 रूई की गाँठों के स्टॉक और 28882 मीटर्स ग्रे क्लॉथ के स्टॉक का दुर्विनियोजन पाया गया तथा मूल्यांकन प्रयोजन के लिए इसे अंतिम स्टॉक के रूप में नहीं माना गया है । मामला अब ट्रायल कोर्ट के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 100 रूई गाँठें प्राप्त की है जो पुलिस द्वारा कंपनी को सौंपी गयी थी । कथित 100 पूर्णबंधित रूई की गाँठें माननीय न्यायालय चिलकालूरीपेट के आदेश के अनुसार वर्ष 2010-11 में बेची गयी थी और 20.81 लाख रू. की राशि प्राप्त हुई । 0.83 लाख रू. की राशि गाँठों के निपटान के लिए खर्च के रूप में काटने के बाद19.98 लाख रू. की राशि दि. 19.04.2011 को न्यायालय में जमा की गयी । मामले का निपटान होने के बाद इसे लेखा खातों में गिना जायेगा ।

(Rs. in lakh)

Sr. No.	Nature	2017-18	2016-17
1	Construction/Acquisition of any assets	-	-
2	On purpose other than above	32.44	62.93
	Total	**32.44**	**62.93**

41. Fraud and Misappropriation

(a) In Akola branch a misappropriation of 1212 FP bales at MSWC godown, Pusad Centre was noticed on 06.05.2010. A Criminal case was registered against the accused at police station Pusad vide FIR no. 117/10 dated 08.05.2010. The value of the said 1212 FP Bales is approx Rs.150.63 lakh. The said case is still under investigation by the concerned police authorities. During the investigation, Police recovered 900 FP Bales and ceased. Further, value of 300 FP bales amounting to Rs. 37.49 lakh has been recovered from the accused and deposited with the Investigating office L.C.B. Yeotmal. For balance 12 FP bales police investigation is in progress. Currently the case is being investigated by CID, Amravati. The above is not considered in the valuation of the stock. After the approval of Hon'ble session court, Pusad the 900 bales has been sold through online e-auction and deposited the sale proceeds of Rs. 1.79 crores in Court till further proceedings. Any realization on this account will be accounted for as and when received from L.C.B Yeotmal and Court.

(b) In Guntur branch, during the year 2007-08, misappropriation of stock of 233 cotton bales and 28882 meters of Grey Cloth was observed and the same was not considered as Closing Stock for valuation purpose. The matter is now under Trial Court. During investigation Police recovered 100 cotton bales, which were handed over by the police to the Company. The said 100 cotton bales were sold during 2010-11 as per order of the Honorable Court, Chilakaluripet and an amount of Rs. 20.81 lakh was realized thereof. The amount of Rs. 19.98 lakh after deducting expenses on disposal of bales of Rs. 0.83 lakh has been deposited with the court on 19.4.2011. The same will be accounted as and when the case is settled.

ग) कपास मौसम 2014–15 के दौरान भटिंडा शाखा के मौर व तलबंदी केंद्रो पर प्रेस व डिलीवरी वेट में असामान्य अंतर पाया गया । केन्द्र प्रभारी व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को चार्जशीट जारी किया गया तथा केन्द्र प्रभारी को की गई हानि का 80% वसूल करने का दंड लगाया गया (18.79 लाख रू. की राशि शामिल) अधीनस्थ कर्मचारियों को वर्तमान से निचले स्तर पर वेतन निर्धारण करने का दंड लगाया गया । आगे यह पाया गया कि इन केन्द्रों पर जिनिंग फैक्टरियों ने जिनिंग कार्य निगम के क्वालिटी मानदंडों के अनुसार पूर्ण नहीं किया । विधिक कार्यवाही करने के पश्चात संबंधित फैक्टरी की अमानत राशि जब्त की गई तथा फैक्टरीयों को को ब्लैक लिस्ट किया गया । केन्द्र प्रभारी व अधीनस्थ स्टाफ को बड़ा दंड देने के उद्देश्य के अंतर्गत चार्जशीट जारी की गई । समीक्षा प्राधिकारी ने 15.37 लाख रू. दंड लगाने का आदेश पारित किया है, जिसके सामने 31.03.2018 तक 3.89 लाख रू. वसूल किए गए हैं ।

42 (क) विदेशी मुद्रा में अर्जन :

(लाख रू. में)

	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2016–17
माल के निर्यात पर :–		
एफ.ओ.बी के आधार पर	Nil	Nil
सी.आई.एफ के आधार पर	Nil	Nil
लदान प्रभार	Nil	Nil
निर्यात पर विनिमय अंतर	Nil	Nil

42 (ख) विदेशी मुद्रा में व्यय

(लाख रू. में)

क्र. सं.	ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2016–17
i)	यात्रा	1.73	1.06
ii)	पुस्तके, पत्रिकाएँ एवं अभिदान	2.74	4.40
iii)	निर्यात पर कमीशन	Nil	Nil
iv)	निर्यात पर कैरिंग चार्जे स तथा विनिमय अंतर	Nil	Nil

43. सेगमेंट रिपोर्टिंग :

क) कंपनी मुख्य रूप से कॉटन व्यापार का कार्य करती

(c) During the Cotton season 2014-15, abnormal difference in press and delivery weight were observed at Maur and Talwandi centers of Bathinda Branch. The Center-incharge and subordinate staff were charge-sheeted and penalty of recovery of 80% of loss was imposed upon the center-incharge (amount involved Rs. 18.79 lakh). The subordinate staff was imposed a penalty of reduction to a lower stage in the time scale of pay. Further, it was found that the factories at these centers had not carried out ginning work as per the quality standards of the Corporation. After following the due procedure of law, the security amount of the concerned factory was forfeited and the factory was blacklisted. The Center-incharge and subordinate staff have been charge-sheeted under the rule pertaining to major penalty. The Reviewing Authority has passed the order by levying penalty of Rs. 15.37 lakhs, out of which Rs. 3.89 lakhs is recovered till 31.03.2018.

42. (A) Earnings in Foreign Currency :

(Rs. in lakh)

	F.Y. 2017-2018	F.Y. 2016-2017
Export of Goods on: -		
FOB basis	Nil	Nil
CIF basis	Nil	Nil
Carrying charges	Nil	Nil
Exchange difference on Export	Nil	Nil

(B) Expenditure in foreign currency:

(Rs. in lakh)

S. No.	Particulars	F.Y. 2017-2018	F.Y. 2016-2017
i)	Travelling	1.73	1.06
ii)	Books, Periodicals and Subscription	2.74	4.40
iii)	Commission on export	Nil	Nil
iv)	Carrying charges and Exchange difference on Export	Nil	Nil

43. Segment Reporting:

a) The Company is predominantly engaged in cotton

है वह केवल रिपोर्ट योग्य व्यापार का एक भाग है, जिसमें अनुपयुक्त सुविधाओं से उत्पन्न आय भी शामिल है ।

ख) वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान भारत के बाहर कोई बिक्री नहीं हुई है अत: भौगोलिक संगमेंट को रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

trading and this is the only reportable business segment which includes income arising from idle facilities.

b) Further, there is no sales outside India during the financial year 2017-18, hence geographical segment is not reported.

44. संबंधित पार्टी की घोषणा

क) मुख्य प्रबंधन अधिकारी*

44. Related Party Disclosure

a) Key Management Personal*

क. पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक भुगतान

a. Remuneration paid to Whole Time Directors

(Rs. in lakh)

Name of Director निदेशकों के नाम	Designation पदनाम	Remuneration Paid प्रदत्त पारिश्रमिक	
		2017-18 2017-18	2016-17 2016-17
Dr. P. Alli Rani डॉ.पी अल्लि रानी	Chairman-cum-managing Director (w.e.f. 03.10.2017) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 03.10.2017 से प्रभावी	25.67	-
Shri B. K. Mishra श्री बी.के.मिश्र	Chairman-cum-managing Director (upto 20.09.2016) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (20.09.2016 तक)	-	20.21
Shri Pradeep Kumar Agarwal श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	Director (Finance) निदेशक (वित्त)	42.76	29.36
Shri M. M. Chockalingam श्री एम. एम. चोक्कलिंगम	Director (Marketing) निदेशक (विपणन)	45.71	25.95
	Total कुल	114.14	75.52

ख) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई सिटिंग फीस

(लाख रु. में)

निदेशकों के नाम	प्रदत्त सिटिंग फीस	
	2017–18	2016–17
श्रीमती ग्रेसी ए. पिंटो	0.40	0.20
श्रीमती राजिका टी. कचेरिया	0.40	0.00
कुल	0.80	0.20

b) Sitting fees paid to Independent Directors

(Rs. in lakh)

Name of Director	Sitting Fees Paid	
	2017-18	2016-17
Ms. Grace A. Pinto	0.40	0.20
Ms. Rajika T. Kacheria	0.40	0.00
Total	0.80	0.20

* निगमित कार्यकलाप मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दि. 05 जून, 2015 के अनुसार प्रबंधन पारिश्रमिक के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।

* The provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 in respect of Managerial Remuneration are not applicable to the Company vide notification no. GSR 463(E) dated 05th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs (Government of India).

ग) उपर्युक्त बताए गए संव्यवहार/सौदा को छोड़कर कंपनी का राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) से (वस्त्र मंत्रालय के अधीन) संव्यवहार है जो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के अधीन है (जिनका कंपनी के ऊपर महत्वपूर्ण नियंत्रण) है । कुछ महत्वपूर्ण संव्यवहार व अंतिम शेष :

c) Apart from transactions reported above, the company has transactions with National Textile Corporation (NTC) which is also under Ministry of Textiles, Government of India (Significant Control over the Company). Certain significant transactions & Closing balances:

(लाख रू. में)

क्र. सं.	ब्यौरा	2017-18	2016-17
i)	बिक्री	18143.57	26561.13
ii)	जमा शेष	5850.54	3268.95

घ) संबंधित पार्टी को ऋण

(लाख रू. में)

Directors Name निदेशकों का नाम	Opening Balance as on 01/04/2017 दि.01.04.2017 को आरंभिक शेष	Taken during the year वर्ष के दौरान लिये गये	Repaid during the year वर्ष के दौरान भुगतान किये गये	Balance outstanding as on 31/03/2018 दि.31.03.2018 को बकाया शेष	Maximum Balance Outstanding During the year वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष
Shri M. M. Chockalingam Director (Marketing) श्री एम.एम. चोक्कलिंगम निदेशक(विपणन)	10.00 (0.00)	0.00 (10.00)	5.76 (0.00)	4.24 (10.00)	10.00 (10.00)
Total कुल	10.00 (0.00)	0.00 (10.00)	5.76 (0.00)	4.24 (10.00)	10.00 (10.00)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के है)

45. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने गत वर्ष 0.95 लाख गाँठों के सामने (यानि 0.93 लाख वाणिज्यिक खरीद परिचालन व 0.02 लाख गाँठे न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन) 10.77 लाख गाँठें यानि (6.94 लाख गाँठ वाणिज्यिक खरीदी परिचालन तथा 3.83 लाख गाँठें न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन) की खरीद की है तथा पिछले वर्ष 8.19 लाख गाँठों (यानि 0.39 वाणिज्यिक खरीद परिचालन तथा 7.80 लाख गाँठे न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन) की तुलना में वर्तमान वर्ष में 3.97 लाख गाँठें (यानि 1.34 लाख वाणिज्यिक परिचालन तथा 2.63 लाख गाँठे न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन) बेची है । इसलिए लाभ हानि विवरणी के पिछले वर्ष के आँकड़ों से तुलना योग्य नहीं है ।

46. दीर्घावधि संविदा के बारे में प्रकटीकरण

डेरिवेटिव संविदाओं को शामिल करते हुए कंपनी के पास कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके कारण कंपनी को कोई भावी आर्थिक हानि हो सके ।

47. इनवेस्टर एड्यूकेशन तथा प्रोटेक्शन फंड

कंपनी द्वारा इनवेस्टर एड्यूकेशन तथा प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरण करने योग्य कोई राशि नहीं है ।

(Rs. in lakh)

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
i)	Sales	18143.57	26561.13
ii)	Closing Balance	5850.54	3268.95

d) Loans to related party:

(Rs. In lakh)

(Previous year figures are in bracket)

45 During the financial year 2017-18, the Corporation has procured 10.77 lakh bales (i.e. 6.94 lakh under commercial operations and 3.83 lakh under MSP operations) as against 0.95 lakh bales (i.e. 0.93 lakh under commercial operations and 0.02 lakh under MSP operations) during the previous year and 3.97 lakh bales (i.e. 1.34 lakh under commercial operations and 2.63 lakh bales under MSP) sold during the current year as compared to 8.19 lakh bales (i.e. 0.39 lakh under commercial operations and 7.80 lakh bales under MSP operation) during the previous year. Therefore, the statement of profit and loss figures are not comparable to previous year's figures.

46. Disclosures about long-term contracts

The company does not have any long–term contracts including derivatives contracts for which there could be any material foreseeable losses.

47. Investor Education and Protection Fund

There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

48. लीज प्रतिबद्धता

क) वित्तीय लीज

कंपनी की अपनी वित्तीय लीज व्यवस्था है यानि कंपनी ने श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा व नवी मुंबई में लीज पर भूमि ली है तथा कोलकाता में कार्यालय परसर लीज पर लिया है वित्तीय लीज के अंतर्गत धारित परसंपत्तियों की लीज टर्म की अवधि सामान्यत 99 वर्षों के भीतर समाप्त होती है । कंपनी ने लीज अवधि की आरंभ में एकमुश्त राशि पर लीज भुगतान किया है तथा लीज अवधि के दौरान भुगतान योग्य कोई आकस्मिक रेंट नहीं है । लीज टर्म की समाप्ति पर कंपनी को पट्टा कर्ता द्वारा निर्धारित की गई लीज रेंट का भुगतान करने पर उसी अवधि के लिए लीज विस्तार करने का विकल्प है । लीज धारण संपत्ति का कैरिंग मूल्य का प्रकटीकरण प्लांट संपत्ति व उपकरण (नोट सं. 3 क देखें) में किया जाता है । लीज की शर्तों के अनुसार कंपनी लिए गए प्रयोजन के लिए लीज्ड प्रापर्टी का इस्तेमाल कर सकती है तथा पट्टा कर्ता द्वारा इस पर अन्य कोई बंधन नहीं है । कोलकाता में लीज पर ली गई बिल्डिंग के बारे में कंपनी प्रत्येक वर्ष 4.8 रू. प्रति स्कावयर फुट की दर से वार्षिक रेंट के रूप में भुगतान करती आ रही है जिसमें लीज अवधि के दौरान प्रत्येक 10 वर्षों के पूर्ण होने पर 10% की वृद्धि की जाती है । भविष्य में न्यूनतम लीज भुगतान तथा उनका वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है :-

पट्टेदार पर

31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी का वित्तीय लीज दायित्व निम्नानुसार है :

(लाख रू. में)

ब्यौरा	भविष्य में न्यूनतम लीज भुगतान	ब्याज	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष के पश्चात नहीं	0.19	0.22	0.04
एक वर्ष के पश्चात परंतु पॉच वर्ष के पश्चात नहीं	1.02	1.12	0.16
पाँच वर्ष के पश्चात	19.51	16.56	0.39
कुल	**20.72**	**17.90**	**0.59**

48. Lease commitments:-

a) Finance Lease

The company is having finance lease arrangements i.e. land taken on lease at Sriganganagar, Bhilwara and Navi Mumbai and office premises in Kolkata which is taken on lease. The lease term in respect of assets acquired under finance lease generally expire within 99 years. The company has paid lease rents in lump sum at the beginning of lease term and there is no contingent rent payable during the lease term. At the completion of lease term, the company has option to extend lease for similar period by paying lease rent determined by lessor at the completion of lease term. The carrying value of the lease hold properties is separately disclosed in the Plant, Property and equipments (refer note no. 3A). As per the lease terms, the company can use leased property for the purpose it has taken for and there is no other restrictions imposed by the lessor. Building taken on lease at Kolkata, yearly lease rent payment is Rs. 4.8 per sq. foot per annum which is to be increased by 10% on completion of every 10 years during the lease period. The future minimum lease payments and their present values are as follows:-

As Lessee

Finance lease obligation of the company as of March 31, 2018 is as follows:-

(Rs. In lakh)

Particulars	Future minimum lease payments	Interest	Present Value
Not later than one year	0.19	0.22	0.04
Later than one year but not later than five years	1.02	1.12	0.16
Later than five year	19.51	16.56	0.39
Total	**20.72**	**17.90**	**0.59**

31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी का वित्तीय लीज दायित्व निम्नानुसार है :-

(लाख रू. में)

ब्यौरा	भविष्य में न्यूनतम लीज भुगतान	ब्याज	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष के पश्चात नहीं	0.19	0.22	0.04
एक वर्ष के पश्चात परंतु पॉच वर्षों के पश्चात नहीं	0.80	0.89	0.14
पाँच वर्षों के पश्चात	19.92	17.01	0.44
कुल	20.91	18.12	0.62

01 अप्रैल, 2016 के अनुसार कंपनी का वित्तीय लीज दायित्व निम्नानुसार है :-

(लाख रू. में)

ब्यौरा	भविष्य में न्यूनतम लीज भुगतान	ब्याज	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष के पश्चात नहीं	0.19	0.21	0.04
एक वर्ष के पश्चात परंतु पॉच वर्षों के पश्चात नहीं	0.78	0.88	0.14
पाँच वर्षों के पश्चात	20.12	17.24	0.48
कुल	21.09	18.33	0.66

ख) परिचालन लीज

लीज एक करार है जिसमें भुगतान अथवा भुगतान की श्रृखंला के स्थान पर पट्टेदार को सहमति अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है । ऑपरेटिंग लीज वित्तीय लीज के अलावा है । लीज टर्म को रद्द किए बगैर की जाने वाली अवधि जिसमें पट्टेदार ने परिसंपत्ति की अन्य शर्तों के साथ संविदा की है जिसमें पट्टेदार की परिसंपत्ति को आगे भुगतान के बगैर अथवा भुगतान पर लीज पर देने का विकल्प हैं जब पट्टे के आरंभ में यह उचित रूप से निश्चित है कि पट्टे के विकल्प का प्रयोग होगा । आगे रद्द करने योग्य लीज वह लीज है जो केवल रद्द की जा सकती है ।

- कुछ रिमोट आकस्मिता के घटने पर
- पट्टादाता की अनुमति से
- या पट्टेदार यदि, उसी पट्टादाता वही लीज पर अथवा उसके

Finance lease obligation of the company as of March 31, 2017 is as follows:-

(Rs. In lakh)

Particulars	Future minimum lease payments	Interest	Present Value
Not later than one year	0.19	0.22	0.04
Later than one year but not later than five years	0.80	0.89	0.14
Later than five year	19.92	17.01	0.44
Total	20.91	18.12	0.62

Finance lease obligation of the company as of 1st April, 2016 is as follows:-

(Rs. In lakh)

Particulars	Future minimum lease payments	Interest	Present Value
Not later than one year	0.19	0.21	0.04
Later than one year but not later than five years	0.78	0.88	0.14
Later than five year	20.12	17.24	0.48
Total	21.09	18.33	0.66

b) Operating Leases

A lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time. An operating lease is a lease other than a finance lease. As per definition, the lease term is the non cancellable period for which the lessee has contracted to lease the asset together with any further terms for which the lessee has the option to continue to lease the asset, with or without further payment, when at the inception of the lease it is reasonably certain that the lease will exercise the option. Further, a non cancellable lease is a lease that is cancellable only:

- Upon the occurrence of some remote contingency;
- With the permission of the lessor;
- If the lessee enters into a new lease for the same or

समतुल्य परिसंपत्ति लेता है ।

– पट्टेदारी द्वारा ऐसे किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर लीज के प्रारंभ में, पट्टेदार की निरंतरता उचित रूप से निश्चित है ।

कंपनी में विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसर लीज पर लिया गया हैं फिर भी भीलवाड़ा (राजस्थान) पर 3 वर्षों के लिए (2 अप्रैल, 2016 से 1 अप्रैल, 2019) तक लिया गया) तथा आदिलाबाद (तेलंगाना) पर(1 जून,2017 से 30 अप्रैल, 2018 तक) 11 महीनों की अवधि के लिए लिया गया । कार्यालय परिसर को छोड़कर पट्टादाता/पट्टेदार के विकल्प पर ये लीज व्यवस्थाएँ रद्द करने योग्य है ।

भीलवाड़ा के गैर रद्द करने योग्य के अंतर्गत भावी न्यूनतम लीज भुगतान के विवरण निम्नानुसार हैं ।

(रूपये लाख में)

ब्यौरा	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
एक वर्ष के पश्चात नहीं	8.78	8.05	7.32
एक वर्ष के पश्चात परंतु पॉच वर्षों के पश्चात नहीं	0	8.78	16.84
पाँच वर्षों के पश्चात	0	0	0

चूँकि आदिलाबाद में ऑपरेट लीज की अवधि एक वर्ष से कम है अत: गैर रद्द करने योग्य ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत भावी न्यूनतम लीज भुगतान लीज भुगतान की आवश्यकता नहीं है ।

49. वित्तीय रिपोर्टिंग और उसकी पर्याप्ता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली (आइएफसीओआर) :

प्रबंधन की राय है कि वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है, जो प्रबंधक द्वारा परिचालन के आकार, स्केल व जटिलता के अनुरूप है।

अपनी सभी शाखाओं पर नियमित रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम, लेखा कार्यविधि तथा नीतियों के साथ आंतरिक नियंत्रण के स्थापन, नियंत्रण तथा प्रभावशाली रूप से मूल्यांकन करने के लिए भारत के सनदी लेखपाल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण को अनिवार्य घटक माना है । कंपनीज अधिनियम 2013 के तहत आवश्यकता कंपनी की नीतियों के पालन, परिसंपत्तियों को छल कपट को खोजने व रोकने, लेखा रिकॉर्डस की यर्थाथता व पूर्ण करने तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार

an equivalent asset with the same lessor ; or

- Upon payment by the lessee of such an additional amount that, at inception of the lease, continuation of the lessee is reasonably certain.

The company has taken the office premises on lease at various locations, however, these lease arrangements are cancelable at the options of lessor/lessee except office premise taken on lease at Bhilwara (Rajasthan) for period of 3 year (from 02nd April 2016 to 01st April 2019) and at Adilabad (Telangana) for period of 11 months (from 01st June 2017 to 30th April 2018).

Details of future minimum lease payments under non-cancellable operating lease of Bhilwara are as under:

(Rs. in lakh)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Not later than one year	8.78	8.05	7.32
Later than one year but not later than five years	0	8.78	16.84
Later than five year	0	0	0

Since, operating lease term is less than one year at Adilabad, therefore, future minimum lease payments under non-cancellable operating lease are not required.

49. Internal Financial Control System over Financial reporting and their adequacy (IFCOR):

In the opinion of the Management, Company has an adequate internal financial control system over financial reporting, which is considered commensurate with the size, scale and complexity of its operations by the Management.

The essential components of internal controls as stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India has been considered by the Management of the Company for establishing, monitoring and to evaluate the efficacy of internal control system in the Company regularly, its compliance with operating systems, accounting procedures and policies at all branches / locations of the Company. These include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and

करने को शामिल करते हुए व्यापार को व्यवस्थित करने तथा कुशलतापूर्वक आचरण सुनिश्चित करने के लिए इसमें डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख रखाव शामिल है । निगम में प्रबंधन ने अपनी ओर से वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को परीक्षण करने व मान्य करने के लिए सनदी लेखपाल की फर्म को नियुक्त किया है। तद्नुसार उन्होंने परीक्षण किया तथा उनकी राय में निगम आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन निगम के व्यापार के आकार के अनुरूप व पर्याप्त है ।

50. प्रतिशेयर अर्जन की गणना

ब्यौरे	31.03.2018 को	31.03.2017 को
क) विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ (लाख रूपये में)	933.43	(455.26)
ख) ईक्विटी शेयर्स की वेटेज औसत संख्या	25,00,000	25,00,000
ग) प्रति ईक्विटी शेयर्स नाममात्र मूल्य	100	100
घ) मूल और तनुकृत आय/(हानि) प्रति शेयर्स (रू.) (क/ख)	37.34	(18.21)

51. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन कंपनी ने जोखिम प्रबंधन योजना को अपनाया है जो निदेशक मंडल की दिनांक 23 फरवरी, 2018 को आयोजित बैठक में विधिवत अनुमोदित है जो कार्यान्वयन अधीन है ।

वित्तिय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियों में निम्नलिखित रूप से विभिन्न वित्तीय जोखिम प्रतिपादित किए जाते हैं जैसे क्रेडिट जोखिम, वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम, तरलता जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम । कंपनी का प्राथमिक ध्यान व्यापार में अप्रत्याशितता देखना तथा अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम खरीददारों द्वारा अपने दायित्व पर डिफॉल्ट के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि उठानी पड़ी । जोखिम शमन उपाय: बिक्री संविदा की शर्तों में संविदा रद्द करने के जोखिम को कवर

efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and for the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013. The management has appointed a Chartered Accountant firm to test and validate internal financial control implemented in the Corporation. Accordingly, they have carried out the compliance testing and is in view that the Internal financial control implemented in the Corporation is adequate and commensurate with size of business of the Corporation.

50. Calculation of Earnings per Share

Particulars	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
A) Profit Available for Appropriation (Rs. in Lakh)	933.43	(455.26)
B) Weighted Average No. of Equity Shares (No's)	25,00,000	25,00,000
C) Nominal Value Per Equity Share (in Rs.)	100	100
D) Basic and Diluted Earnings per share (in Rs.) (A/B)	37.34	(18.21)

51. Financial risk management

The Company has adopted 'Risk Management Plan' which is duly approved by the Board of Directors in their meeting held on 23rd February 2018 and the same is under implementation.

Financial risk factors

The company's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk, financial reporting risk, liquidity risk and foreign exchange risk. The company's primary focus is to foresee the unpredictability in trade and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance.

a) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the buyers resulting in a financial loss. Risk mitigation measures: Sales contract terms to cover risks of backing out, to handle complaints and loss on resale. System put in place for assessment of credit

करना, शिकायतों पर ध्यान देना ताकि पुन: बिक्री से हानि न हो । पिछले लेनदेन व उनकी प्रतिबंधित श्रेणी के आधार पर खरीददारों की क्रेडिट योग्यता के निर्धारण के लिए पद्धति स्थापित की गई है । उचित वसूली का प्रबंधन, जहाँ तक संभव हो सौहार्दपूर्ण कार्रवाई की जाती है । कंपनी के पास कई प्रबंधन सूचना पद्धतियाँ हैं जिससे कंपनी द्वारा उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सकता है ।

worthiness of buyers on the basis of past dealings and their restricted and banned category. Appropriate recovery management, follow up and amicable settlement wherever possible. The Company has in place various Management Information system, which enables management to take proper decision, in time.

ख) वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम

वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम वह जोखिम है (i) जिसमें डेटा निकालने के लिएजिम्मेदार कई व्यक्ति, डाटा एकत्रित करने, और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है । (ii) जिसके द्वारा प्रक्रिया व टाईम लाईन के द्वारा यह आँकड़े प्राप्त किये जाते हैं तथा रिपोर्ट की जाती है । (iii) वह पद्धति जिसके द्वारा यह वित्तीय जानकारी सार्थक बनायी जाती है। लेखा, निगमित शासन तथा पब्लिक प्रकटन से संबंधित कानूनों विनियमों व मानकों में परिवर्तन इत्यादि से निगम के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करती है । कंपनी निगमित शासन व पब्लिक प्रकटन के उच्च मानकों का रख रखाव तथा विकसित कानून, विनियम तथा मानकों का अनुपालन करती है ।

b) Financial Reporting Risk

Financial reporting risks refers to the risk due to (i) A variety of people responsible for extracting, assembling, aggregating, and analyzing data; (ii) the processes and timelines by which this data is obtained and report; (iii) the systems that makes financial information and process it into meaningful form. Changing laws, regulations and standards relating to accounting, corporate governance and public disclosure, etc. creates uncertainty for the Corporation. The Company is committed to maintaining high standards of corporate governance and public disclosure and to comply with evolving laws, regulations and standards.

ग) तरलता जोखिम

इसमें नकद प्रबंधन जोखिम शामिल है, जोखिम शमन उपाय : संगठन के बीच उचित स्तर पर चर्चा की गई विस्तृत वार्षिक व्यापार योजना सहित उचित वित्तीय योजना पद्धति है । धारणाओं, पैरामीटर्स इत्यादि की प्रकृति और गुणवत्ता के विश्लेषण की वार्षिक व तिमाही बजट तैयार की जाती हैं तथा विस्तृत चर्चा के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती हैं । असंगत विश्लेषण के साथ इन बजटों को बेहतर वित्तीय योजना तथा विसंगतियों की वृद्धि में कारको के अध्ययन लिए तैयार किया जाता है । दैनिक तथा मासिक नकद प्रवाह तैयार किए जाते हैं तथा इनका वरिष्ठ स्तर पर नियंत्रण किया जाता हैं ताकि निधि की आवश्यकता को समझा जाए एवं प्रभावशाली तरीके से निधि की उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके । कुशल संग्रह तथा निधियों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए बैंको के संकाय से नकद सेवाएँ प्राप्त की जाती है ।

c) Liquidity Risk

This includes cash management risk. Risk mitigation measures : proper financial planning is in place with detailed annual business plans discussed at appropriate levels within the organization. Annual and quarterly budgets are prepared and put up to management for detailed discussion an analysis of the nature and quality of the assumption, parameters etc. These budgets with variance analysis are prepared to have better financial planning and study of factors giving rise to variances. Daily and monthly cash flows are prepared and monitored at senior levels to access the fund requirements and ensure utilization of funds in an effective manner. Cash management services are availed from consortium of banks to ensure efficient collection and utilization of funds.

घ) विदेशी मुद्रा जोखिम

रूई गाँठों की अन्य देशों में निर्यात की स्थिति के मामले में, भारतीय मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा विनिमय में प्रतिकूल अस्थिरता के कारण जोखिम है । जोखिम शमन उपाय : जब कभी भी कपास गाँठों के निर्यात की आवश्यकता होती है । अधिक भविष्यवाणी और स्थिरता प्राप्त करने के जोखिम को हेजिंग करने द्वारा अनिश्चितताओं तथा विदेशी

d) Foreign exchange risk

In case of any eventuality of export of cotton bales to other countries, there is the risk due to adverse volatility in foreign currency exchange vis-a-vis Indian rupee. Risk mitigation measures: As & when required for export of cotton bales, the Corporation minimizes risk arising from adverse currency movements by managing the uncertainty and

मुद्रा की अस्थिरता के प्रबंध द्वारा निगम एडवर्स करंसी मूवमेंटस से उत्पन्न जोखिम को कम करता है । निर्यात संविदा हसताक्षर करते समय विदेशी मुद्रा जोखिम को तथा विदेशी खरीददार द्वारा क्रेडिट के पत्र को खोलने से पूर्व संविदात्मक परिपक्वता के अनुसार मान्यता दी जाती है । मुद्रा लेनदेन से निपटने के अनिश्चित पहलू को शामिल किए बगैर निगम हेज के साथ भविष्य में उतार–चढ़ाव को कवर करता है ।

52. पूरक लेखा परीक्षा के दौरान सीएजी मुंबई के अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित संशोधन किए गए है :

(i) निगम ने पंजाब इंफ्रास्टक्चर (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम:

2002 के अंतर्गत सेस हेतु 3 फरवरी 2014 तक तथा 1.50 % प्रतिमाह ब्याज के लिए प्रावधान किया है गैजेट की अधिसूचना दिनांक 3 नवंबर, 2003 द्वारा राज्य सरकार ने ब्याज से संबंधित अधिनियम की धारा 26(2) रद्द कर दी है । सीएजी द्वारा किए गए अवलोकन के आधार पर निगम ने पुन: विचार किया । पंजाब इन्फ्रास्टकचर डेवलेपमेंट अधिनियम के प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विभिन्न निर्णयों की व्याख्या को देखते हुए निगम ने 6459.99 लाख रू. की ब्याज राशि के लिए किए गए प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया है ।

(ii) मालसूची मूल्यांकन :

हमारी किसी एक शाखा के मामले में 244.21 करोड़ रू. की मालसूची के स्थान पर 245.19 मालसूची का मूल्यांकन किया था । तद्नुसार दिनांक 31.03.2018 को मालसूची का मूल्य 139381.07 लाख रू. के स्थान पर 139282.72 लाख रू. संशोधित किया गया।

(iii) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान :

निगम ने उस वर्ष जिस वर्ष भुगतान किया है उस वर्ष लाभ व हानि विवरणी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ व्यय में मान्यता दी है । तथापि इंडएएस 19 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए निगम ने अब 01.04.16, 31.03.17 तथा 31.03.18 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया है । तद्नुसार एक्चुअरी रिपोर्टस के अनुसार सेवानिवृत्ति पश्चात रीटेंड अर्जन के समायोजन द्वारा ट्रांसीशन की तारीख से यानि 01.04.16 को चिकित्सा लाभ हेतु 3.90 करोड़ रू. का प्रावधान किया जाएगा । आगे, वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय पर 23.57 लाख रू. तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में

volatility of foreign exchange fluctuations by hedging the risk to achieve greater predictability and stability. Foreign currency exposures are recognized from the time an export contract is signed and as per contractual maturity prior to opening of Letters of Credit by foreign buyers. Without venturing into the speculative aspect of dealing in currency derivatives, Corporation aim to cover foreseeable fluctuations with a hedge.

52. Based on the observations of CAG, Mumbai during supplementary audit, the following revisions are made:

(i) Provision for Interest on Punjab Infrastructure Cess:

The Corporation had made provisions for cess till 3rd February 2014 and interest @ 1.50% per month under the Punjab infrastructure (Development and Regulation) Act, 2002. Section 26(2) of the Act related to interest was omitted by State Govt. through gazette notification dated 3rd November 2003. On the basis of the observation made by CAG, the Corporation revisited the matter in respect of the interest on Punjab Infrastructure Cess. In the light of the provisions of the Punjab Infrastructure Development Act, judgments of Hon'ble Supreme Court and the interpretations of various judgments, the Corporation has reversed the provision for interest amounting to Rs. 6459.99 lakh.

(ii) Inventory Valuation :

In case of one of the branch, the inventory was valued at Rs. 245.19 crores instead of 244.21 crores. Accordingly, value of inventories as on 31.03.2018 has been revised to Rs. 139282.72 lakh instead of Rs. 139381.07 lakh.

(iii) Provision for Post Retirement Benefit Scheme :

The Corporation was recognizing the Post Retirement Medical benefit expenses in the statement of Profit and Loss in the year in which payment is made. However, in order to comply with provisions of Ind AS 19, the Corporation has now obtained the actuarial valuation as on 01.04.2016, 31.03.2017 and 31.03.2018. Accordingly as per the actuaries reports, a provision of Rs. 3.90 crores towards post retirement medical benefits is to be made on the date of transition i.e. as on 01.04.2016 by adjusting the retained earnings. Further, in F.Y. 2016-17, net impact on expenses would be Rs. 23.57 lakh and Rs. 23.51 lakh in F.Y.

23.51 लाख रू. का शुद्ध प्रभाव पड़ेगा । अत: इंडएएस 19 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए लेखों में संशोधन किया गया है ।

(iv) व्यापार प्राप्य तथा रीटेंड अर्जन

व्यापार प्राप्य तथा रीटेंड अर्जन से 31.53 लाख रू; की राशि घटाई गई (प्रतिपूर्ति प्रभाव) जिसका समायोजन किया गया है ।

53. गत वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक था, री–ग्रुप/ री–कास्ट किया गया है ।

2017-18. Hence, revision in accounts is made in order to comply with the provisions of Ind AS 19.

(iv) Trade Receivables & Retained Earnings:

The amount of Rs. 31.53 lakh reduced (compensatory effect) from trade receivable and retained earnings have been adjusted.

53. The previous year figures have been regrouped / restated wherever necessary.

For and on behalf of Board of Directors
कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(डॉ पी.अल्लि रानी) **(Dr. P. Alli Rani)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director DIN : 02305257	(प्रदीप कुमार अग्रवाल) **(Pradeep Kumar Agarwal)** निदेशक (वित्त) Director (Finance) DIN :05234132	(एम.एम.चोक्कलिंगम) **(M. M.Chockalingam)** निदेशक (विपणन) Director (Marketing) DIN : 00051744	(ललित कुमार गुप्ता) **(Lalit Kumar Gupta)** कंपनी सचिव Company Secretary Membership No. : 46871

दिनांक: 23/08/2018
Date: 23/08/2018

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature: New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date annexed.
कृते बंसल आर कुमार एंड एसोसिएट
for Bansal R. Kumar & Associates
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.008186एन)
Firm Registration No.008186N

आर.के.गुप्ता
R. K. Gupta
भागीदार
Partner
एम.नं. 086851
Membership No. : 086851

दिनांक: 15/10/2018
Date: 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date annexed.
कृते बवेजा एंड कौल
for Baweja & Kaul
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.005834एन)
Firm Registration No.005834N

दलीप के कौल
Dalip K Kaul
भागीदार
Partner
एम.नं.083066
Membership No. : 083066

दिनांक: 15/10/2018
Date: 15/10/2018
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

बैंकों की सूची (संकाय)
LIST OF BANKS (CONSORTIUM)

इलाहाबाद बैंक	ALLAHABAD BANK
आन्ध्रा बैंक	ANDHRA BANK
बैंक ऑफ बडौदा	BANK OF BARODA
बैंक ऑफ इंडिया	BANK OF INDIA
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	CENTRAL BANK OF INDIA
कॉरपोरेशन बैंक	CORPORATION BANK
देना बैंक	DENA BANK
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	ORIENTAL BANK OF COMMERCE
पंजाब नेशनल बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	STATE BANK OF INDIA
सिंडीकेट बैंक	SYNDICATE BANK
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	UNION BANK OF INDIA
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	UNITED BANK OF INDIA
विजया बैंक	VIJAYA BANK

फार्म नं. एमजीटी – 11
FORM NO. MGT - 11

प्रॉक्सी फार्म
PROXY FORM

(कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) के अनुसरण में कंपनीज़ (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के साथ पढ़ा जाये।)

{Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 19(3) of the Companies (Management and administration) Rules, 2014}

सीआईएन नंबर / CIN Number	: U51490MH1970GOI014733
कंपनी का नाम / Name of Company	: THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
पंजीकृत कर्यालय / Registered Office	: 'KAPAS BHAVAN', PLOT NO 3A, SECTOR - 10, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI - 400 614
सदस्यों के नाम / Names of Member	:
पंजीकृत पता / Regd. Address	:
ई मेल आई डी / E-mail ID	:
फोलियो नं. / Folio Number	:

मैं उपरोक्त कंपनी के एक शेयर सदस्यता के नाते एतदद्वारा दिनांक _____ को आयोजित कंपनी की 47वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेने व मेरे लिए व मेरी ओर से तथा वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में दिए अनुसार ऐसे संकल्प के बारे में किसी प्रकार के स्थगन पर वोट करने के लिए मेरी प्रॉक्सी के लिए श्री/श्रीमती _____ को नियुक्त करता हूँ।

I, being the member (s) 1(one) Shares of the above named Company, hereby appoint Shri/Smt._____ _____ as my proxy to attend and vote (on a poll) for me & on my behalf at the 47th Annual General Meeting of the Company to be held on _____ _____ and at any adjournment thereof in respect of such resolution as given in Notice of AGM.

हस्ताक्षर की तारीख / Signed this _____

हस्ताक्षर / Signature : _____

[नाम / Name :_____]

NOTES



Created by : Media R&D (I) Pvt Ltd., 9819907982